लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. S. 59
Date 22/9/2K

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)



(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री नत्थू सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री ओ.पी. वैश्य
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला खंड 9 चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 11, बुधवार, 10 मार्च 1999/19 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
चेक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 204	2–55
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 205 से 220	55–88
अतारांकित प्रश्न संख्या 2156 से 2305	89–318
सभा पटल पर रखे गए पत्र	318–329
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	330
प्राक्कलन समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन	330
याचिका समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	330
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	331
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
ग्यारहवें से पन्द्रहवां प्रतिवेदन	331–332
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1998-99...	332
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)-1996-97...	333

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले...	**348, 353–360**
(एक) कोडरमा, बिहार में अभ्रक खान कर्मकार संगठन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों/अस्पतालों को जारी रखना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	348
(दो) उत्तरी गुजरात में राधानपुर और दीशा में टी.वी. केन्द्रों को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	353
(तीन) उत्तर प्रदेश में ''मीणा'' जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक प्रधान	353
(चार) गोरखपुर जनपद में ''बांसगांव'' का विकास सुनिश्चित करने के लिए उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनारायण पासी	354
(पांच) बिहार के कटिहार जिले में कुरूम हाट में ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री तारिक अनवर	354
(छह) केरल के उत्तरी जिलों में ''मैनग्रोव'' का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	355
(सात) अग्नि कांड से प्रभावित लोगों विशेष रूप से शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को समुचित राहत उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	355
(आठ) सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों के लिए पुनरूद्धार पैकेज सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	356
(नौ) जहानाबाद के समग्र विकास के लिए बिहार सरकार को समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	357
(दस) गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण पर निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री बालासाहिब विखे पाटील	357
(ग्यारह) कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय कृषि सेवा संवर्ग का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	359
(बारह) देश में गरीबी समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सतनाम सिंह कैंथ	359

विषय	कालम
पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – अस्वीकृत और पेटेंट (संशोधन) विधेयक	361–417, 418–456
विचार करने के लिए प्रस्ताव	361
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	361
श्री चन्द्रशेखर	368
श्री सुदीप बंधोपाध्याय	371
श्री एस. जयपाल रेड्डी	374
श्री बालासाहिब विखे पाटील	388
श्री टी.आर. बालू	391
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	395
श्री प्रमथेस मुखर्जी	397
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक	401
श्रीमती कैलाशो देवी	406
श्री ए.सी. जोस	407
श्री सिकन्दर बख्त	411
श्री वी.वी. राघवन	418
खंड 2 से 9 और 1	421–454
श्री सोमनाथ चटर्जी	454
पारित करने के लिए प्रस्ताव	456
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
दूरसंचार टैरिफ संबंधी आदेश के बारे में	
श्री जग मोहन	417

विषय	कालम
गोवा बजट, 1999-2000	
लेखानुदानों की मांगें – गोवा, 1999-2000 और **अनुपूरक अनुदानों की मांगें – गोवा, 1998-99**...	457-500
श्री पी. शिव शंकर	457
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	461
श्री फ्रांसिस्को सारदीना	471
श्री शैलेन्द्र कुमार	475
श्री रवि सीताराम नायक	477
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे	479
श्री यशवंत सिन्हा	480
गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1999 – पुरःस्थापित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	501
श्री यशवंत सिन्हा	501
खंड 2, 3, और 1	502
पारित करने के लिए प्रस्ताव	502
गोवा विनियोग विधेयक – पुरःस्थापित...	502-506
श्री वारकला राधाकृष्णन	503
श्री यशवंत सिन्हा	504
विचार करने के लिए प्रस्ताव	504
खंड 2, 3 और 1	504
पारित करने के लिए प्रस्ताव	506

लोक सभा

बुधवार, 10 मार्च, 1999/19 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

चेक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, चेक गणराज्य की संसद् के 'चैम्बर आफ डिप्टीज' के प्रैसीडेंट महामहिम श्री वेक्लॉव क्लॉज और श्रीमती लिविया क्लासोवा तथा चेक संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों, जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर आये हैं, का स्वागत करते हुये हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं:

1. श्री इवान लांगेर, संसद सदस्य
2. श्री लादीस्लाव स्कोपल, संसद सदस्य
3. श्री व्लासतिमिल तलस्ती, संसद सदस्य
4. श्री मिलोस्लाव रेंसडोर्फ, संसद सदस्य
5. श्री पवेल सेवेरा, संसद सदस्य
6. श्री जिरी व्लॉक, संसद सदस्य

वे सोमवार, 8 मार्च, 1999 को दिल्ली पहुंचे थे। वे अब विशेष बाक्स में बैठे हुये हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल निवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम चेक गणराज्य के प्रेसीडेंट, संसद और सुहृद लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति शासन के समय ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर प्रश्नकाल के बाद विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दे रखा है। ...*(व्यवधान)* उस पर निर्णय हो जाना चाहिए क्योंकि वह बड़ा गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस पर प्रश्नकाल के बाद विचार किया जायेगा।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

संस्कृत को बढ़ावा दिया जाना

***201. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल की सरकारों ने संयुक्त रूप से संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा देने और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (घ) भारत और नेपाल के बीच संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ाने और चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सहयोग करने की प्राचीन परम्परा रही है। सरकारी समर्थन और सुविधाओं के साथ यह सहयोग विगत वर्षों में मजबूत हुआ है। तथापि, भारत और नेपाल के बीच विशेष रूप से संस्कृत का प्रयोग बढ़ाने और चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई औपचारिक करार नहीं है। किन्तु अपने आप में यह विरासत में मिली हुई एक चीज है और इसमें प्रगति होती रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : संस्कृत विश्व की समृद्ध भाषा है और अन्य भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत से ही हमारी संस्कृति और संस्कारों का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा भारत की आमूल धरोहर है। सदियों से संस्कृत का राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से संस्कृत और आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कई प्रकार की गोष्ठियां हुई हैं, कई सालों से होती आई हैं और 1997 में भी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, नई दिल्ली व राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, इनके सम्बन्ध अपने आप में नेपाल की संस्थाओं से हैं। बैंगलौर में जनवरी, 1997 में एक विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था। साथ-साथ इंडियन कौंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस संस्कृत विद्वानों को नेपाल जाने की सुविधा प्रदान करती है और सरकार ने महेन्द्र संस्कृत यूनिवर्सिटी को सहयोग दिया है, ताकि ये आपसी सम्बन्ध और प्रगाढ़ हो जायें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कुछ कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया है। इसी से सम्बन्धित मेरा दूसरा सवाल है कि संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए इस समय कितनी अनुदान राशि दी जाती है? क्या संस्कृत शिक्षा को और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कितनी प्रचार राशि संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए दी जाती है, यह प्रश्न अपने आप में विदेश मंत्रालय से जुड़ा नहीं है। यह दूसरे मंत्रालय का प्रश्न है। आई.सी.सी.आर. क्या करता है, यह जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा और प्रचार हो रहा है।

श्री पंकज चौधरी : आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में अपने सहयोगी देशों, पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। साथ ही साथ श्रीलंका और बंगलादेश से भी सम्बन्ध सुधारने का प्रयास हुआ है। नेपाल हमारा मित्र देश रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के बीच संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सहयोग देने के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने का क्या कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है?

श्री जसवन्त सिंह : संस्कृत को बढ़ाने के लिए मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है, आयुर्वेद नेपाल की भी पुरानी पद्धति है और वहां प्रचलित भी है। वह वहां और प्रचलित हो सके, उसमें हम सहयोग और सहायता देते हैं। कोलम्बो प्लान में आयुर्वेद को बढ़ाने का भी प्रश्न है। इसके अलावा पिछली सार्क मीटिंग में जब माननीय प्रधान मंत्री जी कोलम्बो गये थे, तब भी आयुर्वेद समेत अन्य सुविधाओं की जो पारम्परिक प्रणालियां हैं, उनको प्रचलित किया जाये, उस पर भी करार हुआ है। वह जोइंट डिक्लेरेशन में है। जहां तक हमारी जानकारी है, एक भारतीय कम्पनी डाबर है, उसने डाबर नेपाल लिमिटेड नाम से वहां एक कम्पनी खड़ी की है। इस प्रकार से हम इनको हर सहयोग देते हैं।

[अनुवाद]

डा. विक्रम सरकार : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। यह संस्कृत वर्ष है। संस्कृत में पुरानी पांडुलिपियां चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद और इसके उपयोग आदि के संबंध में जानकारी, अनुसंधान कार्य इत्यादि के आगार हैं। हमने देखा है कि कई विदेशी विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के अध्ययन और प्रसार में सहायता प्रदान कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए अन्य अनेक गैर-सरकारी संगठनों अथवा विद्यापीठों की वित्तीय रूप से और वास्तविक रूप से सहायता करने का प्रयास करेगी। क्या सरकार भारत के कई भागों में उपलब्ध संस्कृत की पांडुलिपियों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने और उन्हें बनाये रखने के लिए छोटे संगठनों की भी व्यवस्था करेगी?

श्री जसवन्त सिंह : प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों और विद्यापीठों को प्रोत्साहन देगी जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया है: जी हां, हम करेंगे, हम कभी भी किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं।

दूसरा भाग यह था कि सरकार संस्कृत में पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए क्या करेगी; यह एक ऐसा प्रश्न है जो विभिन्न मंत्रालयों से पूछा गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार यथासंभव सभी प्रयास करेगी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश परंपरा और विरासत से संपन्न है। हमारे देश की महान परंपरा के बारे में जानने के लिए संस्कृत साहित्य को पढ़ना चाहिए। यह संस्कृत में उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश, मैं महसूस करता हूं कि संस्कृत को हमारे देश में जितना महत्व मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। यह एक ऐसी भाषा है जहां

[हिन्दी]

सत्यमेव जयते। अहिंसा परमो धर्म: यतो। लोका समस्त: सुखिनो भवंतु।

[अनुवाद]

संपूर्ण विश्व एक ब्रह्मांड है, ऐसे सभी सार्वभौमिक दृष्टिकोण, सार्वभौमिक अवधारणा और विचार को अपनाया जाता है। हम इस भाषा को अनदेखा कर रहे हैं और यह भी एक कारण है कि हमारे देश में असहिष्णुता, धार्मिक अथवा अन्य प्रकार की बातें क्यों बढ़ रही है। इसलिए, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह इस भाषा के प्रसार और हमारे स्कूलों में इस भाषा के अध्ययन के लिए क्या करेगी ताकि वे भी हमारे देश की महान परंपराओं को एक झलक पा सकें और हमारे देश तथा इसकी विरासत पर भी, गर्व महसूस कर सकें।

इसके अतिरिक्त, यह प्रश्न नेपाल में संस्कृत के प्रसार के बारे में है। केवल नेपाल ही क्यों, जर्मनी जैसे ऐसे कितने देश हैं, जिन्होंने संस्कृत की महानता स्वीकार की है। मुझे बताया गया है कि जर्मनी में, कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत साहित्य पढ़ाया जाता है। इसी तरह, आपके मंत्रालय का अन्य देशों में इस भाषा के प्रसार के लिए क्या करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री सभा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): ऐसा संसद सदस्यों के लिए भी किया जाना चाहिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं इसका बहुत स्वागत करूंगा। यदि सदस्यों के लिए संस्कृत की क्लास शुरू की जाती है तो मैं वहां एक नियमित छात्र के रूप में भाग लूंगा।

श्री राम नाईक : मैं भी वहां आपके साथ रहूंगा।

श्री भुवनेश्वर कालिता : यह पहले से ही चल रही है यदि कुछ सदस्य इच्छुक हैं तो।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के चार भाग हैं। माननीय सदस्य ने अपने विचार बताये हैं कि संस्कृत को उतना महत्व नहीं मिला है जोकि उनके विचार से उसे हमारे देश के सांस्कृतिक स्रोत के रूप में मिलना चाहिए था। मैं उस विचार से सहमत हूं।

दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि इस कारण देश में असहिष्णुता और अन्य कठिनाइयां बढ़ी हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मैं उस बात से सहमत होऊं। लेकिन इस पूरी बात से यह एक भिन्न पहलू है।

तीसरी बात, हम देश में संस्कृत को प्रोत्साहन देने, इसका अध्ययन और प्रचार करने के लिए क्या करेंगें, यह एक ऐसा प्रश्न है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ही अच्छी तरह पूछा जा सकता है।

चौथी बात, हम आई.सी.सी.आर. और अन्य एजेंसियों के माध्यम से नेपाल में ही नहीं, अपितु अन्य देशों में भी संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए जो कुछ करेंगे, मंत्रालय उस प्रस्ताव की जांच करेगा।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी : दक्षिण एशिया के कई देशों में संस्कृत का अध्यापन और अध्ययन होता है। जैसे श्रीलंका, बंगला देश, थाईलैंड, सिंगापुर और इसके अतिरिक्त जर्मनी आदि में भी संस्कृत पर गहन अध्ययन होता है। वहां वेदों आदि पर भी काफी शोध हुए हैं और पर्याप्त संख्या में पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संस्कृत वर्ष के इस अवसर को माध्यम बनाकर क्या सरकार इन देशों में संस्कृत के पठन-पाठन की दिशा में, उन पांडुलिपियों के संरक्षण और प्रकाशन की दिशा में और गहन शोध की दिशा में अपनी ओर से कोई प्रयास करेगी?

श्री जसवंत सिंह : यह प्रश्न पहले एक माननीय सदस्य पूछ चुके हैं, मैंने इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया है। यह निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है। जहां-जहां, जिस-जिस देश में संस्कृत की पढ़ाई होती है वहां विदेश मंत्रालय, आई.सी.सी.आई. या अन्य माध्यमों से हम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, इस बारे में हम विशेष रूप से जांच करेंगे और इसे ज्यादा प्रोत्साहन देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के संबंध में कोई और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि अगला प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब प्रश्न सं. 202 ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खंडूड़ी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सं. 202 के संबंध में नहीं है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूडी, ए वी एस एम: महोदय, प्रो. कुरियन ने जो कुछ कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और मैं यह भी कहूंगा कि संस्कृत कम्प्यूटर की दृष्टि से भी आज विश्व में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है।

[हिन्दी]

महोदय, मेरा सवाल नेपाल से संबंधित है। मंत्री जी ने कहा कि अभी कोई औपचारिक करार नेपाल के साथ नहीं है। जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने यहां अपनी भावना जाहिर की है कि अन्य देशों में भी हमें इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए ताकि संस्कृत और आयुर्वेद का कुछ प्रचार, प्रसार और सदुपयोग हो सके। नेपाल और भारत विश्व में अकेले ऐसे देश हैं जिनको विरासत में ये चीजें मिली हैं। क्या आप समझते हैं कि आज स्थिति ऐसी आ गई है कि नेपाल के साथ हमें इन विषयों पर औपचारिक करार करना चाहिए। यदि हां तो यह इस विषय में आप क्या कर रहे हैं और अगर नहीं तो क्यों इसकी जरूरत नहीं समझते?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रालय का विचार है कि औपचारिक करारों की तब आवश्यकता होती है, जब जो वर्तमान, विद्यमान संबंध हैं उनमें किसी प्रकार की कमी पाई जाए। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और संस्कृति संबंध सदियों पुराने हैं। वे किसी औपचारिक करार से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और मात्र औपचारिक करार से उन संबंधों को कुछ और बल मिल जाएगा, हमारे मंत्रालय का ऐसा विचार है, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूडी, ए वी एस एम : लेकिन उससे भी विश्व में अन्य देशों को एक संकेत मिलेगा। यह केवल भारत और नेपाल के बीच का ही मामला नहीं है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह एक संदेश देगा और सरकारी स्वीकृति का भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व होगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : जहां तक दूसरे देशों का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि दूसरे देशों में इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में विदेश मंत्रालय जरूर विचार करेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, सरकार के लिए केवल संस्कृत को प्रोत्साहन देना दुर्भाग्य की बात है। यह एक मृत भाषा है। *...(व्यवधान)* जब आप संस्कृत को प्रोत्साहन दे सकते हैं तो फिर अन्य भाषाओं को क्यों नहीं कर सकते? सरकार के लिए ऐसा करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, हम प्रश्न सं. 202 पर विचार कर सकते हैं। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शरद पवार : महोदय, चूंकि प्रश्न सं. 202 और 203 सिंचाई परियोजनाओं और सिंचाई क्षमता से संबंधित है, इसलिए यदि आप दोनों प्रश्नों को एक साथ लें तो यह ज्यादा ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रश्न सं. 202 और 203 पर एक साथ विचार किया जाये।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

***202. श्री शान्तिलाल चपलोत :**
श्री बलीराम कश्यप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों की उन सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास आज तक लंबित हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस समय निर्माणाधीन बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से परियोजनावार और राज्यवार कितनी परियोजनाओं के नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संघ की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	राज्य	जांच के अधीन परियोजनाएं/जिन पर राज्य सरकारों से अनुपालना प्राप्त होनी है		कुछ शर्तों और/अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं		कुल
		वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	7	2	11
2.	असम	–	2	1	1	4
3.	बिहार	4	–	4	1	9
4.	गुजरात	–	1	1	–	2
5.	हरियाणा	4	1	1	–	6
6.	हिमाचल प्रदेश	1	–	–	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	–	16	–	–	16
8.	कर्नाटक	4	1	–	–	5
9.	केरल	1	1	1	–	3

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	2	–	7	–	9
11.	महाराष्ट्र	5	15	10	10	40
12.	मणिपुर	–	1	1	–	2
13.	मेघालय	–	–	–	–	–
14.	नागालैंड	–	–	–	1	1
15.	उड़ीसा	4	3	3	3	13
16.	पंजाब	3	1	1	–	5
17.	राजस्थान	4	1	1	4	10
18.	सिक्किम	–	–	–	–	–
19.	तमिलनाडु	1	1	–	–	2
20.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
21.	उत्तर प्रदेश	4	–	7	–	11
22.	पश्चिम बंगाल	1	–	–	–	1
23.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
24.	गोवा दमन व दीव	–	–	–	–	–
	कुल योग	39	45	45	24	153

(ख) योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1996 से अनुमोदित की गई परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए अनुसार विगत तीन वर्षों के (1995-96 से) व्यय/परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II पर दिये गये हैं।

(घ) चल रही सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-III में दिये गये हैं। इन परियोजनाओं का पूरा होना निधियों की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों द्वारा उनको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। राज्य सरकारों को चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर ध्यान देने तथा उपलब्ध संसाधनों को अत्यधिक बिखराव (थिन स्प्रेडिंग) से बचाने के लिए नई परियोजनाओं को शुरू न करने की सलाह दी गई है।

अनुबंध-I

योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1996 से अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम बृहद/मध्यम	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	लाभ हजार हैक्टेयर में	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	के.सी. नहर (बृहद) का आधुनिकीकरण	आन्ध्र प्रदेश	674.29	110.482	16.4.98
2.	यमुना सिंचाई नहर (बृहद) का आधुनिकीकरण	असम	60.27	28.286	17.12.97
3.	सोन नहर आधुनिकीकरण फेज-I (बृहद)	बिहार	235.93	48.600	7.7.98
4.	कर्जन सिंचाई (जलाशय) परियोजना (बृहद)	गुजरात	186.37	77.546	23.9.96
5.	गोमा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	गुजरात	47.59	7.039	30.12.97
6.	शाहनेहर सिंचाई परियोजना (बृहद)	हिमाचल प्रदेश	143.32	24.760	21.2.97
7.	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण (बृहद)	जम्मू और कश्मीर	84.40	49.418	21.5.98
8.	सिन्ध फेज-II (बृहद)	मध्य प्रदेश	510.94	162.10	17.3.98

1	2	3	4	5	6
9.	अपर बेदा (बृहद)	मध्य प्रदेश	89.51	13.365	10.9.98
10.	बारगी डाइवर्जन परियोजना (बृहद)	मध्य प्रदेश	1101.23	376.514	6.7.98
11.	बोरदाहा गांव सिंचाई परियोजना (मध्यम)	महाराष्ट्र	16.27	2.220	10.11.96
12.	वान सिंचाई स्कीम (बृहद)	महाराष्ट्र	46.85	19.197	15.4.97
13.	अपर माना सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	26.19	8.280	15.4.97
14.	बेनेतुरा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	महाराष्ट्र	12.12	2.293	25.2.97
15.	बाघा लाली सिंचाई परियोजना (मध्यम)	उड़ीसा	45.44	6.050	21.5.96
16.	रंगाली सिंचाई बांया तट नहर (बृहद)	उड़ीसा	705.15	177.652	14.7.97
17.	लोअर इन्द्रा सिंचाई परियोजना (बृहद)	उड़ीसा	211.70	38.87	4.2.99
18.	नर्मदा नहर परियोजना (बृहद)	राजस्थान	467.53	73.00	23.1.96
19.	बीसलपुर पेयजल व सिंचाई परियोजना (बृहद)	राजस्थान	309.07	49.89	16.12.97
20.	गम्भीर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (मध्यम)	राजस्थान	11.76	9.60	16.12.97
21.	सुक्ली सिंचाई परियोजना (मध्यम)	राजस्थान	18.698	3.89	10.12.97
22.	बंदी सेन्द्रा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	राजस्थान	13.041	4.09	10.12.97

1	2	3	4	5	6
23.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II	राजस्थान	1398.91	859.115	11.3.98
24.	मानु सिंचाई परियोजना (मध्यम)	त्रिपुरा	33.28	7.580	2.8.98
25.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना (बृहद)	उत्तर प्रदेश	39.81	41.700	2.9.96
26.	गुन्ता बांध (मध्यम)	उत्तर प्रदेश	18.41	3.578	18.6.97
27.	जरौली पम्प नहर (बृहद)	उत्तर प्रदेश	47.92	397.48	23.3.98

अनुबंध-II

वर्ष 1995-96 के लिए राज्यवार वास्तविक व्यय तथा वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1995-96 के लिए वास्तविक व्यय	वर्ष 1996-97 के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय	वर्ष 1997-98 के लिए अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	537.71	514.88	712.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.48	0.94	0.49
3.	असम	23.83	22.00	21.46
4.	बिहार	175.75	192.68	366.23
5.	गोवा	30.28	31.00	35.80
6.	गुजरात	651.96	1063.19	1187.63

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	99.55	201.29	329.69
8.	हिमाचल प्रदेश	3.43	3.22	10.00
9.	जम्मू और कश्मीर	19.06	17.11	39.60
10.	कर्नाटक	681.26	975.89	1023.44
11.	केरल	146.56	130.00	148.10
12.	मध्य प्रदेश	316.67	297.58	262.61
13.	महाराष्ट्र	1153.82	642.89	2245.02
14.	मणिपुर	33.37	32.21	50.00
15.	मेघालय	1.86	1.50	1.50
16.	मिजोरम	0.02	0.00	0.05
17.	नागालैंड	0.30	0.30	0.80
18.	उड़ीसा	195.09	327.74	585.60
19.	पंजाब	69.38	75.84	76.98
20.	राजस्थान	291.05	287.79	374.19
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	52.86	186.16	257.55
23.	त्रिपुरा	4.19	5.49	6.98

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	373.00	415.66	470.00
25.	पश्चिम बंगाल	105.80	100.00	155.00
	कुल राज्य	4971.28	5525.36	8361.40
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1.23	1.46	1.52
	कुल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	4972.51	5526.82	8362.92

अनुबंध-III

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान चल रही वृहद परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	आठवीं योजना के अन्त तक संचयी व्यय (प्रत्याशित) (करोड़ रुपये में)	नौवीं योजना के दौरान चल रही मध्यम परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	आठवीं योजना के अन्त तक संचयी व्यय (प्रत्याशित) (करोड़ रुपये)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	20	623.34	323.51	*आई.एस. प्रोजेक्ट
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	
3.	असम	4	432.82	211.48	9	155.92	99.72	
4.	बिहार	15(–1)*	7365.53	2105.27	29	1065.18	429.37	
5.	गोवा	2(–1)*	678.59	258.65	1	40.00	2.40	
6.	गुजरात	9	23300.92	6522.47	9	337.53	260.02	
7.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	शून्य	–	–	
8.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	1	11.30	11.26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू और कश्मीर	1	151.18	122.84	9	223.55	55.88	
10.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	15	943.67	510.72	
11.	केरल	7	1379.50	942.41	5	478.93	150.56	
12.	मध्य प्रदेश	25(-2)*	10729.55	3131.15	32	1012.09	733.15	
13.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	66	2076.06	1021.98	
14.	मणिपुर	2	491.65	225.85	2	66.58	56.50	
15.	मेघालय	शून्य	–	–	1	17.81	8.14	
16.	मिजोरम	शून्य	–	–	शून्य	–	–	
17.	नागालैंड	–	111.02	2.95	शून्य	–	–	
18.	उड़ीसा	6(-1)*	4953.85	1156.55	10	499.95	410.23	
19.	पंजाब	1(-1)*	3379.53	2704.53	1	88.49	0.20	
20.	राजस्थान	8(-2)*	4692.81	2346.01	6	240.24	12.22	
21.	सिक्किम	शून्य	–	–	शून्य	–	–	
22.	तमिलनाडु	शून्य	–	–	2	103.75	29.53	
23.	त्रिपुरा	शून्य	–	–	3	154.00	92.96	
24.	उत्तर प्रदेश	19(-1)*	7539.44	3339.74	2	54.81	39.99	
25.	पश्चिम बंगाल	4(-1)*	2037.41	938.83	17	90.42	60.78	
	कुल	172 -10*	103186.89	39003.29	240	8283.62	4424.12	
		162						

*अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए कटौतियों की गणना एक से अधिक बार की गई है।

सिंचाई क्षमता

*203. श्री +कांतिलाल भूरिया :
श्री अरविंद कांबले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में सिंचित भूमि का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो सिंचाई क्षमता का राष्ट्रीय औसत प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात में कितनी अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995-96 (नवीनतम) के लिए प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार निवल सिंचित क्षेत्र (एन.आई.ए.), निवल बुवाई क्षेत्र (एन.एस.ए.) और उनकी आपेक्षिक प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

(ग) सरकार ने सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीति और कार्यक्रम शुरू किए हैं/करने का प्रस्ताव किया है। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) का संशोधन, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल का हस्तांतरण करने के वास्ते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, जल प्रबन्धन पद्धतियां, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देना, जल के विविध उपयोगों के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग और जल के प्रबन्धन में लोगों की भागीदारी सहित विभिन्न पद्धतियों के जरिए जल संरक्षण पर बल देना शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में सभी चल रही परियोजनाओं, विशेषकर उन परियोजनाओं को, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थीं, समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा करने के वास्ते सिंचाई विकास की एक कार्य नीति बनाई गई है। इस कार्य नीति को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा चल रही वृहद् एवं मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) को नौवीं योजना में जारी रखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में बताये गए अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात सहित इन राज्यों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए अनंतिम लक्ष्य अनबंध-III में संलग्न हैं।

अनुबंध-I

राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र (एन.आई.ए.) निवल बुवाई क्षेत्र (एन.एस.ए.) तथा निवल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य	निवल बुवाई क्षेत्र (एन.एस.ए.)	निवल सिंचित क्षेत्र (एन.आई.ए.)	निवल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचाई क्षेत्र का %
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10637	4123	38.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	185	36	19.46

1	2	3	4	5
3.	असम	2780	572	20.57
4.	बिहार	7321	3680	50.27
5.	गोवा	139	23	16.55
6.	गुजरात	9609	3002	31.24
7.	हरियाणा	3586	2761	76.99
8.	हिमाचल प्रदेश	568	101	17.78
9.	जम्मू और कश्मीर	734	386	52.59
10.	कर्नाटक	10420	2302	22.09
11.	केरल	2265	342	15.10
12.	मध्य प्रदेश	19752	5928	30.01
13.	महाराष्ट्र	17911	2567	14.33
14.	मणिपुर	140	66	46.43
15.	मेघालय	206	45	21.84
16.	मिजोरम	109	7	6.42
17.	नागालैंड	211	62	29.38
18.	उड़ीसा	6210	2090	33.65
19.	पंजाब	4139	3847	92.94

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	16575	5232	31.56
21.	सिक्किम	95	16	16.84
22.	तमिलनाडु	5342	2625	49.14
23.	त्रिपुरा	277	35	12.64
24.	उत्तर प्रदेश	17399	11675	67.10
25.	पश्चिम बंगाल	5462	1911	34.99
	कुल राज्य	142072	53433	37.61
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	143	75	52.45
	कुल योग	142215	53508	37.62

टिप्पणी : ये आंकड़े वर्ष 1995-96 (नवीनतम) के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार हैं तथा अनंतिम हैं।

अनुबंध-II

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) को दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता		
		1996-97	1997-98	1998-99 (आज तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.25	74.00	79.67
2.	असम	5.23	12.40	13.95

1	2	3	4	5
3.	बिहार	13.50	14.04	12.03
4.	गोवा	–	5.25	–
5.	गुजरात	74.773	196.90	217.71
6.	हरियाणा	32.50	12.00	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	6.50	2.50
8.	जम्मू और कश्मीर	1.30	–	–
9.	कर्नाटक	61.25	90.50	83.50
10.	केरल	3.75	15.00	–
11.	मध्य प्रदेश	63.25	114.50	85.50
12.	महाराष्ट्र	14.00	55.00	40.30
13.	मणिपुर	4.30	26.00	–
14.	उड़ीसा	48.45	85.00	31.25
15.	पंजाब	67.50	100.00	–
16.	राजस्थान	2.675	42.00	53.47
17.	त्रिपुरा	3.773	5.10	3.05
18.	तमिलनाडु	20.00	–	–

1	2	3	4	5
19.	उत्तर प्रदेश	43.50	78.00	46.50
20.	पश्चिम बंगाल	5.00	20.00	10.00
	कुल योग	500.00	952.19	679.43

वृहद सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्यों को ऋण सहायता मुहैय्या कराने के वास्ते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया था।

क्षेत्र

1. ऐसी परियोजनाएं जिनकी लागत 500.00 करोड़ रुपए से अधिक हो और राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हों।
2. ऐसी परियोजनाएं जो निर्माण की उन्नत अवस्था में हों और जो थोड़े से अतिरिक्त संसाधनों से पूरी की जा सकें।

पात्रता

1. ऐसी परियोजनाएं जिन्हें योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
2. राज्यों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से बराबर हिस्सा दिया जाना है।

अनुबंध-III

नौवीं योजना के दौरान वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	निम्न द्वारा क्षमता का सृजन		
		वृहद और मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	579.13	28.90	608.03
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	23.00	23.00
3.	असम	6.50	12.84	19.34
4.	बिहार	492.00	205.25	697.25
5.	गोवा	16.22	3.02	19.24
6.	गुजरात	1867.00	70.10	1937.10

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	197.71	80.64	278.35
8.	हिमाचल प्रदेश	3.00	6.00	9.00
9.	जम्मू और कश्मीर	29.90	21.00	50.90
10.	कर्नाटक	1109.88	155.00	1264.88
11.	केरल	373.12	50.18	423.30
12.	मध्य प्रदेश	384.75	150.00	534.75
13.	महाराष्ट्र	1755.00	528.00	2283.00
14.	मणिपुर	50.38	15.00	65.38
15.	मेघालय	3.88	8.82	12.70
16.	मिजोरम	0.00	1.85	1.85
17.	नागालैंड	4.50	14.30	18.80
18.	उड़ीसा	915.39	89.60	1004.99
19.	पंजाब	126.25	241.61	367.86
20.	राजस्थान	469.26	39.44	508.70
21.	सिक्किम	0.00	4.50	4.50
22.	तमिलनाडु	4.80	11.57	16.37

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	22.92	16.00	38.92
24.	उत्तर प्रदेश	1000.00	5000.00	6000.00
25.	पश्चिम बंगाल	395.00	450.00	845.00
	कुल राज्य	9806.59	7226.62	17033.21
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	5.20	17.11	22.31
	कुल योग	9811.79	7243.73	17055.52

टिप्पणी : यह आंकड़े नौवीं योजना दस्तावेज में परिलक्षित किए गए अनुसार अनंतिम हैं तथा योजना आयोग द्वारा इनकी पुष्टि की जानी है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हमारी सिंचाई की योजनाएं तीन-तीन वर्षों से लम्बित हैं, क्या कारण है कि उनका इतने दिनों तक क्लियरेंस नहीं हो रहा है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान के लिए महत्ति योजनाएं, राजस्थान कैनाल और नर्मदा प्रोजेक्ट हैं। आज राजस्थान कैनाल के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और नौवें प्लान में 1,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नर्मदा प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनाल कब तक पूरा कराने का संकल्प है?

ये योजनाएं जो तीन-तीन सालों से पैंडिंग पड़ी हुई हैं, कब तक क्लीयर कर दी जाएंगी।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को क्लीयरेंस देने में जो विलम्ब होता है उसके कई कारण होते हैं। एक कारण यह है कि जिन परियोजनाएं की रिपोर्ट्स राज्यों के द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत की जाती हैं वे उन मानदंडों के अनुसार नहीं होती हैं जो केन्द्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए वे वापस भेज दी जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि केन्द्र ने उनके संबंध में जो टिप्पणियां की होती हैं उनका उत्तर राज्य समय से नहीं दे पाते। तीसरा कारण उसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय की क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है। चौथा कारण उन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की जो जनसंख्या है, उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके संबंध में ब्यौरा और कार्यक्रम उपलब्ध नहीं होता तथा उसमें जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, वे उपलब्ध नहीं होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार क्लीयरेंस देती है। जहां तक नर्मदा प्रोजैक्ट और राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट का सवाल है, ये दोनों चल रहे हैं। नर्मदा प्रोजैक्ट के संबंध में आपको जानकारी है कि उसका सुप्रीम-कोर्ट में विवाद लम्बित था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निर्धारित ऊंचाई के संबंध में अपना निर्णय दिया है। इसके बाद उसमें कुछ गति आयेगी।

राजस्थान कैनाल के संबंध में भी लगातार सहायता राजस्थान सरकार मांगती है। केन्द्र के पास सीमित साधन हैं, फिर भी वे दिये जा रहे हैं। इसके पूरा होने का ब्यौरा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। माननीय संसद सदस्य और संसद को वह उपलब्ध करा दिया जाएगा।

श्री शान्तिलाल चपलोत : इन दोनों प्रोजैक्ट्स को क्लीयर न करने के कौन से कारण हैं क्योंकि यह सरकार के विचाराधीन हैं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष जी, नर्मदा प्रोजैक्ट्स के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में विवाद लम्बित था, उसके बाद प्रगति होगी। उसकी क्लीयरेंस पहले से ही की हुई है। राजस्थान नहर की क्लीयरेंस भी दी गयी है। कोई क्लीयरेंस रोकी नहीं गयी हैं।

श्री बलीराम कश्यप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में मात्र तीन परियोजनाओं सिंध, अपर बेदा और बारगी डायवर्जन को स्वीकृति मिली है। इनके अलावा भी 9 बड़ी परियोजनाएं केन्द्र के पास लम्बित हैं। क्या मंत्री महोदय उनकी जानकारी देंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में 9 परियोजनाएं लम्बित हैं। इनमें से 2 विचाराधीन हैं और 7 ऐसी हैं जो तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कुछ शर्तों के साथ स्वीकृत की जा चुकी हैं। उन पर मध्य प्रदेश सरकार की टिप्पणी अपेक्षित है। जब वे प्राप्त होंगी तब उन्हें क्लीयरेंस दी जाएगी।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उसके साथ केन्द्र सरकार हमेशा पक्षपात करती रही है। प्रधान मंत्री जी मध्य प्रदेश के हैं। ...*(व्यवधान)* वहां पर सैंकड़ों परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। इस साल बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। प्रधान मंत्री जी ने कुछ ध्यान नहीं रखा है। अगर ध्यान रखते तो बड़ी-बड़ी योजनाओं का बजट में प्रावधान हो जाता। वहां आज 22 से ऊपर योजनाएं पैंडिंग पड़ी हैं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में माही परियोजना का 50 परसैंट से ज्यादा काम हो चुका है। वहां केनाल बन चुकी है लेकिन डैम साइड के लिए पैसा अभी तक नहीं दिया है। इसी तरह से जोवट परियोजना के लिए डैम साइड का पैसा नहीं दिया है। जन-जातीय क्षेत्रों में पैसा न देने के क्या कारण हैं और इसमें सरकार पक्षपात क्यों करती है? मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए 30 परसैंट ही धन दिया जाता है जिससे दो-तीन परसैंट भूमि ही सिंचित होती है। एक ओर भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जन-जातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरी ओर सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां दो करोड़ से ऊपर आदिवासी निवास करते हैं। वे सिंचाई पर आधारित होकर सारा काम चलाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 20 सदस्य है जो इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : मैं जानना चाहता हूं कि वहां अधूरी परियोजनाओं को बजट में क्यों नहीं लिया गया है? क्या सरकार इस साल पुरानी परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक पैसा देगी? जैसा मैंने माही और जोवट परियोजना का जिक्र किया, सरकार उसके लिए अधिक से अधिक धनराशि कब तक देगी ताकि वहां जल्दी काम पूरा हो जाए।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव करने का केन्द्र सरकार का कभी भाव नहीं रहता।

श्री कांतिलाल भूरिया : क्या इसीलिए बजट में जीरो परसैंट एलोकेशन किया।

श्री सोमपाल : जहां तक माही परियोजना का प्रश्न है, उसकी अनुमानित लागत 192.85 करोड़ रुपए है। उस पर आठवीं योजना के अंत तक 41 करोड़ 99 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस पर 21 परसैंट जितना व्यय अपेक्षित था, हो चुका है। यह नौवीं योजना में स्पिल-ओवर होकर गई है। इसके लिए आवश्यक राशि नौवीं योजना में आवंटित की जा रही है। इसका विवरण सदन और माननीय सांसद को भेज दिया जाएगा।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माही परियोजना के बारे में बताया, उसमें जोवट परियोजना भी है। मेरा क्षेत्र 87 परसैंट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। उन क्षेत्रों के लिए इस तरह से कंजूसी की जाएगी तो आदिवासी कैसे खेती की तरफ ध्यान देकर काम करेंगे? भारत सरकार की जन-जातीय क्षेत्रों के प्रति पूरी जवाबदेही है। इसकी संविधान में भी व्यवस्था है। राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि गवर्नर साहब स्टेट में बैठे हैं। जन-जातीय क्षेत्रों के लिए 30 परसैंट ही धन दिया जाता है जिससे दो-तीन परसैंट भूमि सिंचित होती है। उनके साथ इतना पक्षपात क्यों होता है? जन-जातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कितनी धनराशि भेजने की बात होगी?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। जन-जातीय क्षेत्रों की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, केन्द्र सरकार उनको स्वीकृत करने और उनके लिए अनुदान देने में प्राथमिकता जरूर देना चाहती है।

श्री कांतिलाल भूरिया : मैं जन-जातीय क्षेत्रों की परियोजनाओं के बारे में पूछ रहा हूं? मैं अलग कोई बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के साथ भेदभाव करता जाता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जन-जातीय क्षेत्रों को कितना पैसा दिया जाता है, इसका विवरण भारत सरकार नहीं रखती है। माही परियोजना के बारे में बता दिया गया है। परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार पैसा देती

है। यह राज्य सरकार का विषय है कि कहां कितना पैसा लगा है और कौन-कौन से कम्पोनैंट्स हैं। राज्य सरकार इसको कार्यान्वित करती है।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण में यह बताया गया था कि केरल के संबंध में एक वृहद परियोजना और एक मध्यम परियोजना लंबित हैं। राज्य सरकार से अभी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और इसकी जांच की जा रही है।

तत्पश्चात् इसी विवरण में यह बताया गया है कि एक बृहद् परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा माहे नहर परियोजना में कितनी प्रगति हुई है।

श्री सोमपाल : महोदय, वृहद श्रेणी में केरल में दो परियोजनाएं लंबित है तथा मध्यम श्रेणी में एक परियोजना लंबित है। इसीलिए कुल मिलाकर तीन हैं तथा वृहद श्रेणी वाली दो परियोजनाओं में से एक की जांच की जा रही है और जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा एक परियोजना को स्वीकार कर लिया गया है बशर्ते कि केरल सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों को मान लिया जाए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं का नाम क्या है तथा माहे नहर सिंचाई परियोजना की प्रगति की स्थिति क्या है।

श्री सोमपाल : महोदय, मैं यह जानकारी आपको बाद में दे दूंगा, क्योंकि समग्र देश में कई सौ परियोजनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री बासवराज पाटिल सेडाम : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में चार वृहद् और एक मध्यम सिंचाई परियोजना सरकार के पास लम्बित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये योजनायें कितने समय से सरकार के पास लम्बित हैं और क्यों इन परियोजनाओं की क्लीयरेंस में राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की तरफ से देरी हो रही है? जैसाकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 11 हजार करोड़ रुपये में से केवल 500 करोड़ रुपया ही खर्च किया जा सका जोकि कुल राशि का 10 प्रतिशत भी नहीं है, अगर यही गति रहेगी तो ये परियोजनायें कब पूरी होंगी, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में कुल मिलाकर पांच परियोजनायें लम्बित हैं जिनमें चार वृहद् आकार की और एक मध्यम आकार की है। इन पांचों परियोजनाओं की जांच की जा रही है। ये परियोजनायें कब पूरी होंगी, मैं यह जानकारी माननीय सदस्य और सदन को बता दूंगा यदि किसी विशेष लम्बित परियोजना के बारे में अलग से प्रश्न पूछा जायेगा। ऐसे अनेकों प्रोजैक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर मुझे समय दिया जाये तो जानकारी दे दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, यदि हम प्रश्न संख्या 203 के उत्तर का अनुबंध-एक देखें तो इसमें बताया गया है कि देश में औसत निवल सिंचित क्षेत्र 37.61 प्रतिशत है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे 15 राज्य हैं जो प्रतिशत में राष्ट्रीय औसत से कम हैं। यदि हम अनुबंध-दो देखें तो इसमें यह पता चलता है कि संबंधित राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गयी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय औसत से कम रहने वाले राज्यों को राष्ट्रीय औसत से कुछ समीप लाने हेतु उन राज्यों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है।

श्री सोमपाल : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है और इसे वर्ष 1996-97 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी सभी परियोजनाओं को जो पूरी होने वाली हैं तथा जिन्हें अगले चार फसल मौसमों में पूरा किया जा सकता है, केन्द्र सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा इसे केन्द्रीय ऋण सहायता माना जायेगा। यह सहायता उपलब्ध कराने का तौर-तरीका यह है कि भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि दी जाती है और राज्य सरकार को इतनी ही राशि उपलब्ध करानी होती है, जब वे इस दोहरी राशि को खर्च कर लेते हैं तो दूसरी किस्त दी जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि 9.8 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाता है। राज्य इसका लाभ उठा रहे हैं। पिछले वर्ष 1500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी थी। किन्तु दुर्भाग्यवश, इस राशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है। हम इस योजना को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसे संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राज्य इसका बेहतर उपयोग कर सकें।

श्री शरद पवार : मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। किन्तु प्रश्न यह है कि यदि राष्ट्रीय औसत 37 प्रतिशत है और मान लें कि त्रिपुरा का औसत 12 प्रतिशत है और मिजोरम का 6 प्रतिशत से भी कम है, तो हमें इन राज्यों को अगले दो, तीन या पांच वर्षों में राष्ट्रीय औसत के कुछ समीप लाने हेतु कुछ विशेष और निश्चित कार्यक्रम शुरू करने होंगे।

श्री सोमपाल : सिंचाई परियोजनाओं का रखरखाव अधिकांशत: राज्यों द्वारा किया जाता है। यह राज्य का विषय है। इसलिए, राज्यों को भी धनराशि उपलब्ध करानी होगी।

तत्पश्चात् यह जल, भू-भाग और अन्य बातों पर निर्भर करता है। अगर कहीं कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो आप कभी भी शतप्रतिशत सिंचाई प्राप्त नहीं कर सकते।

इसी प्रकार, यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां जल उपलब्ध नहीं है तो शतप्रतिशत उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए यह भू-भाग, स्थलाकृति, भौगोलिक, नदी प्रवाह, अन्य भंडारण और वर्षा के रूप में जल उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन सब बातों को देखकर यह अत्यन्त पेचीदा मामला है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अमुक समय इतनी सिंचाई प्राप्त की जा सकती है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा सिंचन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सबसे आगे हैं और बड़े राज्यों में सबसे पीछे मध्य प्रदेश, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। हमारे एक मित्र ने मध्य प्रदेश की चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री जी की जन्मभूमि होने की बात की। संयोग से उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि है और कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश उनकी कर्मभूमि रही और आज की तारीख में *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : कर्मभूमि नागपुर है।

श्री मोहन सिंह : हम स्वीकार करते हैं। आज की तारीख में वह संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमें तथा उत्तर प्रदेश को इस बात का अभिमान है कि उत्तर प्रदेश ने आज, एक गैप के बाद, भारत के प्रधान मंत्रित्व की कुर्सी संभालने का काम किया। ऐसी स्थिति में आपकी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 33 प्रतिशत असिंचित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमें जो पत्र मिले हैं, उसके अनुसार अभी एक दर्जन से अधिक ऐसी परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार के पास किन्हीं कारणों से लंबित हैं। एक बृहत परियोजना जिससे उत्तर प्रदेश के भाग्य को संवारने का बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है, वह टिहरी परियोजना है जो किन्हीं कारणों से या अकारण ही उसे लंबित किया जाता है। आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना से जो योजनाएं लंबित हैं, नवीं योजना में उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा ऐसा लिखा हुआ है। छ: हजार करोड़ की स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश की सिंचाई के लिए लघु सिंचित क्षेत्र में और बृहत सिंचाई के क्षेत्र में निर्धारित की है। मैं स्पेसिफिक रूप से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार परियोजना को तत्काल और शीघ्रातिशीघ्र संचालित करने के लिए और उत्तर प्रदेश को इसका लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी रणनीति अपनाई है और कितने दिनों में उसे पूरा कर लिया जाएगा?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा हुआ है परंतु प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है–92.9 प्रतिशत पंजाब का, 76.99 प्रतिशत हरियाणा का और तीसरे क्रम पर उत्तर प्रदेश आता है। माननीय सदस्य का यह कहा जाना कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है गलत है। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : सात-आठ प्रधान मंत्री देने के बाद भी कुछ नहीं बना।

श्री सोमपाल : 67 प्रतिशत सिंचाई कोई मामूली उपलब्धि नहीं है स्वामी जी, जबकि पूरे देश में 37 प्रतिशत है।

जहां तक टिहरी परियोजना का प्रश्न है, केन्द्र सरकार और योजना आयोग ने इसे पूर्ण स्वीकृति दे रखी है। संसाधन जहां-तहां, जैसे-जैसे उपलब्ध होते हैं, कुछ कठिनाइयां पर्यावरणविदों के कारण अवश्य रही हैं। वहां एक आंदोलन चल रहा था लेकिन अब वह कठिनाई भी नहीं हैं। यह परियोजना अब प्रगति पर है और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री मोहन सिंह : मंत्री जी ने असली सवाल का उत्तर नहीं दिया।

श्री सोमपाल : मैंने टिहरी परियोजना के बारे में बताया कि केन्द्र सरकार इसे स्वीकृति दे चुकी है, इसका कार्य प्रगति पर है और उत्तर प्रदेश सरकार को छ: हजार करोड़ रुपये दिया जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह प्रश्न परियोजना की स्वीकृति से संबंधित है। बचपन से ही मैं यह सुन रहा हूं कि सत्तासीन सरकार द्वारा अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर कावेरी मुद्दे को आमने-सामने बैठकर हल किया गया था। महोदय, जहां कहीं भी अन्तर्राज्यीय जल-विवाद की समस्या है वहां केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। समस्या के समाधान के लिए यदि एक मुख्यमंत्री सहमत है तो दूसरा मुख्यमंत्री सहमत नहीं होगा।

प्रत्येक दिन, हम गरीबी दूर करने में बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम पूरे देश को जल मुहैया करा सकें तो हम गरीबी दूर करने में सफल हो सकेंगे। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। पहले आप केन्द्र के समक्ष लंबित परियोजनाओं की राज्य-वार सूची तैयार करें। फिर मुख्यमंत्रियों, मुख्य इंजीनियरों, सचिवों को बुलायें, उनके साथ बैठक करें तथा तत्पश्चात् समस्या का समाधान करें। अन्यथा जैसा कि मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के सभापति के रूप में जल संसाधन संबंधी कार्य भी देख रहा हूं, इन समस्याओं का समाधान करना अत्यन्त कठिन होगा।

इसलिए महोदय आपके माध्यम से मेरा यह सुझाव है कि आप सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है, अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री के. येरननायडू : यदि सरकार मेरा सुझाव स्वीकार कर लेती है तो सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा और सभी परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया जायेगा। इसलिए प्रधान मंत्री महोदय को इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए। अन्यथा इस समस्या का समाधान करना अत्यन्त कठिन हो जायेगा।

महोदय, आप आन्ध्र प्रदेश की स्थिति से अवगत हैं। मैं श्रीकाकुलम का निवासी हूं। वंशधारा का दूसरा चरण विगत तीस वर्षों से केन्द्र के पास लम्बित पड़ा है। सभी मुख्यमंत्रियों ने इस समस्या को सुलझाने पर सहमति व्यक्त की है परन्तु फिर भी परियोजना अभी तक केन्द्र के पास लम्बित है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अत: मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इसे सुलझायें।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय यह इनका अनुपूरक प्रश्न है। वे बैठक कब बुलायेंगे? उन्हें हमें यह बताना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय येरननायडू का यह कथन सही है कि विभिन्न राज्यों में नदियों के पानी पर आपसी मतभेद है, नदियां सांझी है और उनका जल सांझा है, जिस पर उनका विवाद है

[अनुवाद]

जहां कहीं राज्यों के मामले में नदियां सांझी हैं, वहां उनके नदी बेसिन भी सांझे हैं। ऐसे मामलों में समस्याएं हैं और केन्द्र इस संबंध में हमेशा पहल करता रहा है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और उनके बीच एक सहमति उभरी है। इस संबंध में कुछ न कुछ समझौता पहले ही हो चुका है।

जहां तक वंशधारा के दूसरे चरण का सम्बन्ध है, यह उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के बीच का अन्तर-राज्य नदी विवाद है और इसे अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। हम चाहते हैं कि राज्य स्वयं इसे सुलझा लें, परंतु यदि उन्हें केन्द्र से सहायता की आवश्यकता पड़े तो हम पहल करने के लिए तैयार हैं।

श्री वी.वी. राघवन : अध्यक्ष महोदय मुझे इस महान सभा में यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है केरल राज्य द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को प्रस्तुत अनेक स्कीमें और विभिन्न परियोजनाएं विशेषकर सिंचाई, जल-विद्युत और विद्युत परियोजनाएं विभिन्न मंत्रालयों के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं।

महोदय, प्रकृति की हमारे ऊपर बड़ी कृपादृष्टि रही है। हमारे यहां पर्याप्त वर्षा होती है। परन्तु परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण हम उनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग नहीं कर पाये हैं।

अत: केरल राज्य अभी भी एक समस्याग्रस्त राज्य बना हुआ है। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वे केरल द्वारा भेजी गई परियोजनाओं को जल्दी स्वीकृति देने के निर्देश दें? क्या मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और जितना जल्दी से जल्दी सम्भव हो सके सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में मैंने केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दे दी है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष परियोजना के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, तो वह जानकारी उन्हें दी जाएगी। वह मुझे पत्र लिख सकते हैं और मैं उन्हें तुरन्त उत्तर दूंगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, सदन के पटल पर मंत्री द्वारा रखे गए विवरणों से यह पता चलता है कि नौवीं योजना में तमिलनाडू राज्य के लिए सूचीबद्ध की गई बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की संख्या शून्य है। क्या ऐसा इस तथ्य के कारण है कि तमिलनाडू राज्य की सरकार ने किसी परियोजना की मांग नहीं की है अथवा इसलिए कि सरकार किसी परियोजना की मंजूरी देने की स्थिति में नहीं है। यह तमिलनाडू राज्य का कर्त्तव्य-पालन से विमुख होना है अथवा केन्द्र की हठधर्मिता के कारण है?

इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र मुल्लापरियार बांध जल स्तर संबंधी मामले को सुलझाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : क्या माननीय सदस्यों को सभा में इस तरह ही व्यवहार करना चाहिए ...*(व्यवधान)* यह अच्छा नहीं है ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे आपत्ति नहीं कर रहे हैं परंतु हर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : महोदय, लम्बित परियोजनाओं के बारे में जो सूचना हमारे पास है केन्द्र सरकार उस सूचना को प्रदान कर सकती है और यह जाना जा सकता है कि राज्य ने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा। परंतु यह वह स्थिति है जो मैंने.....

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका मतलब है कि राज्य ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, यही माननीय मंत्री कह रहे है।

श्री सोमपाल : एकदम तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यह तो राज्य से ही पता लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुल्लापेरियार मामले के संबंध में डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी पहले ही मुझसे सम्पर्क बनाए हुए है। मैं सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उन्हें इससे अवगत करा दूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमर्ति : महोदय, यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है जो केवल डा. स्वामी से बात हो। ...*(व्यवधान)* यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री को सभा को इस बात से अवगत कराना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री को लेकर अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विवाद हुआ कि वे हमारे हैं और उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि के संबंध में बातें हुईं, लेकिन मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नाम से "बिहारी" हैं, इसलिए हमारा दावा सही है। महोदय हमारे बिहार की 9 सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें 8 वृहद् और 1 मध्यम है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप इतने जोर से क्यों बोलते हैं, क्या ऐसा अवसर है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इतने सारे लोग खड़े हो गए इसलिए हमें अपनी बात कहने के लिए जोर से बोलना पड़ा।

महोदय, 9 परियोजनाएं उत्तरी बिहार की हैं, 9 लाख हैक्टेयर भूमि गंडक, कोसी और घाघरा नदियों के प्रक्षेत्र में जल जमाव से प्रभावित है और भारत सरकार के पास वह योजना गंडक फेज-दो लंबित है।

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बिहार जो हर साल बाढ़ से तबाह होता है, वहां की उपजाऊ जमीन बर्बाद होती है, किसान बर्बाद होते हैं, फसल बर्बाद होती है, उसके समाधान के लिए नौ परियोजनायें और गंडक जल निकासी परियोजना बनाई गई है। वहां सैंकड़ों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है। आप उन परियोजनाओं को कब तक क्लीयर करेंगे और राज्य सरकार की मदद करेंगे जिससे बिहार के किसानों को, गरीबों को राहत मिल सके? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : बिहार के कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की जिस समस्या के बारे में माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने चर्चा की है, उस संबंध में मेरे पास इस समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह कौन सा क्षेत्र विशेष है, कौन सी योजना वहां से केन्द्र सरकार के विचारार्थ आई है, उसकी जानकारी आप मुझे देंगे तो उसका विवरण मैं आपको दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप एक दिन बिहार के सभी सांसदों को बुला लीजिए। ...*(व्यवधान)* हम सब बता देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने महिला सदस्य को अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा है आपको उनके लिए व्यवधान नहीं डालना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शरद जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : आप बोलने दें। ...*(व्यवधान)* गुजरात ने नर्मदा प्रोजैक्ट के संबंध में सभी मानदंड और प्रक्रिया पूरी कर दी है। यहां तक कि विस्थापितों की समस्या के बारे में विदेशी पत्रकारों से भी उस जगह मुलाकात हुई थी और वे भी गुजरात सरकार के प्रयत्नों से प्रभावित हो गये हैं किन्तु मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि जिन राज्यों ने मानदंड और प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जो नर्मदा प्रोजैक्ट से जुड़े हुए हैं, क्या सरकार ने उन सभी को अपने मानदंड और प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नर्मदा का प्रश्न है, मैं दोबारा अपने उत्तर की पुनरावृत्ति करना चाहता हूं कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक लंबित पड़ा हुआ था। हाल ही में एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिया है। उसके बाद इसमें प्रगति होगी। माननीय सदस्या ने यह बात ठीक कही है कि जिन राज्यों ने वह मानदंड, परिमाण में और जो उनके चरण स्थापित किये थे, उन्हें पूरा किया है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. चन्दूभाजरा, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रावी दरिया का बहुत सारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। यह पानी पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कृषि क्षेत्र है। उसे रोकने के लिए बहुत समय से प्रोजैक्ट बन रहे हैं लेकिन उनमें से कोई मुकम्मिल नहीं हो पाया है। वहां एक थीन डैम प्रोजैक्ट बना था, उसे भी मुकम्मिल करने के लिए पूरा पैसा नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं? दूसरा, पंजाब और हरियाणा की हद पर घग्गर दरिया बहता है जिसका बहुत पानी बरसात में हमारे खनौरी, पातरा, बटाला और हरियाणा के कई एरियाज को खराब करता है। वहां पंजाब सरकार द्वारा एक घग्गर बैरज प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रोजैक्ट कब तक मुकम्मिल होगा? अगर वह प्रोजैक्ट मुकम्मिल हो जाये तो छोटे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उस पानी को बरता जा सकता है तथा फ्लड में जो करोड़ों, अरबों रुपये की फसलें खराब हो जाती हैं, उसको बचाया जा सकता है। उसके लिए भारत सरकार ने कब तक पैसा देने का सोचा है और क्या स्कीम बनाई है, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंजाब का प्रश्न है, मैंने जो जानकारी उत्तर में दी है, उसके अनुसार पंजाब में प्रतिशत के हिसाब से भारत का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। पंजाब का लगभग 92 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है जो भारत में सर्वाधिक है। इतना कहीं नहीं है। ...*(व्यवधान)* पंजाब में कुछ नहरी सिंचाई का भी योगदान है। पंजाब में यह कठिनाई हो गई है कि बहुत बड़े क्षेत्र में भूमिगत जल इतना भयावह दर से ऊपर आ रहा है कि अगले सालों में कई लाख हैक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी। जहां तक रावी के पानी का उपयोग करने के लिए थीन डैम का सवाल है, यह मेरी सूचना के अनुसार शायद 1999 या 2000 ही पूरा होना वाला है। उसके बाद रावी के जल का समुचित उपयोग पंजाब के लिए हो सकेगा। जहां तक घग्गर का सवाल है, यदि कोई परियोजना वहां की सरकार ने यहां दी है तो उसके संबंध में आपको जानकारी दे दी जाएगी, आप लिखकर दे दें। ...*(व्यवधान)*

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे थे, अच्छा होता यदि मेरे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी देते। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. कैनाल का काम 4-5 सालों से बंद पड़ा है और उस पर 400 करोड़ रुपये का बजट खर्च हो चुका है। उस नहर का पानी लिफ्ट करने के लिए हरियाणा में नहर बनी पड़ी है जो कि खराब हो रही है, लेकिन

पंजाब में कैनाल बंद की थी, उस पर आप कब काम शुरू करेंगे, कब तक उसे पूरा कर देंगे और उसके लिए बजट में आपने कितना पैसा रखा है, कृपा करके बताने का कष्ट करें? ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं स्वयं को भी इस मुद्दे के साथ सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)* हरियाणा के साथ बहुत ज्यादती हो रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, बहुत से सदस्य इस बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे। यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो आधे घण्टे की बहस की अनुमति दी जा सकती है।

श्री सोमपाल : मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : माननीय भजनलाल जी ने जो सवाल पूछा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम आधे घण्टे की बहस की अनुमति दे रहे हैं। कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : माननीय भजन लाल जी ने सतलुज-यमुना लिंक परियोजना के सम्पन्न किए जाने के बारे में जो सवाल पूछा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाफ-ऐन-आवर डिस्कशन के लिए हो गया है, आप बैठिए

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : सतलुज-यमुना लिंक परियोजना के संबंध में पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच में कुछ मतभेद है उसे सुलझाने के लिए नॉर्दर्न जोनल काउन्सिल बैठक सूरजकुंड में पिछले महीने माननीय गृह मंत्री जी ने आहूत की थी। उसमें भी इस विषय पर विषद चर्चा हुई थी। केन्द्र सरकार यह चाहती है कि यह मतभेद जल्दी से जल्दी सुलझ जाए ताकि जो परियोजना इतने दिनों से लंबित पड़ी है, उसे पूरा किया जा सके। केन्द्र सरकार दोनों राज्यों में सहमति करने के लिए प्रयासरत है और जैसे ही यह सहमति हो जाएगी, इसमें प्रगति संभव हो पाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

किसानों द्वारा आत्महत्या

***204. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**
डा. शकील अहमद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आत्महत्याओं के संबंध में सूचना निम्नवत है:-

आंध्र प्रदेश

वर्ष 1996-97 के दौरान आत्महत्या के किसी मामले की सूचना नहीं मिली। दिनांक 1.12.1997 से 30.6.1998 तक किसानों द्वारा आत्महत्याओं के 315 मामलों की सूचना मिली है। दिनांक 30.6.1998 के बाद से आत्महत्याओं के 43 मामलों की सूचना मिली है।

कर्नाटक

वर्ष 1998 में राज्य सरकार के पास किसानों द्वारा आत्महत्याओं के 60 मामलों की सूचना आई।

पंजाब

राज्य पुलिस आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1996 एवं 1997 के दौरान क्रमश: 349 एवं 418 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्याओं के 3 मामले नवम्बर, 1998 के दौरान सामने आए।

राजस्थान

पिछले एक वर्ष के दौरान किसानों द्वारा आत्महत्या की कोई सूचना नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या नहीं की गई।

अन्य राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1998 में आंध्र प्रदेश में किसानों को ऋण के कारण होने वाली व्यथा से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। पंजाब सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से आधारभूत स्तर पर एक विस्तृत अध्ययन करवाया है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने केन्द्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, बैंकों एवं नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है जिसमें, विशेषकर लघु एवं सीमान्त किसानों तक ऋण का प्रवाह बढ़ाए जाने के लिए कृषि ऋण का आंकलन करना, आदान वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, समेकित कृमि प्रबन्ध एवं पोषक प्रबन्ध कार्यक्रमों का विस्तार करना, किसानों की अच्छे बीज संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य बीज निगमों द्वारा विशेष कार्यक्रम आरम्भ करना, अच्छे किस्म की कृमिनाशियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशी अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना एवं अधिक फसलों को कवर करने के लिए वर्तमान फसल बीमा स्कीम के कार्यक्षेत्र में विस्तार करना शामिल हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत इतनी खराब है कि वे आत्महत्या करने को विवश हो गए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उसके कारणों की जांच और आगे दूसरे राज्यों में किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े,

मध्याह्न 12.00 बजे

उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है, जिससे किसानों को सिंचाई, बीज, ऋण और क्राप इंश्योरेंस, सभी तरह के साधन उपलब्ध हों, इस तरह का प्रबन्ध हो, जिससे किसान आत्महत्या को विवश न हों। *...(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो आत्महत्याएं किसानों को करनी पड़ी थीं, इसके सम्बन्ध में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का मौका नहीं मिलता है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सवाल पूछा है, किसानों को ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए विवश न होना पड़े, इसके लिए केन्द्र सरकार ने दो अध्ययन दल भेजे थे। उनकी संस्तुति के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना, इन्सैक्टीसाइड्स एक्ट में संशोधन करना, ऋण की व्यवस्था को सरल करना और अधिक ऋण दिया जाना और जो फसल की दूसरी प्रक्रिया और तकनीकी प्रौद्योगिकी है, उसकी किसानों को बेहतर जानकारी और फसल बीमा, ऐसे बहुत से उपाय किये जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि उत्पादन

***205. श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निम्न गुणवत्ता वाले कृषि आदानों का निरन्तर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में 1990 के अंत तक 25 प्रतिशत तक की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि आदानों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पर्याप्त उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। नब्बे के दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि का रूख कायम रहा। वर्ष 1997-98 की तुलना में 1998-99 में संभावित उत्पादन 3.9 प्रतिशत अधिक होने की आशा है।

(ग) और (घ) विभिन्न आदानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सम्पूर्ण देश में समुचित मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 अधिनियमित किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है किसानों को उक्त आदेश में गुणवत्ता के संबंध में यथानिर्धारित मानकों के अनुरूप ही उर्वरकों की बिक्री की जाए।

बीजों का गुणवत्ता नियंत्रण बीजों किस्मों की अधिसूचना, बीज प्रमाणीकरण, बीज परीक्षण तथा बीज कानून के प्रवर्तन द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी इन तत्वों को बीज अधिनियम, 1966 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सांविधिक समर्थन प्राप्त है। बीजों के वितरण तथा इनकी गुणवत्ता के विनियमन हेतु बीजों को आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आवश्यक जिन्स घोषित किया गया है।

किसानों को गुणवत्ता वाले कीटनाशियों की आपूर्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के समग्र दायरे के तहत विनियमित की जा रही है। इसके अन्तर्गत किए गए उपायों में राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु, अधिसूचित कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा बड़ी संख्या में नमूने एकत्र करना, गलत ब्राण्डों वाले कीटनाशियों के आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध अभियोजन, राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुदान सहायता देकर सुदृढ़ बनाना तथा कीटनाशियों के गुणवत्ता नियंत्रण के कारगर प्रवर्तन हेतु कीटनाशी निरीक्षकों तथा विश्लेषकों को प्रशिक्षण शामिल है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न का उत्पादन

***206. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के लिए देश में खाद्यान्न उत्पादन हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे खाद्यान्नों का पता लगाया है जिनका उत्पादन देश में घरेलू खपत की आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश ने पहले के वर्षों की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में अनुमानत: कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ; और

(च) देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1999-2000 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) कमी केवल दलहन उत्पादन में है। वर्ष 1998-99 के दौरान 16.3 मिलियन मीटरी टन दलहन की आवश्यकता के मुकाबले 14.8 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन हुआ है।

(घ) और (ङ) वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू वर्ष में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन होने और इसके 200 मिलियन टन से बढ़ जाने की संभावना है। विवरण संलग्न है।

(च) सरकार समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं, चावल, मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम जैसी कई केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अभिशासन कार्यसूची के अधीन सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट वृद्धि कार्यनीति अपनाकर अगले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन को दोगुणा करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की है।

विवरण

खाद्यान्न के क्षेत्र और उत्पादन का अनुमान

	क्षेत्र (हजार है.)			उत्पादन (हजार मी. टन)			उपज (कि.ग्रा./है.)		
राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	6892.5	7286.7	6393.1	11666.6	13675.2	10939.7	1693	1877	1711
अरूणाचल प्रदेश	183.1	176.6	183.3	203.5	205.8	209.8	1111	1165	1145
असम	2726.7	2728.7	2722.1	3561.2	3532.1	3577.6	1306	1294	1314
बिहार	8993.4	9048.7	8834.6	12953.4	14417.6	12099.0	1440	1593	1460
गोवा	68.5	66.5	68.8	136.5	159.8	158.4	2053	2403	2302
गुजरात	3751.8	3997.4	4077.4	4103.3	5208.8	5709.7	1094	1303	1400
हरियाणा	3892.5	4027.4	4174.0	10137.4	11448.0	11334.7	2539	2843	2716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	850.2	824.8	832.4	1362.4	1288.5	1330.8	1602	1562	1599
जम्मू व कश्मीर	881.1	890.0	908.0	1473.4	1331.3	1454.9	1672	1495	1602
कर्नाटक	6855.9	7371.5	7070.5	8645.0	9212.8	8798.7	1261	1250	1244
केरल	501.0	453.9	433.2	973.6	852.0	681.3	1943	1877	1573
मध्य प्रदेश	17511.1	17665.6	17823.4	18072.8	19487.8	17410.5	1032	1103	977
महाराष्ट्र	13274.8	13801.6	13161.5	11604.3	14602.4	9708.7	874	1058	738
मणिपुर	157.0	172.5	161.5	338.9	390.7	384.8	2159	2265	2259
मेघालय	131.3	132.2	132.8	142.9	178.3	192.1	1088	1349	1447
मिजोरम	78.1	77.5	80.4	123.7	138.8	128.6	1584	1726	1600
नागालैंड	192.4	201.7	205.2	238.8	212.3	239.3	1241	1053	1166
उड़ीसा	5662.4	5351.1	5500.9	6802.0	4831.4	6836.5	1201	903	1206
पंजाब	5706.3	5693.2	5879.0	19809.2	31553.3	31148.9	3471	3786	3597
राजस्थान	11902.3	12850.8	13740.2	9567.1	12821.3	14033.0	804	998	1021
सिक्किम	77.1	77.0	76.2	106.1	105.8	103.4	1376	1374	1357
तमिलनाडु	3339.2	3558.3	4038.5	6405.3	6930.0	8488.6	1918	1948	2102
त्रिपुरा	244.5	272.7	271.0	477.1	556.1	546.8	1951	2039	2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	20341.7	20301.8	20637.2	38367.5	42385.1	41828.6	1886	2080	2027
पश्चिम बंगाल	6572.8	6443.8	6553.3	12864.8	13758.3	14351.2	1960	2135	2190
अंडमान निकोबार	14.6	14.5	14.6	34.0	34.2	31.7	2329	2359	2171
दादरा नगर हवेली	20.8	19.5	19.5	30.5	35.8	25.8	1466	1323	1323
दमन व द्वीव	3.3.	3.3	3.3	3.9	3.9	3.9	1182	1182	1182
दिल्ली	58.8	38.6	38.6	123.9	31.0	31.0	2107	803	803
पांडिचेरी	31.6	33.1	33.0	68.3	64.5	65.5	2161	1949	1985
अखिल भारत	121014.8	123581.4	124067.5	180415.0	199435.7	192433.6	1491	1614	1551

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

*207. **श्री अमन कुमार नागरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए निश्चित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किस वर्ष निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या मुद्रास्फीति की दर तथा मूल्य-सूचकांक को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का नवीनतम राज्यवार अनुमान क्या है; और

(घ) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) योजना आयोग द्वारा अपनाई गई गरीबी की रेखा 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानक पर आधारित वस्तु बास्केट और सेवाओं के समनुरूप है। इन गरीबी रेखाओं की मूल रूप से 1979 में न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग से संबंधित कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई थी। तद्नन्तर, 1993 में, गरीबों के अनुपात और संख्या संबंधी अनुमान के विशेषज्ञ दल ने राज्य विशिष्ट कीमत सूचकांकों का उपयोग करते हुए इन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं की राज्य-विशिष्ट गरीबी की रेखाओं में विच्छेदन की सिफारिश की थी।

(ख) कीमतों में परिवर्तन के लिए गरीबी रेखाओं की राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है और इसलिए मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। बहरहाल, गरीबी की रेखा को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जा रहे मानदण्ड को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के नवीनतम राज्यवार अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध हैं। ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) का एक घटक जो वृद्धावस्था, प्रमुख आय उपार्जक की मृत्यु और प्रसूति के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 15.8.1995 से शुरू किया गया था, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एन.ओ.ए.पी.एस.) है। यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राज्यों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या और प्रतिशत 1993-94

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की सं. (लाख में)	व्यक्तियों का % (लाख मे)	व्यक्तियों की सं. (लाख में)	व्यक्तियों का % (लाख में)	व्यक्तियों की सं. (लाख में)	व्यक्तियों का % (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.97	22.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35
3.	असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.86
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6.	गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.46	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू व कश्मीर	19.05	30.34	1.86	9.18	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.46	40.14	156.46	33.16

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.33	48.38	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.86
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.60	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.11	11.77
20.	राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.03	7.73	1.84	41.43
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अण्डमान और निकोबार	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादरा और नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन और दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्षद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पांडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
	अखिल भारत	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	65.97

1. असम का गरीबी अनुपात, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी व अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात को दमन व दीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चण्डीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों गरीबी अनुपातों के लिए किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात को जम्मू व कश्मीर के लिये प्रयुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

शीतागार

***208. श्री मित्रसेन यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में शीतागारों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या शीतागार संबंधी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति ने भंडारण क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वांछित वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में शीतभण्डारों की 103 लाख मीटरी टन की स्थापित क्षमता है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

1. आगामी पांच वर्षों में 12 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त शीत भण्डारण क्षमता का सृजन।
2. आगामी पांच वर्षों में प्याज के लिये 4.5 लाख मीटरी टन क्षमता का सृजन।
3. शीतभण्डार/भण्डारण सुविधाओं के सृजन के लिये ब्याज पर राजसहायता/पूंजीगत राजसहायता।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण-संबद्ध पूंजीगत राजसहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

कृषि ऋण

*209. **श्री सी. कुप्पुसामी :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि ऋण प्रणाली का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं की एजेंसियों द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित किए जाने वाले ऋणों में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों द्वारा कुल कितना ऋण वितरित किया गया है; और

(ङ) किसानों के निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुन: संरचना के लिए पुन: पूंजीकरण सहित, कई उपाय किए हैं।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का प्रवाह वर्ष 1995-96 के 22032 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 31698 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अभिकरणों यानि, सहकारी ऋण संरचना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

1995-96	1996-97	1997-98
22032	26411	31698

छोटे एवं सीमान्त किसानों तक ऋण के प्रवाह में वृद्धि के उद्देश्य से, नाबार्ड ने, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले कुल ऋणों में से छोटे एवं सीमान्त किसानों को देने के लिए एक, न्यूनतम स्तर, 10-15% के बीच, निर्धारित किया है। और अधिक छोटे एवं सीमान्त किसानों को औपचारिक ऋण प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर को अधिकांश जिला केन्द्रीय सहकारी बोर्डों के सन्दर्भ में उचित रूप से बढ़ा दिया गया है।

जल प्रबन्धन

*210. **प्रो. पी.जे. कुरियन:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि भारत जल संकट की ओर अग्रसर हो रहा है, पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बैठक के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से ठोस प्रयास तैयार किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने यह अनुमान लगाया है कि भारत में ताजा जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में होने वाली यह उत्तरोत्तर कमी सन् 2017 तक गिरकर 1600 क्यूबिक मीटर हो सकती है। इससे जल की कमी हो सकती है।

चूंकि असमान मौसमी वितरण तथा भौगोलिक बनावट के कारण भारत में काफी असमान वर्षा होती है इसलिए एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल की उपलब्धता में काफी भिन्नता रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता की स्थिति जल की कमी की स्थिति मानी जाती है। इस मानदण्ड और अद्यतन आकलन के अनुसार जल की उपलब्धता के आधार पर छ: बेसिनों अर्थात्

साबरमती, पेन्नार, लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, महानदी और पेन्नार, कावेरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां तथा पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पहले से ही इस श्रेणी में आती हैं। जनसंख्या में वृद्धि और कृषि एवं उद्योगों के निरन्तर विकास के कारण देश में प्रत्येक वर्ष जल की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता 552 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) थी और अनुमान लगाया गया है कि यह आवश्यकता सन् 2000 तक 750 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य मांग को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 1050 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) जल की आवश्यकता होगी।

जल की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न नीति और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) को अपनाना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के वास्ते जल प्रबन्धन पद्धतियां अपनाना और विभिन्न उपयोगों के लिए जल के प्रबन्धन में नवीनतम तकनीकियों के उपयोग और लोगों की सहभागिता सहित विभिन्न पद्धतियों के जरिए जल गुणवत्ता और संरक्षण पर बल देना, सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग के गठन करने के साथ-साथ चुनिंदा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। सरकार भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन (हार्वेस्टिंग) तथा वाटरशेड प्रबन्धन को भी बढ़ावा दे रही है।

जल संसाधन स्कीमों की आयोजना करना, उन्हें तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही उपलब्ध जल संसाधनों का दोहन करने के वास्ते विभिन्न कदम उठाए गए हैं। अनेक छोटे और बड़े बांधों का निर्माण किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजना के आरंभ के समय कुल भंडारण जल क्षमता 15.64 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर वर्ष 1995 में लगभग 177 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गई। इसके अतिरिक्त 75 बिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त जल भंडारण की क्षमता उन बांधों से सृजित होगी जो निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन/विचाराधीन बांधों से 132 बिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता सृजित होगी।

वर्ष 2025 के लिए 1050 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित (प्रोजेक्टेड) कुल जल की आवश्यकता को लगभग 690 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों तथा लगभग 360 बिलियन क्यूबिक मीटर दोहन योग्य भूजल संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पूरा किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बड़े और मझोले बांध

*211. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि भूमि की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े और मझोले बांध पर्याप्त नहीं हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन बांधों का भी कारगर उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ सिंचाई के अन्य सस्ते वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) राष्ट्रीय जल नीति (1987) में यह निर्धारित किया गया है कि जल संसाधनों के विकास और प्रबन्धन के लिए एक एकीकृत और बहु-विषयी दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए देश में जल संसाधन विकास एवं प्रबन्धन की वर्तमान कार्यनीति न्यायसंगत मिश्रित विकल्पों पर आधारित है जिसमें वृहद, मध्यम एवं लघु सतही जल भंडारण, डाईवर्जन एवं लिफ्ट स्कीमें, गहरे/उथले नलकूल तथा खुले कुएं एवं माइक्रो जल विभाजक विकास स्कीमें शामिल हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सृजित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग की सिंचाई क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता (आई.पी.सी.)(अनन्तिम)	उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (अनन्तिम)
	(मिलियन हेक्टेयर)	(मिलियन हेक्टेयर)
(1) वृहद एवं मध्यम सिंचाई	32.96	28.44
(2) लघु सिंचाई	56.60	52.32

जैसा कि देखा जा सकता है सतही जल और भूजल के माध्यम से लघु सिंचाई भी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यत: कमान क्षेत्र का विकास न होने नहरों के पूर्ण न होने, अंतिम सिरे पर पर्याप्त जल न पहुंचने तथा कृषि तकनीकों में परिवर्तन होने के कारण वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग में कुछ अंतर रहता है।

सलमान रूशदी को वीजा

*212. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री रिजवान जहीर खां :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में जन्मे ब्रिटिश लेखक सलमान रूशदी को भारत यात्रा के लिए वीजा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीजा दिए जाने के निर्णय के विरुद्ध ईरान ने अपनी नाराजगी जताई है;

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) 3 फरवरी, 1999 को लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन ने पांच वर्षीय बहु-प्रयोजनीय प्रवेश वीजा जारी किया था।

(ग) ईरान के विदेश कार्यालय ने फरवरी, 1999 में अपने विचारों से अवगत कराया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में निवेश

*213. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री आर.एस. गवई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्तमान मूल्यों पर कृषि में कुल निवेश में वृद्धि का रूख देखा गया है। विगत तीन वर्षों में वर्तमान तथा 1993-94 के मूल्यों पर कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा कुल निवेश (सकल पूंजी निर्माण) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सकल पूंजी निर्माण के अनुमानों के बारे में उपलब्ध राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 55420.25 करोड़ रुपये (1996-97 के मूल्यों पर) के परिव्यय के अतिरिक्त कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 42,462.41 करोड़ रुपये का सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय रखा गया है।

(घ) कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में योजना परिव्यय बढ़ाना तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निवेश का अनुपात बढ़ाना शामिल है। कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1996-97 से एक स्कीम-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू की गयी है जिसमें चुनिंदा वृहद् तथा बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में वर्ष 1995-96 से एक ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना भी की गयी है। इसके अलावा, विशाल वर्षासिंचित क्षेत्रों के समग्र तथा सतत विकास के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 से वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-I

कृषि में सकल पूंजी निर्माण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कृषि कुल		कृषि निजी		कृषि सार्वजनिक	
	वर्तमान मूल्यों पर	1993-94 के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर	1993-94 के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर	1993-94 के मूल्यों पर
1995-96	23942	19944	17954	15168	5988	4776
1996-97	26296	19902	20184	15555	6112	4347
1997-98*	29700	20995	22767	16579	6933	4416

*त्वरित अनुमान

विवरण-II

कृषि में सकल अचल पूंजी निर्माण

(वर्तमान मूल्यों पर)

(लाख रुपये)

राज्य	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	15024	19595	30012	25722	35307	47288	55349
असम	5347	5124	7515	8493	11944	13890	12372
गुजरात	25299	26325	34889	39309	40657	34021	37307
हरियाणा	14115	19754	22079	21962	25255	31595	33152
कर्नाटक	21605	23549	23113	25309	27603	34004	35543
केरल	13505	12457	13559	15959	16744	19272	20040

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	31845	31966	35926	44415	55127	65171	61496
महाराष्ट्र	32320	42059	53419	61272	62236	65511	69575
उड़ीसा	12173	12524	18855	21867	23057	25750	27515
पंजाब	15509	19290	22125	23361	26453	35179	39154
तमिलनाडु	9658	13355	13705	12217	15254	10122	18767

राज्य	1957-98	1958-59	1959-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	57752	55322	59210	66319	65594	93075	105232		
असम	19221	12750	21647						
गुजरात	45397	42745	34421	39255					
हरियाणा	25170	29511	36503	47431	58334	65952	75248		
कर्नाटक	36753	44027	45360	54667	70259	93576	115136		
केरल	22057	24351	27436	28896					
मध्य प्रदेश	50669	53569	91754	95124	102576	111814			
महाराष्ट्र	84130	98823	114672	116557	121863	138081	164304		
उड़ीसा	25677	34179	36552	33972	44406	47113			
पंजाब	50790	55511	81653	83119	122842	132697	110700	147700	144600
तमिलनाडु	21411	16441	23554	27559	27263	34779			

टिप्पणी : अनुमान संबंधित राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों ने तैयार किए हैं।

कपास का उत्पादन

*214. **डा. वल्लभभाई कथीरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1999 के 'नवभारत टाइम्स' में ''देश भर में कपास के उत्पादन में चिंताजनक गिरावट आई'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) समाचार के अनुसार, 11 मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष में कपास के उत्पादन में काफी गिरावट आई है।

बहरहाल, वास्तव में यह रिपोर्ट तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि चालू वर्ष के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन 140.1 लाख गांठें हैं जबकि पिछले वर्ष 111.4 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था।

(ग) कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन अपनाई जा रही मुख्य कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:-

1. खेतों पर प्रदर्शन, प्रशिक्षण, प्रचार माध्यमों आदि के जरिए किसानों को प्रौद्योगिकी अंतरण।
2. रोगों और कृमियों के कारण होने वाले नुकसान को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए समेकित कृमि प्रबंध दृष्टिकोण अपनाना।
3. नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास।
4. जल बचाव युक्तियों आदि के जरिए सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार।

सरकार कपास की कीमतों में गिरावट की स्थिति में किसानों को लाभप्रद मूल्य मुहैया कराने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्यों की भी घोषणा करती है तथा भारतीय कपास निगम के माध्यम से क्रय के लिए प्रबंध करती है।

बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी

*215. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1990 से बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी की दर जनसंख्या की वृद्धि दर से आगे बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके प्रभावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराए गए रोजगार और बेरोजगारी संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण देश में रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों के व्यापक स्रोत हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के दो नवीनतम सर्वेक्षणों, अर्थात् 43वें चक्र (1987-88) और 50वें चक्र (1993-94) की उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1987-88 से 1993-94 के दौरान जनसंख्या, श्रम बल और रोजगार की वृद्धि दरें निम्नलिखित थी:-

	वृद्धि दर (% वार्षिक) (1987-88 से 1993-94)
जनसंख्या	2.10
श्रम बल	2.29
रोजगार	2.43

श्रम बल और जनसंख्या की तुलना में रोजगार में तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, बेरोजगारी की दर जो वर्ष 1987-88 में 2.62 प्रतिशत थी से घटकर वर्ष 1993-94 में 1.90 प्रतिशत रह गयी।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान सृजित किए जाने वाले श्रम बल और कार्य के अवसरों का निर्धारण किया जा चुका है। श्रम बल का अनुमान जनसंख्या और आयु वर्ग विशिष्ट श्रम बल भागीदारी दर के स्तर और आयु संरचना स्तर में परिवर्तनों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। इन अनुमानों के अनुसार, नौवीं योजना के दौरान औसत बेरोजगारी दर के घटकर, आठवीं योजना के 1.87 प्रतिशत की औसत बेरोजगारी दर की तुलना में, 1.66 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

नौवीं योजना का दृष्टिकोण, उन क्षेत्रों में जिनमें बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की दर अधिक है, और अधिक श्रम बाहुल्य वाले क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करके विकास प्रक्रिया में स्वत: उत्पादक रोजगार पैदा करना होगा।

बीजों की आपूर्ति

***216. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों को घटिया किस्म के बीजों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम तथा अन्य बीज एजेंसियों के माध्यम से किसानों को बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) किसानों को घटिया बीज मिलने की रिपोर्टें कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त हुई हैं। ऐसी घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड तथा अन्य राज्य स्तरीय अभिकरण बीज अधिनियम (1966) तथा बीज निगम (1968) के संबंधित प्रावधानों के तहत यथानिर्धारित मानकों के अनुसार बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। देश में किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ने क्षेत्रीय किस्मीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन, अपने उत्पाद मिश्रण का विस्तार तथा उसके आधार को विस्तृत बनाना तथा अपने प्रचालनों को सुचारू बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे अनेक उपाय शुरू किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	शिकायतों/घटिया बीजों की आपूर्ति के मामलों की सं. 1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	गुजरात	2
3.	कर्नाटक	11
4.	महाराष्ट्र	18
5.	राजस्थान	10
6.	तमिलनाडु	2

शरणार्थियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ का कनवेंशन

***217. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शरणार्थियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के सन् 1952 के कनवेंशन पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर किये जाने की दशा में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शरणार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं की गारण्टी देने के लिए अनुमानित वार्षिक खर्च क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एन.पी.के. का खपत अनुपात

***218. श्री मदन पाटील : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एन.पी.के. की खपत का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग की योजना क्रियान्वित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में एन.पी.के. उर्वरकों का वर्तमान (1997-98) उपभोग अनुपात 7.9:2.8:1 है।

(ख) और (ग) उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग पर स्कीम आठवीं योजना के दौरान, 26.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से क्रियान्वित की गयी थी। स्कीम के अंतर्गत मृदा, उर्वरकों, बीजों एवं जैव-उर्वरकों की परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, रासायनिक उर्वरकों के साथ पोषकों के जैव स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन देने एवं नगर के कूड़े/मल इत्यादि को खाद में बदलने के लिए कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना करने का प्रावधान था। इस स्कीम को 46.11 करोड़ रुपये के परिव्यय से नवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है। देश में मृदा परीक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना एवं कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना नवीं योजना स्कीम के घटक हैं। मृदा परीक्षण कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कार्यक्रमों का आयोजन स्कीम का एक अन्य घटक है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, 49 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है, सूक्ष्मपोषकों पर प्रदर्शनी लगभग 11000 हैक्टेयर भूमि पर आयोजित की गई हैं एवं शहर के कूड़े को खाद में बदलने के लिए 8 कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित की गई हैं। जैव-कम्पोस्टिंग की विधियों पर कुल 563 प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए 'उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग' स्कीम के अन्तर्गत जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30.00	32.00	–
2.	कर्नाटक	51.76	35.14	59.30
3.	केरल	45.05	25.65	11.65
4.	तमिलनाडु	96.33	8.00	23.30
5.	पाण्डिचेरी	–	20.00	–

1	2	3	4	5
6.	मध्य प्रदेश	36.65	46.06	-
7.	महाराष्ट्र	47.67	23.49	30.00
8.	राजस्थान	23.19	8.00	40.00
9.	गोवा	-	-	8.65
10.	हरियाणा	10.00	8.00	103.80
11.	पंजाब	-	28.32	43.25
12.	उत्तर प्रदेश	45.75	8.00	-
13.	हिमाचल प्रदेश	14.30	10.15	18.30
14.	जम्मू व कश्मीर	-	17.30	-
15.	दिल्ली	20.00	-	-
16.	बिहार	-	98.95	-
17.	उड़ीसा	40.00	38.64	-
18.	पश्चिम बंगाल	-	8.00	-
19.	त्रिपुरा	-	-	8.65
20.	मणिपुर	-	-	8.65
21.	नागालैंड	15.65	20.15	-
22.	मिजोरम	23.05	12.15	-
	योग	500.00	548.00	355.55

(-) कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

कपास की फसल

*219. **श्री बलराम जाखड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी क्षेत्र में घटिया कीटनाशी दवाओं की आपूर्ति के कारण कपास की फसल को कितना नुकसान हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा कपास की फसल के बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(घ) क्या कपास की फसल को हुए नुकसान को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) श्रीमान्, उत्तरी क्षेत्र के किसी भी कपास उत्पादक राज्य से वर्ष 1998-99 के दौरान घटिया गुणवत्ता के कीटनाशियों की आपूर्ति के कारण कपास की फसल को नुकसान होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों को संशोधित व्यापक फसल बीमा स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, प्रस्तावित नई स्कीम में केवल अभिज्ञात तथा गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों को ही कवर किया जाएगा, न कि घटिया गुणवत्ता वाले कीटनाशियों के प्रयोग के कारण हुए नुकसान को, जो कि रोकथाम योग्य माना जाता है।

कृषि वृद्धि दर

*220. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में अभी भी कृषि वृद्धि दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृद्धि दर को अन्य देशों के स्तर तक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्ष 1987-97 के दौरान, कुछ अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले में भारत की कृषि वृद्धि दर निम्नानुसार है, जिसकी गणना खाद्य एवं कृषि संगठन की प्रोडक्शन ईयर बुक-1997 में प्रकाशित कृषि उत्पादन के सूचकांकों के आधार पर की गई है:

देश	कृषि वृद्धि-वार्षिक चक्रवृद्धि (%)
विश्व	2.18
भारत	3.45
आस्ट्रेलिया	2.23
कनाडा	2.55
चीन	6.42
जापान	-0.69
पाकिस्तान	4.09
यू.के.	0.20
यू.एस.ए.	2.40

भारत में कृषि वृद्धि की दर विश्व-औसत से अधिक है और तुलनात्मक रूप से भी अनेक देशों से अधिक, परन्तु कुछ अन्य देशों से कम है।

(ग) उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की फसल विशिष्ट स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, पटसन, गन्ना, फलों एवं सब्जियों आदि से संबंधित हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिशासन कार्यसूची के अन्तर्गत, सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट वृद्धि कार्यनीतियां अपनाकर, आधारभूत कृषि संरचना के सृजन तथा संसाधनों के अधिक दक्ष उपयोग द्वारा अगले 10 वर्षों में अनाज उत्पादन को दोगुना करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं।

कपास का उत्पादन

2156. श्री महबूब जहेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल जैसे अपारंपरिक कपास उत्पादक राज्यों में और क्षेत्रों को कपास खेती के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के किसानों को कौन-कौन सी कपास की किस्में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने कपास की उन्नत देशी किस्मों को विकसित करने के लिए अलग अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कपास की किस्में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

उड़ीसा : एल.आर.ए.-5166, एम.सी.यू.-5, अभादिता, जे.के.एच.वाई.-1 और सविता।

उत्तर प्रदेश : विकास, एस.एच.-131, बीकानेरी नर्मा।

(ग) और (घ) सरकार ने रेशा गुणवत्ता के बाल आकार तथा उसकी अवधारक शक्ति में सुधार करके अधिक उपज देने वाली बेहतर गुणवत्ता वाली देशी कपास की जिनोटाइप और संकर किस्मों के विकास के लिए जी.एम.एस. और सी.एम.एस. प्रणाली के दोहन पर भी जोर दिया गया है।

महिलाओं को कृषि की आधुनिक तकनीक संबंधी शिक्षा/प्रशिक्षण

2157. श्री प्रसाद नावूराव तनपुरे :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि की आधुनिक तकनीकों का उपयोग किये जाने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दी गई शिक्षा/प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह प्रशिक्षण किन एजेन्सियों के माध्यम से दिया जाता है; और

(ग) इस योजना पर आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या प्रतिक्रिया रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधित शिक्षा/प्रशिक्षण निम्नलिखित स्कीमों/परियोजनाओं के माध्यम से दी जा रही है:-

- कृषि में महिलाओं से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम;
- डैनिश और डच सहायता में "कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण" के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं;
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषक महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(ख) जिला स्तर पर निम्नलिखित अभिकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण/शिक्षा दी जा रही है:-

1. राज्य कृषि विभाग
2. राज्य कृषि विश्वविद्यालय
3. जिला महिला विकास अभिकरण
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान; एवं
5. गैर-सरकारी संगठन

(ग) आंध्र प्रदेश में डच सहायता प्राप्त परियोजना "आंध्र प्रदेश में कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण" का कार्यान्वयन 6 जिलों-रंगारेड्डी, नलगोण्डा, कुर्नूल, अनन्तपुर, प्रकाशम तथा विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इन केन्द्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत मजबूत बनाया गया है।

महाराष्ट्र में "कृषि में महिलाएं" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम में ठाणे जिले को कवर किया जा रहा है। महिला कृषकों को समूह बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है तथा

प्रशिक्षण, विस्तार एवं अन्य सहायता सेवाएं इन समूहों के माध्यम से दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत ठाणे जिले में तीन तालुकका अर्थात् पालघर, डहाणू तथा वाडा को कवर किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 39 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो कृषक महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं।

आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में इन स्कीमों पर प्राप्त प्रतिक्रियाएं संतोषजनक हैं।

[हिन्दी]

चारे का उत्पादन

2158. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में चारा और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में इस योजना की सफलता का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चारे का उत्पादन, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां चारे की कमी है, बढ़ाने के लिए राज्य में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) "क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र" नामक एक केन्द्रीय फार्म 1969 से सूरतगढ़, राजस्थान में काम कर रहा है। इस क्षेत्रीय केन्द्र का उद्देश्य केन्द्रीय मिनिकिट कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वितरण के लिए विभिन्न प्रकार के चारा बीजों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना है। इसके अलावा, यह केन्द्र प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा स्थानान्तरण के लिए कृषक मेले, आहार तथा चारे से संबंधित प्रौद्योगिकी आयोजित करता है।

राज्य सरकार को चारा बीज उत्पादन फार्मों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5.50 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान दिया गया था। इस धनराशि का उपयोग राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन तथा राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा 1987-88 के दौरान किया गया था। तथापि, राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके साथ-साथ 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान चारा फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों के क्रमश: 22,850 तथा 21,270 चारा बीज मिनिकिटों का मुफ्त वितरण किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) केन्द्रीय मिनिकिट कार्यक्रम के तहत चारा बीजों की उच्च प्राथमिकता वाली किस्मों का उत्पादन तथा आपूर्ति;

(2) चारा बीज के उत्पादन के लिए राज्य फार्मों का सुदृढ़ीकरण;

(3) चारा बैंकों की स्थापना;

(4) पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से चारा बीज उत्पादन;

(5) भूसा तथा सैलुलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन;

(6) बायोमास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना;

(7) घास रिजर्व सहित चारागाहों का विकास;

(8) चारा फसलों के क्षेत्रीय उत्पादन तथा आवश्यकता का नमूना सर्वेक्षण।

[अनुवाद]

धान का उत्पादन

2159. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितनी भूमि पर धान की खेती की जाती है; और

(ख) क्या केरल में पिछले तीन वर्षों में धान की खेती के क्षेत्र में काफी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) चालू वर्ष में केरल में धान के तहत कुल क्षेत्र 3.95 लाख हैक्टेयर है। धान के स्थान पर अन्य अधिक लाभकारी रोपण एवं बागवानी फसलों को उगाने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान 75,000 हैक्टेयर क्षेत्र की कमी हुई है।

क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी

2160. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों/सरकारी कालोनियों के नाम क्या हैं जिनके लिए क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ग) इन क्षेत्रों/सरकारी कालोनियों में क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) सरकारी कॉलोनियों सहित, विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी दो वर्ष के कार्यकाल, अर्थात् 1999 और 2000 तक के लिए ऐसे आवेदकों में से नियुक्त किए गए हैं जो अवैतनिक और स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने के इच्छुक थे। उपर्युक्त नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र क्षेत्र-वार आमंत्रित नहीं किए जाते। फिर भी, सरकारी कॉलोनियों सहित कुछ ऐसे क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक परिपत्र 25.02.99 को जारी कर दिया गया है, जिनका क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति में अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, और उक्त परिपत्र के प्रति उन क्षेत्रों के रुख के मुताबिक ही, उन क्षेत्रों के क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी भी यथासमय नियुक्त कर दिए जाएंगे।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

2161. श्री एस. अजय कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केरल में नारियल की खेती में सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रमों और कदमों की सिफारिश की है;

(ख) इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 1999 मौसम के लिए खोपरे संबंधी मूल्य नीति रिपोर्ट में निम्नलिखित मूल्य तथा गैर-मूल्य सिफारिशें की हैं:-

1. 1999 मौसम के लिए मिलिंग खोपरा की अच्छी औसत क्वालिटी का मूल्य 3075/- रुपये प्रति क्विंटल खोपरा गोला था, 3325/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए।

2. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिसम्बर के बाद घोषित किए जाते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को वर्ष के प्रारम्भ से वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर समर्थन खरीद की व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए तथा जब भी उक्त मौसम के लिए समर्थन मूल्य घोषित किए जाएं तब जिनसे घोषणा के पूर्व खरीद की गई थी उन्हें शेष राशि की प्रतिपूर्ति दी जाए।

3. सम्बन्धित राज्य सरकारें नारियल तथा खोपरे के लिए विनियमित मंडी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करें।

4. प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों द्वारा किसानों से कच्चे नारियल की सीधी खरीद के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचे का सृजन किया जाए। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जो खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष एजेन्सी है, प्रत्येक मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के समकक्ष प्रति गोला मूल्य प्रत्येक राज्य तथा द्वीप के लिए अलग-अलग निर्धारित करे।

5. मूल्य नीति के निरूपण के लिए अपेक्षित डाटा बेस को मजबूत बनाने के लिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय अन्य फसलों के समान नारियल उत्पादन के अग्रिम अनुमान सृजित करने पर विचार करे और विश्वसनीय तथा एकसमान अनुमान सृजित करने के उद्देश्य से नारियल विकास बोर्ड के खोपरा उत्पादन संबंधी अनुमानों का

मूल्यांकन करे। इसके अलावा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय चुनिन्दा प्रमुख मण्डियों में खोपरे की आवक संबंधी आंकड़े एकत्र करने की व्यवहार्यता की भी जांच करे।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि मंत्रालय का बागवानी विभाग संयुक्त रूप से वर्तमान अनुसंधान संस्थाओं की उन शाखाओं को मजबूत बनाए जो नए कीटों और रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए उत्तरदायी हैं।

7. पामोलिन के आयात शुल्क दर, जो अभी कम है, को विश्व पामोलीन मूल्य कम होने पर बढ़ाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके घरेलू मूल्य कम न हों और वे नारियल के तेल सहित खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों और इस प्रकार खोपरे और नारियल के मूल्यों के कम होने पर दबाव न डाल सकें।

8. जो औद्योगिक यूनिटें विविधिकृत नारियल उत्पादों के लिए नारियल विकास बोर्ड के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी श्रृंखला को अपना रही है, उन्हें टैक्स माफी अथवा अस्थायी राजसहायता के रूप में कुछ ठोस प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए जाएं।

(ग) सरकार ने 1999 मौसम के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित मिलिंग तथा खोपरा गोला के लिए क्रमश: 3075/- रुपये तथा 3325/- रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले अच्छी औसत क्वालिटी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलिंग खोपरा के लिए 3100/- रुपये प्रति क्विंटल तथा खोपरा गोला 3325/- रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 1999 मौसम के लिए की गई मूल्य तथा गैर-मूल्य सिफारिशें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

वर्मीकल्चर

2162. श्रीमती रमा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गोबर वाली कृमिजन्य खाद रसायनिक उर्वरकों से बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों ने इस विषय पर कोई सुव्यवस्थित अध्ययन और परीक्षण कराए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसे बिहार में महिलाओं और कमजोर वर्गों को विशेष रूप से सम्मिलित करके आरंभ किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां। सरकार मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने में कार्बनिक खाद (गोबर की खाद) की उपयोगिता से अवगत है। लेकिन केवल कार्बनिक खाद, जिसमें वर्मीकल्चर (कंपोस्ट) शामिल है, का ही उपयोग अधिक फसल उत्पादकता का टिकाऊ और अपेक्षित स्तर प्राप्त करने हेतु पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत "दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण" और "सूक्ष्मजीवी अपघटन और कार्बनिक अपशिष्ट का पुनश्चक्रण" पर विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में पहले ही अनेक स्थानों में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हुए परीक्षण किए गए हैं। केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

तथापि, केंचुआपालन (वर्मीकल्चर) की उपयोगिता के बारे में छुट-पुट सूचना ही उपलब्ध है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पहलू पर अनुसंधान को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) जी हां, बिहार राज्य में गोबर की खाद और कम्पोस्ट के उपयोग से संबंधित प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का प्रसार महिलाओं और कमजोर वर्गों को शामिल करते हुए कृषक समुदाय के बीच राज्य कृषि विश्वविद्यालयों नामत: राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची और कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

राज्य	कृषि विश्वविद्यालय/ भा.कृ.अ.प. के संस्थान का नाम	दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	सूक्ष्मजीवी अपघटन और कार्बनिक अपशिष्ट का पुनश्चक्रण
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद		
बिहार	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची		
दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली		
गुजरात	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़		
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर		
हरियाणा	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार		
कर्नाटक	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर		
केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर		
मध्य प्रदेश	ज.ला.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर		
महाराष्ट्र	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर		
	पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला		
	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी		
	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी		
उड़ीसा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर		
पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना		
तमिलनाडु	त.ना. कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर		
उत्तर प्रदेश	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर		
	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर		
प. बंगाल	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी		
	केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर		

रंगोली सिंचाई परियोजना से विस्थापित हुए लोग

2163. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में रंगोली सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए बेदखल किए गए सभी लोगों को मुआवजे का भुगतान किया गया है और इनका पुनर्वास कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष मामलों के तेजी से निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) रेंगाली सिंचाई परियोजना के निर्माण से 772 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा 20.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक स्कीम तैयार की गई है। पुनर्वास पर 31.3.1998 तक लगभग 12.85 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। रिहायशी प्लाटों के आबंटन के पात्र परिवारों में से 44 प्लाट (31.3.1998 तक) आबंटित किये गये हैं।

कलकत्ता और ढाका के बीच बस-सेवा

2164. श्री के. कृष्णमूर्ति :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कलकत्ता और ढाका के बीच सीधी बस-सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवा कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में 16 और 17 फरवरी, 1999 को नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर बातचीत हुई थी। प्रस्तावित सेवा का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पाकिस्तान की जेलों में बन्द मछुआरे

2165. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान तटरक्षकों तथा पुलिस द्वारा भारतीय मूल के कितने मछुआरों को पकड़कर जेल में बन्द किया गया; और

(ख) कितने मछुआरों को वार्ता कर और अन्य उपायों के द्वारा वापिस स्वदेश ले आया गया है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) मार्च, 1996 से अब तक सम्बद्ध पाकिस्तानी अधिकारियों ने 343 भारतीय मछुआरों को बन्दी बनाया है। इसी अवधि में पाकिस्तान ने 439 भारतीय मछुआरों को छोड़ा है। इनमें वे भारतीय मछुआरे भी शामिल हैं, जिन्हें मार्च, 1996 से पूर्व बन्दी बनाया गया था।

विनियंत्रित उर्वरक

2166. श्री बीर सिंह महतो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विनियंत्रित उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने संबंधी अन्य नियंत्रण उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए विनियंत्रित फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्दिष्ट न करने का एक प्रस्ताव जांच की प्रक्रिया में है। इस प्रस्ताव में विनिर्माताओं/आयातकों को छूट (राजसहायता) को जारी रखना भी शामिल है ताकि किसानों को इन उर्वरकों की उचित मूल्य पर बिक्री की जा सके। उत्पादन या आयात की लागत में वृद्धि आदानों तथा उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों जैसे घटकों पर निर्भर करती है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं।

रोजगार नीति

2167. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री अरविंद कांबले :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री के. येरननायडू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगारी की ख़तरनाक स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कोई रोजगार योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.), द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1987-88 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान देश में समग्र रूप से रोजगार 2.43 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी की दर 2.62 प्रतिशत से घटकर 1.90 प्रतिशत रह गयी।

(ख) निम्नलिखित तालिका सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का ब्यौरा दर्शाती है:-

तालिका : सार्वजनिक क्षेत्रक में रोजगार (लाख)

	1994	1995	1996	1997
1. केन्द्र सरकार	33.92	33.95	33.66	32.95
2. राज्य सरकार	73.37	73.55	74.14	74.85
3. अर्द्ध सरकारी	65.14	65.20	64.58	65.36
4. स्थानीय निकाय	22.02	21.97	21.92	22.44
जोड़	194.45	194.66	194.29	195.59

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 1998-99

(ग) से (च) नौवीं योजना में बेरोजगारी दर को आठवीं योजना में 1.87 प्रतिशत की औसत बेरोजगारी दर के मुकाबले नौवीं योजना में 1.66 प्रतिशत तक कम करने की परिकल्पना की गयी है।

नौवीं योजना की एप्रोच, बेरोजगारी और अल्परोजगार की उच्च दरों वाले क्षेत्रों में उन क्षेत्रकों, उप क्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों, जो अधिक श्रम गहन हैं, पर ध्यान केन्द्रित करके विकास प्रक्रिया में ही उत्पादक रोजगार सृजित करने, की होगी।

के.स.स्वा. योजना से चिकित्सा प्रमाण-पत्र

2168. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अपने चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कराने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके लिए अपने चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल केन्द्र सरकार स्वास्थ्य-सेवा के औषधालयों से ही प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को उन स्थानों पर किसी भी चिकित्सज्ञ से चिकित्सा प्रमाण-पत्र लेकर चिकित्सा अवकाश लेने की अनुमति देने का है जहां केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) जबकि केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा पहले से ही, केन्द्रीय-सरकार-स्वास्थ्य-योजना के डाक्टरों सहित, केवल प्राधिकृत चिकित्सकों से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए, केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना के डाक्टरों से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा संबंधी आदेश, केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में लागू हैं जो (1) केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना का लाभ ले रहे हैं, और (2) अपनी बीमारी के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र में रह भी रहे हों। ये शर्तें पूरी नहीं करने वाले केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश करने का विकल्प सुलभ बना रहेगा, जो उन मामलों में उपर्युक्त आदेशों के प्रति ढील बरते जाने के बारे में, मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है जिनमें संबंधित सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों से चिकित्सा प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। फिर भी, उक्त आदेश वापस लिए जाने/संशोधित किए जाने के बारे में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं तथा यह मुद्दा कर्मचारी-पक्ष द्वारा भी विचार-विमर्श के लिए उठाया गया है और यदि इस सिलसिले में कोई कठिनाई आई तो सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर सकती है।

गरीबी रेखा

2169. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु अंतिम सर्वेक्षण किस तारीख को किया गया था;

(ख) क्या सरकार को उसकी समीक्षा हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि यह सही तस्वीर प्रस्तुत करे, क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) गरीबी रेखाओं का निर्धारण सर्वेक्षणों के माध्यम से नहीं किया जाता। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए न्यूनतम समझी जाने वाली वस्तु बास्केट और सेवाओं को प्राप्त करने की वास्तविक लागत का निर्धारण, उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 28वें दौर (1973-74) के आंकड़ों के द्वारा किया गया था। इन गरीबी रेखाओं को, विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के राज्य विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कामगारों के राज्य विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक के माध्यम से कीमतों में परिवर्तन के लिए अद्यतन किया जाता है।

(ख) जी, हां। कई राज्यों ने अपने राज्यों की गरीबी रेखाओं की समीक्षा हेतु अभ्यावेदन किया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक ने इस आधार पर उनकी गरीबी रेखाओं में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन किया है कि, उनके राज्यों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक खाद्यान्नों पर सब्सिडियों के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। उड़ीसा ने अपनी गरीबी रेखाओं में वृद्धि हेतु अभ्यावेदन किया है।

(घ) गरीबी रेखाओं का आंकलन, गरीबों की संख्या और अनुपात के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जिसने गरीबी रेखा संगणित करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के पश्चात् राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं के उपयोग की सिफारिश की। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं, राज्य विशिष्ट कीमत सूचकांकों और अंतर्राज्यीय कीमत विभेदकों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर गरीबी रेखा के विच्छेदन से प्राप्त की जाती हैं। ये राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं, राज्य में चालू कीमतों पर, स्वस्थ जीवन के लिए न्यूनतम समझी जाने वाली उपभोग बास्केट की लागत को परिलक्षित करती हैं, अतः सही तस्वीर दर्शाती हैं।

एन.एस.एस.ओ. के कर्मचारी

2170. **श्री तपन सिकदर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एन.एस.एस.ओ. (डी.पी.डी.) के कर्मचारियों (जो याचिकादाता नहीं हैं) और याचिकादाताओं के समकक्ष पदस्थापित हैं की ओर से, माननीय उच्चतम न्यायालय कैट द्वारा अपने आदेशों में प्रदान की गई सुविधाओं को उन्हें भी प्रदान किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों जो याचिकादाता नहीं हैं, की मांग को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी कि किसी विवाद की स्थिति में उन कर्मचारियों, जो याचिकादाता नहीं हैं, को भी याचिकादाताओं के समकक्ष ही रखा जाना चाहिए और याचिकादाताओं को अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए तथा पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गयी समान सिफारिश के बावजूद उक्त मांग को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, सामान्यत: कैट/कोर्ट का निर्णय आवेदकों के संबंध में कैट/कोर्ट के निर्देशानुसार, जब तक अन्यथा कोई निर्णय न हो, के अनुसार लागू होता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समंक विधायन प्रभाग में उच्चतम वेतनमान के लाभ केवल आवेदकों को दिए गए हैं क्योंकि माननीय न्यायालय की ओर से इन लाभों को गैर-आवेदकों तक बढ़ाने के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं था। सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों का लाभ गैर-याचिकाकर्ताओं को भी देने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

बांध का निर्माण

2171. **श्री उपेन्द्रनाथ नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्योंझर जिले में बैतरनी नदी पर (कानापुर परियोजना) एक बांध का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बांध के निर्माण कार्य की प्रगति संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बांध के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) कानपुर परियोजना पर 318.19 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1998 तक लगभग 16.71 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(ख) और (ग) इन हैडवर्क्स के नौवीं योजना के दौरान पूरे हो जाने की आशा है और शेष कार्य दसवीं योजना में आगे ले जाया जायेगा।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में सहयोग

2172. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री विक्रम केशरी देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईराक भारत को कृषि क्षेत्र में सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के बीच किसी औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। बहरहाल ईराक के कृषि मंत्री के दिनांक 9 से 13 फरवरी, 1999 तक भारत के दौरे के दौरान भारत ईराकी छात्रों को कृषि में लघु अवधि तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण/स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. संबंधी शिक्षा देने पर सहमत हो गया। ईराक ने भारत से कृषि उपकरणों तथा सामान, कुक्कुट आहार हेतु सोयामील,

प्रथम प्रसूतोत्तपन्न गायों तथा साण्डों, सब्जियों तथा अन्य फसलों के बीजों के कीटनाशियों, पशुरोगों से संबंधित दवाईयों तथा टीकों आदि के आयात में रुचि दिखाई है।

भारतीय भाषाओं का प्रयोग

2173. **श्री सी.डी. गामीत** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम्प्यूटर शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व है और अन्य भारतीय भाषाओं को इस क्षेत्र में कम प्राथमिकता दी जाती है जिससे उनके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षा में अन्य भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले ही कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं:

- मानव मशीन अन्त:सम्पर्क, भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन तथा बहुभाषी ज्ञान प्रणालियों के विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सूचना संसाधनों का विकास करना।

- भाषा अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सूचना संसाधन साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।

- भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को सहायता देना जिसके अन्तर्गत मशीनी अनुवाद, मानव मशीन अन्त:सम्पर्क, भाषा शिक्षण तथा प्राकृतिक भाषा संसाधन शामिल हैं।

2. इन कार्यकलापों के फलस्वरूप भारतीय भाषाओं में समाधान उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ शब्द संसाधन, प्रकाशन, स्प्रेडशीट, वर्तनी परीक्षक, लिपि संसाधन, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच मशीन साधित अनुवाद आदि जैसे वैयक्तिक कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद शामिल हैं।

[अनुवाद]

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर नियंत्रण

2174. **डा. असीम बाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक पर से नियंत्रण हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य क्या है तथा उन पर कितनी राजसहायता दी गयी है; और

(घ) वर्तमान में अन्य प्रकार के उर्वरकों की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य क्या है तथा उन पर कितनी राजसहायता दी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूरिया उत्पादन की लागत संयंत्र अवस्थिति, उपयोग की गई सामग्री इत्यादि की गुणवत्ता के आधार पर ईकाई दर ईकाई बदलती रहती है। यूरिया, जो एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, का सांविधिक बिक्री मूल्य वर्तमान में 4000 रु. प्रति मीट. टन निर्धारित है। उचित प्रतियों सहित उत्पादन लागत एवं सांविधिक रूप से निर्धारित बिक्री मूल्य के अंतर को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। अत: यूरिया पर राजसहायता की दर ईकाई दर ईकाई बदलती है। वर्ष 1997-98 के दौरान यूरिया पर दी गई राजसहायता की कुल राशि 9903 करोड़ रु. थी। अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों पर कोई राजसहायता नहीं दी जा रही है।

(घ) अन्य उर्वरकों की उत्पादन की लागत भी ईकाई दर ईकाई बदलती है। सरकार फास्फेट एवं पोटाश (पी एवं के) उर्वरकों के निर्माताओं एवं उत्पादकों को रियायत (राजसहायता) देती है एवं उनका अधिकतम खुदरा मूल्य निश्चित करती है।

विभिन्न पी एवं के उर्वरकों के लिए वर्तमान में प्रभावी अधिकतम खुदरा मूल्य एवं रियायत की दर नीचे दिए गए हैं:-

उर्वरक	अ.खु.मू.	रियायत (रु./मी. टन)
डी ए पी (स्वदेशी)	8300	4400
डी ए पी (आयातित)	8300	3400
एम ओ पी	3700	3000
एस एस पी	*	900
मिश्रण	6200-8000	2477-4071

*संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कोटा

2175. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नौकरियों में आरक्षित कोटा के भरे जाने में विलंब पर गहरी चिंता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उन विभागों का ब्यौरा क्या है जो इस आरक्षित कोटे को भरने में असफल रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी हां।

(ख) सामान्यत: किसी पद के रिक्त होने और उसके भरे जाने के बीच एक अंतराल रहता है। अत: मंत्रालयों/विभागों आदि में किसी समय विशेष पर, आरक्षित रिक्त पदों सहित, कुछ पदों के खाली बने रहने की संभावना रहती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग/अशक्त लोगों के लिए आरक्षित कोटा

2176. **श्री टी.आर. बालू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान अन्य पिछड़ा वर्गों और अशक्त लोगों के आरक्षित कोटे को भरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान कितनी भर्तियां की गई और कितने अन्य पिछड़ा वर्गों/अशक्त लोगों की भर्ती की गई; और

(ङ) अन्य पिछड़ा वर्गों/अशक्त लोगों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) अन्य पिछड़े वर्गों और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है और सामान्यत: किसी पद के रिक्त होने और उसके भरे जाने के बीच एक अंतराल रहता है।

(ग) और (घ) इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) इस बारे में अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं जिनके अनुसार, नियुक्त प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरक्षित पद भरने के भरसक प्रयत्न करें।

प्रतिबंधित कीटनाशक और उर्वरक

2177. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय और अमरीकी देशों में प्रतिबंधित कई रसायनों, कीटनाशकों और उर्वरकों का देश में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मानव स्वास्थ्य और प्रकृति पर इन रसायनों के प्रभावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) कीटनाशियों तथा उर्वरकों के रूप में रासायनिक फार्मूलेशनों का उपयोग क्रमश: कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। कीटनाशी स्वभावत: विषाक्त होते हैं। विश्व स्तर पर अधिकांश देशों द्वारा वहां प्रचलित कृषि मौसमीय परिस्थितियों के आधार पर कीटनाशियों के उपयोग की अनुमति दी गई है/रोक लगाई गई है। "उन उत्पादों की समेकित सूची जिनकी खपत एवं/अथवा बिक्री पर रोक लगाई गई है, पूर्णत प्रतिबंधित है, वापस ले ली गई है अथवा सरकारों द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है" शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन के पंचम अंक, 1994 के अनुसार यह ज्ञात होता है कि कुल 13 कीटनाशियों जिनका उपयोग भारत में हो रहा है, के उपयोग पर यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रोक लगाई गई है (संलग्न विवरण) भारत में कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति मानव पशु तथा पर्यावरण के प्रति कीटनाशियों से सुरक्षा के बारे में सन्तुष्ट होने पर देश में कीटनाशियों का उपयोग शुरू करने से पूर्व अनिवार्यत: उनका पंजीकरण करती हैं। विष विज्ञान के विभिन्न मानदण्डों जिनमें अन्य बातों के अलावा मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव शामिल है, से संबंधित आंकड़े करके व्यापक मूल्यांकन हेतु उक्त समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं। उन मामलों में जहां कीटनाशियों के लाभ उनकी जोखिम की तुलना में अधिक होते हैं, जोखिम प्रबंध नीतियां निर्धारित की जाती हैं और इस संबंध में सुरक्षित फार्मूलेशन मंजूर किए जाते हैं, उनके उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, विनिर्दिष्ट फसलों पर उनका उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है, उपयोग सरकारी पर्यवेक्षण के तहत प्रतिबंधित किया जाता है उपयोग पेस्ट कन्ट्रोल आपरेटरों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है आदि।

वैज्ञानिक विकास के आधार पर सरकार विशेषज्ञ समिति का गठन करके कीटनाशियों के उपयोग की समीक्षा करती है और विशेषज्ञ समिति एवं/अथवा पंजीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में उनका उपयोग रोकती/प्रतिबंधित/जारी रखती है।

कीटनाशियों के विपरीत उर्वरक खतरनाक नहीं होते। किसी उर्वरक पर रोक लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कीटनाशियों के समान कोई समेकित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। बहरहाल, भारत में उर्वरकों की खपत 87 कि.ग्रा./प्रोषकतत्व प्रति हैक्टेयर (1997-98) है। खपत का यह स्तर काफी कम माना जाता है और सिफारिश की गई खुराकों के अनुसार उपयोग करने पर खतरा होने की संभावना नहीं होती। अन्य देशों जैसे कोरिया 375 (कि.ग्रा./हैक्टे.), चीन 370 (कि.ग्रा/हैक्टे.), नीदरलैण्ड 542 (कि.ग्रा./हैक्टे.), यूनाइटेड किंगडम 379 (कि.ग्रा./हैक्टे.), फ्रांस 252 (कि.ग्रा./हैक्टे.), मिस्र 345 (कि.ग्रा./हैक्टे.) में और यहां तक कि पड़ौसी देशों जैसे पाकिस्तान 113 (कि.ग्रा./हैक्टे.) तथा बंगलादेश 135 (कि.ग्रा./हैक्टे.) में उर्वरकों की खपत भारत से अधिक है।

विवरण

उन कीटनाशियों के नाम जिनके उपयोग पर यूरोपीय देशों में रोक लगाई गई है परन्तु जिनका उपयोग हमारे देश में हो रहा है (संदर्भ : उन उत्पादों की समेकित सूची जिनकी खपत एवं/अथवा बिक्री पर रोक लगाई गई है, पूर्णत: प्रतिबंधित है, वापस ले ली गई है अथवा संबंधित सरकार द्वारा मंजूर नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन पंचम अंक, 1994)

क्र.सं.	कीटनाशी	रोक लगी है	भारत में उपयोग की स्थिति
1	2	3	4
1.	एलेक्लोर	नीदरलैण्ड	कोई प्रतिबंध नहीं। प्रमुखत: सोयाबीन में खरपतवार में नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है।
2.	कैप्टेफाल	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी, नीदरलैण्ड, नार्वे	सीड ड्रेसर के तौर पर
3.	कंप्टेन	फिनलैण्ड	कोई प्रतिबंध नहीं।

1	2	3	4
4.	कार्बेरिल	जर्मन संघीय गणराज्य	1. बीटा कर्बेरिल 0.05% से कम होने पर उपयोग की अनुमति। 2. फूल खिलने की अवस्था में छिड़काव की अनुमति नहीं है। कृषि में उपयोग पर रोक लगी है।
5.	क्लोरबैंजिलेट	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	कृषि में उपयोग पर रोक लगी है। इसका सरकार/अर्द्ध सरकारी संगठनों द्वारा आयात पट्टियां बनाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मधुमक्खी पालकों की मधुमक्खी की कुटकी पर नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।
6.	डी.डी.टी.	यूरोपीय समुदाय बुल्गारिया फिनलैंड	कृषि में डी डी टी का उपयोग वर्जित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में अधिकतम 10,000 मी. टन प्रति वर्ष की सीमा तक इसके उपयोग की अनुमति है।
7.	डाईएल्ड्रिन	यूरोपीय समुदाय बुल्गारिया, डेनमार्क, हंगरी, नीदरलैण्ड, यूगोस्लाविया	कृषि में उपयोग पर रोक लगी है। केवल पी पी ए द्वारा अधिसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण हेतु उपयोग की अनुमति है।
8.	एथिलीन डाई ब्रोमाइड	यूरोपीय समुदाय साइप्रस, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	अनाज के धूम्रकारक के तौर पर केवल सरकार तथा सरकारी उपक्रम एवं पेस्ट कंट्रोल आपरेटरों, जिनकी विशेषज्ञता को पी पी ए ने मान्यता प्रदान की है, द्वारा उपयोग की अनुमति है।
9.	लिन्डेन	साइप्रस हंगरी फिनलैण्ड	स्मोक जनरेटर के रूप में इसका उपयोग प्रतिबंधित है।
10.	मैलेइक हाइड्राजाइड	यू.एस.ए.	खास उपयोग नहीं होता।
11.	आंक्सी फ्ल्यूओर्फेन	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	केवल पी सी ई संक्रमण के बगैर उपयोग की अनुमति है।
12.	पैराकीट डाईक्लोराइड	फिनलैण्ड, नार्वे, स्वीडन	कोई प्रतिबंध नहीं।
13.	सोडियम साइनाइड	साइप्रस जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	केवल पी पी ए द्वारा कपास की गांठों के धूम्रकरण हेतु उपयोग किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

2178. **श्री ए.सी. जोस :** क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने देश में कितनी परियोजनाओं को लागू किया है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति का प्रारूप तैयार करने तथा ऐसे उपायों एवं नीतियों का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल का गठन किया है जिससे भारत अगले दस वर्षों के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी की एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आ सके। इस कार्यदल ने सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना पर दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। पहली रिपोर्ट में कार्यदल ने 108 संस्तुतियां की हैं जिसका उद्देश्य है (1) मूलसंरचनात्मक सुविधा ड्राइव (2) सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के 50 बिलियन डॉलर के लक्ष्य, तथा (3) वर्ष 2008 तक सबके लिए सूचना प्रौद्योगिकी। दूसरी रिपोर्ट की संस्तुतियां मुख्य रूप से सहजबद्ध रूप से सूचना प्रौद्योगिकी इकाई, राजस्व एवं वित्तीय नीतियों, कार्यविधि का सरलीकरण, निर्यात, पूंजीनिवेश तथा भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित मुद्दे, बैंकिंग संबंधी मुद्दे, कम्पनी कानून संबंधी मुद्दे, श्रम कानून, डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद डिजाइन तथा विकास आदि से संबंधित हैं।

(ग) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क तथा शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्थापित दो मुख्य मूलसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। अन्य उत्पादो में ये शामिल हैं: सुपर कम्प्यूटर के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता का विकास करना; सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास; सॉफ्टवेयर का स्थानीयकरण; सरकारी कम्प्यूटरीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक शासन से संबंधित कार्यक्रम; राष्ट्रीय सूचना मूलसंरचना (एन.आई.आई.) परीक्षण स्थल; साइबर कानूनों के लिए एक ढांचे का विकास करना; बेहतर डेटाकॉम मूलसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करना; इंटरनेट के इस्तेमाल के प्रचार-प्रसार के लिए ढांचा एवं नीति तैयार करना; भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के जरिए सॉफ्टवेयर के निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करना; जनशक्ति विकास जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग-कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की मान्यता (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) योजना शामिल है; सॉफ्टवेयर क्वालिटी आश्वासन तथा प्रमाणन से संबंधित कार्यक्रम, मल्टीमीडिया संवर्धन कार्यक्रम; भारतीय जावा सक्षमता केन्द्र स्थापित करना आदि।

प्रति व्यक्ति आय

2179. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970 के बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा उसमें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) क्या 1970 के बाद भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) क्या 1970 के बाद शिशु मृत्यु दर में कोई कमी आई है और यदि हां, तो किस हद तक तथा देश में औसत आयु दर कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 1970 से, चौथी पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक, पांच पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना अब चल रही है। प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना इन सभी योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। समग्र विकास कार्यनीति के साथ-साथ आय की वृद्धि दर बढ़ाने की कार्यनीति, क्रमिक योजना अवधियों के दौरान विकसित हुई है जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई सुदृढ़ता, घरलू अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, तथा विश्व अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगतियों को भी परिलक्षित करती है। 1980 के दशक में नीति अभिमुखीकरण, उन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रणों में छूट देने की ओर था, जहां यह अत्यधिक सक्रिय था। 1990 के दशक में, अर्थव्यवस्था को नियंत्रणमुक्त और उदार बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों के व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति आय 1980-81 की कीमतों पर, 1970-71 में 1520 रु. से बढ़कर 1997-98 में 2847 रु. हो गयी जो 2.35 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है।

(ख) जनगणना अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1971 में 548.2 मिलियन से बढ़कर 1991 में 846.3 मिलियन हो गई। जनसंख्या अनुमानों पर योजना आयोग द्वारा गठित तकनीकी दल की रिपोर्ट के अनुसार 1999 में भारत की जनसंख्या 981.3 मिलियन हो जाने का अनुमान है।

(ग) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अनुमानों के अनुसार, प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 1971 में 129 से घटकर 1997 में 71 हो गयी। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा 1971 में 45.6 वर्ष से बढ़कर 1996 में 62.4 वर्ष हो गयी है।

दूतावासों में रिक्तियां

2180. श्री टी. गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण दूतावासों द्वारा समय और उचित रूप से सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों और केन्द्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति युक्तिसंगत तरीके से भारत की विदेश नीति के समग्र ढांचे के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक देश की कार्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए की जाती है। इन आवश्यकताओं तथा विदेश स्थिति मिशनों/केन्द्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा सरकार की वित्तीय तथा अन्य बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक और व्यवहार्य परिवर्तन किये जाते हैं। आवधिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा दल के दौरों, सरकारी आदेशों, प्रशासनिक परिपत्रों आदि के जरिए विदेश स्थित हमारे मिशनों और केन्द्रों की कार्य प्रणाली की सूक्ष्म और नियमित जांच की जाती है। इसे देखते हुए, सामान्य अवस्था में सेवाएं समय पर न प्रदान किये जाने अथवा इसके अपर्याप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि इससे संबंधित शिकायतों तथा सुझावों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाये जाते हैं।

इनसेट-2ई

2181. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कब तक इनसेट-2ई को छोड़े जाने की संभावना है; और

(ख) इसके छोड़े जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इन्सैट-2ई अन्तरिक्षयान को कौरू, फ्रेंच गियाना से अप्रैल 2-9, 1999 के बीच छोड़े जाने की संभावना है।

(ख) इन्सैट-2ई अन्तरिक्षयान इन्सैट प्रणाली में सामान्य सी-बैण्ड क्षमता का विस्तार करेगा। इन्सैट-2ई अन्तरिक्षयान में पृथ्वी के मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बन के लिए एक 3-चैनल का अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर (वी.एच.आर.आर.) और एक 3-चैनल का सी.सी.डी. कैमरा भी रखा गया है। इन्सैट-2ई अन्तरिक्षयान का आवरण इसके पूर्ववर्ती अन्तरिक्षयानों की तुलना में अधिक है।

सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोग

2182. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में बांध निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए परिवारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है और सरकार द्वारा अब तक उनको दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) बांधी और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुन:स्थापन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय में इनसे संबंधित ब्यौरों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

राजदूतों की नियुक्ति

2183. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा किन देशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई हैं;

(ख) विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों को नियुक्त करने के लिए यथा मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) ऐसे कितने राजदूत/उच्चायुक्त हैं जो पेशेवर, राजनयिक है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारत सरकार ने 110 देशों में आवासी राजदूत/उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं। इनमें से 41 देशों के हमारे राजदूतों/उच्चायुक्तों को 78 अन्य देशों/क्षेत्रों में साथ-साथ प्रत्यायित किया गया है।

(ख) राजदूतों/उच्चायुक्तों को उनके पदों पर, अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठताक्रम, व्यवसाय पृष्ठभूमि, विशिष्ट पद के लिए अनुभव और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, नियुक्त किया जाता है।

(ग) इस समय कार्यरत कुल राजदूतों/उच्चायुक्तों में से 103 पेशेवर राजनयिक हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी सिंचाई योजना

2184. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने सेन समिति की सिफारिशों के आधार पर गैर-सरकारी सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के सूखा-प्रवण और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी और बागवानी का विकास

2185. श्री माधव राव पाटील :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य से ग्रामीण क्षेत्रों में मात्स्यिकी और बागवानी विकास के लिए कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सामान्य अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में मात्स्यिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने तथा कृषि संबंधी अन्य योजनाओं को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ताजा जल जलकृषि तथा खारा जल जलकृषि विकास संबंधी योजनाओं के अंतर्गत, मत्स्य पालकों को आधुनिक जल कृषि प्रणालियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी एक अन्य योजना के अंतर्गत, मत्स्य पालकों तथा मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके उपयोग

के लिए सरल भाषा में प्रशिक्षण सामग्री का वितरण किया जाता है।

फलों का एकीकृत विकास, मसरूम का विकास, मधुमक्खी पालन आदि संबंधी योजनाओं में भी प्रशिक्षण घटक है। इन उपायों से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

2186. श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्राण फूंकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य की समीक्षा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा. जी.वी.के. राव थे। समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार थे:

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा उसके संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की वर्तमान भूमिका तथा संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करना तथा कृषि उत्पादन संबंधी नई चुनौतियों को पूरा करने तथा मितव्ययिता के साथ उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना।

2. संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाने, शिक्षा में पुनः जान फूंकने एवं विस्तार शिक्षा तंत्र को नया रूप देने के लिए सुधारों का सुझाव देना।

3. तीन प्रकार के अनुसंधानों अर्थात मौलिक/आधारभूत, व्यावहारिक तथा परिचालनीय/पहुंच से परे के सापेक्ष अनुपात की समीक्षा करना।

4. कृषि अनुसंधान तथा विस्तार के बीच मौजूदा सम्पर्कों की समीक्षा करना तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रभावी तथा शीघ्र उपयोग हेतु व्यवस्था का सुझाव देना।

5. शिक्षा तथा प्रशिक्षण के स्तरों को बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए अपने संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए कृषि शिक्षा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका की समीक्षा करना।

6. प्रतिभा को आकर्षित करने तथा विशेषकर अति विशिष्ट परन्तु महत्वपूर्ण विषयों में अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता सृजित करने की दृष्टि से कार्मिक नीतियों की समीक्षा करना।

7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ विभिन्न सूचना के लिए आश्रित विभागों तथा अन्य संगठनों के सम्पर्क की समीक्षा करना ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में अनुपूरक के रूप में अन्तर सांस्थानिक कार्यकरण में सुविधा हो सके।

8. अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास में कृषि तथा सहकारिता विभाग की भागीदारी को संस्थात्मक बनाने पर विचार करना।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट परिषद को मार्च, 1998 में प्रस्तुत की थी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के संगठनात्मक ढांचे एवं उनकी भूमिका तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के साथ संबंध, कार्मिक नीतियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क, प्रौद्योगिकी के अन्तरण के कार्यक्रमों, अनुसंधान योजना, कार्यान्वयन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन

एवं प्रबलित क्षेत्रों का पता लगाने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं।

(ग) इस समिति ने 83 सिफारिशें की थीं तथा कई पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने परिषद में नई जान फूंकने के लिए कदम उठाये हैं जिसमें ये शामिल हैं : कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं स्वचालन, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण तथा रख-रखाव, प्रशासनिक, वित्तीय तथा कार्मिक सुधार, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रणालियां शुरू करना; संसाधन सृजन पर दिशानिर्देश देना; अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं की समीक्षा करना, संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ सम्पर्क सुदृढ़ करना; पंचवर्षीय समीक्षा दल के दिशानिर्देशों की समीक्षा करना; विकेन्द्रीकरण करना, जिम्मेवारी नियत करना; मानव संसाधन निकास करना; सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण करना आदि।

केन्द्रीय भण्डार का सतर्कता विभाग

2187. **डा. विजय सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय भण्डार के सतर्कता विभाग के बारे में 23.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी 11 मामलों में जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की;

(ख) अनियमितताओं संबंधी कितने नए मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) केन्द्रीय भण्डार, सतर्कता संबंधी ऐसे मामले निबटाने में सक्षम है और उसने (केन्द्रीय भण्डार ने) सूचित किया है कि उसके द्वारा 4 मामलों में अन्वेषण और जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है और दो मामलों में दण्ड लगाया गया है। शेष मामलों में, आरोप प्रमाणित हुए नहीं पाए गए और मामलों को बंद कर दिया गया।

(ख) किसी नए मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाएं

2188. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री नरेश पुगलीया :
श्री यू.वी. कृष्णमराजु :
श्री ए.सी. जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी धन से चल रही बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने वाले देशों/एजेंसियों का देश-वार तथा एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं वर्तमान में किन-किन चरणों में हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) सिंचाई क्षेत्र में विश्व बैंक, ई.ई.सी., विदेशी आर्थिक-सहयोग निधि, जापान, के.एफ.डब्ल्यू.-जर्मनी, कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण

और नीदरलैंड जैसे देशों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विवरण

क्र.सं.	अभिकरण/ देश		परियोजना	सिंचाई परियोजनाओं की श्रेणी	राज्य	सहायता राशि (मिलियन में)	31.1.99 तक संचयी उपयोग (मिलियन में)	पूरा करने की निर्धारित तिथि
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	विश्व बैंक	1.	आंध्र प्रदेश तृतीय सिंचाई परियोजना	वृहद	आंध्र प्रदेश	अमेरिकी डालर 325.00	अमेरिकी डालर 63.154	31.01.2002
		2.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	वृहद	हरियाणा	अमेरिकी डालर 258.00	अमेरिकी डालर 103.525	31.12.2002
		3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	वृहद	उड़ीसा	अमेरिकी डालर 290.900	अमेरिकी डालर 95.973	30.09.2002
		4.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	वृहद	तमिलनाडु	अमेरिकी डालर 282.90	अमेरिकी डालर 22.047	31.03.2002
		5.	बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना	बांधों की सुरक्षा	बहुराज्यीय	अमेरिकी डालर 102.973	अमेरिकी डालर 58.199	30.09.1999
		6.	जल विज्ञान परियोजना	जलवैज्ञानिक चक्र के सभी पहलुओं को कवर करने वाला व्यापक डेटा बेस विकास	बहुराज्यीय	अमेरिकी डालर 142.00	अमेरिकी डालर 22.172	31.03.2002
2.	ओ.ई.सी.एफ. जापान	1.	कुर्नुल कडप्पा नहर का आधुनिकीकरण	वृहद	आन्ध्र प्रदेश	16049.00 येन	95.09 येन	26.03.2005
		2.	राजघाट नहर परियोजना	वृहद	मध्य प्रदेश	13222.00 येन	438.7 येन	25.02.2002
		3.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	वृहद	उड़ीसा	7760.0 येन	649.7 येन	05.02.2003

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	1. लिफ्ट सिंचाई परियोजना	मध्यम	उड़ीसा	55.00 डी.एम.	31.14 डी.एम.	31.12.2000
4.	नीदरलैंड	1. सामुदायिक सिंचाई परियोजना	लघु	केरल	11.02 एन.एल.जी.	1.49 एन.एल.जी.	30.06.2000
		1. एपीवैल	लघु	आंध्र प्रदेश	37.00 एन.एल.जी.	1.06 एन.एल.जी.	14.11.1999
		3. बुन्देलखंड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	लघु	उत्तर प्रदेश	13.39 एन.एल.जी.	1.35 एन.एल.जी.	31.05.1999
5.	कनाडा	1. राजस्थान कृषि और जल निकास अनुसंधान परियोजना	अनुसंधान	राजस्थान	62.07 सी. डालर	9.38 सी. डालर	31.12.1999
6.	ई.ई.सी.	1. टैंक सिंचाई प्रबंधली फेज-II	लघु	तमिलनाडु	24.5 ई.सी.यू.	19.7 ई.सी.यू.	31.12.1999
		2. सिद्धमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	मध्यम	राजस्थान	45.00 ई.सी.यू.	32.7 ई.सी.यू.	31.12.2000
		3. केरल लघु सिंचाई परियोजना	वृहद	केरल	11.8 ई.सी.यू.	2.770 ई.सी.यू.	31.12.2000
		4. लवणीय भूमि सुधार परियोजना फेज-II	लघु	महाराष्ट्र	14.3 ई.सी.यू.	-	31.12.2000
		5. उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	मध्यम	उड़ीसा	10.70 ई.सी.यू.	0.465 ई.सी.यू.	31.12.2004
		6. टैंक पुनर्वास परियोजना	लघु	पांडिचेरी	6.650 ई.सी.यू.	-	28.02.2003

(घ) बाधाओं को दूर करने और निर्धारित समयानुसार कार्य पूरा करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों/राज्य सरकारों और केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय और आर्थिक मामला विभाग जैसे केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं की नियमित मानीटरी की जाती है।

कृषि भूमि का विकास

2189. श्री भूपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में कृषि भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र को अभी विकसित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा असम को कृषि भूमि का विकास करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता से असम में कृषि भूमि का कुल कितना क्षेत्र विकसित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) असम के कुल 29.24 लाख हैक्टेअर कृषि योग्य क्षेत्र में से लगभग 5.72 लाख हैक्टेअर भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। शेष 23.52 लाख हैक्टेअर क्षेत्र वर्षा सिंचित है। ऐसी भूमि के सुधार के लिये विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपाय अपनाये जा रहे हैं। ताकि इससे इन क्षेत्रों की उर्वरता में वृद्धि की जा सके। कृषि एवं सहकारिता विभाग असम में कृष्य भूमि के विकास के लिये निम्नलिखित स्कीमें चला रहा है:- यथा

1. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।
3. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 1.11 लाख हैक्टेअर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है जिसके लिए कुल 33.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी है।

[हिन्दी]

स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना

2190. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद): क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुउद्देशीय स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना का कार्य संतोषजनक रूप से योजना के अनुरूप नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार अथवा कार्य की उपेक्षा किए जाने की बात आई है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) बिहार राज्य में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रगति धीमी होने के कारण इस प्रकार हैं-राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों के लिए कम बजट आबंटित करना, लम्बित पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की टिप्पणियों/शर्तों की अनुपालना न करना।

(ग) केन्द्र सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रोजगार के लिए विशेष कृतिक बल

2191. श्री नरेश पुगलीया :
श्री यू.वी. कृष्णमराजु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एक विशेष कृतिक बल के गठन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विशेष कृतिक बल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विशेष कृतिक बल के निदेश-पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंप दिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सरकार ने "रोजगार अवसरों संबंधी एक कार्यदल" का गठन किया है जिसके सदस्य अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद, प्रशासक एवं उद्योगों के प्रतिनिधि हैं।

(ग) कार्यदल के विचारार्थ विषय हैं: (1) देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की मौजूदा स्थिति की जांच करना, (2) अगले दस वर्षों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये रोजगार सृजन की कार्यनीतियां सुझाना।

इसमें प्रतिवर्ष औसतन 1 करोड़ लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु कार्यनीतियां अन्तर्निहित हैं, और (3) उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित या प्रासंगिक किसी अन्य मामले पर विचार करना।

(घ) "कार्यदल" की अधिसूचना के अनुसार, रिपोर्ट 31 जुलाई, 1999 तक प्रस्तुत की जानी है।

केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं

2192. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय केन्द्रीय भंडार की कितनी शाखाएं राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार की कुछ और शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) इस समय देश भर में चल रहे केन्द्रीय भण्डारों की कुल संख्या 111 है, जो निम्नानुसार है:-

दिल्ली	73	(4 चलती फिरती गाड़ी-दुकानों सहित)
महाराष्ट्र	1	
तमिलनाडु	11	
पांडिचेरी	1	
आन्ध्र प्रदेश	4	
कर्नाटक	2	
केरल	2	
हरियाणा	3	
पंजाब	1	
उत्तर प्रदेश	8	
मध्य प्रदेश	1	
गोवा	1	
चंडीगढ़	2	
दमन	1	

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार की भण्डार-शाखाएं, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बहुतायत-अच्छी खासी तादाद वाली ऐसी कॉलोनियों में खोली जाती हैं जहां कहीं केन्द्रीय भण्डार को 1 रु. प्रति माह के नाम मात्र किराए पर उपयुक्त स्थान आवंटित कर दिया जाए और जहां केन्द्रीय भण्डार की भण्डार-शाखा खोलना व्यवहार्य समझा जाए। वर्ष, 1999-2000 में 10 नई भण्डार शाखाएं निम्नानुसार खोले जाने की योजना है:

दिल्ली	7
केरल	1
राजस्थान (जयपुर)	1
गुजरात (अहमदाबाद)	1

सब्जियों का उत्पादन

2193. श्री सुरेश कुरूप : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड द्वारा सब्जियों के उत्पादन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में संकर वनस्पति अनुसंधान की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्जियों का स्वयं उत्पादन नहीं करता है। तथापि, बोर्ड अपने

द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(1) उदार ऋण में भागीदारी द्वारा बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास नामक स्कीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों अर्थात्, पुष्पकृषि, खुम्भी, फल एवं सब्जियां, विपणन, प्रसंस्करण एवं टिशू कल्चर आदि को समेकित परियोजनाएं चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली उदार ऋण की मात्रा 4% सेवा शुल्क की दर से 100.00 लाख रु. तक सीमित कुल आवधिक ऋण का 40% है। धनराशि सहकारी समितियों, सरकारी लिमिटेड कम्पनियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंजीकृत कृषक संवर्गों एवं निगम क्षेत्र को दी जाती है।

(2) बागवानी में नई प्रौद्योगिकी एवं संकल्पनाओं की शुरूआत नामक स्कीम के अंतर्गत सब्जी फसलों के उत्पादन एवं कटाई उपरांत प्रबंध सहित प्रौद्योगिकियों के पाइलट परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर साबित हो चुकी प्रौद्योगिकियों के विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरण के लिए 20.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है।

(ग) संकर सब्जियों पर शोध कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने शोध संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अब तक सब्जी फसलों के 31 एफ। संकरों को जारी किया जा चुका है। संकर प्रौद्योगिकी टमाटर एवं पत्तागोभी में सबसे सफल रही है। जारी/अभिज्ञात सब्जी संकरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय समन्वित सब्जी उन्नतिकरण परियोजना के माध्यम से जारी/अभिज्ञात सब्जी संकरों की सूची

फसल	एफ-1 संकर
टमाटर (डिटर्मिनेट)	पूसा संकर-2, पूसा संकर-4, अर्थ-3, एन.ए.-501
टमाटर (इनडिटर्मिनेट)	अर्कविधन, केटी-4, अर्थ-4, एम.टी.एच.-6, एन.ए.-601 एफ.एम.एच.-1, बी.एस.एस.-22
बैंगन (गोल)	अर्क नवनीत, पूसा संकर-6, एन.डी.बी.एच.-1
बैंगन (लम्बा)	पूसा संकर-5, एन.डी.बी.एच.-6, अर्भ-201
पत्तागोभी	श्री गणेश गोल, बी.एस.एस.-32
फूल गोभी	पूसा संकर-2
खरबूजा	पी.बी. संकर-1
तरबूजा	अर्क ज्योति
खीरा	पूसा संयोग
लौकी	पूसा संकर-1
शिमला मिर्च	पूसा दीप्ति

एलीटेक्स 99

2194. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्पोजीशन (एलीटेक्स)-99 नामक प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे अनुसंधान और विकास संस्थानों के बीच परस्पर बातचीत को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में कितनी सहायता मिलेगी?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ इसका उपयोग बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिकी के विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा समर्थित परियोजनाओं के जरिए विकसित प्रौद्योगिकियों पर नई दिल्ली में दिनांक 2 तथा 3 फरवरी, 1999 के दौरान एलीटेक्स (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी) का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में सूचना प्रौद्योगिकी, सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी,

संचार, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी एवं फोटॉनिकी, विभाग के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, सामग्री एवं संघटक-पुर्जा आदि विषय शामिल थे। उद्योग ने इसमें संतोष व्यक्त किया है और अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा विकसित कुछ उत्पादों की तकनीकी जानकारी हासिल करने में गहरी रुचि प्रदर्शित की। इस प्रदर्शनी के दौरान नए सॉफ्टवेयर उत्पाद अर्थात् मल्टीमेल, लीप ऑफिस संस्करण 2.0, संचार सह-संसाधक चिप तथा द्विभाषी हिन्दी शब्दकोश पर सीडी जारी की गई। प्रदर्शनी से व्यापक संभावनाओं का पता चला है और जागरूकता तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों की दृष्टि से प्रभाव पैदा किया है। निम्नलिखित तीन प्रौद्योगिकियों के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए:

- इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई.आर. एण्ड डी.सी.आई.), त्रिवेन्द्रम द्वारा विकसित माइक्रो रिमोट टेक्नीकल यूनिट के संबंध में मेसर्स माइक्रोमैक्स सिस्टम्स प्रा.लि. के साथ।

- ई.आर. एण्ड डी.सी.आई., त्रिवेन्द्रम द्वारा विकसित वर्सटाइल कलर सेंसर के संबंध में मेसर्स ई.सी.आई.एल., हैदराबाद के साथ।

- सीरी, पिलानी द्वारा विकसित एकीकृत अभिग्राही डिकोडर प्रणाली के संबंध में मेसर्स नानक एंटीना, नई दिल्ली के साथ।

पाकिस्तान से खतरा

2195. श्री दिलीप संघाणी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान और फ्रांस के बीच चल रहे सैन्य सहयोग से कोई खतरा प्रतीत होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और, किसी भी आकस्मिकता को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में फ्रांस के साथ कोई वार्ताएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखती है तथा यह हमारे राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी।

(ग) और (घ) भारत फ्रांस के साथ विस्तृत बातचीत कर रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय घटनाएं तथा सुरक्षा और नाभिकीय निरस्त्रीकरण शामिल है। इस ढांचे के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं। इनसे सुरक्षा से संबंधित मसलों सहित विभिन्न मसलों का आकलन करने तथा हमारी चिन्ताओं को संप्रेषित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

भारतीय नागरिकों का निर्वासन

2196. श्री एन.जे. राठवा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर 1995 से अब तक की अवधि के दौरान कितने भारतीय नागरिकों का अन्य देशों से निर्वासन किया गया है; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सितम्बर, 1995 से फरवरी, 1999 तक कुल 2,36,085 भारतीय राष्ट्रिकों को विभिन्न देशों से भारत भेजा गया।

(ख) इन भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी पर सरकार ने कुल 74,90,075 रुपए की राशि व्यय की।

पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक संबंध

2197. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री ए.सी. जोस :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक साझीदारी के एक नए युग का सूत्रपात करने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी शुरू करने और उसके उन्नयन पर भी विचार कर रही है;

(ग) क्या इससे कम्पनियों को केन्या के बाजारों में अधिक हिस्सा मिलने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां तो केन्या के साथ किन परियोजनाओं पर सहयोग मांगा जा रहा है;

(ङ) क्या अफ्रीकी देशों को अपने उद्योगों के विकास के लिए अधिक सहायता की जरूरत है; और

(च) यदि हां, तो भारत ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी राष्ट्रों को कितनी सहायता दी है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी हां। भारत ने पूर्वी अफ्रीकी समुदाय, जिसमें कीनिया, तंजानिया और उगांडा शामिल हैं, के साथ आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि पूर्व अफ्रीका समुदाय के जुलाई, 1999 में ही अस्तित्व में आने की संभावना है, इसलिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसकी स्थापना होने के पश्चात् ही करने का प्रस्ताव है।

(ख) पूर्व अफ्रीकी समुदाय के साथ समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ लघु और मझौले उद्योगों, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, संचार, कृषि, जल संसाधन प्रबंध और मानव संसाधन विकास के संवर्द्धन के सहयोग शामिल है, जिसमें पूर्व एशिया में मध्यस्थ प्रौद्योगिकी के प्रवेश और उन्नयन का समावेश होगा। प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में भारत से पूर्वी अफ्रीका के देशों के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी, निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवाह के जरिये उद्यम विकास पर बल देने और इसके साथ-साथ मूल्यों पर आधारित सेवाओं को आरंभ करने पर भी विचार किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय कम्पनियों के साथ उपलब्ध मध्यस्थ प्रौद्योगिकी के बारे में कीनिया बाजार को सुग्राह्य बनाने के विचार से कीनिया प्राधिकारियों के सहयोग से नैरोबी में अगस्त, 1996 में मेड इन इंडिया प्रदर्शनी और इंडियाटेक 98 का आयोजन किया गया था। इन प्रदर्शनियों में इंजीनियरी उत्पादों, औद्योगिकी दूरसंचार, पर्यटन, गैर परम्परागत ऊर्जा, रसायन और लघु-जल-विद्युत बिजली परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अलावा दिसम्बर, 1997 में एक्सिम बैंक ने कीनिया के औद्योगिक विकास बैंक का 5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा प्रदान की थी पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी व्यापार और विकास बैंक के लिए 4-5 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी ऋण सुविधा सितम्बर, 1998 में प्रदान की गई थी। इन दोनों कदमों से भारतीय कम्पनियां कीनिया बाजार में बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बना सकेंगी। भारत ने समय-समय पर अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में कीनिया के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) जी हां।

(च) भारत, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के जरिये, द्विपक्षीय, और जी-15 तथा अफ्रीकी विकास पर टोक्यो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन टी.आई.सी.ए.डी. (II) के तत्वावधानों के अन्तर्गत कार्यक्रमों/परियोजनाओं के जरिये बहुपक्षीय दोनों रूप में उद्योग संवर्द्धन के लिए विभिन्न अफ्रीकी राष्ट्रों की सहायता करने के लिए सहमत हुआ है। उद्योग संवर्द्धन के लिए अफ्रीका में क्षेत्रीय संगठनों जैसे दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एस.ए.डी.सी.) और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग (ई.ए.सी.) के जरिये भी भारतीय सहयोग और सहायता प्रदान की गई है। अफ्रीका के विभिन्न देशों में 56 आइटेक सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी है/क्रियान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं में लघु उद्योग, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, उद्यम और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना, उद्योग की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों की तैयारी, औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना, पूंजीगत मशीनरी की आपूर्ति इत्यादि के क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारत टूल डिजायनिंग, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, इलैक्ट्रॉनिक्स, उद्यमवृत्ति विकास, बैंकिंग, वित्त और प्रबन्ध इत्यादि जैसे उद्योग के संवर्द्धन से संबंधित विविध क्षेत्रों समेत मानव संसाधन विकास के लिए आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत अफ्रीका के 50 देशों को हर वर्ष 600 प्रशिक्षण स्लाट प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ है।

क्षारीय मृदा

2198. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्षारीय मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86) से क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में चलाई जा रही है। इन राज्यों के अलावा

गुजरात, मध्य प्रदेश, और राजस्थान राज्यों में इस स्कीम का विस्तार किया गया। इस स्कीम में क्षारीय सुधारक के उपयोग से क्षारीय मृदा सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के पैकेज को अपनाने अपक्षालन (लीचिंग) हेतु सुनिश्चित सिंचाई हरी खाद के उपयोग स्रवण सह गेहूं और चावल की किस्मों, फलों की लवण सह प्रजातियों, ईंधन और चारा वृक्षों की व्यवस्था की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रु.)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां
1995-96	999.99
1996-97	261.64
1997-98	338.00

सॉफ्टवेयर उद्योग

2199. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान भारतीय सॉफ्टवेयर आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ जापानी कम्पनियां साफ्टवेयर उद्योग में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की बात सोच रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार को अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नैफेड

2200. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में नेफेड में किन्हीं अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) मनोरंजन खर्च, दान, विज्ञापन, आम सभा/बोर्ड की बैठकों, विदेशी दौरों तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि के मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) के क्रियाकलापों में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। आरोपों की जांच नहीं की गई है।

(घ) विभाग द्वारा कराई गई जांच तथा इस मामले में मिली कुछ अन्य शिकायतों के आधार पर इस मामले को जांच पड़ताल के लिये सी.बी.आई. को भेज दिया गया। सी.बी.आई. ने कथित अनियमितताओं के मामले में नैफेड के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। नैफेड को मनोरंजन, दान, विज्ञापन, उपहार पर खर्च, आम सभा/बोर्ड की बैठकों पर व्यय तथा परामर्शदाताओं आदि की नियुक्ति के मामले में पारदर्शी तथा विवेकपूर्ण प्रतिमान दिशानिर्देश विकसित करने का निर्देश दिया गया है।

प्याज का निर्यात

2201. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों को प्याज के निर्यात की अनुमति देने से संबंधित निर्णय लेने में हुए असाधारण विलम्ब के कारण किसानों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को ऐसी हानियों के बदले कोई क्षति पूर्ति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) प्याज के निर्यात की अनुमति के लिए सरकार के निर्णय में कोई विलंब नहीं हुआ क्योंकि 1 फरवरी, 1999 को प्रतिबंध आर्थिक रूप से हटा लिया गया था तथा बंगलौर रोज प्याज और कृष्णा पुरम प्याज के निर्यात की आंशिक अनुमति दे दी गई थी। सरकार दर सरकार आधार पर श्री लंका सरकार के लिए 3,000 मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति भी दी गई थी। प्रणालन अभिकरणों के माध्यम से अगले 3 महीनों के लिए 25.000 मी. टन प्रति माह प्याज के निर्यात की अनुमति को भी 12 फरवरी, 1999 को अधिसूचित किया गया था। इस समय प्याज उगाने वाले किसानों को क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आय और विकास दर का प्राक्कलन

2202. डा. सुशील इन्दौरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नये तरीके के अंतर्गत वर्ष 1993-94 को राष्ट्रीय आय और विकास दर के प्राक्कलन हेतु आधार वर्ष के रूप में चुना है;

(ख) क्या 1993-94 को आधार वर्ष मानकर नया तरीका अपनाने से वार्षिक विकास दर पूर्व की तुलना में अधिक निकलती है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) 1993-94 को आधार वर्ष के रूप में चुनने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) ऐसा सदैव नहीं।

(ग) सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद की वार्षिक विकास दरें स्थिर मूल्यों पर नई श्रृंखला (आधार 1993-94) तथा पुरानी श्रृंखला (आधार 1980-81) में इस प्रकार से हैं:-

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर	
	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला
1994-95	7.8	7.8
1995-96	7.6	7.2
1996-97	7.8	7.5
1997-98	5.0	5.1

(घ) 1993-94 को आधार वर्ष इसलिए चुना गया है क्योंकि यह वह अद्यतन वर्ष है, जिसके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण, 1993-94 के माध्यम से कार्यबल संबंधी सूचना उपलब्ध है।

[अनुवाद]

नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था

2203. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस पर उत्तर और दक्षिण, धनाधिक्य और हृदय-विदारक गरीबी के भेदभाव को दूर करने तथा कठोर गरीबी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए नयी विश्व अर्थव्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य विश्व मंच के माध्यम से यह संदेश पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर विश्व की विभिन्न आर्थिक शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) मानवाधिकार दिवस, 10 सितम्बर, 1998 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा कि आज विश्व अमीर और गरीब, उत्तर और दक्षिण, धनाधिक्य और दृश्य-विदारक गरीबी के दो भागों में बंटा है तथा उन्होंने इन भेदभावों को मिटाने और एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित करने और इसे स्वीकार करने का आह्वान किया।

(ख) और (ग) भारत सार्वभौमिक आर्थिक विषमता दूर करने तथा व्यापार, वित्त और निवेश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समानता में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर द्विपक्षीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कार्य दल का सह-अध्यक्ष है जिसका उद्देश्य विकास के लिए वित्त पर एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए रूपरेखा और कार्यसूची तैयार करना है।

कृषि परिदृश्य

2204. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्रीमती रानी नरह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का कृषि परिदृश्य अंधेरे में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीज उत्पादन

2205. श्री अमरपाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की अनेक इकाईयां देश में बीज उत्पादन का कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान इस क्षेत्र में कौन-कौन सी इकाईयां कार्य कर रही हैं;

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान उनके द्वारा कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, दालों और खाद्य तेलों के बीज तैयार किए गए;

(घ) क्या सरकार ने इन वर्षों के दौरान इन इकाइयों में अतिरिक्त पूंजी निवेश किया है;

(ङ) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी अतिरिक्त पूंजी निवेश की गई; और

(च) उपर्युक्त वर्षों के दौरान इन इकाइयों को कुल कितना घाटा हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान बीज उत्पादन में लगे एककों के नाम इस प्रकार हैं:-

1. आंध्र प्रदेश राज्य बीज निगम लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (ए.पी.एस.एस.डी.सी.)।
2. असम राज्य बीज निगम लि., दिसपुर, गुवाहाटी, असम (ए.एस.एस.सी.)।
3. बिहार राज्य बीज निगम लि., पटना, बिहार (बी.आर.बी.एन.)।
4. गुजरात राज्य बीज निगम लि., गांधी नगर, गुजरात (जी.एस.एस.सी.)।
5. हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लि., पंचकूला, हरियाणा (एच.एस.डी.सी.)।
6. कर्नाटक राज्य बीज निगम लि. हेब्बल, कर्नाटक (के.एस.एस.सी.)।
7. मध्य प्रदेश राज्य बीज और फार्म विकास निगम लि. भोपाल, मध्य प्रदेश (एम.पी.एस.एस.एफ.डी.सी.)।
8. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि., अकोला, महाराष्ट्र (एम.एस.एस.सी.)।
9. उड़ीसा राज्य बीज निगम लि., भुवनेश्वर, उड़ीसा (ओ.एस.एस.सी.)।

10. पंजाब राज्य बीज निगम लि. चंडीगढ़ (पी.एस.एस.सी.)।

11. राजस्थान राज्य बीज निगम लि., जयपुर, राजस्थान (आर.एस.एस.सी.)।

12. उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि., पंतनगर, हल्दी, ऊधम सिंह नगर (यू.पी.एस. और टी.डी.सी.)।

13. पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लि., कलकत्ता, पश्चिम बंगाल (डब्ल्यू.सी.एस.एस.सी.)।

14. राष्ट्रीय बीज निगम लि., नई दिल्ली (एन.एस.सी.)।

15. भारतीय राज्य फार्म निगम लि., नई दिल्ली (एस.एफ.सी.आई.)।

(ग) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान ए.वी.एस.एस.डी.सी., जी.एस.एस.सी., एन.एस.सी. तथा एस.एफ.सी.आई. द्वारा गेहूं, चावल, दलहन तथा खाद्य तेलों के बीजों की उत्पादित मात्रा निम्नवत है:-

(लाख क्विंटल में मात्रा)

क्र.सं.	फसल समूह	उत्पादित बीजों की मात्रा	
		1996-97	1997-98
1.	गेहूं	4.52	3.89
2.	चावल	6.12	5.74
3.	दलहन	0.69	0.73
4.	खाद्य तेलों के बीज	0.82	0.94

शेष एककों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) से (ङ) जी हां।

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में इन एककों को क्रमश: 1806.64 लाख रुपये तथा 100.00 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(च) इन एककों से सूचना एकत्र की जा रही है।

वैज्ञानिकों के पे पैकेज को लागू करना

2206. श्री के. पैरी मोहन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पे पैकेज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इस पे पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेवा वैज्ञानिक मंच से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अधिसूचित संशोधित वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के वेतनमानों को पहले ही परिषद के पत्र संख्या 1(15)/98-कार्मिक-4 दिनांक 27 फरवरी, 1999 द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) कृषि अनुसंधान सेवा वैज्ञानिक मंच की एक विशेष यूनिट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान पैकेज को शीघ्र लागू करने के लिए अभ्यावेदन दिए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के वेतनमानों को परिषद के पत्र संख्या 1(15)/98-कार्मिक-4, दिनांक 27 फरवरी, 1999 द्वारा पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

भागीरथ पत्रिका

2207. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भागीरथ पत्रिका में विभिन्न क्षेत्रों के लेखकों के लेखों का चयन और प्रकाशन करने के लिये निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पत्रिका में लेखों के प्रकाशन हेतु निर्धारित मानदण्डों का संपादकों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) मानदण्डों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भागीरथ पत्रिका में लेखों के चयन और प्रकाशन के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं है। पत्रिका के प्रकाशन के उद्देश्यों पर विचार करते हुए देश में जल संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं में सूचनात्मक और सरलता से समझ में आने वाले योजना, प्रगति, उपलब्धि और कार्यकलापों से संबंधित लेखों के चयन और प्रकाशन के प्रयास किये जाते हैं। पत्रिका के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के लिए अलग से गठित सम्पादकीय मंडल के सदस्यों द्वारा लेखों की विधीक्षा करने के बाद उनका प्रकाशन किया जाता है। लेखों के चयन में मुख्य रूप से ऐसे लेखों पर विचार किया जाता है जिसमें लेखन में मौलिकता, सामान्य रूप से सिर्फ पत्रिका के लिए हो, संक्षिप्तता और नवीन सामग्री हो अथवा जो जल संसाधन से संबंधित उपलब्ध सूचना और मौजूदा समस्याओं के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हों।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वीजा संबंधी मानदंड

2208. श्री नादेन्दला भास्कररावः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा के मानदण्डों को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को इसकी वीजा संबंधी प्रक्रियाओं को परस्पर आधार पर उदार बनाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पाकिस्तान से यथा प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) 20-21 फरवरी, 1999 को प्रधान मंत्री की हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान, तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ उनकी बैठकों के उपरान्त, यह निश्चित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान वीजा और यात्रा व्यवस्थाओं के और अधिक उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए परामर्श करेंगे।

सरकार की लोगों से लोगों के बीच संपर्क संवर्धित करने की नीति को ध्यान में रखते हुए, भारत ने 1997 में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए अपनी व्यवस्था को एकपक्षीय तौर पर सरल किया था। इन एकपक्षीय रियायतों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) उन शहरों की अधिकतम संख्या में वृद्धि जिनकी पाकिस्तानी राष्ट्रिक अपनी भारत यात्रा के दौरान यात्रा कर सकें आठ से बढ़ाकर बारह करना, (2) जिस मामले में आवश्यक हो, भारत आने और भारत से वापस जाने के लिए विभिन्न जांच स्थानों के लिए प्रावधान सहित पात्र पाकिस्तानी व्यवसायियों को एक वर्ष की वैधता वाला बहु-प्रवेश वीजा प्रदान करना, (3) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के आगमन और प्रस्थान के लिए दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों और अटारी रेलवे जंक्शन के अलावा चेन्नई स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक अतिरिक्त जांच स्थल के रूप में नामित किया गया है, (4) कलाकारों, पत्रकारों, छात्रों, व्यवसायियों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यथासंभव पुलिस रिपोर्टिंग वीजा (ई.पी.आर.) की छूट प्रदान करना, (5) अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों, कलाकारों, छात्रों और पत्रकारों के लिए वीजा शुल्क को छोड़ दिया गया है, और (6) पात्र प्रतिष्ठित पाकिस्तानी कलाकारों के लिए वीजा प्रदान करने संबंधी प्रावधान।

संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के प्रथम दौर के दौरान, भारत ने पाकिस्तान को इन एकतरफा उपायों के बारे में सूचित किया और पाकिस्तान से इसी सरकार के उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया। पाकिस्तानी पक्ष ने सूचित किया कि वे भारतीय राष्ट्रिकों के लिए विगत की तुलना में अधिक वीजा जारी कर रहे हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा

2209. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत में अपने संबंधियों से मिलने के लिए वीसा का आवेदन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने लोगों को भारत आने की अनुमति प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने लोगों को वीसा दिया गया जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैं;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने के लिए वीसा देने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (ग) आंकड़े इस प्रकार हैं:-

	1996	1997	1998
भारत में रिश्तेदारों से मिलने आने के लिए वीजा के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या	46936	78593	75323
उनमें से जिन्हें भारत यात्रा के लिए अनुमति दी गई उनकी संख्या	40583	72140	71918
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वीजा प्राप्त राष्ट्रिकों की संख्या	05	15	35

(घ) और (ङ) सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने पर बहुत बल देती है। इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने भारत यात्रा करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए वीजा व्यवस्था को सरल बनाने हेतु 1997 में एकपक्षीय रूप से कदम उठाए। इसके अलावा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा की मंजूरी भारत-पाकिस्तान वीजा करार 1974 के अन्तर्गत दी जाती है जो 1990 में संशोधित हुआ था।

वाई-टू के संबंधी समस्या

2210. श्री के. येरननायडू : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का कम्प्यूटर के क्षेत्र में वाई-टू के समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने भारत में वर्ष 2000 समस्या के प्रभाव का सामना करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सशक्त कार्य दल का गठन किया है। इस कार्यदल का गठन तथा इसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. सरकारी विभागों को इस विषय की जानकारी पहले ही है तथा उन्होंने वाई 2 के अनुपालन के लिए किए जाने वाले कार्यों के समन्वय के लिए आंतरिक कार्य दलों का गठन किया है/ कार्रवाई शुरू की है। उनकी प्रगति की समीक्षा सरकार में उच्चतम स्तर पर कार्यदल द्वारा की जा रही है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने 'वर्ष 2000 अनुजीवन : एक व्यवसायी की गाइड' सभी संबंधित संगठनों को जारी की है तथा सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ मिलकर भारतीय वाई 2 के समाधान प्रदानकर्ता तथा अनुपालन कम्पनियों की एक निर्देशिका भी प्रकाशित की है। एक वेबसाइट वाई 2 के. गव. इन का सृजन किया गया है जिसमें सभी संबंधित जानकारी होती है। इसमें महत्वपूर्ण देशों के वाई 2 के स्थल से अतिरिक्त सम्पर्क हैं।

विवरण

विषय : वर्ष 2000 समस्या के प्रभाव का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय सशक्त कार्य दल का गठन

गठन नीचे दिए अनुसार है:

1.	सदस्य (ए), योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव, योजना आयोग एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	सदस्य-संयोजक
3.	सचिव (व्यय)	सदस्य
4.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	सदस्य
5.	सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
6.	रक्षा सचिव	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
8.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
9.	अध्यक्ष, सीआईआई	सदस्य
10.	अध्यक्ष, फिक्की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, एमएआईटी	सदस्य
12.	कार्यकारी निदेशक, नैसकॉम	सदस्य

कार्यदल के विचारार्थ विषय नीचे दिए अनुसार हैं:-

(1) देश में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनकी देश में वर्ष 2000 समस्या का सामना करने के लिए निगरानी करने की आवश्यकता है।

(2) वर्ष 2000 समस्या से संबंधित उपचारात्मक कार्य के लिए संबंधित संगठनों/एजेंसियों द्वारा क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार कराना।

(3) कार्य योजनाओं में कार्यान्वयन की आवधिक रूप से निगरानी करना।

(4) संगठनों, संसद, प्रेस तथा जनता की प्रभावित श्रेणियों में जागरूकता पैदा करने की योजनाएं बनाना।

(5) भारत में वर्ष 2000 समस्या के समाधान के लिए 700 करोड़ रुपए की एक सामूहिक निधि की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(6) कम्प्यूटर पर आधारित कार्यों तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर वर्ष 2000 समस्या के प्रभाव का सामना करने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों तथा अन्य प्रभावित संगठनों/कार्यकलापों के लिए सामूहिक निधि में से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र का विकास करना।

(7) विभिन्न क्षेत्रों के लिए आकस्मिक कार्य योजनाएं तैयार रखना ताकि वर्ष 1999 के बाद की संभावित स्थितियों का सामना किया जा सके।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

2211. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का उन राज्यों के विकास के लिए किसी व्यापक योजना का प्रस्ताव है जिनकी 40 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुजरात को भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) किसी राज्य का विकास मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार, विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों की सहायता करती है। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन हेतु ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में कई केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों में शामिल हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)। इसके अतिरिक्त, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) कार्यान्वित की जा रही है। विशेष रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), और जनजातीय उपयोजना जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं। ये सभी कार्यक्रम गुजरात राज्य में भी कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

2212. श्री रामानन्द सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सहयोग हेतु सकारात्मक कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बंगलादेश के साथ संबंध बढ़ाने और उनमें सुधार लाने के लिए पिछले वर्ष अनेक कदम उठाये हैं। ब्यौरा नीचे दिये गए अनुसार है:

पाकिस्तान

सरकार की यह नीति है कि शांतिपूर्ण संबंध, मित्रता और सहयोग बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जाए। 1998 के दौरान हमने पाकिस्तान के साथ संयुक्त वार्ता प्रक्रिया को तेज करने की पहल की थी जिसका उद्देश्य सद्भाव और विश्वास बनाना, परस्पर लाभप्रद सहयोग बढ़ाना और अनसुलझे मसलों पर बातचीत करना था। इस नवीकृत संयुक्त वार्ता प्रक्रिया का पहला दौर अक्टूबर-नवम्बर, 1998 में हुआ था। इससे दोनों पक्ष पारस्परिक लाभ के आधार पर विश्वास पैदा करने वाले उपायों और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने तथा प्रत्यक्ष द्विपक्षीय आधार पर बकाया मामलों पर बातचीत कर सके थे। द्विपक्षीय सहयोग के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर प्रगति हुई है। पाकिस्तान से बिजली की खरीद की संभावनाओं पर बातचीत हुई है। इस संबंध में तकनीकी स्तर की वार्ता के दो दौर हो चुके हैं और अगला दौर मार्च, 1999 में इस्लामाबाद में होना तय हुआ है। मछुआरों और असैनिक बंदियों के मामलों सहित अनेक मानवीय मामलों का सफलता पूर्वक समाधान हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी प्रस्ताव और विचारों का आदान प्रदान हुआ है। विशेष ध्यान देने योग्य बात दिल्ली-लाहौर बस सेवा (फरवरी 20-21) के उद्घाटन के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान की यात्रा रही। इस यात्रा से भारत को पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति की पुष्टि करने और द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच चर्चा करने का अवसर मिला है। यहां यह भी सहमति हुई है कि आपसी हित-चिन्ता के मामलों पर बातचीत के लिए विदेश सचिव स्तर पर नियमित रूप से बैठकें की जाएंगी। आधिकारिक स्तर की संयुक्त वार्ता का अगला दौर और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली बैठकों के लिए द्विपक्षीय परामर्श के माध्यम से तारीखें तय की जा रही हैं।

इस वर्ष बंगलादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ भी हमारे पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध और बढ़े हैं।

नेपाल

इस वर्ष नेपाल के साथ अनेक उच्च स्तरीय सम्पर्क बने हैं। इनमें विशेष रूप से मई, 1998 में भारत के राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा और जनवरी, 1999 में नेपाल के महाराजाधिराज और महारानी की भारत यात्रा शामिल है। इन यात्राओं से नेपाल के साथ हमारे संबंधों को विशेषता प्रदान करने वाला सद्भाव और सौहार्द्रता को मजबूत करने में मदद मिली है तथा परस्पर आदर-भाव और समझबूझ बढ़ी है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पुनरीक्षण के लिए अमूल्य अवसर और दीर्घावधिक सहयोग के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराई हैं। आर्थिक मुद्दे पर नेपाल के साथ पारगमन सन्धि एक प्रमुख घटना है। परस्पर लाभप्रद सहयोग, विशेषकर जल संसाधन, व्यापार और निवेश, पर्यटन और मानव संसाधन विकास को मजबूत किया जा रहा है।

श्रीलंका

इस वर्ष श्रीलंका के साथ उच्च स्तरीय राजनैतिक सम्पर्क को बनाए रखा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 27-30 दिसम्बर, 1998 तक भारत की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार करार सम्पन्न हुआ। इस करार से टेरिफों में शनैः शनैः कटौती करके द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दोनों देशों ने कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य और व्यापार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए भारत-श्रीलंका

फाउण्डेशन की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न किया है। राष्ट्रपति की यात्रा से पूर्व 18 दिसम्बर, 1998 को भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग का चौथा अधिवेशन हुआ था जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के कई मामलों पर चर्चा हुई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-श्रीलंका उपायोग का तीसरा अधिवेशन 27-28 अक्तूबर, 1998 को हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र विकास, ऊर्जा प्रबन्ध, सूचना प्रौद्योगिकी, मत्स्य-पालन, भू और पर्यावरणीय अध्ययन, कृषि और लघु तथा मध्यम आकार के क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में वृद्धि की जाएगी। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मामलों से सम्बद्ध 14-15 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में आयोजित उपायोग के चौथे अधिवेशन में सहयोग के नए क्षेत्र निर्धारित किए गए जिनमें श्रीलंका में तकनीकी संस्थाओं के पाठ्यचर्चा के विकास के लिए विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली तैयार करने फिल्मों, नाटकों और टेलीविजन सॉफ्टवेयर संयुक्त रूप से तैयार करने के लिए भारतीय सहायता शामिल है। तीन वर्ष के लिए वैध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के मसौदे पर भी चर्चा हुई।

बंगलादेश

बंगलादेश के साथ पूरे वर्ष भर उच्च स्तर पर सम्पर्क बनाए रखे गए। इनमें जून, 1998 और जनवरी, 1999 में प्रधान मंत्री शेख हसीना, बंगलादेश के विदेश मंत्री, कृषि मंत्री और सेनाध्यक्ष की भारत यात्राएं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भू-परिवहन मंत्री, सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और विदेश सचिव, गृह सचिव और वाणिज्य सचिव की बंगलादेश यात्राएं शामिल हैं। भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों के बीच जुलाई 1998 में कोलम्बो में 10वें सार्क शिखर सम्मेलन में भी मुलाकात हुई। जनवरी, 1999 में विदेश मंत्री ने बंगलादेश की प्रधान मंत्री से उनकी कलकत्ता यात्रा के दौरान भेंट की।

इस वर्ष के दौरान सीमा-प्रबन्ध, सुरक्षा और मार्गस्थ सुविधाओं सहित आपसी हित-चिन्ता के मुद्दों पर सभी स्तरों पर विस्तार से चर्चा हुई। दिसम्बर, 1998 में द्विपक्षीय व्यापार समीक्षा वार्ता के दौरान व्यापारिक और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई थी मोटर-वाहन करार निष्पादन पर बातचीत जारी रही। 17 फरवरी, 1999 के कलकत्ता-ढाका बस सेवा पर एक करार पर अद्याक्षर हुए। आशा है यह सेवा मार्च, 1999 में आरंभ हो जाएगी।

इस वर्ष संस्कृति, शिक्षा और अन्य कार्यपरक क्षेत्रों में भी, सहयोग सन्तोषजनक रूप से विकसित हुआ।

अनुसंधान केन्द्र

2213. डा. सरोजा वी. : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में चल रहे अनुसंधान केन्द्रों और स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक को सरकार द्वारा आवंटित की गई निधियों और उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्तावधि के दौरान राज्य में कृषि-उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत तमिलनाडु में स्थापित किए गए अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं का विवरण

अनुसंधान केन्द्र/परियोजना का नाम	स्थान
1	2
संस्थान	
केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	चेन्नई
गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर

1	2
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र - केला	त्रिची
परियोजना निदेशालय	
परियोजना निदेशालय - जैविक नियंत्रण	कोयम्बटूर
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	
अ.भा.स.अनु.परि. - कपास	कोयम्बटूर
	कोविलापट्टी
	श्रीविल्लीपुत्तूर
अ.भा.स.अनु.परि. - पटसन एवं संबद्ध रेशा	अडुथुरई
अ.भा.स.अनु.परि. - गन्ना	कुड्डलोर
अ.भा.स.अनु.परि. - सूत्रकृमि	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - कीटनाशी अपशिष्ट	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - कृषि एक्रोलॉजी	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - चावल	अडुथुरई
	मदुरै
	कोयम्बटूर
	पांडिचेरी
अ.भा.स.अनु.परि. - मक्का	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - छोटे-मोटे अनाज	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - बाजरा	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - ज्वार	कोयम्बटूर

1	2
अ.भा.स.अनु.परि. - चारा फसलें	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - तिलहन	कोयम्बटूर
	वृद्धाचलम
	तिंडिवनम
अ.भा.स.अनु.परि. - सोयाबीन	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - मूंगफली	अलियार नगर
	भवानीसागर
	वृद्धाचलम
अ.भा.स.अनु.परि. - मुलार्प	वम्बन
अ.भा.स.अनु.परि. - अरहर	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - यू. एंड यू फसलें	मैट्टापस्याम
अ.भा.स.अनु.परि. - एम एंड एस एन एस पी	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - बी एन एफ	कोयम्बटूर
	अन्नामलाईनगर
अ.भा.स.अनु.परि. - एल टी एफ ई	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - एस टी सी आर	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - टी आर	कोयम्बटूर
तदर्थ फ्लाई एश	कोयम्बटूर
तदर्थ फली दाल	कोयम्बटूर
तदर्थ एजोल्ला	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - कृषि वानिकी	कट्टुपक्कम

1	2
तदर्थ कृषि वानिकी	नम्माक्कल
	मदुरै
	चेन्नई
	चेन्नई
	चेन्नई
अ.भा.स.अनु.परि. - खरपतवार नियंत्रण	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - कृषि मौसम	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - बारानी कृषि	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - सी एस आर	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - जल प्रबंध	भवानीसागर और मदुरै
अ.भा.स.अनु.परि. - कुएं और पंप	पाँडी
अ.भा.स.अनु.परि. - एस ए एस	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - उष्ण फल	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - उपोष्ण फल	पेरियाकुलम
अ.भा.स.अनु.परि. - शुष्क क्षेत्र फल	अरुप्पुकोटई
अ.भा.स.अनु.परि. - कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	पेरियाकुलम
अ.भा.स.अनु.परि. - ताड़	वेप्पाकुलम
अ.भा.स.अनु.परि. - मसाले	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - काजू	वृद्धाचलम
अ.भा.स.अनु.परि. - पान	सिरुगामनी
अ.भा.स.अनु.परि. - सब्जी	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - खुम्बी	कोयम्बटूर

1	2
अ.भा.स.अनु.परि. - कंद फसलें	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - पुष्प विज्ञान	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - ई आर एस	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - एफ आई एम	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - एच ई एस ए	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - पावर टिलर	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन	कोर्टाल्लम
	कोयम्बटूर
अ.भा.स.अनु.परि. - सूअर	कट्टूपक्कम
अ.भा.स.अनु.परि. - खुर और मुंह पका रोग	रानीपेट
पशु अनुवांशिकी संसाधन पर नेटवर्क परियोजना	चेन्नई
भेड़ सुधार पर नेटवर्क परियोजना	कट्टुपक्कम
भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी पर नेटवर्क परियोजना	चेन्नई
सूक्ष्म पोषण पर नेटवर्क परियोजना	चेन्नई
संकर बीज परियोजना (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय)	कोयम्बटूर
राष्ट्रीय बीज परियोजना (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय)	कोयम्बटूर
संकर बीज परियोजना (सी आई सी आर)	कोयम्बटूर
राष्ट्रीय बीज परियोजना (सी आई सी आर)	कोयम्बटूर
राष्ट्रीय बीज परियोजना	पेरियाकुलम
कृषि विज्ञान केन्द्र	
कृषि विज्ञान केन्द्र	सलेम
	त्रिची
	विद्धाचलम

1	2
	कट्टुपक्कम
	कुंड्राकुडी
	धर्मपुरी
	टेनकासी
	मदुरै
	कामराजार
	तंजावूर
	तिरुनेलवेल्ली
	कोयम्बटूर
	कुन्नूर
	डिंडीगुल
	पेरियार
	समबुवारायार
राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	नई दिल्ली

विवरण-II

पिछले तीन सालों में आवंटित और खर्च की गई निधि का विवरण

(रु. लाख में)

योजना का नाम	स्थान	आवंटित निधि			किया गया व्यय		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	चेन्नई	245.98	280.00	387.00	245.98	285.60	364.04
गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर	378.89	387.95	476.08	378.89	387.95	476.08
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र - केला	त्रिची	61.90	79.99	43.57	61.90	79.99	43.57
परियोजना निदेशालय - जैविक नियंत्रण	कोयम्बटूर	2.15	2.17	2.42	2.15	2.17	2.42

1	2	3	4	5	6	7	8
अ.भा.स.अनु.परि. - कपास	कोयम्बटूर	5.91	6.67	6.67	8.10	6.67	8.60
	कोविलापट्टी	3.67	4.12	4.12	5.39	4.12	6.81
	श्रीविल्लीपुत्तूर	6.20	6.94	6.94	3.35	6.94	9.30
अ.भा.स.अनु.परि. - पटसन एवं संबद्ध रेशा	अडुथुरई	1.88	1.83	2.67	3.00	1.93	2.67
अ.भा.स.अनु.परि. - गन्ना	कुड्डलोर	2.76	2.82	2.82	2.76	2.82	2.12
अ.भा.स.अनु.परि. - सूत्र कृमि	कोयम्बटूर	3.34	6.96	5.98	3.34	6.96.	5.98
अ.भा.स.अनु.परि. - कीटनाशी अपशिष्ट	कोयम्बटूर	3.40	4.53	3.63	3.40	4.53	3.63
अ.भा.स.अनु.परि. - कृषि एक्रोलॉजी	कोयम्बटूर	1.64	1.68	1.69	1.64	1.68	1.69
अ.भा.स.अनु.परि. - चावल	अडुथुरई	9.18	8.65	11.44	9.18	8.65	11.44
	मदुरै	1.68	0.93	0.93	1.68	0.93	0.93
	कोयम्बटूर	10.91	7.86	10.73	10.91	7.86	10.73
	पांडिचेरी	6.25	5.35	5.25	6.25	5.35	5.25
अ.भा.स.अनु.परि. - मक्का	कोयम्बटूर	3.83	4.77	4.71	3.83	4.77	2.69
अ.भा.स.अनु.परि. - छोटे-मोटे अनाज	कोयम्बटूर	6.00	6.12	6.94	6.00	6.12	7.68
अ.भा.स.अनु.परि. - बाजरा	कोयम्बटूर	4.91	5.13	5.77	5.97	5.13	5.77
अ.भा.स.अनु.परि. - ज्वार	कोयम्बटूर	8.38	6.24	10.76	8.38	6.24	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8
अ.भा.स.अनु.परि. - चारा फसलें	कोयम्बटूर	5.83	8.69	4.93	5.83	8.69	4.93
अ.भा.स.अनु.परि. - तिलहन	कोयम्बटूर	5.04	4.76	5.53	3.34	4.75	15.20
	वृद्धाचलम	3.61	3.79	4.77	1.18	3.79	8.42
	तिंडिवनम	2.57	2.70	3.13	2.44	2.70	7.68
अ.भा.स.अनु.परि. - सोयाबीन	कोयम्बटूर	1.88	1.58	1.78	3.00	1.56	3.23
अ.भा.स.अनु.परि. - मूंगफली	अलियार नगर	2.61	2.69	2.81	2.61	2.69	2.81
	भवानी सागर	1.58	1.63	1.15	1.58	1.63	1.15
	वृद्धाचलम	6.71	6.97	7.01	6.71	6.97	7.01
अ.भा.स.अनु.परि. - मुलार्प	वम्बन	11.63	12.26	12.75	11.63	12.25	15.75
अ.भा.स.अनु.परि. - अरहर	कोयम्बटूर	11.77	12.40	12.70	11.78	12.40	10.25
अ.भा.स.अनु.परि. - यू. एंड यू फसलें	मैट्टापल्याम	1.94	2.00	2.48	1.94	2.00	2.48
अ.भा.स.अनु.परि. - एम एंड एस एन एस पी	कोयम्बटूर	5.09	5.70	6.75	5.09	5.70	6.75
अ.भा.स.अनु.परि. - बी एन एफ	कोयम्बटूर	2.37	2.49	3.27	2.37	2.49	3.27
	अन्नामलाई नगर	3.27	3.42	3.55	3.27	3.42	3.55
अ.भा.स.अनु.परि. - एल टी एफ ई	कोयम्बटूर	1.62	1.77	1.92	1.62	1.77	1.92
अ.भा.स.अनु.परि. - एस टी सी आर	कोयम्बटूर	5.28	5.76	5.55	5.28	5.76	5.55
अ.भा.स.अनु.परि. - टी आर	कोयम्बटूर	3.72	3.66	5.00	3.72	3.66	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8
तदर्थ फ्लाई एश	कोयम्बटूर	3.33			2.78		
तदर्थ फली दाल	कोयम्बटूर	3.34			2.00		
तदर्थ एजोल्ला	कोयम्बटूर	4.19			0.75		
अ.भा.स.अनु.परि. - कृषि वानिकी	कट्टुपक्कम	4.50	11.30	11.98	4.50	11.30	11.98
तदर्थ कृपि वानिकी	नम्माक्कल	1.10	1.15		1.10	1.15	
	मदुरै	1.10	1.18		1.10	1.18	
	चेन्नई	1.15	1.34		1.15	1.34	
	चेन्नई	1.52	1.53		1.52	1.53	
	चेन्नई	1.50			150		
अ.भा.स.अनु.परि. - खरपतवार नियंत्रण	कोयम्बटूर	2.98	3.07	7.24	2.98	3.07	7.24
अ.भा.स.अनु.परि. - कृषि मौसम	कोयम्बटूर	1.52	1.65	2.68	1.52	1.65	2.68
अ.भा.स.अनु.परि. - बारानी कृषि	कोयम्बटूर	6.97	5.61	11.11	6.97	5.61	11.11
अ.भा.स.अनु.परि. - सी एस आर	कोयम्बटूर	16.95	16.69	20.91	16.95	16.69	20.91
अ.भा.स.अनु.परि. - जल प्रबंध	भवानीसागर और मदुरै	21.05	17.62	18.71	21.05	17.62	18.71
अ.भा.स.अनु.परि. - कुएं और पंप	पौंडी		7.92				
अ.भा.स.अनु.परि. - एस ए/ एस	कोयम्बटूर		6.93	10.61		6.93	10.61
अ.भा.स.अनु.परि. - उष्ण फल	कोयम्बटूर	8.63	11.78	13.27	8.63	11.78	13.27

1	2	3	4	5	6	7	8
अ.भा.स.अनु.परि. - उपोष्ण फल	पेरियाकुलम	1.64	1.65	4.42	1.64	1.65	4.42
अ.भा.स.अनु.परि. - शुष्क क्षेत्र फल	अरुप्पुकोटई	3.57	6.41	4.70	3.57	6.41	4.70
अ.भा.स.अनु.परि. - कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	पेरियाकुलम	2.24	2.30	2.78	2.24	2.30	2.78
अ.भा.स.अनु.परि. - ताड़	वेप्पाकुलम	16.11	16.08	17.47	16.11	16.08	17.47
अ.भा.स.अनु.परि. - मसाले	कोयम्बटूर	50.3	3.94	4.11	5.03	3.94	4.11
अ.भा.स.अनु.परि. - काजू	वृद्धाचलम	3.88	6.73	5.10	3.88	6.73	5.10
अ.भा.स.अनु.परि. - पान	सिरुगामनी	4.40	4.51	4.91	4.40	4.51	4.91
अ.भा.स.अनु.परि. - सब्जी	कोयम्बटूर	3.71	5.85	4.99	3.71	5.85	4.99
एन एस पी	पेरियाकुलम	2.79	2.28	2.57	2.79	2.28	2.57
अ.भा.स.अनु.परि. - खुम्बी	कोयम्बटूर	0.88	3.30	4.39	0.88	3.30	4.39
अ.भा.स.अनु.परि. - कंद फसल	कोयम्बटूर	3.37	2.50	4.92	3.37	2.50	4.92
अ.भा.स.अनु.परि. - पुष्प विज्ञान	कोयम्बटूर	6.68	3.97	5.35	6.68	3.97	5.35
अ.भा.स.अनु.परि. - ई आर ए एस	कोयम्बटूर	7.66	8.87	9.19	7.66	8.87	9.19
अ.भा.स.अनु.परि. - एफ आई एम	कोयम्बटूर	15.62	18.16	12.68	15.62	18.16	12.68
अ.भा.स.अनु.परि. - एच ई एस ए	कोयम्बटूर		4.35	3.09		4.35	3.09
अ.भा.स.अनु.परि. - कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग	कोयम्बटूर	10.94	8.87	16.00	10.94	8.87	16.00
अ.भा.स.अनु.परि. - पावर टिलर	कोयम्बटूर	0.66	8.74	5.18	0.66	8.74	5.18

1	2	3	4	5	6	7	8
अ.भा.स.अनु.परि. - नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन	कोर्टाल्लम	5.79	4.50	6.11	5.79	4.50	6.11
	कोयम्बटूर	14.34	18.38	31.04	14.34	18.38	31.04
अ.भा.स.अनु.परि. - सूअर	कट्टूपक्कम	8.59	9.88	12.15	8.36	12.48	12.15
अ.भा.स.अनु.परि. - खुर और मुंह पका रोग	रानीपेट	0.60	0.92	1.14	0.60	0.92	1.14
पशु अनुवांशिकी संसाधन पर नेटवर्क परियोजना	चेन्नई	27.22	22.50	17.00	10.88	17.00	12.97
भेड़ सुधार पर नेटवर्क परियोजना	कट्टुपक्कम	5.90	6.11	7.84	6.89	8.24	7.84
भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी पर नेटवर्क परियोजना	चेन्नई	7.89	5.04	5.81	5.70	5.04	5.81
सूक्ष्म पोषण पर नेटवर्क परियोजना	चेन्नई	4.69	5.62	8.55	10.57	5.62	8.55
संकर बीज परियोजना (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय)	कोयम्बटूर	14.88	16.46	12.89	11.44	2.69	10.51
राष्ट्रीय बीज परियोजना (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय)	कोयम्बटूर	17.56	17.54	11.05	2.57	11.75	8.05
संकर बीज परियोजना (सी आई सी आर)	कोयम्बटूर	4.79	4.97	4.24	4.79	4.97	4.24
राष्ट्रीय बीज परियोजना (सी आई सी आर)	कोयम्बटूर	2.58	2.22	1.45	2.58	2.22	1.45
कृषि विज्ञान केन्द्र	सलेम			30.42			30.42
	त्रिची			32.40			32.40
	विद्धाचलम			24.15			24.15

1	2	3	4	5	6	7	8
	कट्टुपक्कम			29.45			29.45
	कुंड्डाकुडी			20.15			20.15
	धर्मपुरी			30.88			30.88
	टेनकासी			72.41			72.41
	मदुरै			48.23			48.23
	कामराजार			44.39			44.39
	तंजावूर			38.65			38.65
	तिरुनेलवेल्ली			50.20			50.20
	कोयम्बटूर			24.86			24.86
	कुन्नूर			35.61			35.61
	डिंडीगुल			31.09			31.09
	पेरियार			29.51			29.51
	समबुवारायार			62.35			62.35
राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना				2.69			2.69
कुल		1129.22	1215.48	2028.19	1093.68	1200.81	2020.69

विवरण-III

तमिलनाडु में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/रा.अ.के./प्रा.नि./अ.भा.स.अ. प्रायोजनाओं की उपलब्धियों का विवरण

फसल विज्ञान

तमिलनाडु में विभिन्न फसलों के लिए सुधरी किस्मों और संकरों के विकास और समतुल्य उत्पादन तथा संरक्षण-प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय संस्थानों व अ.भा.स.अ.प्रा. के माध्यम से किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अनेक सुधरी किस्में और संकर विकसित किए गए और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं:-

खाद्यान्न फसलें

चावल	-	निधि, पूसा 677, ए.डी.टी.आर. 11(II) ए.एस.डी.-43, को आर. 11-1, ए.डी.टी.-42 को 46, पी.के.यू.-2
गेहूं	-	डी.डी. के-1009, गंगा, भवानी।
ज्वार	-	के-10, के-9 एम एल एस 11-14 (II) सी एस 11-16(II), सी.एल.-11-13(II)
मक्का	-	के-11-5981 (11), के-11 5991 (11) पूसा संकर मक्का-1(II), पूसा संकर मक्का 2(II), एम एम 11-133 (II)
बाजरा	-	जी के 1004(II), पी ए सी 903(एच)

छोटे-मोटे अनाज

मंडुआ	-	वी आर 708, चम्पावती
कुटकी	-	टी एन ए यू - 63
कंगनी	-	टी एन ए यू - 186, पी एस-4

चारा

दीनानाथ	-	कोयम्बटूर दीनानाथ-1 (टीएनडीएन - 1)
नेपियर-बाजरा	-	सी. ओ-3

तिलहन

सोयाबीन	-	पी के 1029, सी ओ 2
सूरजमुखी	-	ज्वालामुखी (II), संगीन-85 (II), पी ए सी-36(II), पी ए सी-109 (II)
अरण्डी	-	डी सी 11-32 (II)

दलहन

अरहर	-	सी ओ पी II-1(II), सी ओ पी II-2(II)
उड़द	-	डब्ल्यू बी यू - 108, के बी जी 512, वम्बन 2

व्यावसायिक फसलें

कपास	-	सुरभि, एन बी एच बी II(II), टी एम-1312 (II), एस वी पी आर-2, के सी-2
गन्ना	-	सी ओ 87025, सी ओ 87044, सी ओ 86032, कोम 88121, सी ओ जे एन 86141

बागवानी

रा.अ.के. केला द्वारा 697 प्रविष्टियां एकत्रित की गईं और जीन बैंक में संरक्षित की गईं। केले की किस्मों के परखनली के लिए प्रोटोकोल परिष्कृत किए गए। तमिलनाडु में "बौनी केवेन्डिश से गणदेवी चयन आशाजनक पाया गया। पलायन कोंडम और बसराय केले में 150-200 ग्रा. नाइट्रोजन और पोटाश का प्रयोग कारगर पाया गया। पपीते में 28 डिओशियस और 46 गायनीडिओशियस की कुल 81 प्रविष्टियां रखी गई और उनका मूल्यांकन किया गया।

आलू की कुफरी, पुखराज और तेन्नामलाई पछेती अंगमारी तथा पुटी सूत्रकृमि रोधी किस्में तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों में खेती के लिए उपयुक्त पाई गई। तमिलनाडु में रतालू की डिओस्कोरिआ अलाटा-को आशाजनक पाई गई। गोबर की खाद और फास्फोरस की विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करके सब्जियों लोबिया पर श्रृंखलाबद्ध अध्ययन किए गए जिनसे पता चलता है कि 12.5 टन/है. गोबर की खाद+30 कि.ग्रा/है. फास्फोरस का

प्रयोग अन्य उपचारों के मुकाबले अच्छा रहा। आयस्टर खुम्बी की खेती के लिए धान की भूसी बढ़िया सब्स्ट्रेट थी और धान की भूसी को 18 घंटे तक डुबोकर रखने और नीम की पत्तियों से संपूरित करके धान की भूसी पर उगाई गई खुम्बी अधिक मिली। तमिलनाडु की दशाओं में खेजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा बढ़िया जड़ प्रकंद गुलाब था। तमिलनाडु में गुलाबों में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2.5 कि.ग्रा/है. की दर से डियोराम और 1.0 कि.ग्रा./है. की दर से आक्सिफलोरफेन की सिफारिश की गई।

बागानी फसलों में 45 प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया और काली मिर्च की पी.एम.-10 प्रविष्टि से अधिकतम हरे फल 1.3 कि.ग्रा./बेल की पैदावार मिली मूल्यांकन करने पर निम्न प्रविष्टि एस.ए. 1 की जोरदार बढ़वार हुई और सी वी-3 प्रविष्टि से अधिकतम छाल की पैदावार हुई। हल्दी में बी.एस.आर.-2 और एक कलम वाली किस्म वाई सी डी-1 को तमिलनाडु में खेती के लिए जारी किया गया। 4 ग्रा./कि.ग्रा. की दर से सी.एफ. यू.-6 के साथ ट्राइकोडर्मा विरिडे से बीजों को उपचारित करके धनिए के मुर्झान रोग के नियंत्रण के लिए कारगर थी। काजू की कुल 255 प्रविष्टियों को सुरक्षित रखा गया है। एम-33/3 से 8.27 कि.ग्रा./पेड़ अधिकतम पैदावार रिकार्ड की गई। तमिलनाडु में उगाने के लिए पालघाटकल्टीवर से चुनी गई पान की एस.जी.एम.-1 किस्म को जारी किया गया।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

विभिन्न कृषि पारिस्थितिक दशाओं में सूक्ष्म पोषकों की महत्वपूर्ण सीमाओं का मूल्यांकन किया गया। राइजोबियम और नील-हरित शैवाल की किस्मों का विकास किया गया जो तमिलनाडु के किसानों में लोकप्रिय हुई हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में लक्षित पैदावार के लिए उर्वरक सिफारिशों का पता लगाया गया। दीर्घकालिक परीक्षणों से पता चला कि कार्बनिक और अकार्बनिक के संयुक्त प्रयोग से फसल उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है।

कृषि-वानिकी में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि मदुरै, रामानंतपुरम और कामराजर जिलों के किसानों ने अपनी सीमान्त और उप-सीमान्त भूमियों में पेड़ उगाने में रुचि दिखाई है। पेड़ों की किस्मों में अजादिरेक्टा इंडिका और अकासिआ नीलोटिका को अधिकतर किसान उगाना पसंद करते हैं।

परम्परागत स्वस्थाने मृदा नमी संरक्षण तकनीक जैसे खानेदार बांध बनाने तथा एक दूसरे से जुड़ी अन्तर कतारों से बिनौले की उच्चतर पैदावार क्रमशः 9.6 तथा 8.6 क्विंटल प्रति हैक्टर हुई। 4 मी. क्षैतिक अन्तरालों पर लम्बवत पलवार बिछाने से मृदा नमी बढ़ी। कपास तथा उड़द में बुरादे की पलवार बिछाने से बिनौलों की उपज में वृद्धि हुई तथा 9.45 प्रति हैक्टर का लाभ हुआ जबकि पलवार का इस्तेमाल न करने पर 7114 रु. प्रति हैक्टर का ही लाभ हुआ। वानस्पतिक अवरोध के रूप में खसखस को उगाने से मृदा में उच्च नमी बनाये रखने में सहायता मिली जिसके परिणामस्वरूप अन्तर फसल प्रणाली से कपास में उच्च बिनौला उपज तथा उड़द में उच्च दाल उपज मिली।

कृषि अभियांत्रिकी

तमिलनाडु के किसानों के उपयोग के लिए कारगर कृषि उपकरण नामतः टेरेसर कम लैवलर, मूंगफली, बुआई यंत्र, हस्त चालित पूर्व अंकुरण धान बिजाई यंत्र, पावर वीडए, पावर टिलर चालित लूम छिड़कावक यंत्र, पावर टिलर चालित तथा स्व प्रोपेल युक्त फसल कटाई यंत्र, चारा कटाई यंत्र, मूंगफली गहाई यंत्र, पावर टिलर चालित बरमायुक्त खुदाई यंत्र तथा अक्षीय प्रवाह पम्प का विकास किया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बीज सफाई तथा ग्रेडर, मूंगफली ग्रेडर अनवरत प्रवाह वाला गर्म बालू का ड्रायर, कोठार का (बिन) ड्रायर, दाल मिल तथा दलाई यंत्र एवं मिर्च के बीज निकालने वाले यंत्र भी विकसित किए गए हैं। इनमें से कुछ उपकरणों को व्यावसायिक भी बनाया गया है।

मात्स्यिकी

सीबास लेट्स कैलोरिफर के प्रगहित (कैपटिव) प्रजनक विकास, प्रेरित परिपक्वन, प्रजनन तथा सीप उत्पादन में एक क्रांति आई है। टाईगर श्रिम्प की प्रगहित प्रजनक परिपक्वता के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किया गया है। केकड़े (मड क्रैब) का प्रगहित परिपक्वता तथा प्रजनन किया गया। पेनीयस इण्डिकस में लार्वे के बाद की अवस्था के लिए सूक्ष्म विविक्त आहार के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किया गया। श्रिम्प रोगों पर व्यापक अन्वेषण किए गए। टाइगर श्रिम्प में सफेद धब्बे वाले रोग के निदान हेतु त्वरित नैदानिक तकनीकें विकसित की गईं। श्रिम्प पालन में पर्यावरण प्रभाव संबंधी मूल्यांकन संबंधी व्यापक अन्वेषण किए गए। खारे पानी की मात्स्यिकी संसाधनों के लिए एक कंप्यूटरीकृत आंकड़े आधारित सूचना प्रणाली का विकास किया गया। खारे पानी में जल जन्तु पालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रौद्योगिकी का प्रभावी स्थानांतरण किया गया।

चेन्नई अनुसंधान केन्द्र में समुद्री मछली के अवतरण के संदर्भ में औसत वार्षिक उत्पादन 1.5 लाख टन आंका गया है। इस

अवतरण में 15 प्रतिशत श्रिम्प मछलियां हैं। समुद्री किनारे पर संवर्धन सुविधा के क्षेत्र में मोती संवर्धन पर सफलतापूर्वक किया गया है। कुछ मछली रोगों के कारणों का पता लगाया गया है। मंडपम अनुसंधान केन्द्रों में समुद्री मछली के अवतरण के संदर्भ में करीब 1.5 लाख टन मत्स्य उत्पादन आंका गया। जिसमें से 15,000 टन निर्यात योग्य श्रिम्प थी। टूटीकोरिन केन्द्र में समुद्री मछली अवतरण के संदर्भ में करीब 1.2 लाख टन मत्स्य उत्पादन आंका गया। जिसमें से 10,000 टन निर्यात योग्य श्रिम्प थी। हेचरी में एक वर्ष में 50 लाख नवजात मछलियां प्रति शुक्ति (ओयस्टर) उत्पादन हुआ तथा उन्हें पालन एवं संवर्धन के लिए उद्यमकर्त्ताओं को बेचा गया। अमरावती में मछली के उच्चतम उत्पादन हेतु पोलर-पोरानाथलर, अपर-पिलर, गुन्देरीपलम तथा वेराटुपल्लम जलाशयों तथा उनकी उत्पादन क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया।

मवेशियों के मामले में अमब्लाचेरी नस्ल पर सर्वेक्षण पूरा किया गया है। दक्षिणी क्षेत्र के पशु आनुवंशिक संसाधन के आनुवंशिक गुण निर्धारण के लिए कोर प्रयोगशाला स्थापित की गई। खुरपका तथा मुंहपका रोग के लिए एक महामारी विज्ञानी अध्ययन किया गया जिसके परिणामस्वरूप रोगों के प्रकोप में कमी आई।

संकरों तथा कैनजेयाम दाता गायों में अतिडिम्बजलन मदचक्र काल शत प्रतिशत था। मवेशियों तथा बकरी के भ्रूण हिम प्रशीतित किए गए।

कृषि विस्तार

अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने फसल उत्पादन पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध, फलों तथा सब्जी की खेती, गृह विज्ञान तथा उन्नत मशीनरी और औजारों के उपयोग में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। कुल 829 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के चलाने से 19871 किसानों को लाभ हुआ। इसी प्रकार 249 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के चलाने से 5204 ग्रामीण युवाओं को लाभ हुआ। कुल 189 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से 2974 विस्तार कार्मिकों को लाभ हुआ। खेत दिवस, किसान मेलों, गोष्ठियां, खेत के दौरों, रेडियो वार्ताओं तथा दूरदर्शन वार्ताओं सहित 10005 विभिन्न विस्तार गतिविधियां चलाई गईं।

विवरण-IV

तमिलनाडु में कृषि उत्पादन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा की गई उपलब्धियों का प्रभाव

विवरण-I में दिए गए संस्थानों/परियोजनाओं/अनुसंधान केन्द्रों ने तमिलनाडु में किस्मगत/प्रजनन सुधार और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों के साथ बहुस्थानिक परीक्षणों को बढ़ावा देने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अनेक उच्च उपजशील और आशाजनक किस्म तथा संकरों का विकास व उन्हें जारी किया गया। ये किस्में खाद्य फसलों, चारा फसलों, दलहनी व तिलहनी फसलों, व्यावसायिक फसलों, बागवानी फसलों (फल, सब्जियां, रोपण फसलें, खुम्बी, फूल) आदि से संबंधित थी। समेकित नाशीजीव नाशी, पोषण प्रबंध, निवेश प्रयोग सक्षमता, मृदा व जल प्रबंध, फसल चक्रण, कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी, छोटे खेतों के लिए उपकरण व औजार, आदि के लिए तकनीकों का विकास किया गया। इनके अलावा गोपशुओं, कुक्कुट वर्गीय, भेड़, बकरी तथा पशुओं की अधिक उत्पादन देने वाली नस्लों का भी विकास किया गया।

तमिलनाडु में 16 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और युवाओं के प्रसार संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं। ये केन्द्र महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता के विषय में बताने के लिए बड़े क्षेत्र में अग्रपंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन भी करते हैं।

उर्वरकों के इस्तेमाल में मितव्ययिता लाने के लिए मृदा जांच गुणों पर आधारित उर्वरकों की सिफारिश करने लक्षित उपज समीकरणों से सहायता मिली। तमिलनाडु में स्थित मृदापरीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मृदा जांच गुणों पर आधारित उर्वरकों के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है।

तैयार की गई प्रौद्योगिकियों को किसानों तक प्रैक्टिस पैकेजों के रूप में प्रसारित किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

खारे जल में मछली उत्पादन में सी बास मछली के प्रजनन और अंडोत्पादन के लिए विकसित प्रौद्योगिकी मील का पत्थर सिद्ध हुई है। समुद्री खरपतवार संवर्धन के लिए प्रैक्टिस पैकेज नए उद्यमियों के लिए प्रचारित किए गए।

फार्म उपकरणों व मशीनों के इस्तेमाल से खेतों में समय पर परिचालन, श्रम, लागत व नीरसता में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप उपज और मूल्य वद्धित परियोजनाओं में बढ़ोत्तरी हुई।

बेहतर आर्थिक लाभ के लिए बागवानी की फसलों और नकदी फसलों की ओर बदलाव को ध्यान में लाया गया। डेरी, कुक्कुट पालन और उत्पादन प्रणाली में ऊर्जा की खपत के पैटर्न तथा धान मिलों में धान की खपत का मूल्यांकन किया गया तथा उनमें सुधार लाया गया।

परियोजनाओं/अनुसंधान केन्द्रों ने तमिलनाडु के किसानों के लिए पशुधन में सुधार के साथ-साथ श्रेष्ठ जनन-द्रव्य उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियां व डाटा तैयार किए हैं। गाय और भैंसों को जब खनिज युक्त आहार दिया गया तो उनकी प्रजनन क्षमता, दुग्ध काल, गर्भपात में कमी तथा दूध उत्पादन में सुधार आया।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

2214. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में देश की क्या उपलब्धियां रही हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): कुछ प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

(1) समानान्तर संसाधन कम्प्यूटर (सुपर कम्प्यूटर)।

(2) कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रौद्योगिकियां।

(3) टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचन।

(4) उच्च वोल्टता दिष्ट धारा सम्प्रेषण।

(5) कैन्सर विकिरण चिकित्सा के लिए सरल त्वरक (लाइनैक)।

(6) कम्प्यूटर नेटवर्किंग।

(7) सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी।

(8) रेल, चीनी, वस्त्र उद्योग आदि में प्रयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां।

[अनुवाद]

दक्षेस सम्मेलन

2215. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोलम्बो में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सम्मेलन के दौरान इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक साहसिक पहल की है;

(ख) यदि हां, तो घोषित किए गए पैकेज तथा इसके कार्यान्वयन के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे;

(ग) भारत की इन पहलों पर अन्य दक्षेस सदस्य-देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दक्षेस देशों के बीच आर्थिक सहयोग की वर्तमान स्थिति क्या है और आगे कौन सी पहल/प्रस्ताव विचाराधीन है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ)

1. सार्क देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विगत छह माह के दौरान कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं।

2. जुलाई, 1998 में कोलम्बो में संपन्न दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में फैसला किया था कि एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी एक संधि जिसे 2001 तक संपन्न किया जाना चाहिए, के संबंध में वार्ता आरम्भ करने के लिए सभी सात सार्क देशों के विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया जाएगा। इस संधि से व्यापार मुक्त संबंधी विविध बाध्यकारी कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करने तथा दक्षिण एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) स्थापित करने के लिए एक अनुमान योग्य और पारदर्शक रूपरेखा प्राप्त होने की संभावना है। इस संधि की वार्ता करने वाले विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है तथा इसके इस वर्ष अगस्त माह में अपनी पहली बैठक आयोजित करने की संभावना है।

3. दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था के तहत व्यापारिक वरीयताओं को गहन और व्यापक बनाने संबंधी वार्ताएं समानान्तर रूप से जारी हैं। साप्टा के तहत व्यापार वार्ताओं का तीसरा दौर 23 नवम्बर, 1998 को संपन्न हुआ था। इस दौर की वार्ता के दौरान 5 से 50 प्रतिशत तक रियायती शुल्कों के तहत कुल 3456 शुल्क मदों को शामिल किया था। भारत ने आधी से अधिक रियायतें देने का प्रस्ताव किया। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत ने बंगलादेश और मालदीव, सार्क के सबसे कम विकसित देशों के लिए व्यापार योग्य उत्पादों के लगभग आधी मण्डी के संबंध में 50 प्रतिशत की एक न्यूनतम सीमा शुल्क रियायत प्रदान

की है। ये रियायतें भूटान और नेपाल के लिए द्विपक्षीय व्यापार करारों के तहत पहले ही प्रदत्त शून्य सीमाशुल्कों के अलावा है।

4. अन्तर-क्षेत्रीय निवेश संवर्धन और संरक्षण तथा दोहरे कराधान के परिहार जैसी आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के कई नए क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है। सीमाशुल्क क्रिया-विधियों के समन्वयीकरण और सरलीकरण उस दूसरे जारी अभ्यास का एक विषय है जिसके लिए सीमा शुल्क समन्वयन से संबद्ध एक स्थायी दल का गठन किया गया है। इस दल की तीन बैठकें आयोजित हो गई हैं तथा एक सीमा शुल्क कार्रवाई योजना तैयार हो गई है। शीघ्र ही मानकों से संबद्ध एक कार्य दल की बैठक होने की संभावना है।

5. भारत ने सार्क देशों के लिए इसके बाजार में प्रवेश को बढ़ाने के लिए कुछ सुस्पष्ट एकतरफा उपाय भी किए हैं। 1 अगस्त, 1998 से सार्क देशों के लिए 2000 वस्तुओं से अधिक के संबंध में परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं। द्रुतगामी मार्ग क्रिया-विधियों के तहत सार्क देशों में भारतीय निवेश संबंधी सीलिंग 8 मिलियम अमरीकी डालर से बढ़कर 15 मिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

6. 2 से 3 फरवरी, 1999 तक ढाका में तीसरी सार्क वाणिज्य मंत्री बैठक संपन्न हुई थी। वाणिज्य मंत्रियों ने नवम्बर, 1999 में अमरीका में आगामी विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक में सार्क दृष्टिकोणों का समन्वय संबंधी अन्तर-सार्क परामर्श को तेज करने का फैसला किया। भारत ने प्रथम तैयारी बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया है।

7. वाणिज्य मंत्रियों ने साप्टा वार्ताओं के तीसरे दौर के परिणाम का भी अनुमोदन किया और इस दौर की वार्ताओं के लिए 1 अक्तूबर, 1999 तक प्रभावी बनाने संबंधी वार्ताओं की अधिसूचना जारी करने का आह्वान किया। उन्होंने फैसला किया कि साप्टा वार्ताओं का चौथा दौर अगस्त, 1999 के पूर्वार्द्ध तक आरम्भ हो जाना चाहिए। साप्टा संधि मसौदा तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ दल की पहली बैठक भी इसके तत्काल बाद आयोजित होगी।

8. द्विपक्षीय स्तर पर, श्रीलंका के साथ 28 दिसम्बर, 1998 को एक मुक्त व्यापार करार संपन्न हुआ था। इस करार में द्विपक्षीय व्यापार संबंधी तटकरों की चरणबद्ध समाप्ति की व्यवस्था है। भारत-श्रीलंका की वस्तुओं पर से तीन वर्ष में तटकर समाप्त कर देगा। जबकि श्रीलंका भारतीय वस्तुओं पर से आठ वर्ष में तटकर हटा देगा। यह करार सार्क व्यापार उदारीकरण प्रक्रिया का संपूरक करार है।

9. 5 जनवरी, 1999 को नेपाल के साथ एक संशोधित पारगमन संधि संपन्न हुई थी। यह नवीकृत संधि 5 जनवरी, 2001 तक सात वर्ष की अवधि के लिए वैध है, इसमें नेपाली वस्तुओं के पारगमन के लिए उदारीकृत क्रिया-विधियों की व्यवस्था है। इस संधि के और सात वर्ष की अवधि के स्व-नवीकरण के संबंध में नेपाल का अनुरोध स्वीकार किया गया। तथापि, तौर-तरीकों और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित इस संधि का प्रोतोकोल और ज्ञापन, यदि आवश्यक हुआ, तो प्रत्येक सात वर्ष अथवा उससे पूर्व, समीक्षा तथा संशोधन के अध्यधीन होगा। फुलबरी पारगमन मार्ग की कार्य प्रणाली को भी और सरल तथा कारगर बनाया गया है।

10. 8 और 9 दिसम्बर, 1998 तक ढाका में भारत-बंगला देश व्यापार समीक्षा वार्ताएं संपन्न हुई थीं। इन वार्ताओं में रेल, सड़क और जल भूतल परिवहन को शामिल करते हुए ढांचागत विकास में सहयोग सहित कई मसले शामिल हैं।

11. विद्युत खरीद की संभावना सहित, व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी द्विपक्षीय चर्चा इस संयुक्त संवाद प्रक्रिया के भाग के रूप में पाकिस्तान के साथ भी संपन्न हुई है।

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का अन्तरण

2216. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन नाभिकीय सामग्री, प्रक्षेपास्त्र तथा इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी पाकिस्तान को दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अन्तरण से इसका प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के अन्तरण का मुद्दा चीन के साथ उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (घ) पाकिस्तान की नाभिकीय शस्त्र-सज्जा और प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम में विदेशी सहायता की भूमिका सुविदित है सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच दीर्घावधिक रक्षा सहयोग संबंध की जानकारी है जिनमें सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति भी शामिल है। पाकिस्तान के असैनिक अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए अप्रत्यक्ष आवश्यकता के बिना और अपर्याप्त पारदर्शिता के बिना उसे अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अन्तरण से उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को मदद मिल सकती है।

इस संबंध में अपनी चिन्ता से चीनी पक्ष को समय-समय पर अवगत कराया गया है।

सरकार भारत की सुरक्षा की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करना जारी रखेगी। सरकार उन सभी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करती है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर-कलपाक्कम

2217. **श्री चंदू लाल अजमीरा :**
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री वैको :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयंत्र में प्लूटोनियम आक्साइड और यूरेनियम आक्साइड के उपयोग की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यावसायिक उपयोग के लिए उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट क्षमता का है और इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम तथा यूरेनियम को काम में लाया जाता है। निर्माण संबंधी परियोजना (जिसे अभी संस्वीकृति प्राप्त होनी है) के नवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की और सन् 2009 ईसवी में चालू किए जाने की आशा है। रिएक्टर के विस्तृत डिजायन को अन्तिम रूप दिए जाने और क्रांतिक किस्म के संघटकों के विनिर्माण, जिसमें स्वदेशी प्रयासों के लिए भारतीय उद्योग भी शामिल हैं, के वास्ते प्रौद्योगिकी विकास का काम किया जा रहा है। बिजली के उत्पादन पर आने वाली प्रत्याशित लागत करीबन 5 रुपए 25 पैसे प्रति किलोवाट घंटा बैठेगी।

(घ) वाणिज्यिक उपयोग के लिए उत्पादन सन् 2010 ईसवी तक शुरू होने की आशा है।

सर्वाधिक गरीब लोग

2218. **कर्नल सोना राम चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में सर्वाधिक गरीब लोगों का पता लगाने के लिए कुछ सामुदायिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से घर-घर सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस प्रकार का सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) राजस्थान में सर्वाधिक गरीब लोगों का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वेक्षण कराने हेतु कुछ सामुदायिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से सहायता लेने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

2219. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान इस योजना के अंतर्गत किसानों ने राज्यवार कितनी धनराशि का दावा किया है तथा उन्हें कितना भुगतान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) वृहत् फसल बीमा स्कीम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकारें किसानों के दावों का निपटान करती हैं (2:1 के अनुपात में दायित्व को वहन करके) तथा छोटे और सीमांत किसानों को भुगतान किये जाने वाले बीमा प्रभार पर 50 प्रतिशत राजसहायता (जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार बराबर की हिस्सेदारी निभाती हैं) देती हैं। खरीफ 1998 के दौरान दी गयी राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

दावों का निपटान राज्य सरकारों से विनिर्दिष्ट आंकड़े भारतीय साधारण बीमा निगम को मिल जाने के बाद तथा देय दावों की गणना करने के बाद किया जाता है रबी 1998-99 मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। खरीफ 1998 मौसम के दावों की गणना करने के लिये उपज संबंधी आवश्यक आंकड़े क्रियान्वयन करने वाले अधिकांश राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं। (ऐसे राज्यों की सूची संलग्न विवरण-II दी गयी है)। और क्रियान्वयनकारी एजेन्सियों द्वारा दावों की गणना करने का काम प्रगति पर है। अत: 1998-99 के दौरान किसानों को भुगतान किये जाने वाले दावों के बारे में जानकारी क्रियान्वयनकारी एजेन्सी यथा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा तभी दी जाएगी जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	सब्सिडी (रु.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
2.	अंदमान निकोबार	6454.50
3.	असम	34361.45
4.	बिहार	1389254.17
5.	गोवा	6753.50
6.	गुजरात	8209811.50
7.	हिमाचल प्रदेश	3067.00
8.	कर्नाटक	3053179.00
9.	केरल	395620.50
10.	मध्य प्रदेश	4145284.52
11.	महाराष्ट्र	5394136.25
12.	मेघालय	6961.50
13.	उड़ीसा*	शून्य
14.	पांडिचेरी	10988.25
15.	तमिलनाडु	287492.00
16.	त्रिपुरा*	शून्य
17.	पश्चिम बंगाल*	शून्य
	कुल	22943364.14

* अभी इन आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना है।
शून्य - उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश (आंशिक)
2.	असम
3.	गोवा
4.	गुजरात (आंशिक)
5.	केरल
6.	मध्य प्रदेश (आंशिक)
7.	महाराष्ट्र
8.	मेघालय
9.	पांडिचेरी (आंशिक)
10.	तमिलनाडु (आंशिक)
11.	त्रिपुरा
12.	पश्चिम बंगाल

अनुवाद]

कृषि उत्पादन

2220. श्री रवि सीताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में भूमि कटाव के कारण वार्षिक रूप से कृषि उत्पाद की अनुमानत: कितने प्रतिशत की हानि हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा भूमि के कटाव को रोकने हेतु अब तक क्या उपाय किये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) यह मान्य है कि मृदा अपरदन से उसकी उर्वरता में कमी आती है जिससे कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथापि मृदा अपरदन के कारण कृषि उत्पादों के नुकसान के संबंध में वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर कोई नुकसान नहीं लगाया गया है।

(ख) मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं, जैसे:-

1. नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;
2. बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;
3. क्षारीय मृदा का सुधार;
4. झूम कृषि वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना;
5. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना;
6. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना;
7. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम;
8. मरू भूमि विकास कार्यक्रम।

[हिन्दी]

सांसदों की भूमिका

2221. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में सांसदों की भूमिका प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य प्रशासन द्वारा सांसदों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में उचित प्रभावी भूमिका नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) संसद सदस्य, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) जैसी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) के कार्यान्वयन के साथ पहले ही सम्बद्ध हैं।

संसद सदस्य, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) शासी निकाय के सदस्य हैं जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में डी.आर.डी.ए. को मार्गनिर्देश और निदेश उपलब्ध कराती है। सभी स्कीमें/परियोजनाएं डी.आर.डी.ए. की शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। डी.आर.डी.ए. की बैठकों में भाग लेने वाले संसद सदस्यों को, स्कीम से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथानिर्धारित, लाभग्राहियों और परियोजनाओं के चयन के मानदंड के बारे में अवगत कराया जाता है और इस संबंध में उनके दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है।

राज्य सरकारों को जिला तथा ब्लॉक स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समितियां गठित करने की सलाह दी गई है जिसमें संसद सदस्य अपने संबंधित जिलों का प्रतिनिधित्व करते हों। ये समितियां ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती हैं, सतर्कता रखती हैं और मानीटरिंग करती हैं।

संसद सदस्य जिला तथा ब्लॉक स्तरीय ई.ए.एस. समितियों के भी सदस्य हैं जो ई.ए.एस. के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती हैं और समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे कदम उठाने की सलाह देती हैं जो उनकी राय में इन स्कीमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए धनराशि

2222. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखण्ड को संबंधित सूची में शामिल किया गया है;

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखण्ड के जन प्रतिनिधि क्षेत्र के लिए विशेष योजना और धनराशि की लगातार मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) किसी क्षेत्र की आयोजना और उसका विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने स्वयं किसी क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उचित महत्व देकर, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करती है। इसके अलावा, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय उपयोजना आदि, जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं। योजना आयोग के पास ऐसा कोई अनुरोध नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान

2223. श्री जी.वी. राघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारी अधिकांश कृषि अनुसंधान संबंधी खोजें प्रयोगशालाओं और तकनीकी पत्रिकाओं तक ही सीमित रह जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान निष्कर्षों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के फायदे के लिए देश भर में 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। इनके कार्यकलापों में किसानों को दक्षता-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, विस्तार कार्यकर्त्ताओं की जानकारी को अद्यतन करने के लिए सेवान्तर्गत प्रशिक्षण देना, विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों का खेत पर परीक्षण और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त नई विकसित प्रौद्योगिकियों को स्थान-विशिष्ट आधार पर प्रभावी रूप से अंतरित करने के लिए संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (आई.वी.एल.पी.) के माध्यम से 42 प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने निम्नलिखित आयोजन किए हैं:

(1) 11,365 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 2.57 लाख किसान लाभान्वित हुए;

(2) 1095 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 22,838 विस्तार कार्यकर्त्ताओं को फायदा हुआ;

(3) महत्वपूर्ण तिलहन और दलहन फसलों की उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए 4400 हैक्टर में अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन किए गए;

(4) खेत दिवस, किसान मेला, गोष्ठियां और प्रदर्शनियां जैसी 2299 विस्तार गतिविधियां चलाई गई; और

(5) 21,573 संख्या में प्रसार पत्र (साहित्य) प्रकाशित किए गए।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) के अंतर्गत परिषद का 53 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि वे कृषि विज्ञान केन्द्रों का अतिरिक्त कार्य संभाल सकें।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालय

2224. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए नया भवन निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) जयपुर विकास प्राधिकरण से 1982 में 9.85 लाख रुपए की लागत पर 2298 वर्ग मीटर प्लाट खरीदा गया था। इसका कब्जा 1990 में ही मिला था। चूंकि भूमि पर अवैध कब्जा था अत: प्लाट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, यह अवैध कब्जा 1995 में हटाया गया। बाद में इस प्लाट को पासपोर्ट कार्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण से झुलाना डूंगरी क्षेत्र में एक वैकल्पिक प्लाट देने के लिए कहा गया है।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर में कर्मचारी संख्या बढ़ाने का सरकार के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पासपोर्ट तुरन्त जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुचारू बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बहुत से कदम उठाए गए हैं, यथा—

(1) कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन ताकि आवेदनों की तुरन्त जांच हो सके और कार्रवाई हो सके;

(2) स्वत: साक्ष्यांकित दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं;

(3) यदि चार सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो पासपोर्ट पुलिस जांच रिपोर्ट बाद में प्राप्त होने के आधार पर जारी कर दिया जाता है;

(4) आवेदन प्राप्ति के दौरान ही आवेदन की पूरी जांच करना कि आवेदन-पत्र सभी रूप में पूर्ण एवं सही है अथवा नहीं;

(5) विशेष प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में साक्ष्यांकनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्र के आधार पर बिना बारी के पासपोर्ट जारी करना;

(6) जांच प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का प्रसार;

(7) 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध पासपोर्ट शुरू करना; और

(8) पश्च पुलिस जांच के आधार पर अवधि समाप्त पासपोर्टों को स्वत: ही पुन: जारी करना।

[अनुवाद]

वेटिकन के राजदूत की वापिसी

2225. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में वेटिकन के राजदूत को वापिस बुला लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र को राजसहायता

2226. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजसहायता वापस लेने का है;

(ग) यदि हां, तो राजसहायता वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) किसानों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) किसानों को दी जाने वाली मुख्य आदान राजसहायताओं में उर्वरक, सिंचाई एवं विद्युत है। वर्तमान में फार्म क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार की नीति, राजसहायता को उचित सीमा के अन्दर रखते हुए किसानों को उचित मूल्य पर आदान उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

कृषि क्षेत्र को दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

मद	1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (बा.)	1995-96 (बा.)	1996-97 (बा.)	1997-98 (बा.)	1998-99 (सं.अ.)	1999-2000 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को राजसहायता							
1. उर्वरक (कुल)	4562	5769	6735	7578	9918	11388	13250
1.1 स्वदेशी उर्वरक	3800	4075	4300	4743	6600	7360	8000
1.2 आयातित उर्वरक	672	1166	1935	1163	722	238	750
1.3 लघु एवं सीमांत किसानों को उर्वरक राजसहायता	–	–	–	–	–	–	–

	1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	किसानों को विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती दर पर बिक्री	–	528	500	1672	2596	3790	4500
2.	बिजली**	2400	2338	1828	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	सिंचाई***	5872	6769	7909	9256	9778+	शून्य	शून्य
4.	सीमांत किसानों को बीज, तिलहनों एवं दलहनों के विकास एवं किसान सहकारी समितियों आदि के रूप में दी जाने वाली अन्य राजसहायता	1169	1176	262	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत : 1. उर्वरक : व्यय बजट .1999-2000, केन्द्र सरकार का खण्ड-1
2. सिंचाई एवं बिजली : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

टिप्पणी : शून्य उपलब्ध नहीं

** बिजली में सभी बिजली बोर्डों एवं निगमों को दी जाने वाली राजसहायता शामिल है। मात्र कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली राजसहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*** नीतिगत रूप से किसानों को दिए जाने वाले पानी की दर कम रखी जाती है जिससे सरकारी सिंचाई प्रणाली को नुकसान होता है। प्रचालन लागत से सकल राजस्व की कमी को सिंचाई राजसहायता मान लिया जाता है।

\+ त्वरित अनुमान

सं.अ. संशोधित अनुमान

ब.अ. बजट अनुमान

भूमि की उर्वरता

2227. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि की उर्वरता पिछले तीन वर्षों से बहुत तेजी से कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) लगातार खेती से मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास होता है, परिणामतः समग्र मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। अनुसंधान निष्कर्षों के अनुसार विभिन्न राज्यों में मृदा में लोहे, जिंक, गंधक एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मृदा की उर्वरता में आ रही कमी की रोकथाम के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए हैं:-

(1) समेकित पौध पोषक तत्व प्रबंध की अवधारणा में सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग की सिफारिश की गई है, जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों, कार्बनिक खाद, कंपोस्ट तथा जैव उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों का मिलाजुला उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

(2) जैव उर्वरकों के माध्यम से मृदा उर्वरता में सुधार करने के लिए सरकार जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग से संबंधित एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

(3) मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के युक्तियुक्त उपयोग की सिफारिश की गई है।

(4) कृषि दर्शन/कृषि वार्ता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों से संतुलित उर्वरक उपयोग की अवधारणा का भी प्रचार-प्रसार किया जाता है।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों की मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की सीमा

क्र.सं.	राज्य	विश्लेषित नमूनों की संख्या	निम्नलिखित की कमी वाले नमूनों का प्रतिशत						
			जिंक	तांबा	लोहा	मैंगनीज	मॉलिब्डेनम	बोरॉन	गंधक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश (1)	6031	56	<1	2	<1	–	–	38
2.	असम (2)	12165	34	–	–	–	–	17	–
3.	बिहार (3)	22735	55	3	6	1	41	–	23
4.	गुजरात (3)	29532	24	4	8	4	10(1991)	2(489)	37
5.	हरियाणा (3)	23312	53	3	22	4	–	–	31
6.	कर्नाटक (4)	52457	80	3	31	8	25	–	34
7.	मध्य प्रदेश (3)	31491	62	1	3	1	18(92)	22(1249)	40
8.	महाराष्ट्र (5)	4877	28	4	31	<1	<1	10	–
9.	उड़ीसा (2)	16041	54	<1	–	–	–	69(882)	45
10.	पंजाब (1)	15989	47	1	27	2	–	–	24
11.	तमिलनाडु (1)	20279	52	27	17	6	–	–	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	उत्तर प्रदेश (3)	28477	40	<1	4	2	<1	–	64
13.	पश्चिम बंगाल (2)	6547	36	–	–	3	–	68	–

1( ) विश्लेषित नमूनों की संख्या

1. राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सूचना पर आधारित (2) इण्डो ब्रिटिश फर्टिलाइजर एजुकेशन प्रोजेक्ट के जिला सर्वेक्षणों पर आधारित (3) आई.सी.ए.आर. सूक्ष्म पोषक तत्व समन्वय परियोजना, पी.डी.आई.एल. सर्वेक्षण तथा आई.जी.एफ.ई.पी. की सूचना पर आधारित (4) राज्य कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी पर आधारित (5) यह जानकारी कृषि विश्वविद्यालय परभणी तथा राहुरी द्वारा उपलब्ध कराई गई।

स्रोत:- मार्केट सर्वे ऑफ माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट फर्टिलाइजर्स इन इण्डिया स्टडी बाई प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेन्ट इण्डिया लि., 1996

*प्रगति रिपोर्ट (1993-94) एवं (1994-95) सूक्ष्म तथा द्वितीयक पोषक तत्व एवं मृदा एवं पौधों में प्रदूषणकारी तत्वों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना।

पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

2228. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना को वर्तमान आयोजना प्रक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) वर्तमान में योजना आयोग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस दौरान योजना प्रक्रिया इतना विकसित हो गयी है कि यह अर्थव्यवस्था में आये परिवर्तनों और योजना पद्धति में हुई प्रगति को दर्शाने में असमर्थ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मोरक्को के साथ संबंध

2229. श्री रंजीव विस्वाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोरक्को के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री की मोरोक्को-यात्रा में भारत-मोरक्को संबंध द्विपक्षीय वार्ता हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो किन मुख्य मुद्दों पर वार्ता हुई थी?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) मोरक्को के साथ सौहार्दपूर्ण तथा मैत्री के संबंध रहे हैं। इन संबंधों को और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री 13-14 फरवरी, 1999 तक मोरक्को की यात्रा पर गए। प्रधान मंत्री ने मोरक्को के शाह हसन-II और प्रधान मंत्री अबद रर्हमान अल यूसोफो के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था। महत्वपूर्ण सार्वभौमिक और क्षेत्रीय मसलों तथा द्विपक्षीय सहयोग का और विस्तार करने और विविधता लाने के तौर-तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया था। इस विचार-विमर्श में अधिकांश मसलों पर विचारों की समानता परिलक्षित हुई। मोरक्को ने हमारी हित-चिन्ताओं के प्रति सहमति व्यक्त की।

इस यात्रा के दौरान, एक द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करार, एक पर्यटन सहयोग करार तथा परस्पर व्यावसायिक सहयोग के लिए प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया (पी.टी.आई.) और मगरेब अरब प्रेस (मेप) के बीच एक करार संपन्न हुए थे।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सहायता

2230. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस सरकार का विचार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरांचल को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस सहायता के लिए उत्तर प्रदेश से भी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरांचल क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर करती रही है तथा इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध करती रही है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) प्रदान की जा रही है। 1998-99 के दौरान, एच.ए.डी.पी. के अंतर्गत 237.41 करोड़ रु. विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत किए गए। उत्तरांचल क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए एच.ए.डी.पी. के संवर्धन हेतु 100 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी 1998-99 के दौरान प्रदान की गई।

[अनुवाद]

दूषित दूध

2231. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी, अहमदाबाद ने बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की थैलियों में बेचे जाने वाले सभी ब्रांडों के दूध को स्वास्थ्य घातक कीटाणुओं से दूषित पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) गुजरात सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग ने बताया है कि दुग्ध बिक्री केन्द्र से एक विख्यात ब्रांड का एक नमूना लिया गया जिसमें स्टेफिलोकोकस ऑरस पाया गया था। राज्य सरकार ने आगे बताया है कि नमूनों का बड़ोदा स्थित खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजिकल रूप से परीक्षण कराया जा रहा है। खाद्य निरीक्षण द्वारा डेयरी परिसरों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दूध को इकट्ठा करने, भंडारण, उत्पादन तथा वितरण के स्थान की स्वास्थ्यकर दशा सुनिश्चित की जा सके।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति की समीक्षा

2232. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) समुद्री मात्स्यिकी के लिए विस्तृत नीति तैयार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की समिति का गठन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अन्न का उत्पादन

2233. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अन्न तथा दलहनों की प्रति एकड़ कितनी पैदावार हुई है;

(ख) क्या यह पैदावार अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अनाजों और दलहनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत में अनाजों और दलहनों की पैदावार विश्व की औसत पैदावार से सामान्यतया कम रहती है जिसके कई कारण हैं जैसे कि ज्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि करना, जलवायु संबंधी उतार-चढ़ाव जैनेटिक जानकारी का अभाव तथा किसानों द्वारा निम्न स्तर के आदानों का प्रयोग।

(घ) उत्पादकता में वृद्धि के लिये सरकार चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहनों से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्रीय फसल विशिष्ट स्कीमें चला रही है। इसके अलावा, सरकारी अभिशासन कार्यसूची के अन्तर्गत सरकार ने अगले दस वर्षों में क्षेत्रीय विविधता वाली विकास नीतियों को अपनाया तथा कृषि संबंधी बुनियादी संरचनाओं का सृजन करके और संसाधनों का कुशल उपयोग करके खाद्य उत्पादन को दुगुना करने को प्राथमिकता दी है।

विवरण

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कुल खाद्यान्न और कुल दलहनों की राज्यवार पैदावार

(पैदावार : कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	कुल खाद्यान्न			कुल दलहन		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	2063	2264	2105	479	519	391
असम	1338	1328	1349	534	572	547
बिहार	1535	1684	1548	608	801	704
गुजरात	1253	1477	1601	543	721	685
हरियाणा	2725	3076	2921	974	827	888
हिमाचल प्रदेश	1663	1617	1653	287	325	361
जम्मू और कश्मीर	1718	1530	1640	483	543	543

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	1491	1518	1536	453	407	291
केरल	1995	1932	1615	719	716	716
मध्य प्रदेश	1214	1261	1106	598	705	647
महाराष्ट्र	1000	1199	855	496	613	381
उड़ीसा	1346	982	1353	464	343	351
पंजाब	3520	3838	3641	818	821	681
राजस्थान	974	1207	1219	407	491	600
तमिलनाडु	2235	2250	2396	404	400	445
उत्तर प्रदेश	2066	2276	2216	774	927	825
पश्चिम बंगाल	2003	2187	2241	671	741	689
अखिल भारत	1703	1831	1772	552	635	572

बांधों का निर्माण

2234. श्री सुरेश बरपुडकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने हेतु यमुना नदी पर "किशन" और "रेणुका" बांधों का निर्माण किए जाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इन बांधों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों के अनुसार, किशाऊ और रेणुका बांधों का निर्माण समय क्रमश: लगभग 9 वर्ष और 6 वर्ष बताया गया है।

जल बंटवारे संबंधी करार

2235. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल के बंटवारे के बारे में जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने इन करारों के बारे में कोई रोष व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भारत और बंगला देश के बीच फरक्का में गंगा नदी के बंटवारे पर दिसम्बर, 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर होने के बाद से यह संधि दो वर्षों से प्रचालन में है।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने गंगा नदी में जल की उपलब्धता में कमी का अनुमान लगाते हुए अपनी आशंकाओं के बारे में दिसम्बर, 1996 में सूचित किया है। यह आशंका तथ्यों पर आधारित नहीं थी क्योंकि इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय गंगा बेसिन राज्यों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर विचार किया गया था।

आर्गेनिक फार्मिंग

2236. श्रीमती रमा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो आर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्गेनिक फार्मिंग के प्रोत्साहन हेतु व्यापक नीति बनाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के साथ इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां। कार्बनिक खेती में कार्बनिक तथा जैविक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता। बहरहाल गहन उत्पादन प्रणाली की पोषक तत्वों की उच्च मांग की पूर्ति मात्र कार्बनिक तथा जैव उर्वरकों के उपयोग से नहीं की जा सकती। सरकार समेकित पौध पोषक तत्व आपूर्ति व्यवस्था (आई.पी.एन.एस.) को बढ़ावा दे रही है जिसमें कार्बनिक खादों के उपयोग, पार्म अवशिष्ट, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशियों और रासायनिक उर्वरकों को शामिल किया गया है।

(ख) कार्बनिक खादों का उपयोग किसानों को इसकी उपलब्धता पर निर्भर होता है। अत: फार्म क्षेत्र के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से समेकित पोषकतत्व प्रबंध और समेकित कृमि प्रबंध को बढ़ावा दे रही है:-

(1) जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

(2) उर्वरकों का समेकित एवं सन्तुलित उपयोग

(3) समेकित कीट प्रबंध

कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से कोई नीति नहीं बनाई गई है।

दुग्ध उत्पादन

2237. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सहकारिता के आधार पर डेरी फार्मिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान डेरी फार्मिंग में राज्यवार उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजना में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) सहकारिता आधार पर डेयरी विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए आठवीं योजना अवधि में निम्नलिखित मुख्य डेयरी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है:

(1) ऑपरेशन फ्लड-3 (2) समेकित डेयरी विकास परियोजना (3) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन। उपरोक्त तीन योजनाओं के संबंध में आठवीं योजना के अंत तक राज्यवार उपलब्धियां क्रमश: विवरण I, II, III में दी गई हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने नौवीं योजना में भी डेयरी विकास पर लगातार जोर दिया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना थी अप्रैल, 1996 में समाप्त हो गई है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फ्लड के बाद की अवधि में राज्यों में डेयरी परियोजनाओं को अपने संसाधनों से वित्त पोषित कर रहा है। सभी राज्यों में ऑपरेशन फ्लड के बाद की अवधि में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है। आई.डी.बी.पी. के अधीन सभी परियोजनाओं को जारी रखने के अलावा, केन्द्र सरकार ने नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसका ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

आठवीं योजना के अंत में आपरेशन फ्लड-3 परियोजना के प्रमुख घटकों की वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण (संचयी)

क्षेत्र/राज्य	संगठित डी.सी.एस.	कृषक सदस्य ('000)	ग्रामीण दुग्ध प्रसंस्करण ('000 कि.ग्रा./दि.)	दुग्ध विपणन ('000) ली/दिन)	क्षमता	
					तरल दूध (000 ली/ दिन)	पाऊडर (मी./दिन)
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	11900	2019	3885	1546	6960	453.0
महाराष्ट्र	5807	1134	2125	2015	3970	60.0
मध्य प्रदेश	4152	210	187	236	1030	30.0
गोवा	155	16	22	61	75	30.0
योग	22014	3379	6219	3857	12035	543.0
दक्षिणी क्षेत्र						
तमिलनाडु	7870	1892	1216	1333	2421	70.0

1		2	3	4	5	6	7
कर्नाटक		7419	1434	1408	1224	2030	37.0
आन्ध्र प्रदेश		5338	707	639	593	2397	126.0
केरल		1462	382	312	382	410	10.0
पांडिचेरी		82	23	29	34	50	–
	योग	22171	4438	3604	3566	7308	243.0
उत्तरी क्षेत्र							
पंजाब		6032	347	695	337	1460	100.5
राजस्थान		5248	376	538	279	1050	60.0
उत्तर प्रदेश		10784	574	642	366	1140	60.0
हरियाणा		2347	156	135	60	530	25.0
हिमाचल प्रदेश		250	15	15	23	30	–
जम्मू एवं कश्मीर				रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई			
दिल्ली		–	–	–	1116	1150	–
	योग	24661	1468	2025	2181	5370.00	245.5
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार		2627	135	193	204	586	12.5
पश्चिमी बंगाल		1337	86	134	594	1570	10.0
उड़ीसा		1129	79	67	90	125	–

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	137	5	6	6	15	–
त्रिपुरा	80	4	2	4	10	–
असम	123	2	4	6	60	–
नागालैंड	35	1	1	1	–	–
अंडमान एवं निकोबार		रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुईं			5	–
योग	5469	312	408	906	2371	22.5
सकल योग	74314	9597	12255	10510	27084	1954.0

विवरण-II

आठवीं योजना अवधि के अंत (31.3.97) में आई.डी.डी.पी. के अंतर्गत प्रमुख घटकों की प्रगति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक उपलब्धि			
		मंजूरी का वर्ष	डी.सी.एस. संगठित (सं.)	डी.सी.एस. सदस्यता (000)	दैनिक दुग्ध प्रसंस्करण ह.ली.प्र.दि.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1995-96	8	0.24	0.20
2.	आन्ध्र प्रदेश	1995-96	183	7.57	12.39
3.	अरूणाचल प्रदेश	1993-94	22	0.21	0.45
4.	असम	1994-95	197	13.22	7.20
5.	बिहार-1	1994-95	54	2.51	0.00
	बिहार-2	1995-96	140	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	1993-94	235	19.40	14.69
7.	हरियाणा	1995-96	23	0.37	0.06
8.	जम्मू एवं कश्मीर—जम्मू	1995-96	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही शुरू नहीं की गई।		
	जम्मू एवं कश्मीर—कश्मीर	1995-96	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही शुरू नहीं की गई।		
9.	मध्य प्रदेश-1, 2 एवं 3	1993-94	204	7.86	5.95
	मध्य प्रदेश-4	1995-96	200	8.06	10.58
10.	महाराष्ट्र-1	1995-96	452	49.70	53.80
11.	मणिपुर	1993-94	30	1.00	1.30
12.	मेघालय	1994-95	36	1.66	4.05
13.	मिजोरम-1	1993-94	26	3.63	3.96
	मिजोरम-2	1995-96	20	0.60	0.00
14.	नागालैंड-1	1993-94	50	1.58	1.40
15.	उड़ीसा-1	1993-94	247	14.72	15.84
	उड़ीसा-2	1994-95	150	14.00	11.83
16.	सिक्किम-1, 2	1993-94	156	4.94	7.34
17.	तमिलनाडु	1995-96	535	126.70	31.10
18.	त्रिपुरा-1	1993-94	64	4.74	3.30
	त्रिपुरा-2	1994-95	25	0.64	0.00
19.	उत्तर प्रदेश-1, 2 एवं 3	1993-94	876	31.29	21.90
20.	पश्चिम बंगाल	1994-95	113	6.63	4.84

विवरण-III

आठवीं योजना के अंत में डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के प्रमुख घटकों की वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण (संचयी)

राज्य	के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शामिल डी.सी.एस.				
	प्राथमिक उपचार	आपातकाल	ए.आई. सेवाएं	पशु चिकित्सा कैंप	प्रशिक्षित अधिकारी
आन्ध्र प्रदेश	2274	1204	1454	207	138
बिहार	198	460	0	158	67
गुजरात	3212	430	1998	746	143
हरियाणा	483	313	453	122	47
कर्नाटक	2134	2123	2395	676	184
मध्य प्रदेश	1136	1144	890	32	150
उड़ीसा	238	478	474	197	74
पंजाब	1890	930	2222	382	170
राजस्थान	520	477	324	565	91
तमिलनाडु	675	664	930	90	128
उत्तर प्रदेश	1835	2402	2160	680	284
पश्चिम बंगाल	5	150	21	150	9
गोवा	165	155	155	76	7
पांडिचेरी	41	45	41	50	0
योग	14806	10975	13517	4131	1492

विवरण-IV

आपरेशन फ्लड-3 परियोजना के बंद होने के पश्चात् राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा अपने संसाधनों से स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

	मूल क्षमता (ह.ली.प्र.दि.)	अंतिम क्षमता (ह.ली.प्र.दि.)	बढ़ी हुई क्षमता (ह.ली.प्र.दि.)	कुल (लाख रुपए)
	1	2	3	4
गुजरात				
*सुगम डेयरी बड़ोदा आइस क्रीम संयंत्र विस्तार	6	12	6	450.00
**बनासकंथा डेयरी विस्तार				
-नई डेयरी 40 मी. टन प्र. दिन बटर तथा 60 मी. टन प्रतिदिन सुखाने की क्षमता सहित	-	650	650	12547.74
नया प्रशीतन केन्द्र	-	100	100	327.04
-गोपशु आहार संयंत्र विस्तार (मी. टन प्रतिदिन)	100	200	100	320.42
*वालसाद डेयरी विस्तार	100	200	100	128.48
**वालसाद आइसक्रीम संयंत्र	-	25	25	1030.00
**बड़ौदा दुग्ध संघ ई.टी.पी. विस्तार	-	-	--	80.00
**साबरकांथा गोपशु आहार संयंत्र विस्तार (मी. टन प्रतिदिन)	100	200	100	260.00
महाराष्ट्र				
*कोल्हापुर डेयरी विस्तार (आपरेशन फ्लड-3 का स्पिल ओवर)	200	700	500	585.00

	1	2	3	4
-चांदगड़ सी.सी.	-	100	100	45.00
-गोगवे सी.सी.	-	50	50	93.66
-गाधीनलाज सी.सी.	75	125	50	4.60
-बिदरी सी.सी.	50	100	50	19.35
*वर्धा डेयरी (आपरेशन फ्लड-3 का स्पिल ओवर)	-	30	30	53.10
दिल्ली				
*मदर डेयरी, दिल्ली (आपरेशन फ्लड-3 का स्पिल ओवर)	-	-	-	86.19
*मदर डेयरी दिल्ली आइसक्रीम संयंत्र विस्तार	10	20	10	1280.00
*मदर डेयरी दिल्ली अति. थोक बिक्री बूथ (सं.)	500 (सं.)	575 (सं.)	75 (सं.)	633.00
*मदर डेयरी दिल्ली रेफ्रिजरेशन संयंत्र का आधुनिकीकरण	-	-	-	1125.00
*नोएडा डेयरी (आपरेशन फ्लड-3 का स्पिल ओवर)	-	-	-	550.00
हरियाणा				
*आदर्श डेयरी करनाल (आपरेशन फ्लड-3 का स्पिलओवर)	-	-	-	85.16
पंजाब				
**गुरदासपुर दुग्ध संघ घी के पैकेजिंग मशीन	-	-	-	7.25

	1	2	3	4
बिहार				
*मिथिला दुग्ध संघ बिहार रोसेरा सी.सी. आपरेशन फ्लड-3 का स्पिलओवर)	–	20	20	21.00
कर्नाटक				
*डेम्पो डेयरी का सुदृढ़ीकरण	–	–	–	46.00
*सी.एफ.पी., हसन (एम.टी.डी.)	–	100	100	435.00
**बंगलौर मेगा डेयरी	–	–	–	4315.00
–नई डेयरी	–	600	600	–
–होसकोटे सी.सी.	–	150	150	–
**कोलार डेयरी विस्तार	100	200	100	995.25
गौरीबिदनौर सी.सी. विस्तार	60	100	40	–
सादली सी सीविस्तार	60	100	40	–
आन्ध्र प्रदेश				
*बाला जी डेयरी का नवीकरण/ सुदृढ़ीकरण	–	–	–	246.00
केरल				
*मालाबार दुग्ध (उत्तरी केरल डेयरी परियोजना)				
–कोझीकोडे डेयरी विस्तार	60	150	90	142.35

	1	2	3	4
-पालाक्कड डेयरी विस्तार	40	100	60	162.91
-पीताम्बी नई सी.सी.	-	20	20	123.12
-अटआपाडी नई सी.सी.	-	20	20	121.22
-सी.सी.एस. का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	52.80
-रोड मिल्क टैंकर्स	-	-	-	33.00

*एन.डी.डी.बी. से 100 प्रतिशत ऋण

**परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन.डी.डी.बी. द्वारा 100 प्रतिशत ऋण के रूप में वित्त पोषण किया जाएगा और शेष 10 प्रतिशत संबंधित संघों द्वारा उनके संसाधनों से वहन किया जाएगा।

विवरण-5

नौवीं योजना के दौरान आई.डी.डी.पी. के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/परियोजना	वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (राशि लाख रु. में)
1.	बिहार-3 (कैमूर)	1997-98	67.25
2.	बिहार-4 (मधुबनी)	1997-98	66.30
3.	हिमाचल प्रदेश	1997-98	805.95
4.	महाराष्ट्र-2	1997-98	1941.55
5.	नागालैंड-2	1998-99	347.49
6.	उड़ीसा-3	1998-99	621.84
7.	पश्चिम बंगाल-2	1998-99	140.83

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

2238. श्री आर.एस. गवई :
श्री पी.एस. गड़वी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कोई योजना है तथा नैदानिक और उपचार दोनों के लिए औषधि में रेडियो न्यूक्लाइड्स के प्रयोग को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र विभिन्न शहरों में मस्तिष्क और हृदय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइकिलोट्रॉन और कैट स्कैन सुविधा अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) विकिरण चिकित्सा केन्द्र (आर.एम.सी.) नामक एक नाभिकीय चिकित्सा केन्द्र पहले ही सन् 1963 से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई में विद्यमान है, जोकि नाभिकीय चिकित्सा के मामले में देश का पहला प्रमुख केन्द्र है। इस केन्द्र ने नाभिकीय चिकित्सा को स्वास्थ्य की देखरेख के लिए काम में लाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। विकिरण भेषजों का उपयोग निदान और उपचार के क्षेत्र में नियमित रूप से विकिरण चिकित्सा केन्द्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई में किया जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में किए गए अनुसंधान के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के लिए निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए गए हैं:

1. विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) द्वारा सप्लाई किए गए विकिरण भेषजों का उपयोग देश के 420 चिकित्सा केन्द्रों में निदान तथा उपचार के लिए किया जाता है। कुछ उदाहरण हैं:

1ए. हर वर्ष नाभिकीय चिकित्सा विभागों में रेडियोआयोडीन I^{131} का उपयोग करके थायराइड कैंसर के 2500-3000 नए मामलों का उपचार किया जाता है।

1बी हर वर्ष रेडियोआयोडीन-I^{131} को काम में लाकर अवटु अतिक्रियता के 6000 नए मामलों का उपचार किया जाता है।

1सी. अस्थि कैंसर के 200 मामलों में दर्द निवारण के लिए एस.आर.^{89}/पी^{32} दी जाती है।

1डी. तंत्रिका एंडोक्राइन अर्बुदों विशेषकर बच्चों में I^{131} उपचार—15 मामले प्रति वर्ष।

2. देश में कैंसर के उपचार के लिए 200 से अधिक कोबाल्ट-60 दूरचिकित्सा यूनिट हैं जोकि प्रति वर्ष करीबन 1.5 मिलियन उपचार के मामलों को देखते हैं।

3. इसके अतिरिक्त, विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी ब्रेस्ट कैंसर की ब्रेकीथैरैपी के लिए विकिरण सक्रिय स्रोतों की सप्लाई करता है।

4. एंजियोप्लास्टी के बाद रेस्टेनॉसिस को रोकने के लिए पी-32 चिन्हित स्टेंटों के उपयोग के बारे में देश में बहु-केन्द्रिक परीक्षण हाल ही में शुरू किए गए हैं।

5. देश में 3 मुख्य बड़े पैमाने के गामा किरणक हैं जो चिकित्सीय उत्पादों के विकिरण निर्जर्मीकरण के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं; मुंबई, बंगलौर तथा दिल्ली में एक-एक।

(ग) और (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निदान कार्यों के लिए विकिरण भेषजों की रेंज बढ़ाने के लिए एक चिकित्सीय साइक्लोट्रॉन तथा संबद्ध सुविधाएं स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर सक्रियतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस साइक्लोट्रॉन को विकिरणचिकित्सा केन्द्र (आर.एम.सी.) में स्थापित किया जाएगा और उत्पादित किए जाने वाले पासिट्रॉन उत्सर्जक रेडियो-न्यूक्लाइडों से निदान कार्यों के लिए विकिरण भेषजों की रेंज को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिनमें मस्तिष्क तथा हृदय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

2239. श्री विक्रम केशरी देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने विश्व बैंक से भारत को मंजूर किए जाने वाले संभावित ऋण को न रोकने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस संबंध में भारत तथा फ्रांस के मध्य कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) फ्रांस ने आंध्र प्रदेश विद्युत ए.पी.एल. परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के पक्ष में मतदान किया है जिसे 18 फरवरी, 1999 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इसने इन्टीग्रेटिड कोल मायनिंग प्रायवेट लिमिटेड, इन्डिया को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण के पक्ष में भी मतदान किया है जिसे 2 फरवरी, 1999 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) फ्रांस ने इस बात का संकेत दिया है कि वह राजनैतिक मानदण्डों के आधार पर विश्व बैंक निधीयन द्वारा भारत को दिये (1) जाने वाले ऋण पर किसी प्रतिबंध का विरोध करता है।

[अनुवाद]

गरीबी संबंधी अध्ययन

2240. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक भारत में गरीबी के संबंध में एक नया अध्ययन शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

2241. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर नियंत्रण में ढिलाई बरतने से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बाजार में बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कोई नए आविष्कार/अनुसंधान किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक क्या सफलता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के अन्तर्गत समझौते में उल्लिखित वस्तुओं तक पहुंच प्रदान की जानी है। घरेलू उद्योग को नई बाजार गतिशीलता का मुकाबला करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से भारत ने आयात शुल्कों में कमी के लिए समझौता करके समय-सीमा को वर्ष 2005 तक बढ़ा दिया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। कुछ प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

(1) समानान्तर संसाधन कम्प्यूटर (सुपर कम्प्यूटर)।

(2) कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रौद्योगिकियां।

(3) टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचन।

(4) उच्च वोल्टता दिष्ट धारा सम्प्रेषण।

(5) कैन्सर विकिरण चिकित्सा के लिए सरल त्वरक (लाइनैक)।

(6) कम्प्यूटर नेटवर्किंग।

(7) सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी।

(8) रेल, चीनी, वस्त्र उद्योग आदि में प्रयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां।

[हिन्दी]

फलों तथा सब्जियों का उत्पादन

2242. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में फलों तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार मध्य प्रदेश सहित राज्यों में फलों तथा सब्जियों के संबंध में निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है और संबंधित राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है।

(1) शीतोष्ण, उष्ण-कटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्र फलों का विकास:

इस स्कीम के अन्तर्गत, नर्सरियां एवं क्वालिटी, रोपण सामग्री के वितरण के लिए ऊतक संवर्द्धन एककों की स्थापना क्षेत्र विस्तार, जराजीर्ण फलोद्यानों के पुनरुद्धार कृषक प्रशिक्षण तथा प्रचार उपाय करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(2) सब्जी बीजों का उत्पादन और आपूर्ति:

सब्जी बीज मिनिकिटों के वितरण के लिए सहायता दी जा रही है।

(3) कन्द एवं मूल फसलों को बढ़ावा देना :

मिनिकिटों के वितरण प्रदर्शन भूखण्ड बनाने तथा विशुद्ध आलू बीज (टी.पी.एस.) केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जा रही है।

(4) खुम्बी उत्पादन :

पास्चुरीकृत कम्पोस्ट एवं स्पान उत्पादन यूनिटों की स्थापना तथा कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता दी जा रही है।

(5) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग :

ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मल्चिंग और हरित ग्रह आदि के लिए सहायता दी जा रही है।

(ङ) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को पिछले दो वर्षों के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी धनराशि (लाख रुपये)
1996-97	61.17
1997-98	297.66

बांध का निर्माण

2243. श्री बलीराम कश्यप : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा झलियागुड़ा के निकट इन्द्रावती नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने के कारण मध्य प्रदेश के बस्तर मंडल में जल संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उड़ीसा सरकार को कोई निदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) दोनों ही राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

2244. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुजफ्फरपुर जिले में सरिया में और वैशाली में 1997 में कृषि विज्ञान केन्द्र का शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये विज्ञान केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां। मुजफ्फरपुर में सरिया और वैशाली जिलों के दोनों कृषि विज्ञान केन्द्रों ने किसानों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा तिलहन एवं दलहनों पर अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों सहित विविध गतिविधियां आयोजित करके अपना काम शुरू कर दिया है।

इस अवधि के दौरान 1349 किसानों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और 1012 किसानों ने विभिन्न विस्तार कार्यकलापों जैसे किसान दिवस, किसान गोष्ठियां और समस्याओं की पहचान के लिए दौरों में भाग लिया है।

वर्ष 1996-97 से 1997-98 के दौरान इन केन्द्रों को परिषद द्वारा 18.50 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अन्तरिक्ष प्रयोगशालाएं

2245. श्री अमन कुमार नागरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'कॉस्मिक रेज' पर अनुसंधान करने हेतु अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी एजेंटों को पासपोर्ट जारी करना

2246. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में पाकिस्तानी एजेंटों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने की कई घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तानी एजेंटों को पासपोर्ट जारी किए जाने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पेंशन का संरोशीकरण

2247. श्री सी.डी. गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागिरकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस बात पर विचार करने का है कि पेंशन के परिवर्तित अंश को दस वर्ष बाद पुन: बहाल कर दिया जाए;

(ग) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन भोगियों द्वारा 33 वर्ष से कम नौकरी किए जाने की स्थिति में पेंशन यथानुपात कम कर दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन मामलों में पेंशन को यथानुपात बढ़ाने का है जहां पेंशनधारियों ने 33 वर्ष से अधिक नौकरी की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की है। उपर्युक्त नीति में वरिष्ठ व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी वित्तीय सुरक्षा और सेहत की देखभाल, उनके आश्रय, कल्याण और उनके विकास से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देने का प्रयत्न किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

बीजों के विकास हेतु धनराशि

2248. श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री अजीत जोगी :
श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घाटे में चल रहे सरकारी कृषि फार्मों की कुल राज्यवार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान सहकारी कृषि फार्मों में बीज विकास कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही थी जिसके अन्तर्गत राज्यों को प्रदत्त सहायता का एक हिस्सा कृषि फार्मों में बीज विकास पर खर्च किया जाना था। यह स्कीम "किस्म विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" है। इस स्कीम के तहत वर्ष 1997-98 के दौरान 220.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 1998-99 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत कोई धनराशि जारी करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है।

सतत् कृषि पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2249. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोषणीय कृषि उत्पादन पर हाल में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संगोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई है; और

(घ) इससे किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) "सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन : लेसन्स फ्राम ट्रेडिशनल टेक्नॉलॉजीज" संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी दिनांक 30-31 जनवरी, 1999 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस विचार गोष्ठी के उद्देश्य थे:-

(1) पारम्परिक प्रौद्योगिकी संबंधी प्रथाओं में शामिल किसानों एवं निचले स्तर की एजेन्सियों को एक मंच पर लाना तथा सतत् कृषि उत्पादन के लिए इन प्रौद्योगिकियों के महत्व को मान्यता देना;

(2) पारम्परिक प्रौद्योगिकियों की सहायता से सफलतापूर्वक खेती करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, कृषक संगठनों तथा किसानों के अनुभवों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं तथा उद्योग को देना।

(3) व्यापक अनुप्रयोग के लिए इन प्रौद्योगिकियों का प्रलेखन एवं जहां संभव हो उन्हें अपनाने, सुधार करने तथा उनके वैद्यीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करना।

इस विचारगोष्ठी में भाग लेने वालों में कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय आदि के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक, राज्यों के कृषि बागवानी, पशुपालन विभागों के अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, प्रगतिशील किसान निगमित क्षेत्र तथा उद्योग आदि शामिल थे।

(ग) विचार गोष्ठी में 5 प्रमुख तकनीकी सत्र थे:-

(1) फसल उत्पादन प्रणाली में पारम्परिक प्रौद्योगिकी प्रणाली-1

- बीज विकास
- पोषक तत्व प्रबन्ध

(2) फसलोत्पादन प्रणाली में परंपरागत प्रणाली-2

- पादप रक्षण
- कृषि औजार

(3) कटाई पश्चात् प्रबंध में परंपरागत प्रौद्योगिकी

- भण्डारण
- प्रसंस्करण

(4) जल प्रबंध में परंपरागत प्रौद्योगिकी

(5) पशुपालन में परंपरागत प्रौद्योगिकी

(घ) विचार गोष्ठी में भाग लेने वालों को सतत् कृषि उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं के महत्व तथा आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय वातावरण के सन्दर्भ में उनके मूल्यांकन की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाया गया।

कृषि क्षेत्र में महिलायें

2250. श्री मदन पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई केन्द्रीय योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना महाराष्ट्र में लागू नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सात राज्यों के एक-एक जिले में पाइलाट आधार पर चलायी गयी थी। ये हैं:-

	राज्य	जिला
1.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
2.	पंजाब	जालन्धर
3.	हरियाणा	हिसार
4.	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
5.	राजस्थान	उदयपुर
6.	महाराष्ट्र	ठाणे
7.	केरल	पालघाट

(ग) और (घ) यह स्कीम महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में चलायी जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त धन का ब्यौरा

राज्य का नाम	धन की निर्मुक्ति (रुपये में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
हरियाणा	6,64,580	6,54,580	6,64,580
हिमाचल प्रदेश	6,64,580	2,54,580	-
केरल	6,64,580	5,54,580	6,64,580
महाराष्ट्र	6,64,580	13,60,020	6,64,580
पंजाब	6,64,580	6,54,580	6,64,580
राजस्थान	6,64,580	5,54,580	6,64,580
उत्तर प्रदेश	6,64,580	6,54,580	6,64,580
कुल	64,52,060	46,87,500	39,87,480

असम के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2251. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने असम के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान असम को इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई;

(घ) असम सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना और उसका विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन, मूलत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार, राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु फार्मूले में पिछड़ेपन को उचित महत्व देकर, राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करती है। इसके अलावा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एवं जनजातीय उपयोजना हेतु असम सहित विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में योजना आयोग के पास कोई स्कीम लंबित नहीं है।

पाकिस्तानी कारागारों में भारतीय

2252. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्रीमती भावना कर्दम दवे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी जेलों में अर्ध सैनिक बल के कई जवानों और 54 अधिकारियों सहित भारतीय सेवा के 1,622 कार्मिक बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सेवा के कार्मिक मृत घोषित कर दिए गए हैं और उनके परिवार के सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत-पाक अधिकारियों की बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ उनके जेल से छूटने के संबंध में चर्चा हुई है; और

(च) यदि हां, तो चर्चा का परिणाम क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि 54 गुमशुदा भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं। पाकिस्तान यह कह रहा है कि उसकी अभिरक्षा में ऐसा कोई भारतीय रक्षा कार्मिक नहीं है।

सरकार ने उन 54 गुमशुदा भारतीय रक्षा कार्मिकों के परिवारों को, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं, उदार परिवार पेंशन, परिवार ग्रेच्युटी तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्रदान किया है।

इस मामले को प्रधान मंत्री के स्तर सहित विभिन्न स्तर पर विभिन्न अवसरों पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के साथ उठाया गया है। प्रधान मंत्री ने 20-21 फरवरी, 1999 की अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस मामले को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ उठाया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि गुमशुदा युद्ध बंदियों के मामले सहित मानवीय आधार वाले मुद्दों की जांच करने के लिए दोनों पक्ष मंत्रिस्तरीय दो सदस्यीय समिति गठित करेंगे।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अन्तरण

2253. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य सरकारों को सौंपे जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) हाल ही में 19.2.99 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतरण और उनमें शामिल कार्यपद्धतियों के मुद्दे पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस उप-समिति के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों, दोनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सऊदी अरब से भारतीयों के पार्थिव शरीर को वापिस लाना

2254. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सऊदी अरब की सरकार के साथ वहां मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को शीघ्र वापिस लाने का कोई प्रस्ताव तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सऊदी अरब से पार्थिव शरीरों को वापिस लाए जाने में असाधारण विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) क्या 1997-98 के दौरान पार्थिव शरीरों को वापिस प्राप्त करने में विलंब से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रिकों के पार्थिव शरीर को नियोजक/प्रायोजक के व्यय पर सऊदी अरब की प्रथाओं के अनुरूप तथा नियोजन संविदा के अंतर्गत उल्लिखित बाध्यताओं के अनुसार भारत भेजा जाता है। इस संबंध में सऊदी अरब की सरकार के साथ किसी अलग प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) कठोर स्थानीय प्रक्रियाओं के कारण पार्थिव शरीर को छुड़ाने में देरी होती है। स्वाभाविक मृत्यु के मामले में शव को छुड़ाने तथा इसे भेजे जाने में 6 सप्ताह का समय लगता है। दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या इत्यादि के मामले में और अधिक देरी हो सकती है क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पुलिस जांच पूर्वापेक्षित होती है तथा जब तक यह पूरी न हो जाए और स्थानीय जिला गवर्नर द्वारा सत्यापन, संबद्ध कागजात का सत्यापन इत्यादि जैसी अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकती हैं। किसी भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु के संबंध में सूचना मिलने पर मिशन उसके परिवार के सदस्यों तथा नियोजक/प्रायोजक से संपर्क करता है ताकि पार्थिव शरीर को भारत भेजे जाने के लिए क्रियाविधिक अनुमोदन शीघ्र प्राप्त किया जा सके।

(घ) और (ङ) जी हां। जब भी ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों से शव को शीघ्र भारत भेजे जाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। तब वे शीघ्र कदम उठाते हैं तथा क्रियाविधिक अनुमोदन पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

धारा खाद्य तेल

2255. श्रीमती लक्ष्मी पनवाक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में धारा खाद्य तेल का उत्पादन बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की देशभर में दस इकाइयां हैं जो निर्माताओं से तेल एकत्र करती हैं; इनकी गुणवत्ता की जांच करती हैं इसे पैक करती हैं और तैयार उत्पाद का विपणन करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या मिलावटी खाद्य तेल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सांठगांठ के बारे में कोई प्रमाण सरकार के ध्यान में आया है; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तरदायी पाए गए ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धारा तेल की पैकिंग देशभर में फैले 12 केन्द्रों पर की जाती है। कटोर जांच प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के बाद तेल आयल सहकारिताओं से आयातों के माध्यम से प्राप्त किया जाता हैं। अंतिम उत्पाद का विपणन, गुजरात सहकारी समिति दुग्ध विपणन परिसंघ के माध्यम से किया जाता है।

(ख) अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आलू की भरमार

2256. श्री बलराम जाखड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बाजार में आलू की भरमार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आलू उत्पादकों के संरक्षण हेतु नैफेड के माध्यम से "बाजार हस्तक्षेप योजना" लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1998 में आलू की भरी-पूरी (बम्पर) फसल की सूचना दी तथा भारत सरकार से आलू की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अनुरोध किया।

भारत सरकार ने मंडी हस्तक्षेप स्कीम लागू करने के लिए सिद्धान्त रूप में अपनी सहमति दे दी किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डेरी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के जरिए ग्रामीण रोजगार

2257. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डेरी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से राज्यवार कितना ग्रामीण रोजगार सृजित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सन् 2000 तक ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) ग्रामीण रोजगार का सृजन करने के लिए डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत कोई लक्ष्य नहीं रखे गए थे। डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत डेयरी विकास में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों जैसे आपरेशन फ्लड, पशुपालन विभागों, डी.आर.डी.ए. और गैर-सरकारी संगठनों आदि के अधीन डेयरी सहकारिताओं के क्रियाकलापों और स्रोतों में सामंजस्य स्थापित करके ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रमों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति और उन्हें समर्थन देने के लिए की गई थी।

खाद्यान्नों की बर्बादी

2258. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री विट्ठल तुपे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा फसल के बाद की आवश्यक तकनीकों का उपयोग न किए जाने के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्यान्नों की ऐसी क्षति को रोकने हेतु फसल के बाद की तकनीक विकसित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्नों में बरबादी, कटाई, गहाई, खेतों पर साज-संभाल, परिवहन, भंडारण तथा प्रसंस्करण जैसी विभिन्न परिचालनीय प्रक्रियाओं के दौरान होती है।

विभिन्न समितियों, जिनमें कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भी शामिल है, द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार फसल कटाई के बाद के विभिन्न कार्यों के दौरान होने वाली क्षति कुल उत्पादन के 13-15% तक आंकी गई है जो अलग-अलग फसलों तथा अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है।

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों के अपर्याप्त इस्तेमाल के कारण भारत में उत्पादित खाद्यान्नों की लगभग 13-15% मात्रा की क्षति होती है।

(ग) देश में खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास संस्थानों, जैसे केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल, भारतीय खाद्यान्न भंडारण संस्थान, हापुड़, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य विज्ञान विभागों और कटाई के बाद की अभियांत्रिकी, कृषि संरचना एवं प्रक्रिया अभियांत्रिकी के प्रौद्योगिकी विभागों में कटाई उपरांत तकनीकों को विकसित करने के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) खड़गपुर ने धान प्रसंस्करण अभियांत्रिकी केन्द्र, जो अब कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी केन्द्र कहलाता है, की स्थापना की है। खाद्य विभाग ने तिरुवरुर/तंजावुर में धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। स्नातकोत्तर स्तर तथा साथ ही व्यावसायिक शिक्षण के स्तर पर भी मानव संसाधन विकास की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, केन्द्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना की स्थापना की है तथा कटाई और कटाई के बाद की हानि को रोकने तथा खेतों के समीप ही फसल के मूल्यवर्धन के लिए अनेक अन्य कार्यक्रम प्रायोजित किए हैं।

कटाई के बाद की क्षति को कम करने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से किसानों के स्तर पर विकसित की गई हैं वे इस प्रकार हैं: फसल शोषक (क्रॉप ड्रायर) खाद्यान्नों के लिए उन्नत भंडार गृह, मशीनीकृत अनाज, बाजार तथा मूल्यवृद्धि के लिए कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियां एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आय व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

परमाणु बम

2259. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1999 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया', में ''आर पाक एन.-आर्मस मोर डेन्जरस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें सी.आई.ए. के इस रहस्योद्घाटन का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान द्वारा मई, 1998 में किए गए, परमाणु परीक्षण में प्रयुक्त सामग्री में 'लो लेवल वेपन ग्रेड प्लूटोनियम' का प्रयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन संदर्भों में पाकिस्तान द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण भारत में विकसित परमाणु बमों से ज्यादा खतरनाक थे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और सरकार ने समान शक्ति के परमाणु अवरोधक तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नाभिकीय हाथियार चाहे वह यूरेनियम के विखण्डन की पद्धति पर आधारित हो अथवा प्लूटोनियम विखण्डन पद्धति पर, यदि उनका प्रतिफल एक सा है तो उनके प्रभाव भी एक से होते हैं। तथापि किसी तीसरे देश से पाकिस्तान को प्लूटोनियम के अन्तरण की संभावना के बारे में सी.आई.ए. का रहस्योद्घाटन यदि सही है, तो यह एक चिन्ता का विषय है। राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में हमारे आंकलनों के अनुरूप हमारी नाभिकीय नीति से संबंधित सरकारी निर्णय लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति

2260. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी विभागों और आयोगों में राजपत्रित पदों पर नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि क्या है और किसी अधिकारी द्वारा अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर लेने पर उसे वापिस भेजने हेतु क्या प्रावधान है;

(ग) क्या उक्त प्रावधान लोक सेवा आयोग, विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, जल आयोग और जांच आयोग पर भी लागू होते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) सरकारी विभागों में

राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां संबंधित विभागों के अंतर्गत ऐसे पदों के भर्ती-नियमों में निहित उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं। किसी पद पर नियुक्ति की पद्धति, उस पद से जुड़े कर्त्तव्यों-कार्यों के स्वरूप, अपेक्षित योग्यताओं तथा अनुभव के मद्देनजर, तय की जाती है। प्रतिनियुक्ति के नियमों के अन्तर्गत, संवर्ग से बाहर के किसी अधिकारी की नियुक्ति, सीमित अवधि के लिए की जाती है जिसके समाप्त होने पर उसे उसके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाता है। आयोगों में की जाने वाली नियुक्तियां उस अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित नियुक्तियों की सेवा-शर्तों के अनुसार विनियमित की जाती हैं जिसके अन्तर्गत ऐसे आयोगों का गठन किया गया है।

(ख) किसी ग्रेड अथवा संवर्ग विशेष में प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद के वेतनमान पर निर्भर करती है जिस पर प्रतिनियुक्ति की जाती है। जबकि उच्चतम स्तर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 5 वर्ष है, मझोले प्रबन्ध स्तर के पदों के लिए यह अवधि 4 वर्ष है तथा अन्य निम्नतर स्तर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 वर्ष है। मंत्रालय/विभाग, किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद से जुड़े कार्यों के निर्वाह के संबंध में अपनी अपेक्षा, उपर्युक्त व्यक्तियों की उपलब्धता के क्षेत्र तथा पद के लिए निर्धारित योग्यताएं ध्यान में रखते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निर्धारित करते हैं। अत: प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि, विभिन्न पदों के भर्ती-नियमों में अथवा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में, जैसा भी मामला हो, दर्शायी जाती है तथा इस अवधि की समाप्ति पर अधिकारी को अपने मूल संवर्ग में वापिस भेजा जाना होता है।

(ग) और (घ) चूंकि आयोग, भारत के संविधान अथवा संगत सांविधिक नियमों के उपबंधों के अंतर्गत गठित किए जाते हैं तथा अत: ये आयोग सांविधिक स्वरूप के होते हैं, आयोगों में की जाने वाली नियुक्तियां उस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित नियुक्तियों की सेवा शर्तों के अनुसार विनियमित की जाती हैं जिसके अन्तर्गत ऐसे आयोग गठित किए जाते हैं।

पशु अनुसंधान फार्म

2261. श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पशु अनुसंधान फार्मों की कमी है और मौजूदा फार्म दक्षता से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये फार्म कहां स्थित हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन फार्मों में विकसित की गई विभिन्न नस्लों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पशुओं की कोई नई नस्ल तैयार तथा जारी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

2262. डा. सरोजा वी. : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्यालय परिसरों में झाड़ू देना, सफाई करने, डस्टींग करने और रखवाली हेतु नियमित कर्मचारी बहाल न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी/अधीनस्थ कार्यालयों में भाग (क) में उद्धृत उद्देश्यों हेतु चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वर्तमान समय में कितने ठेकेदारों को अनुबंधित किया गया और कार्य कर रहे ठेके के श्रमिकों की संख्या क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने कार्यालय-परिसरों में झाड़ू लगाए जाने, उनकी सफाई किए जाने, उन्हें झाड़े जाने - डस्टिंग किए जाने और उनकी रखवाली किए जाने से जुड़ा नियमित रोजगार कम करने या उसे बढ़ाने के बारे में हाल ही में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं क्योंकि ऐसी व्यवस्था तय करते समय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अपनी कार्यात्मक तथा प्रशासनिक जरूरतें ध्यान में रखते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को झाड़ू लगाने, सफाई करने, झाड़ने - डस्टिंग करने आदि से जुड़े कार्यों के लिए समूह ''घ'' संवर्ग में भर्ती करने का अधिकार है।

ऋण संस्थान

2263. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए मूलभूत परिवर्तनों को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1998-99 के लिए तैयार कार्ययोजना क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए ग्रामीण ऋण और सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ करने और ऋण देने की प्रणाली को सरल बनाने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वितरण प्रणाली की कार्यविधि के अध्ययन एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण के विषय पर एक उच्चस्तरीय समिति (आर.वी. गुप्ता समिति) नियुक्त की। समिति ने कई सिफारिशें की जिसमें संपारर्वीय, मार्जिन प्रतिभूतियों के मामले में बैंकों में अधिक लचीलापन लाना एवं उन्हें विवेकाधिकार देना। बेबाकी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त करना; किसानों के उत्पादन, कटाई उपरांत एवं घरेलू आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए मिश्रित नकद ऋण की शुरूआत शामिल है। इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है एवं क्रियान्वयन के लिए बैंकों के पास भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1994-95 से ही बैंकों को विशेष कृषि ऋण प्लान के प्रतिपादन का सुझाव दिया जा रहा है। वर्ष 1998-99 के लिए बनाए गए विशेष कृषि ऋण प्लान के अनुसार, कृषि के लिए प्रक्षेपित वितरण 18503 करोड़ रुपये है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थागत एजेन्सियों के माध्यम से वितरित कृषि ऋण का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I से III में दिया गया है।

ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- सहकारी ऋण संरचना में आमूल परिवर्तन लाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है।
- सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को पुन: स्थापित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम के पुन: प्रतिपादन के लिए कदम उठाए गए हैं।
- निगम की गतिविधियों को विविध क्षेत्रों में फैलाने एवं इसे प्रचालनात्मक स्वतंत्रता एवं संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन के लिए कार्य आरम्भ किया गया है।
- ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्रों को सरलीकृत किया गया है एवं उसे क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करा दिया गया है।
- बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25000 रुपये तक के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े एवं 25000 रुपये से अधिक के आवेदनों को 8-9 सप्ताह के अन्दर निपटा दें।
- रेहन रखने के लिए संपारर्वीय प्रतिभूति की आवश्यकता के संदर्भ में दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है।
- किसानों को, एक लचीले एवं लागत प्रभावी तरीके से आदानों की खरीद सहित उनकी कृषिगत आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त एवं समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारम्भ की गयी है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान कृषि ऋण के लिए आधारभूत स्तर पर ऋण का राज्यवार/स्कीमवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	वा.बैं.	एस.सी.बी./ सी.सी.बी.	भू.वि. बैंक	क्षे.ग्रा. बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	4960.00				4960.00
2.	नई दिल्ली	8168.00	53.00			8221.00
3.	हरियाणा	33050.00	96550.00	16514.00	4942.00	151056.00
4.	हिमाचल प्रदेश	4850.00	1138.00	909.00	270.00	7167.00
5.	जम्मू और कश्मीर	380.00	775.00	214.00	297.00	1666.00
6.	पंजाब	76380.00	98932.00	16680.00	3908.00	195900.00
7.	राजस्थान	24460.00	42944.00	14092.00	6179.00	878675.00
8.	अरूणाचल प्रदेश		36.00		61.00	97.00
9.	असम	2457.00	108.00		642.00	3207.00
10.	मणिपुर	176.00			15.00	191.00
11.	मेघालय	165.00	129.00		104.00	398.00
12.	मिजोरम	17.00	8.00		90.00	115.00
13.	नागालैंड	210.00	114.00		1.00	325.00

1	2	3	4	5	6	7
14.	त्रिपुरा	329.00	207.00	55.00	92.00	683.00
15.	सिक्किम	96.00				98.00
16.	बिहार	24286.00	8049.00	1400.00	2935.00	36670.00
17.	उड़ीसा	19300.00	17350.00	264.00	4727.00	41641.00
18.	पश्चिम बंगाल	33040.00	70185.00	2291.00	2802.00	59780.00
19.	अन्दमान व नि. द्वीप समूह		87.00			87.00
20.	मध्य प्रदेश	45330.00	70185.00	7550.00	7785.00	130850.00
21.	उत्तर प्रदेश	82030.00	96304.00	22115.00	22880.00	223116.00
22.	दादरा व नगर हवेली	34.00	3.00			37.00
23.	दमन और दीव	44.00	11.00			55.00
24.	गुजरात	30000.00	73489.00	9441.00	6171.00	149101.00
25.	गोआ	2730.00	498.00			3228.00
26.	महाराष्ट्र	105530.00	150730.00	12886.00	38140.00	272980.00
27.	आन्ध्र प्रदेश*	178750.00	103431.00		28080.00	308261.00
28.	कर्नाटक	85680.00	45798.00	6839.00	27233.00	1688550.00
29.	लक्ष्यद्वीप	36.00				36.00

1	2	3	4	5	6	7
30.	केरल	46205.00	28090.00	7195.00	12690.00	94180.00
31.	पाण्डिचेरी	3580.00	461.00	109.00		4150.00
32.	तमिलनाडु	174970.00	64050.00	5158.00	4602.00	248780.00
	कुल	1017245.00	921177.00	126712.00	138109.00	2203243.00

टिप्पणी : अभिकरणों द्वारा वितरण (यदि कोई हो) एस.बी.बी./सी.सी.बी. में शामिल हैं।
*एकीकृत संरचना।

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि ऋण के लिए आधारभूत स्तर पर ऋण का राज्यवार/स्कीमवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	वा.बैं.	एस.सी.बी./ सी.सी.बी.	भू.वि. बैंक	क्षे.ग्रा. बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	3057.00				3057
2.	नई दिल्ली*	8680.00	77.00			8957.00
3.	हरियाणा*	37140.00	120888.00	17146.00	7085.00	182261.00
4.	हिमाचल प्रदेश	4945.00	1922.00	1173.00	475.00	8515.00
5.	जम्मू और कश्मीर	460.00	846.00	236.00	608.00	2150.00
6.	पंजाब*	97140.00	116821.00	20375.00	5317.00	239653.00
7.	राजस्थान*	32525.00	53553.00	16279.00	8530.00	110887.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	अरूणाचल प्रदेश	9.00	174.00		91.00	274.00
9.	असम	3459.00	50.00		378.00	3885.00
10.	मणिपुर	404.00	22.00		10.00	436.00
11.	मेघालय	185.00	68.00		116.00	369.00
12.	मिजोरम	203.00	82.00		70.00	355.00
13.	नागालैंड	262.00	175.00			437.00
14.	त्रिपुरा	474.00	221.00	83.00	112.00	890.00
15.	सिक्किम	244.00				244.00
16.	बिहार	30033.00	7944.00	1962.00	5550.00	45429.00
17.	उड़ीसा*	21780.00	6743.00	15741.00	866.00	45130.00
18.	पश्चिम बंगाल*	43567.00	23181.00	3189.00	3381.00	73318.00
19.	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	11.00	178.00			189.00
20.	मध्य प्रदेश*	65000.00	85171.00	7513.00	8444.00	166128.00
21.	उत्तर प्रदेश*	107500.00	88524.00	32771.00	27465.00	256260.00
22.	दादरा व नगर हवेली	56.00				56.00
23.	दमन और दीव	57.00	19.00			76.00
24.	गुजरात	84360.00	86233.00	11918.00	7637.00	189146.00

1	2	3	4	5	6	7
25.	गोआ	2260.00	393.00			2653.00
26.	महाराष्ट्र	120200.00	141719.00	14483.00	5067.00	281469.00
27.	आन्ध्र प्रदेश**	201100.00	132600.00		34900.00	388600.00
28.	कर्नाटक*	101785.00	46057.00	11306.00	29437.00	188585.00
29.	लक्षद्वीप	43.00				43.00
30.	केरल	74612.00	33596.00	8823.00	16290.00	133321.0
31.	पाण्डिचेरी	1800.00	496.00	108.00		2404.00
32.	तमिलनाडु*	201451.00	75722.00	8945.00	6566.00	292684.00
	कुल	1278271.00+	1022475.00	171993.00	168393.00	2641132.00+

टिप्पणी : अभिकरणों द्वारा वितरण (यदि कोई हो) एस.सी.बी./सी.सी.बी. में शामिल हैं।
*ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के अधीन 332.69 करोड़ रुपये सहित
**एकीकृत संरचना।
+आंकड़ा अनंतिम

विवरण-III

वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए आधार स्तर पर ऋण का राज्यवार/अभिकरणवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	वा.बैं.	एस.सी.बी./ सी.सी.बी.	भू.वि. बैंक	क्षे.ग्रा. बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	5474				8474
2.	हरियाणा	50016	130968	21011	112256	213221

1	2	3	4	5	6	7
3.	पंजाब	127056	125559	23468	6785	264865
4.	नई दिल्ली	21517	25			21542
5.	हिमाचल प्रदेश	5598	2327	925	711	9561
6.	जम्मू और कश्मीर	595	789	206	614	2204
7.	राजस्थान	47561	68287	18152	12208	146208
8.	अरूणाचल प्रदेश	166	39		141	346
9.	असम	5851	9198		361	15410
10.	मणिपुर	253	25		14	292
11.	मेघालय	313	20		48	381
12.	मिजोरम	42	116		30	107
13.	नागालैंड	257	154			411
14.	त्रिपुरा	486	423	64	141	1114
15.	सिक्किम	191				191
16.	बिहार	28862	4819	3237	5270	41986
17.	उड़ीसा	21484	20084	142	6711	48426
18.	पश्चिम बंगाल	38255	22924	3563	2539	67261
19.	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	99	199			299

1	2	3	4	5	6	7
20.	मध्य प्रदेश	81098	97776	8219	11506	198599
21.	उत्तर प्रदेश	120143	111721	29242	24392	286498
22.	दादरा व नगर हवेली	74	33			107
23.	दमन और दीव	83	7			90
24.	गुजरात	101407	102625	17467	9286	230785
25.	गोआ	2794	570			3354
26.	महाराष्ट्र	129143	168340	9311	5374	312168
27.	आन्ध्र प्रदेश*	211216	154143		42276	407635
28.	कर्नाटक	131799	66865	12312	34954	245930
29.	केरल	77731	41519	9027	19659	147936
30.	लक्षदीप	43				43
31.	तमिलनाडु	245405	97784	10465	9583	363237
32.	पाण्डिचेरी	2213	436	81		2730
	कुल	1569331**	122778	168892	203838	3169841

*एकीकृत संरचना

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत वितरित 228.10 करोड़ रु. एवं निजी क्षेत्र बैंकों द्वारा वितरित 1113.06 करोड़ रु. शामिल नहीं हैं। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**निजी क्षेत्र बैंकों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: अन्य अभिकरणों द्वारा किया गया वितरण एस.सी.बी./सी.सी.बी. में शामिल हैं।

सी.ओ.आई., आर.बी.आई.ओ.पी.सी.डी. सहकारिताएं, आर.आर.बी., नाबार्ड

कश्मीर मुद्दा

2264. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में मध्यस्था करने के अनुरोध को 2 फरवरी, 1999 मंगलवार को फिर से ठुकरा दिया है किन्तु इस समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव मदद का वायदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या तब से इस संबंध में अमेरिका या पाकिस्तानी सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) आठवें दौर की पाकिस्तान-अमरीकी वार्ता के पश्चात्, फरवरी, 1999 को इस्लामाबाद में सामरिक अध्ययन संस्थान में एक भाषण के दौरान, अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट स्ट्रोब टालबोट ने इस द्विपक्षीय मसले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्था करने का भारत के लगातार विरोध करने का उल्लेख करते हुए, तथाकथित रूप से यह कहा कि अमरीका किसी 'मध्यस्थ अथवा दलाल' के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। 2 फरवरी, 1999 को पाकिस्तान-अमरीका संवाद के आठवें दौर की समाप्ति पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था, जिसमें, 'पाकिस्तान-भारत के बीच वर्तमान बातचीत के प्रति अमरीका ने अपना ठोस समर्थन व्यक्त किया ....।'

(ख) कश्मीर मसले पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट और सुसंगत है। हमने सदैव इस बात का समर्थन किया है कि द्विपक्षीय मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं है।

हाल ही में 20-21 फरवरी, 1999 को प्रधान मंत्री ने दिल्ली-लाहौर-दिल्ली बस सेवा की उद्घाटन यात्रा के संबंध में पाकिस्तान गए। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें वे 'इस बात के लिए सहमत हुए कि दोनों देश जम्मू और कश्मीर मसले सहित सभी मसलों का समाधान संयुक्त संवाद प्रक्रिया के जरिए करने, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा दखलन्दाजी से बचने, आतंकवाद की चुनौती से इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में मुकाबला करने संबंधी प्रयासों को तेज करेंगे.....'।

झींगा पालन

2265. श्री रवि सीताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तटीय क्षेत्रों में झींगा-पालन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू न किए जाने के संबंध में उन क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झींगा पालन की पर्यावरण अनुकूल योजना को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन करके कुछ फर्मों द्वारा कथित रूप से अनधिकृत झींगा पालन क्रियाकलापों के संबंध में कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन आरोपों में शामिल हैं : तटवर्ती विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 का उल्लंघन, नष्ट किए जाने वाले तालाबों में झींगा बीज का ताजा स्टॉक करना, रसायनों तथा उर्वरकों का उपयोग, झींगा पालन प्रयोजनों के लिए भूजल निकालना, आदि। कुछ राज्यों में झींगा पालन फार्मों की स्थापना करने के विरुद्ध रिट याचिकाएं भी दायर की गई हैं। मामला निर्णयाधीन है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा पालन क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए एक जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण ने प्रक्रिया संबंधी नियम तैयार किए हैं तथा जल कृषि प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए झींगा पालन पोखरों की स्थापना करने के लिए प्रार्थना पत्रों की जांच के उद्देश्य से राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। प्राधिकरण ने अनुकूल पारिस्थितिक वातावरण में झींगा पालन का पारंपरिक तथा उन्नत पारंपरिक पद्धतियों में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। जिन झींगा पालन क्रियाकलापों से पर्यावरणीय अपकर्षण होता है, उनकी प्राधिकरण द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

भाण्डेर सिंचाई परियोजना

2266. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाण्डेर अंतर राज्य नहर परियोजना के जल के बंटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस समझौते के मापदंडों का उल्लंघन करते हुए समझौते में उल्लिखित मात्रा से कम मात्रा में नहर में जल छोड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते के कड़े अनुपालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भाण्डेर नहर प्रणाली के स्वामित्व के संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 18 अक्टूबर, 1965 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी मामले की सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों को सहायता

2267. श्री ए.सी. जोस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा से खेती करने वाले किसानों को कोई सहायता उपलब्ध कराई जाती है/कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के किसानों को अपारंपरिक ऊर्जा से खेती करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय ने सूचना दी है कि किसानों को सहायता देने के लिए उनके द्वारा कोई विशेष स्कीम नहीं चलाई जा रही है। तथापि, कुछ अपारम्परिक ऊर्जा यंत्रों पर राजसहायता दी जा रही है जिसके लाभभोगियों में किसान भी शामिल हैं। राजसहायता दिए जा रहे यंत्रों में शामिल हैं:- बायो गैस संयंत्र, सौर फोटोवोल्टाइक वाटर पम्प सेट, उन्नत चूल्हा, वायु पम्प, जल मिल, यांत्रिक उपयोग के लिए बायो मास गैसिफायर प्रणाली।

बुल्गारिया के साथ संबंध

2268. श्री तथागत सत्पथी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुल्गारिया के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी हां। भारत-बुल्गारियाई संबंध पारम्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ है। हाल में हुई उच्च स्तरीय यात्राओं में तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डाक्टर शंकर दयाल शर्मा की 26-29 मई, 1994 की बुल्गारिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री पीटर स्तोयानोव की 25-30 अक्तूबर, 1998 की भारत यात्रा शामिल है।

(ख) और (ग) भारत और बुल्गारिया के बीच अनेक अन्तर-सरकारी करार हुए हैं जिनमें राजनैतिक परामर्श, व्यापार और आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित सभी क्षेत्र शामिल हैं।

दोनों राष्ट्रपतियों की उपरोक्त यात्राओं के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर हुए:

- संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापकों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने से सम्बद्ध करार;
- दोहरे कराधान से परिहार से सम्बद्ध करार;
- पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार;

- संगरोध और पौध संरक्षण करार;
- पशु चिकित्सा और सफाई संबंधी करार;
- विदेश कार्यालय परामर्शों संबंधी प्रोतोकोल;
- भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार;
- भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और इन्टरनेशनल फेयर इन्क, प्लोवदिव के बीच परस्पर सहयोग करार;
- राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र और बुल्गारियन एक्सपोर्ट प्रोमोशन सेण्टर के बीच समझौता ज्ञापन; और
- भारतीय उद्योग परिसंघ और बुल्गारियन इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन।

[हिन्दी]

पान विकास योजना

2269. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पान विकास योजना को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्रशासनिक मंजूरी तथा अपेक्षित धनराशि मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) भारत सरकार आठवीं योजना के दौरान पान की बेल के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 1997-98 से इस स्कीम को चरणबद्ध रूप से बंद कर दिया गया है। इस प्रकार ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके लिए मध्य प्रदेश को पान की बेल के विकास के लिए प्रशासनिक अनुमति दी जाए तथा धन मुहैया किया जाए।

विशेष पायलट योजना

2270. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास योजना के अन्तर्गत मक्के से संबंधित किसी विशेष पायलट योजना का क्रियान्वयन करने हेतु राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश मक्का संबंधी विशेष अग्रणी स्कीम (मक्का आधारित फसल प्रणाली पर उप-कार्यक्रम" का अंग है जिसका वित्तपोषण 3 राज्यों नामत: बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में क्रियान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाना है। इसकी कुल लागत 3,43,26,380/- रु. (814,000/- अमरीकी डालर) है तथा इससे छ: जिलों नामत: उत्तर प्रदेश में बहराइच, बुलन्दशहर, देवरिया और ललितपुर तथा राजस्थान और बिहार में एक-एक जिले क्रमश: बांसवाड़ा और बेगूसराय को कवर किया गया है। यह उप-कार्यक्रम कवर किए गए क्षेत्रों में मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रसार को कवर करेगा।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही कार्यक्रम का क्रियान्वयन आरम्भ किया जाएगा। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने उप-कार्यक्रम प्रलेख पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण

2271. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में भूजल निकालने की मशीनों का पंजीकरण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा घर-घर जाकर अब तक कोई व्यापक अनुसंधानात्मक सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सर्वेक्षण पर प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई अनुमानित राशि क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण इस समय दिल्ली में और हरियाणा में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नगरपालिका क्षेत्रों में भूमि से जल निकालने वाली संरचनाओं का पंजीकरण कर रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने दिल्ली के नजफगढ़ ब्लाक में स्थित विभिन्न गांवों में भूमिजल निकालने वाली मौजूदा संरचनाओं को पंजीकृत करने के लिए घर-घर जाकर अनुसंधानात्मक सर्वेक्षण किया है और इस ब्लाक में भूमि जल निकालने वाली 13894 संरचनाओं को पंजीकृत किया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने यह कार्य अपने मौजूदा संसाधनों के द्वारा किया है। अत: इस कार्य में होने वाले व्यय के अलग खातों का रखरखाव नहीं किया गया है।

नयी गरीबी योजना

2272. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री एम. आगा रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित नयी गरीबी योजना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक इस प्रस्ताव को मंजूर किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार एवं मजदूरी-रोजगार, दोनों के सृजन हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित गरीबी-रोधी कार्यक्रम नौवीं योजना में भी जारी रहेंगे। इनकी प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से इन्हें पुन: अभिकल्पित किया जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास (डी.डब्लू.सी.आर.ए.), ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे हुए टूलकिट्स की आपूर्ति (एस.आई.टी.आर.ए.) एवं गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई.) की मौजूदा उप-स्कीमों को एक स्वरोजगार कार्यक्रम में एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत व्यक्ति लाभार्थी एप्रोच से दल अथवा समूह एप्रोच की ओर एक कार्यनीतिक परिवर्तन होगा। इस प्रक्रिया को सहायता पहुंचाने के लिए स्व-सहायता दलों का गठन किया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) को पंचायतों के माध्यम से ग्राम स्तर पर लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण आधार संरचना के सृजन तक सीमित रखा जाएगा। ब्लॉक एवं जिला स्तरों पर रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) एकमात्र मजदूरी रोजगार कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे गरीब परिवारों के कल्याण हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, का नौवीं योजना में विस्तार किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा विभिन्न क्षेत्रकीय कार्यक्रमों साथ ही साथ क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के छत्र में और अधिक एकीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को, ग्राम पंचायतों की और अधिक भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

2273. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजनाएं कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) विभाग ने एक राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना तैयार की है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक सेवा दोनों का उपयोग करके सम्पूर्ण गोजातीय पशुओं को संगठित प्रजनन कार्यक्रम के तहत एक साथ लाने की व्यवस्था है। कृत्रिम गर्भाधान कार्मिक गश्त लगाते रहेंगे तथा किसानों के घर पर सेवाएं प्रदान करेंगे। तदनुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्मिकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। प्राकृतिक सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जा रहे घटिया गुणवत्ता वाले सांडों के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता वाले पेडीग्री सांडों को लाने का प्रस्ताव है।

(ख) व्यय वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। योजना को औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले योजना आयोग तथा आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की सहमति की आवश्यकता है। इन्हें 1999-2000 की पहली तिमाही तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर प्रतिबंध

2274. श्री अमन कुमार नागरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय उर्वरकों के उपयोग पर लगे प्रतिबंधों को उठा लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची-I में शामिल/अधिसूचित उर्वरकों को फसल उत्पादन के लिए मृदा में उपयोग हेतु आवश्यक उर्वरकों के रूप में मान्यता दी गई है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची-I के अन्तर्गत आने वाले उर्वरकों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) और (ग) (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

नारियल का उत्पादन

2275. श्री फ्रांसिस्को सारदीना :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान नारियल के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा नारियल का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान देश में नारियल उत्पादन इस प्रकार रहा:-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन नग)
1995-96	12952.3
1996-97	13060.9
1997-98	13096.0

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में नारियल के उत्पादन में कोई स्थिरता नहीं आई। बहरहाल नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा रोपण सामग्री के उत्पादन तथा वितरण; नए रोपण; रोगग्रस्त/जराजीर्ण पामों की कटाई तथा छंटाई; क्वालिटी पौध पुन: रोपण करने; उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों को बढ़ावा देने; बहु प्रजातीय फसलन तथा पत्ती भक्षक सुण्डी के नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(घ) और (ङ) देश में नारियल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड की निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण;

(2) क्षेत्र विस्तार;

(3) उत्पादकता सुधार के लिए नारियल जोतों में समेकित फार्मिंग; तथा

(4) पत्ती भक्षक सुण्डी के नियंत्रण हेतु समेकित कार्यक्रम।

वर्ष 1998-99 के दौरान नारियल विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 23.00 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। ये परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी जारी रखी जाएंगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों का कल्याण

2276. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उक्त योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र के किसानों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई है; और

(घ) इससे अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुल कितने किसानों को लाभ हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) देश में कृषि के विकास के लिए सरकार कई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। तथापि, सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के कल्याण संबंधी अलग से कोई स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आई.सी.डी.पी.–मोटा अनाज

2277. **श्री मदन पाटील :**
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र प्रायोजित आई.सी.डी.पी.-मोटा अनाज कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों को केन्द्र के भाग के रूप में अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और खण्डों को लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 में मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम 6 राज्यों नामत: कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) राजस्थान (श्री गंगानगर और हनुमान गढ़ जिलों को छोड़कर) और सिक्किम में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पर होने वाला व्यय अधिकांशतया भारत सरकार और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। खेलों पर प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण तथा महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीज, कृषि उपस्करों, छिड़काव सैटों, स्कीम के मानिटरन के लिए आकस्मिकताएं आदि की आपूर्ति के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु सहायता दी जाती है। प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण केवल राज्य/राष्ट्रीय औसत से कम अनाज उत्पादन वाले अभिज्ञात ब्लाकों में ही क्रियान्वित की जानी है।

(ग) अभी तक राज्यवार आबंटन (केन्द्रीय अंशदान) का विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) नवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अभिज्ञात 2 राज्यों में सभी ब्लाकों को कवर किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1994-95 से 1998-99 (5.3.1999 तक) से राज्य-वार आवंटन (केन्द्रीय अंश) को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	धनराशि (रु. लाख में)
1.	गुजरात	1272.23
2.	कर्नाटक	1518.77
3.	मध्य प्रदेश	2562.50
4.	महाराष्ट्र	3348.53
5.	राजस्थान	2929.23
6.	सिक्किम	92.03

धान के बीज

2278. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में धान उत्पादक इस समय अपने कृषि कार्य-कलाप शुरू कर पाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनके अच्छे किस्म के बीज हाल की बाढ़ में नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से असम में बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आस्ट्रेलिया से व्यापारिक संबंध

2279. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया ने बेहतर व्यापारिक संबंधों में रुचि प्रकट की है और दोनों देशों के बीच के संबंधों में सुधार भी किया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया के साथ संबंधों में सुधार लाने हेतु विचार किया जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) आस्ट्रेलिया की पहल पर आस्ट्रेलिया के उप-प्रधान मंत्री तथा व्यापार मंत्री श्री टिम फिशर ने वाणिज्य मंत्री के साथ संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 25-27 फरवरी, 1999 तक भारत की यात्रा की। संयुक्त वाणिज्य परिषद् की बैठक जे.एम.सी. बैठक के साथ ही हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा की तथा प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए।

(ख) इस यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार, खेलों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन तथा कृषि में सहयोग पर दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये।

(ग) दोनों पक्षों ने विद्युत एवं खनन पर एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना पर सहमति व्यक्त की तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर एक संयुक्त कार्यदल स्थापित किये जाने की संभावनाओं की जांच की। रेलवे, व्यापार सूचना इत्यादि जैसे कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा हुई।

पारगमन संधि

2280. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नैपाल ने एक नई पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह संधि किस तारीख तक वैध रहेगी?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) 5 जनवरी, 1999 को वाणिज्य मंत्री श्री राम कृष्ण हेगड़े और नेपाल के वाणिज्य मंत्री श्री पूर्ण बहादुर खडका ने काठमाण्डु में भारत और नेपाल के बीच एक नवीकृत पारगमन सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) और (ग) नवीकृत सन्धि में नेपाली सामान के पारगमन के लिए उदार बनाई गई प्रक्रियाएं हैं। यह सात वर्ष की अवधि अर्थात् 5 जनवरी, 2006 तक वैध हैं और उसके बाद एक बार में 7-7 वर्ष की और अवधि के लिए स्वत: बढ़ती जाएंगी, बशर्ते दोनों में से कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को सन्धि को समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना 6 माह पूर्व न दे दे और यह भी कि रूप-रेखाओं और अन्य व्यवस्थाओं के साथ सन्धि के प्रोतोकोल और ज्ञापन प्रत्येक सात वर्ष के बाद अथवा उससे पहले भी, यदि आवश्यक हुआ तो, समीक्षा अथवा परिशोधन के अध्यधीन होंगे।

कृषि का विकास

2281. श्री ए. वेंकटेश नायक :
डा. प्रभा ठाकुर :
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान कृषि विकास के लिए राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को निवेश का हिस्सा किन्हीं मानदण्डों के अनुसार दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की जाती हैं जो राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, विभाग के बजट के कुल आवंटन तथा पहले निर्मुक्त निधियों में से अप्रयुक्त शेष राशि पर आधारित होती है।

विवरण

केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान कृषि के विकास के लिए जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1.10.98 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2513.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	216.34
3.	असम	256.90
4.	बिहार	335.91
5.	गोवा	122.40
6.	गुजरात	3105.54
7.	हरियाणा	1111.06
8.	हिमाचल प्रदेश	451.43
9.	जम्मू व कश्मीर	896.77
10.	कर्नाटक	5641.11
11.	केरल	2413.33
12.	मध्य प्रदेश	3238.15

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	8357.51
14.	मणिपुर	292.52
15.	मेघालय	180.05
16.	मिजोरम	619.55
17.	नागालैंड	349.77
18.	उड़ीसा	1943.76
19.	पंजाब	1146.04
20.	राजस्थान	7341.39
21.	सिक्किम	260.82
22.	तमिलनाडु	3864.15
23.	त्रिपुरा	360.85
24.	उत्तर प्रदेश	3557.51
25.	पश्चिम बंगाल	530.36
	योग	50106.72

नैफेड

2282. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री माधवराव पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ लि. वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में नैफेड के कर्मचारियों ने हड़ताल की है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों सहित इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) पिछले कई वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। नैफेड के कुछ कर्मचारियों को तत्कालिक प्रबंध निदेशक से कुछ शिकायतें थीं और उनकी मुख्य मांग प्रबंध निदेशक को हटाने की थी। श्री बी.एल. भादू को दिनांक 30.1.1999 से नैफेड के प्रबंध निदेशक के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी परियोजनाएं

2283. डा. सरोजा वी. : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेष रूप से तमिलनाडु में राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके आरम्भ होने के बाद से उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन परियोजनाओं के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भारत सरकार ने संबंधित केन्द्रीय और राज्यों के सहभागी अभिकरणों में मापन, वैधीकरण, मिलान, विश्लेषण, हस्तांतरण तथा जल वैज्ञानिक, जल मौसम वैज्ञानिक और जल गुणवत्ता आंकड़ों के प्रचार-प्रसार तथा मूल जल संसाधन मूल्यांकनों के लिए उपलब्ध संस्थागत और संगठनात्मक व्यवस्थाओं, तकनीकी क्षमताओं और वास्तविक सुविधाओं, में सुधार करने के लिए सितम्बर, 1995 में विश्व बैंक की ऋण सहायता से छः वर्षों की अवधि वाली जल विज्ञान परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना पांच केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात्; केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग; और आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल मूल लागत 458.06 करोड़ रुपए है और इसमें तमिलनाडु राज्य घटक का भाग 38.63 करोड़ रुपए है। जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत किसी भी राज्य की परियोजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया गया है।

(ख) जल विज्ञान परियोजना के तहत राज्यों को भारत सरकार द्वारा कोई निधि मुहैय्या नहीं कराई जा रही है। जल विज्ञान परियोजना (एच.पी.) के तहत राज्य घटक के लिए निधियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी योजना निधियों से मुहैय्या करायी जाती हैं। जल विज्ञान कार्यकलापों पर उनके द्वारा व्यय की गई निधियों की प्रतिपूर्ति स्वीकृत अनुपात में विश्व बैंक द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

2284. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा मंजूरी देने हेतु ढांचागत क्षेत्र की कितनी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ख) ढांचागत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में ढांचागत क्षेत्र की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) अवसंरचना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, सरकार ने अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को, विशेष रूप से विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़क और पत्तन क्षेत्रक में, लागू करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने का निर्णय लिया है।

वास्तविक अवसंरचना में तीव्र सुधार के लिए तैयार की गई एक विस्तृत कार्य योजना, नौवीं योजना के साथ समुचित रूप से समेकित की गई तथा इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक 19.2.99 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया। संबंधित मंत्रालय इन परियोजनाओं का नौवीं योजना दस्तावेज में उल्लिखित दिशानिर्देशों और सुझावों के आलोक में क्रियान्वित करेंगे।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अवसंरचना से संबंधित एक कार्यदल गठित किया गया है जिसमें सरकार और उद्योग दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की विशिष्ट परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करना तथा उनका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह कार्यदल प्रधान मंत्री द्वारा घोषित उन परियोजनाओं का कार्य देखेगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग और अतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों के विकास/उन्नयन से संबंधित है। कार्यदल को ऐसे अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएंगे।

प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति, बुनियादी और सेलुलर सेवाओं के वर्तमान लाइसेंसधारियों सहित दूर-संचार क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत सिफारिशें करने तथा नए दूरसंचार नीतिगत ढांचे के अंतर्गत और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) से संबंधित मुद्दों के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु दूरसंचार संबंधी एक दल का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की मानीटरिंग हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (डी.पी.आई.) की एक नोडल एजेन्सी के रूप में पहचान की गई है। इस क्षेत्रक की प्रमुख परियोजनाओं की मानीटरिंग इस विभाग द्वारा प्रत्येक माह फ्लैश रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है।

1 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक 100 करोड़ रुपये व उससे अधिक लागत वाली 204 परियोजनाएं डी.पी.आई. के मॉनीटर पर थीं। इसमें अवसंरचना (नागरिक विमानन, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, विद्युत एवं दूरसंचार) से संबंधित 128 परियोजनाएं शामिल थीं। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत, 54466.43 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के विषय में 35.44% के लागत आधिक्य की ओर संकेत करती है।

मसालों, नारियल तथा टसर सिल्क हेतु विकास योजनाएं

2285. श्री रवि सीताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर तथा दक्षिण भारत में मसालों, नारियल तथा टसर सिल्क का उत्पादन बढ़ाने हेतु विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) भारत में मसालों के विकास के लिए "मसालों के विकास हेतु समेकित कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें वर्ष 1998-99 के लिए 37.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार नारियल के विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड वर्ष 1998-99 के लिए 23.00 करोड़ रुपये के आवंटन से निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण

(2) क्षेत्र विस्तार

(3) उत्पादकता सुधार के लिए नारियल जोतों में समेकित खेती

(4) पत्ती भक्षक सुण्डी के नियंत्रण के लिए समेकित कार्यक्रम

(5) नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना

(6) विस्तार एवं प्रचार

(7) समेकित सूचना एवं प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना।

जहां तक टसर सिल्क के विकास का संबंध है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहक विकास स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है:-

(1) बीज बहुगुणन अवसंरचना के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता,

(2) ट्रॉपिकल टसर के लिए उन्नत रीलिंग/स्पिनिंग यंत्रों के उन्नयन तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए अभिकरणों (गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी समितियों) को सहायता,

(3) टसर के लिए फसल बीमा सहायता।

इसके अलावा प्रोत्साहक विकास स्कीमों के अंतर्गत सामान्य स्कीमें हैं जिनमें टसर सिल्क सहित रेशम के विकास को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त टसर तथा रेशम पालन को सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश ने ओवरसीज इकॉनॉमिक कार्पोरेशन फण्ड, जापान के सहयोग से एक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस परियोजना में टसर खाद्य संयंत्र के 4000 हैक्टेयर का विकास एवं परियोजना अवधि के बाद टसर कच्ची रेशम के 75 टन प्रति वर्ष उत्पादन में वृद्धि करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2286. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि में इन योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार ने वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत और जारी की है;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) किसी क्षेत्र की आयोजना और उसका विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मूलत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने स्वयं किसी क्षेत्र की पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उचित महत्व देकर, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों की सहायता करती है। इसके अलावा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों एवं विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लिये अतिरिक्त सहायता, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को आबंटित की जाती हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग के पास राज्य की कोई स्कीम लंबित नहीं है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

2287. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य विभाग की समस्याओं पर नियमित विचार-विमर्श के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) स्थाई समिति द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने रबी फसल 1998-99 संबंधी मूल्य नीति की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम और रेलवे को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन करना चाहिये जो कि नियमित आधार पर खाद्यान्नों के आवागमन संबंधी समस्याओं पर विचार करे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करने का मतलब केवल पहले से चल रहे काम को दोहराना होगा।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रंगाली नहर

2288. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में रंगाली सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) नहर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) नहर कार्यों को पूरा करने में होने वाली देरी के मुख्य कारण निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण तथा राज्य द्वारा इन्हें दी गई प्राथमिकता है।

(ग) और (घ) दायीं मुख्य नहर को 95 कि.मी. की लम्बाई तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है और इसके वर्ष 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। बायां मुख्य नहर के 71.3 कि.मी. की लम्बाई का कार्य करने के लिए अब बाह्य सहायता प्राप्त हो रही है और इसके वर्ष 2003 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण

2289. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को ''नाजुक क्षेत्र'' घोषित किया है क्योंकि यहां के भूजल में रासायनिक प्रदूषक तत्व हैं और यह मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की अनेक बस्तियों में भूजल की आपूर्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इन बस्तियों के निवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) अति दोहन तथा उस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के कारण रसायनिक प्रदूषकों के पाये जाने की वजह से भू-जल संसाधनों के समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने हरियाणा में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों को ''नाजुक क्षेत्र'' घोषित किया है।

(ख) किसी व्यक्ति, अभिकरण, उद्योग अथवा सरकारी संगठन द्वारा भू-जल निकालने की नई भू-जल संरचना की खुदाई केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों के अनुसार फरीदाबाद के उपायुक्त को फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल निकालने संबंधी संरचना के निर्माण और स्थापना पर प्रतिबंध लगाने पर जैसा उचित समझा जाये, कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के निवासियों को पेयजल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इन शहरी केन्द्रों की नगर पालिका प्राधिकरणों की है। तथापि, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ताजे भू-जल के स्रोतों का पता लगाने में स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

2290. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की क्या उपलब्धियां रही;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने देश में भण्डागारों/शीतागारों का निर्माण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान देश में विभिन्न कटाई पश्चात् और संबद्ध कार्यकलापों के लिये 975.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्वयं शीतागार और भंडारण गोदाम स्थापित नहीं करना। तथापि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में शीतागार/भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है।

(ग) 31.3.98 तक निगम द्वारा शीतागारों और भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

शीतागार : 7.71 लाख मी. टन की कुल क्षमता वाले 250 शीतागारों की मंजूरी दी गई है तथा सहकारी समितियों द्वारा शीतागारों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 90 करोड़ रु. की सहायता दी गई है।

भंडारण : 31.3.98 की स्थिति के अनुसार 139.86 लाख मी. टन की कुल क्षमता से सहकारी समितियों द्वारा 56258 ग्रामीण और 9512 विपणन गोदामों के निर्माण के लिए निवल कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है तथा देश में भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 596.31 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान रा.स.वि.नि. को जारी की गयी धनराशि का कार्यकलापवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

कार्यकलाप		1995-96	1996-97	1997-98
1		2	3	4
अखिल भारत				
1. विपणन		7350.243	4160.570	4362.920
2. आदान		11.304	5154.850	420.380
3. कृषि प्रसंस्करण				
(क) चीनी		11693.240	4359.730	8955.885
(ख) कताई मिल		126.770	702.550	0.000
(ग) तिलहन उत्पादन		0.000	0.000	223.370
(घ) अन्य उत्पादन		3116.273	1957.442	5269.903
	कुल	14936.283	7019.722	14443.150
4. भंडारण				
(क) गोदाम		1311.103	895.559	903.840
(ख) शीतागार		281.215	460.349	574.156
	कुल	1592.318	1355.908	1477.996

1		2	3	4
5.	ग्रामीण उपभोक्ता	125.050	175.218	188.928
6.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	5103.476	4322.909	5460.811
7.	कमजोर वर्ग			
	(क) मात्स्यिकी	2687.269	3181.904	3861.170
	(ख) डेयरी	374.710	263.100	171.317
	(ग) जनजातीय	1676.858	305.800	224.429
	(घ) हैण्डलूम	593.224	1293.128	431.991
	(ङ) अन्य	1531.858	940.613	1190.287
	कुल	6863.919	5984.553	5879.194
8.	प्रवर्धन और विविध	295.592	148.151	130.369
9.	ऋण	0.000	0.000	0.000
	कुल	36278.185	28921.881	32369.764

प्रशासनिक सुधार

2291. श्री अमन कुमार नागरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने की दृष्टि से उसी क्षेत्र में पांच वर्ष की कुशल सेवा और योग्यता के आधार पर कार्मिकों का चयन करके आई.ए.एस., आई.पी.एस. में सीधी भर्ती को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

सांस्कृतिक केन्द्र

2292. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में अब तक कितने सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये सांस्कृतिक केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1999-2000 के दौरान विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में 14 सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र जार्ज टाउन (गुयाना), पारामारिबो (सूरीनाम), पोर्ट लुई (मारीशस), जकार्ता (इण्डोनेशिया), मास्को (रूस), बर्लिन (जर्मनी), काहिरा (मिस्र), लन्दन (यू.के.), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), डरबन (दक्षिण अफ्रीका), अल्माटी (कजाकस्तान), ताशकंद (उजबेकिस्तान), पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनिडाड एवं टोबेगो) और कोलम्बो (श्रीलंका) में स्थित हैं।

(ग) और (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पास नए सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के बहुत से प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों की विदेश मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है। ये केन्द्र उनको खोलने की आवश्यकता के आंकलन तथा अतिरिक्त निधि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर खोले जाएंगे।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

2293. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने अभी तक अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) इस तथ्य के बावजूद कि विगत दो दशकों में गरीबी के प्रभाव क्षेत्र में अनुकूल गिरावट हुई है, अभी भी लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं जिनका बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों के सृजन के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए निर्धनता-रोधी कार्यक्रम नौवीं योजना में जारी रहेंगे। तथापि, इनकी प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए इनको पुन: डिजाइन किया जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (टी.आर.वाई.एस.ई.एम.) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), ग्रामीण शिल्पकारों को सुधरे हुए टूलकिट्स की आपूर्ति (एस.आई.टी.आर.ए.) और गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई.) की मौजूदा उप-स्कीमों को केवल एक स्वरोजगार कार्यक्रम में एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत व्यक्ति लाभार्थी एप्रोच से ग्रुप अथवा समूह एप्रोच में अनुकूल परिवर्तन भी होगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्व-सहायता दलों (एस.एच.जी.) का गठन किया जाएगा। समूह एप्रोच, स्थानीय संसाधन निधियों और उस क्षेत्र के लोगों की व्यावसायिक दक्षता पर आधारित कुछ विशिष्ट व्यवहार्य कार्यकलापों की पहचान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। गरीबों के संगठनों की क्षमताओं में वृद्धि के उद्देश्य से उनके निर्माण और सुदृढ़ीकरण की पहल की जाएगी। स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित वर्धनीय आय के निर्धारण में निवेश के स्तर को अत्यंत निर्णायक चर मानते हुए नौवीं योजना हेतु ऋण प्रवाहों और प्रति परिवार निवेश के औसत स्तर का उद्देश्य निवेश के बढ़े हुए स्तरों को प्राप्त करना होगा। आई.आर.डी.पी., लाभार्थियों की एक पैकेज एप्रोच के माध्यम से सेवा करेगी, जिसमें लाभार्थी की एक एकीकृत रूप में क्रेडिट, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, इनपुटों तक अभिगम्यता, संबंधित आधार संरचना और विपणन प्रतिबंधों तक अभिगम्यता होगी।

ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के माध्यम से लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण आधार संरचना के सृजन (जे.आर.वाई.) तक समिति रहेगा। ब्लाक और जिला स्तर पर रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.), एकमात्र मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम होगा। गरीबों, और देश के अधिक पिछड़े क्षेत्रों में जहां गरीबों और अल्प रोजगारों की सघनता है, तक स्कीम को पहुंचाने के लिए, स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ एहतियाती उपायों को अपनाना होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे गरीब परिवारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, का नौवीं योजना में विस्तार किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रकीय कार्यक्रमों तथा पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के मध्य एक वृहत एकीकरण लाने के प्रयास किए जाएंगे। यह आशा की जाती है कि, नौवीं योजना में, राज्य, राज्यों की समेकित निधियों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए आबंटित की गई राशि दोनों

में से पंचायतों को निधियां सौंप देंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों को उनके अपने राजस्व बढ़ाने वाले अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भागीदारी जारी रहेगी।

(ग) और (घ) सरकार ने गरीबी कम करने के लिए एक तीन तरफा कार्यनीति अपनाई है:

(1) रोजगार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास का तीव्रीकरण,

(2) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास,

(3) लक्षित गरीबी-रोधी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जबकि, लाखों लोगों की उनके रोजगार और आय को बढ़ाने में सहायता की गई है, गरीबी कम करने में इन गरीब-रोधी स्कीमों के अंशदान का वास्तविक मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

नैफेड

2294. श्री रवि सीताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नैफेड) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कृषि उत्पादों की मात्रा और मूल्य कितना है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि जिंसों का निम्नवत् निर्यात किया:-

वर्ष	मूल्य (लाख रु. में)
1996-97	7043
1997-98	5222
1998-99 (जून, 1999 तक)	1475

तथा 14,040 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।)

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा कृषि मदों का निर्यात

क्र.सं.	जिंस	मात्रा मी. टन	मूल्य लाख रु. में
1	2	3	4
1998-99 जनवरी, 1999 तक			
1.	बाजरा	200	11
2.	चावल	18	2
3.	हल्दी	605	234
4.	प्याज	5574	541
5.	आलू	277	29
6.	रामतिल	3037	658
		9711	1475
1997-98			
1.	बाजरा	500	50
2.	चावल	2000	192
3.	ज्वार	360	37
4.	मक्का	250	28
5.	चना	3664	236
6.	हल्दी	634	279

1	2	3	4
7.	मिर्च	4048	81
8.	काली मिर्च	30	55
9.	प्याज	10974	1040
10.	आलू	3753	779
11.	फल एवं सब्जी	–	11
12.	रामतिल	3739	779
13.	कपास	4495	2400
		34447	5522

1996-97

1.	बाजरा	435	40
2.	ज्वार	327	30
3.	चावल	2422	270
4.	गेहूं/आटा	376	135
5.	रामतिल	30	4
6.	हल्दी	653	196
7.	मिर्च	220	90
8.	जीरा	48	29
9.	अन्य मसाले	14	7
10.	प्याज	24952	2137
11.	लहसुन	34	11
12.	आलू	6808	610
13.	फल/सब्जी	113	26
14.	सेव	42	13
15.	रामतिल	5146	1348
16.	कुसुम	176	26
17.	कपास	3877	2071
	योग	45673	7043

विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	विदेशी मुद्रा (लाख रु.)
1998-99 (जनवरी, 1999 तक)	1475
1997-98	5522
1996-97	7043

[हिन्दी]

अलसी की फसल हेतु समर्थन मूल्य

2295. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

विवरण-II

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1997-98 तथा 1998-99 के लिए 26.02.99 तक राज्य सभा के लिए जारी निधियों का विवरण

(रुपए/लाख)

क्र.सं.	चुना गया जिला	राज्य सभा के सांसद के नाम	1997-98	1998-99
राज्य सभा के वर्तमान पदस्थ सांसद				
1.	मालापुरम	श्री अब्दुल समदानी	50.00	–
2.	अलपपुझा	श्री वायलर रवि	50.00	–
3.	अलपपुझा	श्री रामचंद्रन पिल्लई	100.00	–
4.	अरनाकुलम	श्री ई. बालानंदन	100.00	–
5.	कोलम	श्री जे. चितरंजन	100.00	50.00
6.	त्रिसूर	श्री सी.डी. पुलोस	–	50.00
7.	कोलम	श्री एम.वी. चारके माथातिल	–	100.00
8.	मालापुरम	श्री कोरमक्कैल अहमद हाजी	–	50.00
9.	मालापुरम	श्री ए. विजय राघवन	–	50.00
राज्य सभा के भूतपूर्व सांसद				
10.	कोलम	श्री एम.ए. बेबी	100.00	–
11.	कोजीकोड	श्री वी.वी. अब्दुल्ला कोया	100.00	–
12.	पथनमथित्ता	श्री बालाकृष्ण थिनाला पिल्लई	50.00	–
13.	त्रिसूर	श्री के. करूणाकरण	–	–
14.	कोट्टायम	श्री जॉय नादूकारा	–	–
	कुल		650.00	300.00

नकारात्मक राजनयिकता

2300. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1999 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'नेगेटिव डिप्लोमेसी डूइंग इण्डिया नो गुड एकरमैन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी हां।

(ख) वाशिंगटन डी.सी. में भारत-अमरीकी समुदाय के सदस्यों द्वारा 29 जनवरी, 1999 को आयोजित गणतंत्र दिवस रात्रि-भोज के अवसर पर अमरीकी कांग्रेस सदस्य गैरी आकरमैन, जो 'कांग्रेसनल इण्डिया काकस' के नए सह-अध्यक्ष भी हैं, ने भारत के बारे में और भारत-अमरीकी संबंधों में भारतीयों और अमरीकियों के योगदान के बारे में सकारात्मक बातों का उल्लेख किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे 'आज सायं ये संकल्प करेंगे कि एकता की भावना के अन्तर्गत आप, भारत-अमरीकी समुदाय और मैं और काकस अपने सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने भारतीय मित्रों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि 'नकारात्मक राजनयिकता' बन्द की जानी चाहिए।

बाद में श्री आकरमैन फरवरी, 1999 में भारत आए थे। बताया जाता है कि वे अपनी यात्रा से सन्तुष्ट होकर गए हैं। उन्होंने 'हाउस इण्टरनेशनल रिलेशन्स कमेटी' में 3 मार्च, 1999 को भारत-अमरीकी संबंधों पर बहुत ही रचनात्मक वक्तव्य दिया था।

(ग) अपने राष्ट्रीय हितों और चिन्ताओं को स्पष्ट करने के लिए सरकार प्रत्येक उपाय करती है और मिशन हर मौके का लाभ उठाते हैं और अमरीकी कांग्रेस के प्रति किए गए इस प्रयास का कांग्रेस सदस्य आकरमैन और कांग्रेसनल इण्डिया काकस के सदस्यों पर प्रभावी असर पड़ा है और आपसी हित के मुद्दों पर उनके साथ मिल कर काम करने की आशा है।

कृषि उत्पादन

2301. श्री के. येरननायडू :
श्री ए.सी. जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने कृषि उत्पादन को दुगुना करने और भारत को 10 वर्षों में भूख से मुक्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन पर अधिक बल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश की मूल खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु त्रिपक्षीय आयात नीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना की कृषि विकास नीति सरकार द्वारा घोषित उस खाद्य सुरक्षा नीति पर आधारित है जिसका उद्देश्य 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करना तथा भारत को भूख से मुक्ति दिलाना है। खाद्यान्न उत्पादन में न केवल खाद्यान्न, जैसे कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें आते हैं बल्कि इसमें प्रमुख खाद्य पदार्थ यथा तेल, चीनी, फल और सब्जियों, अण्डे और मांस तथा मछली भी आते हैं। एक ओर जहां पशुपालन और डेरी विभाग अगले 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने के उद्देश्य से पशुधन के विकास में तेजी लाने के लिए योजना आयोग के साथ परामर्श करके एक कार्य योजना तैयार कर रहा है वहीं दूसरी ओर कृषि एवं सहकारिता विभाग अनाज वाली फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फसल प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, हरी खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करके नई स्थान विशिष्ट उच्च उत्पादक किस्मों का प्रचार करके तथा उन्नत उत्पाद फसलों के प्रचार आदि के माध्यम से अगल 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा है।

परमाणु हथियार

2302. श्री ए.सी. जोस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने पांच परमाणु शक्ति संपन्न देशों से एक-दूसरे के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी इसी तरह की मांग कर रहा है;

(ग) क्या चीन ने इस नीति का वर्ष 1994 में प्रस्ताव किया था तथा इस मुद्दे पर वार्ता करने पर सहमत हुआ था;

(घ) क्या भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के परिप्रेक्ष्य में ये परमाणु शक्ति संपन्न देश इन्हें परमाणु शक्ति संपन्न देश मानने पर सहमत हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे दक्षिण एशिया में तनाव कम होने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारत ने 'पहले प्रयोग नहीं' तथा परमाणु हथियार रहित राष्ट्रों के विरुद्ध नाभिकीय हथियारों का प्रयोग न करने की एक नीति की घोषणा की है। हमने द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय स्तर पर 'पहले प्रयोग नहीं' की नीति पर बाध्यकारी करारों पर वार्ता करने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है।

(ग) जी हां। मार्च, 1994 में चीन ने 23 नवम्बर, 1993 को दिये गये अपने प्रस्ताव को नवीकृत किया, जिसमें उसने बीजिंग में नाभिकीय हथियारों का 'पहले प्रयोग नहीं' पर एक संधि संपन्न करने के उद्देश्य से नाभिकीय हथियार संपन्न राज्यों के बीच वार्ता कराने का आह्वान किया।

(घ) और (ङ) इन राज्यों का यह दृष्टिकोण है कि 1969 के नाभिकीय अप्रसार संधि में निहित विधिक परिभाषा के आधार पर भारत और पाकिस्तान को नाभिकीय हथियार संपन्न राष्ट्र नहीं माना जा सकता। तथापि अमरीका, फ्रांस, रूस तथा यूनाईटिड किंगडम सहित प्रमुख वार्ताकारों के साथ भारत की वार्ता इस सिद्धांत पर आधारित है कि भारत एक नाभिकीय हथियार संपन्न राष्ट्र है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अपने आकलन के आधार पर एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाये रखेगा। सरकार का विश्वास है कि भारत की नाभिकीय क्षमता को वैध बनाने से संतुलन आयेगा तथा इससे क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक स्तर पर स्थायित्व और सुरक्षा पर्यावरण में वृद्धि होगी और इससे नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस प्रगति होगी।

कश्मीर की गलत तस्वीर प्रस्तुत करना

2303. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रवि सीताराम नायक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की विदेश सीमाओं को लेकर पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार में हंगरी और टोगो भी शामिल हो गये हैं जैसा कि सामान्यत: कश्मीर को गलत तस्वीर प्रस्तुत करने के अभियान में होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में हंगरी और टोगो से कश्मीर की गलत तस्वीर प्रस्तुत करने के संबंध में बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो भारत ने इन राष्ट्रों को अपनी स्थिति से कहां तक आश्वस्त कराया है; और

(घ) इन राष्ट्रों ने कहां तक अपनी गलती महसूस की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं। सितंबर, 1998 में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपे एक लेख में ऐसा मिथ्या निरूपण किया गया था। यद्यपि मिथ्या निरूपण/विरूपण सरकारी मानचित्रों से संबद्ध नहीं है, बल्कि टोगो द्वारा जारी एक टिकट पर रेखाचित्र में और हंगरी द्वारा 1989 में जारी निरसन चिह्न से संबद्ध है।

(ख) से (घ) जब भी भारत की बाह्य सीमाओं के विरूपण/मिथ्या निरूपण के मामले हमारी जानकारी में आते हैं, इनके सुधार की दृष्टि से तुरंत संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया जाता है।

[हिन्दी]

न्यूक्लीयर फ्यूअल काम्पलेक्स के कर्मचारियों को बोनस

2304. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1993 में न्यूक्लीयर फ्यूअल काम्पलेक्स के कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान के लिए कोई आदेश अधिसूचित हुआ था;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान इन कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान में अनियमितताएं पाई गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के कर्मचारियों के लिए एक उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम अप्रैल, 1993 में अधिसूचित की गई थी।

(ख) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के कर्मचारियों को वर्ष 1995-96 के लिए प्रोत्साहन का भुगतान करने में कोई अनियमितता नहीं हुई थी।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिण कोरिया की यात्रा

2305. श्री के.पी. नायडू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी नहीं। विदेश मंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद से कोरिया गणराज्य की यात्रा नहीं की है। तथापि विदेश राज्य मंत्री ने 21 से 24 जनवरी, 1999 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी। विदेश राज्य मंत्री ने कोरिया गणराज्य के प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से फरवरी, 1999 में भारत आने का निमंत्रण दिया। वह कोरिया गणराज्य के विदेश एवं व्यापार मंत्री तथा व्यापार राज्य मंत्री से भी मिलीं। विचार-विमर्श में परस्पर हितकारी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर ध्यान दिया गया। विदेश राज्य मंत्री ने कोरिया-भारत सोसायटी एवं कोरिया-भारत व्यापार परिषद के सदस्यों से भी मुलाकात की तथा उनसे हमारे लोगों और देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग का संवर्धन करने पर बातचीत की।

इस यात्रा से कोरिया गणराज्य, जो भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान मिला। प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर कोरिया गणराज्य के प्रधान मंत्री 10-11 फरवरी, 1999 को भारत की यात्रा पर आए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 1999 को जारी उद्घोषणा

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): मैं श्री एल.के. आडवाणी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 1999 को जारी उद्घोषणा, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत उनके द्वारा 12 फरवरी, 1999 को जारी पूर्व उद्घोषणा को प्रतिसंहृत किया गया है तथा जो 8 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2522/99]

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह): मैं वर्ष 1999-2000 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2523/99]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): मैं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2524/99]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): मैं आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 43 ग्यारहवां सत्र 1988

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2525/99]

(2) विवरण संख्या 42 तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2526/99]

(3) विवरण संख्या 27 चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2527/99]

नौवीं लोक सभा

(4) विवरण संख्या 45 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2528/99]

दसवीं लोक सभा

(5) विवरण संख्या 34 दूसरा सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2529/99]

(6) विवरण संख्या 36 चौथा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2530/99]

(7) विवरण संख्या 30 पांचवां सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2531/99]

(8) विवरण संख्या 33 छठा सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2532/99]

(9) विवरण संख्या 28 सातवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2533/99]

(10) विवरण संख्या 28 आठवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2534/99]

(11) विवरण संख्या 26 नौवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2535/99]

(12) विवरण संख्या 20 बारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2536/99]

(13) विवरण संख्या 18 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2537/99]

(14) विवरण संख्या 15 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2538/99]

ग्यारहवीं लोक सभा

(15) विवरण संख्या 10 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी 2539/99]

(16) विवरण संख्या 9 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2540/99]

(17) विवरण संख्या 8 चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2541/99]

(18) विवरण संख्या 6 पांचवा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2542/99]

(19) विवरण संख्या 6 छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2543/99]

बारहवीं लोक सभा

(20) विवरण संख्या 4 पहला सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2544/99]

(21) विवरण संख्या 4 (खंड 1+2) दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2545/99]

(22) विवरण संख्या 1 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2546/99]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2547/99]

(ख) (एक) न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) के मद (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 2548/99]

(3) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2549/99]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत यूरिया इत्यादि के मूल्य निर्धारण संबंधी अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) जो 28 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूरिया, जिंकेटेड यूरिया तथा निर्जल अमोनिया का मूल्य निर्धारित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2550/99]

(2) स्टेट फार्मस् कारपोरशन आफ इंडिया के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2551/99]

(3) (एक) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी था अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2552/99]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाईड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाईड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 2553/99]

(7) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कापरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कापरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 2554/99]

(9) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2555/99]

(11) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2556/99]

(12) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महाराष्ट्र लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 2557/99]

(14) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 2558/99]

(ख) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 2559/99]

(16) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 2560/99]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (वेतन और भत्ते, आदि) संशोधन नियम, 1998 आदि के संबंध में अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के (वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कर्मचारी) (सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998, 17 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 747(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (ग्रुप "ख" और "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 784(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान निजी सचिव भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 785(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2561/99]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784(अ) जो 17 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबंधों को उसमें उल्लिखित संगठनों पर लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 1999 से नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2562/99]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) अट्ठाहरवां संशोधन विनियम, 1998 जो 7 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) अट्ठारहवां संशोधन नियम, 1998 जो 7 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) उन्नीसवां संशोधन विनियम, 1998 जो 4 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) उन्नीसवां संशोधन विनियम, 1998 जो 4 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1998 जो 31 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1998 जो 31 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 210 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1998 जो 14 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1998 जो 14 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) बीसवां संशोधन विनियम, 1998 जो 16 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) इक्कीसवां संशोधन विनियम, 1998 जो 16 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 627(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1998 जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1998 जो 31 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1994 जो 12 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 1999 जो 12 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 106(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2563/99]

(4) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1997 की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह की स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2564/99]

(5) (1) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 2565/99]

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वीर सिंह महतो (पुरूलिया): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

प्राक्कलन समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): मैं शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग)-दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंध में प्राक्कलन समिति के तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

याचिका समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णानगर): मैं याचिका समिति (बारहवीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 17 दिसम्बर, 1998 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था के सवाल के लिए आपको नोटिस दे रखा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह फर्जी मतदान का सवाल है, हाउस में फर्जी मतदान हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, आप बैठिये। आप क्या बोल रहे हैं? पहले आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सदन की विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो सदन कैसे चलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप हमें आश्वासन दें।

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): आप कई दिनों से आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी।

अपराह्न 12.04 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवें से पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के. करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम): मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) "विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(तीन) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(चार) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक संभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(पांच) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें--(सामान्य) 1998-99

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैं 1998-99 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें–(सामान्य) 1996-97

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैं 1996-97 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की दरों में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। *...(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यह अच्छी बात है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार नहीं किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस वृद्धि पर पुनर्विचार करें। यदि वह इसे थोड़ा नीचे ला सकें *...(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, पीठासीन अधिकारी कुछ कहना चाहते हैं। यह क्या है? कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, हमने जो नोटिस दिया है, वह कोई साधारण मामला नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, आप पहले बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहे हैं। बजट और राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद सहित बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों पर अभी विचार किया जाना है। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि आज कोई 'शून्य काल' अथवा भोजन अवकाश नहीं होगा। मुझे आशा है कि सदस्य सहयोग करेंगे। कृपया सहयोग करें, अन्यथा कार्य पूरा करना संभव नहीं होगा। हमें आज पेटेंट विधेयक पारित करना है। हम 'शून्य काल' कल कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यह केवल एक अनुरोध है। कृपया इस पर पुनर्विचार करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यह पुनर्विचार करने के लिए मंत्री महोदय से केवल एक अनुरोध है। तब, मैं बैठ जाऊंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं। कल हम 'शून्य काल' कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। यह आज बढ़ाया गया है। इसे कल उठाने की कोई उपयोगिता नहीं है। यह केवल एक अनुरोध है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से आज साज सहयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं। बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों पर अभी विचार किया जाना है। इसलिए, मैं सदस्यों से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं, अन्यथा, हम कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। शून्य काल हम कल कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : नहीं महोदय ...*(व्यवधान)* मेरा मंत्री महोदय से केवल विचार करने का अनुरोध है, क्योंकि 60 प्रतिशत की वृद्धि बहुत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, आप इसे कल क्यों नहीं उठाते?

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह वृद्धि आज की गई है। इसे कल उठाने का कोई लाभ नहीं है। ...*(व्यवधान)* आज यह वृद्धि पूरे देश में की गई है। ...*(व्यवधान)* हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि उन्हें आज ही उत्तर देना चाहिए। हमारी भावनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। बस इतना ही कहना है। वे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को एक करके आंक रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपनी बात एक मिनट में कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस बात की प्रशंसा करते हैं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल उठाया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने प्रश्नकाल से पहले भी आपको इस संदर्भ में सूचित किया था कि यह सवाल सदन की विश्वसनीयता का सवाल है ...*(व्यवधान)* इस सदन में फर्जी मतदान हुआ है ...*(व्यवधान)* सदन कैसे चलेगा ...*(व्यवधान)* इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया पहले मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया बैठ जाइए। आपने एक नोटिस दिया है और यह मेरे विचाराधीन है। इसीलिए मैं आपको अभी यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जांच पड़ताल के बाद ही मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, यह मेरे विचाराधीन है। कृपया प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करें। आप इसे कैसे उठा सकते है, जब यह मेरे विचाराधीन है?

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी साथियों की आवाज उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, यह क्या है? यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सवाल कंसिडरेशन का नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, यह ठीक नहीं है। आपने मुझे सूचना दी है और यह मेरे विचाराधीन है। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी पहले ही निर्णय दे चुके हैं। जब यह मेरे विचाराधीन है, तब आप इसे कैसे उठा सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : यह सदन एक अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यहां पर फर्जी मतदान हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाइक, कृपया अपने सदस्यों को बताइए कि यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग इस मुद्दे को कई दिनों से उठा रहे हैं। इस मामले की जांच करना लोक सभा सचिवालय का कार्य है। आपको केवल यह घोषणा करनी है कि कोई निर्णय लेने में कितना समय लगेगा और यह मामला प्रतिदिन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अत:, मैं आपसे निश्चित समय देने का अनुरोध करूंगा कि आप कितने दिन लेंगे और इस मामले को वहां समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इस सभा में बहस के लिए नहीं है। यह निर्णय आपको सचिवालय की सहायता से लेना है। अत:, कृपया कोई समय निर्धारित कर दीजिए ताकि यह विवाद रूके और हम नियमित कार्य करें *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही मेरे विचाराधीन है। बाद में सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, कृपया स्पष्ट करें। यह घटना 26 फरवरी को हुई और आज 10 मार्च है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह मेरी और मेरी पार्टी की ही भावना नहीं है बल्कि सारे सदन की भावना होगी कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का टास्क बहुत मुश्किल हैं, इसे हम भी समझते हैं। गांवों से बहुत डिमांड्स आ रहे हैं कि वहां कम्युनिकेशन नेटवर्क फैलाना है लेकिन अभी अरबन और रूरल एरियाज में कम्युनिकेशन बैलेंस नहीं है। मैंने स्वयं गांव में जाकर महसूस किया है कि आज भी वहां 80 प्रतिशत टेलीफोन खराब पडे हैं। जब आपने टेरिफ रिवाइज किए दो रूरल पर ज्यादा बोझ डाल दिया और अरबन पर कम डाला, इसमें फर्क रखा है। 60 प्रतिशत की एक स्टीप हाइक से गांव पर बोझ पड़ जाएगा। मैं भी मानता हूं कि गांव के व्यक्ति को कम्युनिकेशन से बचत है।

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना हैं कि इसको रिव्यू करें और इस बोझ को रूरल एरियाज में कम करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिकेशन बढ़ सके तथा उनको फायदा हो सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी एक ही मामले का समर्थन कर रहे हैं।

अब मंत्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप भी यही मुद्दा उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): इससे पहले कि मंत्री जी कुछ कहें, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं बहुत खराब है। माननीय मंत्री जी अतिरिक्त सेवाओं के बारे में भी कुछ कहें, जो वह शुरू करने जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया बैठ जाइए।

संचार मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया होगा, ये दरें दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई हैं जो एक स्वतंत्र निकाय है। ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। ...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि सरकार इसकी जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो मैं सभा के समक्ष बयान दूंगा। इसलिए, मामला यह है कि हम समाज के किसी भी वर्ग को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अथवा निम्न मध्यम आय समूह के लोगों की तो बात ही छोड़िए। हम इसे देखेंगे। हम यथा समय बयान देंगे। ये दरें तत्काल लागू नहीं हो रही हैं, ये एक अप्रैल से लागू हो रही हैं। एक अप्रैल से पहले, मैं इसकी जांच करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या मैं सभा की कृपादृष्टि चाह सकता हूं?

महोदय, संचार संबंधी स्थायी समिति के सभापति की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि जब पहली बार भारतीय दूर संचार प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव आए थे, तो समिति ने बैठक की और उनकी जांच की। हमने एक मत से कॉल प्रभारों में किसी भी वृद्धि के विरोध में सिफारिश की थी। छह वर्षों मे किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। हमने कहा कि किराये में कुछ वृद्धि हो सकती है।

जहां तक कॉल प्रभार का संबंध है, हम इसके विरुद्ध थे। तत्पश्चात्, बैठकें हुईं और मुझे माननीय मंत्री जी का अवश्य धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी पहल की। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी और उसमें मंत्री महोदय तथा अधिकारी भी उपस्थित थे। हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी। स्थायी समिति के समक्ष पुनर्विचार के लिए एक प्रार्थना की गयी थी। इस मामले पर हमने पुन: बैठक की। हमने कहा, "हम अपने विचार बदलने में असमर्थ हैं, क्योंकि शुल्कों में वृद्धि का कोई कारण नहीं था। वस्तुत: यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा, क्योंकि यह दूरसंचार विभाग को प्रभावित करेगा।" मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी स्थायी समिति और सभा के स्पष्ट मत को देखते हुए समुचित निर्णय लेंगे।

श्री जगमोहन : मैं समुचित कार्यवाही करूंगा और आपके विचारों को यथोचित सम्मान दिया जाएगा। हम आपका समर्थन करते रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, हमें धन्यवाद देना है।

अध्यक्ष महोदय : किसको धन्यवाद देना है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको धन्यवाद देना है। बिहार में गरीब की बेटी राबड़ी देवी के पुन: मुख्यमंत्री बनने पर हम बिहार की 10 करोड़ जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को, विपक्ष के नेता शरद पवार को, सोमनाथ चटर्जी जी को, चन्द्रशेखर जी को ...*(व्यवधान)* विपक्ष के सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक काले अध्याय को समाप्त करने में, अंत में सद्बुद्धि से काम लिया। हम सदन के बाकी नेताओं के भी आभारी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): महोदय, हमने इस पक्ष से श्री मोहन गुरुस्वामी के आरोपों के आधार पर भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। उस समय माननीय वित्त मंत्री और अन्य इस बात पर सहमत थे कि मामले पर बहस की जा सकती है। मेरा केवल यह निवेदन है कि इस मामले पर किसी समय विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर, प्रधान मंत्री जी ने सभी आरोपों को नकार दिया है। यह ठीक नहीं है। हमने आशा की थी कि इस मामले पर यहां चर्चा की जाएगी।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): महोदय, मैंने एच.आर. कोइल स्टील के विरुद्ध कुछ विशिष्ट आरोप लगाए थे, जो श्री मोहन गुरूस्वामी के आरोपों पर आधारित नहीं हैं, जहां निम्नतम मूल्य 302 अमरीकी डालर प्रति मिट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया था। यह सभा और सरकार सहमत हो गए है और आपने स्वयं सभा को आश्वस्त किया है कि आप कार्य मंत्रणा समिति के अन्य नेताओं के साथ परामर्श करके समय नियत करने वाले हैं। आज आपके स्वयं की अभिव्यक्ति के अनुसार हम निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहे हैं। हमारे पास केवल तीन दिन इस सप्ताह में और तीन और दिन अगले सप्ताह में हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिन पर इस सभा में चर्चा की जानी है। श्री विष्णु भागवत से संबंधित मामला भी है। मैं नहीं जानता कि आप इस पर क्या करने जा रहे है। इस मामले पर चर्चा के लिए विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके कोई समय नियत किया जाना चाहिए।

यह प्रधान मंत्री का सभा के बाहर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सवाल नहीं है। हमने इस मामले को इस सभा में उठाया है और सभा तथा सरकार इस पर सहमत हैं और आपने सभा को आश्वस्त किया है कि इसके लिए कुछ समय आबंटित किया जाएगा। मैं जानता हूं कि अन्य कार्यों के संबंध में हमारे पास समय की कमी है। इस बीच मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सभा की सहमति हो, तो हम कुछ और समय तक बैठ सकते हैं। पहले भी हम रात को सात बजे अथवा नौ बजे तक बैठे है। यदि सभी सहमत हो, तो हम अभी भी बैठने को तैयार हैं।

इस मामले पर चालू सत्र में ही बहस होनी चाहिए। इस मामले पर सरकार की ओर से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस पर हमारी सहमति होने का सवाल ही नहीं है। कृपया तय करें कि हम किस दिन इस मामले पर विचार करेंगे और इसकी घोषणा करें।

[हिन्दी]

श्री विजय शंकर (मैसूर): अध्यक्ष महोदय, केवल इसी विषय पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। करप्शन के चार्जिस जिस किसी पर लगे हैं, उनके बारे में भी यहां चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी बोल रहे हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा की जा सकती है और वहां कोई निर्णय लिया जा सकता है।

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, यह मामला सभा में उठाया गया था और आपकी ओर से विशिष्ट रूप से वायदा अथवा आश्वासन दिया गया था कि आप इसके लिए समय निश्चित करेंगे। मैं नहीं समझता कि हमें कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसा कि माननीय देवगौड़ा ने सुझाव दिया है, हम छह बजे के बाद बैठने को तैयार हैं बशर्ते कि मोहन गुरूस्वामी मामले पर चर्चा के लिए कुछ समय आवंटित किया जाये। हमें आज और कल भी छह बजे के बाद बैठने में कोई परेशानी नहीं है। हम छह बजे तक नियमित कार्य पूरा कर सकते हैं और छह बजे के बाद इस महत्वपूर्ण मामलों को ले सकते हैं, चाहे वह भागवत का मामला हो अथवा मोहन गुरुस्वामी का मामला हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह छह बजे के बाद क्यों होना चाहिए। नियमित मामलों पर छह बजे के बाद चर्चा की जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स और सब-मैरिन पर भी यहां चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं इस मामले पर चर्चा के लिए विपक्ष की नेता की उत्सुकता को समझता हूं। ये मामले सामान्यतया कार्य मंत्रणा समिति में तय किए जाते हैं। संपूर्ण सभा को कार्य मंत्रणा समिति में बदलना उचित नहीं होगा। हम इस पर तैयार हैं। जब कभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय ने वायदा किया है।

श्री राम नाईक : इसीलिए कार्य मंत्रणा समिति में समय के बारे में निर्णय लिया जाना है।

श्री राजेश पायलट : हम अध्यक्ष महोदय से समय नियत करने का अनुरोध करते हैं।

श्री राम नाईक : यही तो मैं भी कर रहा हूं।

श्री राजेश पायलट : यह कार्य मंत्रणा समिति में नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी. शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय भी इस पर सहमत थे, जिसके आधार पर हमने इसे यहां उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल अपराह्न एक बजे सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। हम उस बैठक में समय के बारे में निर्णय लेंगे।

श्री राजेश पायलट : मेरी आशंका यह है कि सरकार जानबूझकर इसमें विलम्ब करने का प्रयत्न कर रही है। अब अधिक समय नहीं बचा हैं। सरकार इसे अगले सप्ताह तक ले जाने का प्रयत्न कर रही है, किन्तु तब वह कहेगी कि बजट और

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। अंततः हम इस मुद्दे को उठाने का अवसर और विपक्ष का अधिकार खो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल नेताओं की एक बैठक बुलाई है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, इसमें पहले ही चार दिन का विलम्ब हो चुका है।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): वह विष्णु भागवत के मामले के बारे में था। यह मोहन गुरूस्वामी के मामले के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर नेताओं की बैठक में कल चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : हमें कल होने वाली बैठक के लिए सूचना मिल चुकी है। कार्य मंत्रणा समिति में हमने यह निर्णय लिया था कि अठारह से पूर्व इस सत्र में दो बार चर्चा होगी एक शुक्रवार को और दूसरी सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को। मुझे नहीं पता कि हम किस प्रकार समय निकाल पाएंगे। यदि आप यथासंभव शीघ्र कोई निर्णय ले लें, तो संपूर्ण सभा को इससे सहायता मिलेगी।

श्री राम नाईक : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने बहुत सी बातों के बारे में निर्णय लिया था। हमने निर्णय लिया था कि पेटेंट विधेयक पर चर्चा कल ही पूरी कर ली जायेगी। हम रात्रि के आठ बजे तक काम करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कल सभा इसके लिए सहमत नहीं हुई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि चूंकि सरकारी कार्य महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रकृति का है, उस पर पहले विचार किया जाएगा। यही निर्णय लिया गया था। पेटेंट विधेयक पर कल चर्चा पूरी नहीं हो सकी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव अभी शुरू होना है। इस दृष्टिकोण से हम कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों से सहमति व्यक्त करते हैं। यह तो विपक्ष है जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहा।

श्री चन्द्रशेखर : मुझे एक सुझाव देना है। मुझे नहीं मालूम कि इस सभा के माननीय सदस्यों को यह स्वीकार्य होगा अथवा नहीं। सदन में भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा के संबंध में हमारा अनुभव काफी निराशाजनक है। विगत कई वर्षों से हमने भ्रष्टाचार के अनेक मामलों पर चर्चा की है, किन्तु हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

क्या मैं आपके माध्यम से सभा को यह सुझाव दे सकता हूं कि आप कुछ ऐसे वरिष्ठ सदस्यों को, जिन्हें इस मामले में रूचि हो, वह संसद सदस्यों के एक समूह के सम्मुख सभी सम्बद्ध मामले रखे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : ठीक है, अन्य लोग भी इस मामले को उठायेंगे। मैं नहीं समझता कि मामले को केवल आप ही उठा सकते हैं, *...(व्यवधान)* तब उस समय 'नहीं', 'नहीं' कह सकते हैं।

मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। मैं आपके ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं सकता *...(व्यवधान)* यदि आप अध्यक्ष हैं, तो मैं आपको संबोधित करूंगा। दुर्भाग्यवश, आप नहीं है और मेरा विचार यह है कि देश इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि आप अध्यक्ष बन जायेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि आपको एक समिति अथवा श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के उपनेता तथा अन्य जो इस मामले में रुचि रखते हैं, को मिलाकर संसद सदस्यों का एक समूह गठित करना चाहिए तथा इन सभी भ्रष्टाचार के मामलों को उसके समक्ष लाना चाहिए।

पहले इस मामले को ले जिस पर पहले चर्चा का आश्वासन दिया जा चुका है और यदि इस पर कुछ सहमति हो जाती है कि वाद-विवाद को कुछ मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए, तो इस मामले को उठाया जा सकता है। अन्यथा वाग्युद्ध वाला वाद-विवाद कई दिनों तक होता रहेगा और कीचड़ उछालने के अतिरिक्त हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दूसरी ओर, हम दूसरे मामलों को लायेंगे। महोदय, आप क्षमा करें, फिर आप इस मुद्दे को उठाने से नहीं रोक पायेंगे। मेरे विचार से समय हमारे पास कम है और बहुत सा कार्य करना है। हमें अपने काम को इस तरह से नियोजित करना होगा ताकि इस विषय पर हम कुछ सकारात्मक काम कर सकें और कुछ परिणाम प्राप्त कर सकें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री के. करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में, वे नेताओं की एक बैठक आयोजित कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* उस समय तो सभा के सामने प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे होंगे। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंत्री द्वारा इस तरह के वक्तव्य को रोकें।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक स्पष्टीकरण के रूप में यह मामला उठाया है। चाहे वह बोफोर्स का ही मुद्दा हो, जब यह मामला उठा, मैंने उस बात को बार-बार कहा है कि संसद को अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसे बोफोर्स पर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह मामला तो पुलिस इंस्पेक्टर का मामला है। यहां तक कि जब मैं संसद में था और जब मैं संसद से बाहर भी था और जब मैं सरकार में था, मैं आप लोगों की तरह मैं प्रतिदिन नहीं बदलता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री आर.एल.पी. वर्मा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। ग्रामीण बैंक कर्मचारी धरना दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कल हम शून्य काल के दौरान इसकी चर्चा करेंगे। आज नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय आज ग्रामीण बैंक कर्मचारी यहीं हैं। वे मांग कर रहे है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले – श्री आर.एल.पी. वर्मा।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, इसी मामले पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने के लिए कहा है

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री बसुदेव आचार्य कह रहे हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महो य ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैंने आपको कल बोलने के लिए कहा है, आज नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर.एल.पी. वर्मा को नियम 377 के अन्तर्गत मामले पर बोलने के लिए पहले ही कह चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री आर.एल.पी. वर्मा, एक मिनट, श्री बसुदेव आचार्य को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब जो कुछ भी श्री बसुदेव आचार्य कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हजारों ग्रामीण बैंक कर्मचारी आज धरना दे रहे हैं और छठे वेतन द्विपक्षीय समझौते के विस्तृत कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं हमारे देश की शीर्ष अदालत ने एन.आई.टी. का गठन किया जिसने मजदूरी की समानता और सेवा निवृत्ति लाभों के पक्ष में अपना आदेश दिया है। महोदय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बैंगलोर उच्च न्यायालय और एर्नाकुलम उच्च न्यायालय शामिल है, ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान उनके वेतन लागू करने के पक्ष में आदेश पारित किए है परन्तु सरकार इसे कार्यान्वित नहीं कर रही।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनकी अन्य मांग यह है कि आर.बी.आई. द्वारा मंजूरी प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए।

अत: सरकार को इस बारे में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान वेतन लागू करने के पक्ष में भी आदेश पारित किए हैं। वेतन समझौते के छ: महीने बाद भी उन्हें इससे मना किया जा रहा है। वे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की मांग कर रहे हैं जिसे आर.बी.आई. ने मंजूरी दे दी थी। आर.बी.आई. से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् भी इसे गठित नहीं किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सरकार को विचार करना चाहिए और वेतन समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। इस समझौते को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री के. येरननायडू और श्री पी. उपेन्द्र भी इस मामले का समर्थन कर रहे हैं।

श्री के. येरननायडू : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत कुमार पांजा, क्या आप भी इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं?

श्री अजीत कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं इस मामले में नहीं बोलना चाहता, परन्तु मैं भ्रष्टाचार के मामले में बोलना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के मामले पर आपने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। मेरे विचार से आजादी से अब तक सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार हुआ है वह लोक सभा में जाली वोट देने के बारे में है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अन्यथा लोक सभा की कोई पवित्रता नहीं रहेगी। कम्यु (मा.) के इस (ए) टीम ने पिछले आम चुनावों में हमारे खिलाफ जाली मतदान करने के लिए उनकी कांग्रेस आई के (बी) टीम का प्रयोग किया है। कृपया इसकी जांच करें....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत मामलों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। श्री आर.एल.पी. वर्मा अब नियम 377 के अधीन मामले पर बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.37 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोडरमा, बिहार में अभ्रक खान कर्मकार संगठन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों/अस्पतालों को जारी रखना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): महोदय, बिहार में कोडरमा क्षेत्र विश्व में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। भारत सरकार ने अभ्रक खान उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रम कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यकलाप आरंभ किये थे। अभ्रक खान श्रमिक संगठन कोडरमा ने वर्ष 1960 में एक प्राथमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की ताकि अभ्रक श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह संगठन अभ्रक खनन, बीड़ी निर्माण, पत्थर की खदानों, पत्थर तोड़ने, डोलोमाइट और चूनापत्थर बनाने में लगे श्रमिकों के बीच निरक्षरता को समाप्त करने के लिए युगांतरकारी सेवायें प्रदान कर रहा है।

हाल ही में, अभ्रक की खानों में संसाधनों की स्थिति बिगड़ने के कारण अभ्रक खनन संबंधी कार्यकलाप कम हो रहे हैं। श्रम खनन प्राधिकारी विद्यालयों को बंद करने और अस्पताल में 100 बिस्तरों को घटाकर 30 बिस्तर करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। विद्यालयों को बंद करने से गरीब श्रमिकों को शैक्षिक सुविधाएं नहीं मिल पायेंगी। विद्यालयों को बंद करना हमारी निरक्षरता दूर करने की नीति के भी खिलाफ होगा।

मैं यह सुझाव दूंगा कि श्रम कल्याण संगठन, कोडरमा के संसाधन और राजस्व में इन सभी श्रम प्रवण खनन कार्यों को अभ्रक खनन श्रमिक संगठन अथवा इस समय नये नाम से प्रचलित "एल.डब्ल्यू.ओ." कोडरमा में मिलाकर वृद्धि की जा सकती थी। यह भी सुझाव दिया जाता है कि एम.पी.आई. के परित्यक्त भवन को छात्रावास में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि कोडरमा के किसी विद्यालय और अस्पताल को बंद किये बिना श्रमिकों को खान-पान और रहने तथा शैक्षिक सुविधाएं सदैव की भांति नि:शुल्क प्रदान की जा सके। मैं माननीय श्रम मंत्री का कोडरमा, बिहार के विद्यालयों को जारी रखने के लिए तत्काल कार्यवाही करने हेतु ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : देवेगौड़ा जी, क्या आपको कुछ कहना है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा *(हसन)*: *मुझे हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर द्वारा दिये गये सुझावों में से एक सुझाव के संबंध में कुछ कहना है।*

चन्द्रशेखर जी इस सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उन्हें अपने गुरू के रूप में प्रेम करता है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उनके कई शिष्य हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : वह वर्तमान प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने गुरू के रूप में सदैव प्रेम करते हैं।

मैं उनके द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत नहीं हूं। यदि यह सभा भ्रष्टाचार के मुद्दे जिसमें चाहे कोई भी शामिल हो, पर विचार नहीं करेगी तो इस सभा का क्या मतलब है? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है।

चन्द्रशेखर जी ने कहा है कि पुलिस उप-निरीक्षक यह कर सकता है। यदि यह पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा किया जा सकता, तो अपने सभी तंत्र के साथ पिछले छः अथवा सात वर्षों से हम स्विस सरकार से बोफोर्स दस्तावेज का दूसरा भाग क्यों प्राप्त नहीं कर पाये हैं? मैंने भी इस मामले को हाथ में लिया था और उन्होंने भी इसे हाथ में लिया था *...(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): देवेगौड़ा जी, इस सभा के अत्यधिक सम्मानित सदस्य हैं। सभा में जाली मतदान के संबंध में उनके क्या विचार हैं? *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं किसी का भी समर्थन नहीं करूंगा, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप किसी भी व्यक्ति पर क्यों न लगे *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हमें बोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। केवल वरिष्ठ सदस्यों को ही सदैव अनुमति दी जाती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : ऐसा क्यों है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए बोलने की अनुमति दी जाये क्योंकि वह प्रधानमंत्री रह चुका है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आमतौर पर मैं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई मुद्दा अनावश्यक रूप से नहीं उठाता। मुझे चन्द्रशेखर जी और अन्य माननीय मित्रों से अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए।

जब निम्नतम मूल्य 200 रुपये अथवा 190 रुपये है और आप अंतिम मूल्य 302 रुपये निर्धारित करते हैं, तो इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है न कि राजनीतिज्ञों पर। यहां इस मुद्दे पर उपभोक्ताओं की दृष्टि से चर्चा करनी होगी। मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि फलां-फलां व्यक्ति ने पैसा लिया है अपितु मुद्दा यह है कि हम यहां उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए हैं। *...(व्यवधान)* इस मुद्दे पर अध्यक्ष के चैम्बर में चर्चा नहीं की जा सकती। इस मामले पर सभा में ही चर्चा करनी होगी। उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस मामले पर सभा में ही चर्चा करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): मैं कार्यवाही वृत्तांत में यह भी सम्मिलित करना चाहूंगा कि हम चन्द्रशेखर जी द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चन्द्र शेखर जी को पहले ही बुला चुका हूं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : ठीक है, आप मुझे बाद में बुला सकते हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उत्तर प्रदेश): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें मेरे सुझाव से सहमत होना चाहिए। लेकिन मैं अपने मित्र कुरियन जी और देवेगौड़ा जी को भी यह स्मरण कराऊंगा कि जब बोफोर्स मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी और मैंने

यह कहा था कि यह मामला पुलिस उप-निरीक्षक के लिए है, तो मेरा इस सभा और प्रेस, जहां संपादकीय लेख लिखे जाते हैं, द्वारा मजाक बनाया गया था।

पिछले सत्र में, उस समय यहां उपस्थित उन मित्रों को याद होगा कि वह मामला तब पुन: उठाया गया था जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक निदेशक कुछ बैगों में पत्र लेकर यहां आये थे और यहां कहा गया था कि सब कुछ प्रकट किया जा रहा है। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह, जो अब विदेश मंत्री हैं, ने इस सभा में यह मुद्दा उठाया था और इस पर एक-दो दिन तक जबरदस्त बहस हुई थी। मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्री जी अंत में 4 बजे उठ खड़े हुये और उन्होंने कहा, "हमें स्विस सरकार से यह संदेश मिला है कि इन पत्रों का केवल पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा ही हवाला दिया जा सकता है और यदि आरोप लगाने होंगे तो वे इस कोर्ट में भी दिये जा सकते हैं, लेकिन वे पत्र संसद अथवा सदस्यों को नहीं दिये जा सकते? सारी बहस वहीं समाप्त हो गई थी तब, मैंने अपने मित्र जसवंत सिंह जी से कहा, "मित्र, आपको यह समझदारी स्विस कोर्ट में कुछ अधीनस्थ जज के निर्णय के माध्यम से प्राप्त निर्णय के बाद ही मिली है।"

मेरे मित्र, देवेगौड़ा जी, जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूं, को यह समझ जाना चाहिए कि हम यहां जो कुछ भी चर्चा करें, हम इस सभा में भ्रष्टाचार के लिए किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकते, हम उस चर्चा से लोगों की, उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जा सकता है, आरोप-पत्र तैयार किए जा सकते हैं, यदि इन मुद्दों पर उन व्यक्तियों द्वारा बारीकी से चर्चा की जाए जो भ्रष्टाचार और उसमें संलग्न लेन-देन के बारे में जानते हैं।

यदि यह मामला उठता है, तो आप इसे किसी भी समिति को भेजने का निर्णय सदैव ले सकते हैं। मैं यह सुझाव केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाहर के लोग यह न समझें कि इस संसद और लोक सभा को हर रोज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): 1989 में सरकार केवल बोफोर्स के आरोपों के कारण गिरी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आज की बजाय कल चर्चा कर सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, एक अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य ने सुझाव दिया है और मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि इस पर पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है। मेरे दल के विचार भी पूछे जाने चाहिए और उन्हें रिकार्ड किया जाना चाहिए। अन्यथा यह वैसे ही मान लिया जायेगा। हम उनके सुझाव से सहमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम नियम 377 के अन्तर्गत मामले आरंभ कर चुके हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। यदि आप मुझे अनुमति देंगे तभी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्री चन्द्रशेखर एक अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं और उनका विरोध नहीं है। हम उनके विचारों का भी आदर करते हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विचार उनसे भिन्न है क्योंकि इस सभा में पिछले 50 वर्षों से एक परिपाटी चली आ रही है। अनेक बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हैं। ऐसी चर्चा लोकतंत्र कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है। जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों की अनदेखी नहीं कर सकती है जब इन पर समाचार पत्रों में गंभीरता से चर्चा की जाती है। यदि हम इन भ्रष्टाचार के आरोपों को अनदेखा करते है तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम अपने कर्त्तव्य से भाग रहे हैं।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि हम श्री चन्द्रशेखर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या सुझाव से सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दोनों मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। आपने इस सभा से यह वायदा किया है कि इस सप्ताह के दौरान इसके लिए समय आवंटित किया जायेगा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया आप इसके लिए समय आवंटित करें तथा इस पर चर्चा करने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.47 बजे

नियम 377 के अधीन मामले – *जारी*

(दो) उत्तरी गुजरात में राधानपुर और दीशा में टी.वी. केन्द्रों को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देते हुए सरकार का ध्यान उत्तर गुजरात के राधानपुर टी.वी. केन्द्र और दिशा टी.वी. केन्द्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दोनों केन्द्रों पर आधुनिक किस्म के उपकरण कई करोड़ रुपए खर्च करके स्थापित हो चुके हैं, किन्तु अभी तक इनको पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है जिसके कारण हम अपने साधनों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलवाया गया तो हमको आश्वासन मिला कि इन्हें शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा, परन्तु अभी तक इनको चालू नहीं किया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों टी.वी. रिले केन्द्रों को पूरी तरह से शीघ्र चालू किया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में "मीणा" जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के माध्यम से आपके द्वारा सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि "मीना" जाति को राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु उ.प्र. में इस जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जबकि राजस्थान और उ.प्र. में रहने वाले "मीना" जाति के लोगों की आपस में रिश्तेदारी है, किन्तु यह बड़े खेद की बात है कि अभी तक उ.प्र. में रहने वाले इस समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण उ.प्र. में रहने वाले "मीना" जाति के लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और वहीं उ.प्र. के पड़ोसी राज्य राजस्थान में "मीना" जाति के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि "मीना" जाति को उ.प्र. में भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

(चार) गोरखपुर जनपद में "बांसगांव" का विकास सुनिश्चित करने के लिए उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत आता है, एक अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं है। यह क्षेत्र केवल कृषि पर ही आधारित है, लेकिन प्रति वर्ष बाढ़ की भयंकर विभीषिका अथवा सूखे की चपेट में आ जाने की वजह से इस क्षेत्र की संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है और यहां के गरीब लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

बांसगांव क्षेत्र को यदि नेशनल बैकवर्ड एरिया घोषित करके वहां पर प्राथमिकता के आधार पर सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित कर दिया जाए और प्रति वर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ की विभीषिका के रोकथाम हेतु कोई योजना बनाकर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए, तो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बांसगांव संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु उपर्युक्त योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब बनाएं।

(पांच) बिहार के कटिहार जिले मे कुरूम हाट में ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तारिक अनवर (कटिहार): एक वर्ष पहले यह निर्णय लिया गया था कि बिहार के कटिहार जिले में कुरूम हाट में एक ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। किन्तु अभी तक एक्सचैंज स्थापित नहीं किया गया है अन्य स्थानों के लिए बहुत बाद में स्वीकृत किए गए एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं और कार्य कर रहे हैं किन्तु कुरूम हाट में एक्सचेंज को अभी मूर्तरूप दिया जाना शेष है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुरूम हाट में एक्सचेंज को तत्काल कार्यात्मक रूप देने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

(छः) केरल के उत्तरी जिले में "मैनग्रोव" का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): केरल राज्य के उत्तरी जिलों विशेष रूप से कालीकट, कन्नानौर और केसरगाढ़ में मैनग्रोव बहुतायत में फैला हुआ है; इसका नम्बर केवल पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन के बाद आता है। प्रकृति के वरदान इन मैनग्रोव का संरक्षण किए जाने को सरकार और जनता दोनों ही के द्वारा उच्चतम प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। परन्तु, "विकास कार्य" के नाम पर इन मैनग्रोव को बर्बाद किया जा रहा है।

जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रकृति प्रेमियों ने इस बड़े पैमाने पर की जा रही बर्बादी का बार-बार विरोध किया है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह बर्बादी निर्बाध जारी है।

अत: मेरा यह विनम्र निवेदन है कि केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को आवश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए तथा केरल के उत्तरी जिलों में अमूल्य मैनग्रोव की बर्बादी तत्काल रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए तथा इनका संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी तत्काल उपाय करने चाहिए।

(सात) अग्नि कांड से प्रभावित लोगों विशेष रूप से शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को समुचित राहत उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आग लगने से कई मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं और राज्य सरकार प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा नहीं दे सकती है, क्योंकि जो मौजूदा नियम हैं, उन्हीं के आधार पर उनको मदद लेशमात्र दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एच.पी. सिंह आप सभा में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : जिससे इस क्षेत्र के लोग न अपना कारोबार और न ही अपना मकान इत्यादि बना सकते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में शिमला, थियोंग, नाहन, राजगढ़ और रोहड़, जुब्बल इत्यादि स्थानों पर जहां लकड़ी के मकान बने हैं, वह आग लगने से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और उसमें भारी कीमती लकड़ी जल जाती है। उन्हें वन विभाग से राईट होल्डर न होने के कारण मकान बनाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त नहीं होती है। यहां तक देखा गया कि कई दुकानदार दुकानों में आग लगने से बिल्कुल तबाह हो गये हैं और अपने बाल-बच्चों का पालन करना उनके लिये दुर्लभ हो गया है।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को जितना नुकसान होता है, उसके अनुसार रिपोर्ट लेकर पूरी मदद की जाये ताकि वह लोग अपने आपको असहाय महसूस न करें। मुझे प्रधान मंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार को पूरी मदद इस कार्य को करने के लिये दी जाएगी।

(आठ) सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों के लिए पुनरूद्धार पैकेज सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुबील खां (दुर्गापुर): मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने पहले एम.ए.एम.सी. लिमिटेड, बी.ओ.जी.एल., आर.आई.सी. लिमिटेड, साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, वेटबोर्ड कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, बी.पी.एम.ई.एल. और टेन्नेरी फुटवीयर लिमिटेड जैसे आठ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने संबंधी मुद्दा उठाया था किन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

22-2-99 को 'दा स्टेट्समेन पत्रिका' में प्रकाशित समाचार के अनुसार आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति जिसने 23-2-99 को बैठक की थी, ने निर्णय की पुनरीक्षा करने तथा इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पुनरूद्धार पैकेज का पता लगाने के तरीके खोजने हेतु एक नयी समिति गठित करने का निर्णय लिया था।

दोबारा, 2-3-99 को यह समाचार सभी समाचारपत्रों विशेष रूप से कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि प्रधानमंत्री ने अपने सम्बद्ध दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि पुनरुद्धार पैकेज के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए यह बहुत दुख की बात है कि क्या इनका जल्दी ही पुनरूद्धार किया जायेगा अथवा स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति योजना के विकल्प को तीन महीने और बढ़ाया जायेगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा सभा में विवरण प्रस्तुत करे।

(नौ) जहानाबाद के समग्र विकास के लिए बिहार सरकार को समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद): महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जहानाबाद की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां पर विकास के अभाव में नक्सलवादी गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र को न तो कोई सड़क सुविधा है और न ही कोई विशेष रेल सेवा है और न ही कोई भारी उद्योग है जिसके कारण नौजवान लोग नौकरी के अभाव में नक्सलवादियों के बहकावे में आ रहे हैं। अगर यहां पर विकास के नाम पर काम किया जाए तो बहुत कुछ सीमा तक नक्सलवादियों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में नक्सलवादी शक्तियों को रोकने हेतु इस क्षेत्र का विकास किया जाए और अन्य सुविधा जैसे रेल सुविधा, सड़क सुविधा और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

(दस) गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण पर निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (अहमदनगर): गैर-सरकारी संगठनों की विशेष रूप से ग्रामीण विकास के संबंध में अहम भूमिका है। किन्तु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों से कई गैर-सरकारी संगठनों ने इस भूमिका को बिल्कुल गलत तरीके से निभाया है। अनेक गैर-सरकारी संगठन उन निधियों पर ही निर्भर रहते हैं जो वे विदेशी दाता अभिकरणों से प्राप्त करते हैं। यह अत्यन्त खेद का मामला है कि इन गैर-सरकारी संगठनों ने ऐसी वित्तीय सहायता के बदले अपनी स्वायत्तता ही खो दी है। यही नहीं गैर-सरकारी संगठनों ने बार-बार धन का दुरुपयोग किया है। अनेक मामलों में स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपने अथवा अपने रिश्तेदारों के लाभ के लिए इन निधियों का उपयोग किया गया है। गैर-सरकारी संगठनों के कुछ नेता ऐसे हैं जो संगठन की धनराशि से वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए विदेशी दानदाता अभिकरणों के साथ भी अपने संबंध बनाये हुये हैं। जिनका उन उद्देश्यों से कुछ लेना-देना नहीं है, जिसकी उन्होंने शपथ ली थी। अनेक गैर-सरकारी संगठन विशेष समुदाय की सेवा कर रहे हैं तथा साम्प्रदायिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे समाज के सामाजिक ढांचे का क्षति पहुंच रही है। गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण में भारी कमियां आ गयी हैं, वे संकुचित हो गयी है और उन्होंने अपनी पारदर्शिता खो दी है।

इसलिए, मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करे ताकि इनको दी गयी निधियों और अनुदानों का उचित प्रकार उपयोग हो सके।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): महोदय, मध्याह्न भोजन काल का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे आज मध्याह्न भोजन काल को छोड़ दें। आज कोई मध्याह्न भोजन काल नहीं होगा।

श्री भुवनेश्वर कालिता : परन्तु महोदय, सभा की भावना को नहीं समझा गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): यह केवल प्रक्रिया संबंधी मामला है। आपको सभा की भावना पर गौर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा की भावना को देखते हुए सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे आज मध्याह्न भोजन काल को छोड़ दें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, हम आपे विनिर्णय के अनुसार चलेंगे, लेकिन कृपया हमारे अधिकार का हनन न करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य एक दिन के लिए मध्याह्न भोजन छोड़ दें, तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : हम इससे सहमत हैं लेकिन आपको सभा की भावना पर गौर करना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

(ग्यारह) कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय कृषि सेवा संवर्ग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, पांचवें वेतन आयोग ने वर्ष 1996 में अपनी रिपोर्ट में कृषि और सहकारिता विभाग में तकनीकी संवर्ग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से केन्द्रीय कृषि सेवा संवर्ग का गठन करने की सिफारिश की है। विगत में भी समितियों/आयोगों जैसे नालागढ़ समिति (1958), राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) और केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1998) ने कृषि को देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्र बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने की दृष्टि से अखिल भारतीय कृषि सेवा के गठन की सिफारिश की है।

महोदय, आप इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि का 40 प्रतिशत योगदान है। देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्र पर निर्भर है।

वर्तमान सरकार ने खाद्य उत्पादन को अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में लेते हुए दो गुना किया है। अत: विभिन्न स्तरों पर कृषि प्रबन्धन को सुदृढ़ करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। कृषि और सहकारिता विभाग में इस समय कार्यरत तकनीकी अधिकारियों को इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उचित संवर्ग प्रबन्धन उपलब्ध कराने और केन्द्रीय कृषि सेवा के गठन की आवश्यकता है साथ ही इस पर उचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि पांचवें वेतन आयोग ने 1996 में इस सेवा के गठन की सिफारिश की थी लेकिन लगता है कि इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये। यही वह उचित समय है कि कृषि मंत्रालय बिना किसी विलंब के केन्द्रीय कृषि सेवा के गठन का निर्णय ले।

(बारह) देश में गरीबी समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में विद्यमान गरीबी की दर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान ढांचे में, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और धनी दिन प्रतिदिन और धनी होते जा रहे हैं। अब राष्ट्र के गरीबी स्तर से नीचे की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार केवल योजनाएं ही न बनाए वरन् देश से गरीबी हटाने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए और गरीब व्यक्तियों के वित्तीय रूप से उत्थान के लिए कदम उठाए तथा अनुसूचित जाति समुदाय का भी ध्यान रखे। यह समय की और देश की प्रथम आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): अध्यक्ष महोदय,

[अनुवाद]

एक सूचना है।

[हिन्दी]

सैकड़ों श्रमिक कोटा के संसद भवन के सामने धरना देकर बैठे हैं और जे.के. उद्योग को चलाने की मांग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जे.के. उद्योग एक ऐसा उद्योग है, जो बन्द है ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों का अनुस्मरण किए बगैर बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर आम चर्चा करेगी।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.03 बजे

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और पेटेंट (संशोधन) विधेयक – *जारी*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, दुनिया के विद्वानों और हिन्दुस्तान के जानकारों का भी कहना है कि इंडियन पेटेण्ट कानून, जो 1970 वाला एक्ट है, यह दुनिया भर में सबसे अच्छा है और देश हित में है, क्योंकि यह प्रोसीजर पेटेण्ट कानून है, प्रोडक्ट पेटेण्ट कानून नहीं है। लेकिन यह सरकार की तरफ से अभी अच्छे कानून को भी बिगाड़ने वाला संशोधन का जो विधेयक आया है, उसके उद्देश्य, हेतु को देखने से पता चलता है कि इन्होंने दावा नहीं किया है कि वह विधेयक देशहित में है और यहां की जनता के हित में है।

अपराह्न 1.04 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

इन्होंने लाचारी दिखाई है कि डंकल प्रस्ताव, जिसका हम लोगों ने बड़ा भारी विरोध किया था, जिसमें वे एग्रीकल्चर को गैट के अधीन ले आये थे, फिर एक ट्रिप्स, जो ट्रेड रिलेटिड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उसका एक पार्ट ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटिड इन्वेस्टमेंट मैजर्स था, वह तो अभी किया है, अब तो देश पर और खतरा बढ़ेगा। यह ट्रेड रिलेटेड इनवेस्टमेंट लेगा। उसमें गेट्ट है, जेनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इसका मतलब यहां जो आधुनिक सेवाएं हैं उसी में आदान-प्रदान होगा। हिन्दुस्तान में जो ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, लेबर, इंजीनियर, वकील और डाक्टर, इन सब का ट्रेड इन सर्वेसेज नहीं होगा, जिसमें हिन्दुस्तान पीछे होगा उसमें होगा। इस पर बाद में बहस होगी। ट्रिप्स के आधीन संशोधन का प्रस्ताव आया, उसमें सरकार ने दावा नहीं किया कि यह देश के हित में है, क्योंकि इनकी लाचारी है। इसके खिलाफ कहा गया है कि यह डब्ल्युटीओ के आधीन लोअर कोर्ट में गए थे। वहां इनका केस खारिज हो गया और फिर अपील में गए, वहां भी केस खारिज हो गया। 19 अप्रैल, 1999 तक अगर इस कानून को यहां नहीं बना लेंगे तो इनको सजा हो जाएगी। डब्ल्युटीओ की लाचारी दिखाते हुए इसको इस सदन में लाए हैं। कल स्वामी जी बोल रहे थे, इनके मन में आशंका है कि यह भी कानून बना दिया जाएगा तो इस सजा से बचेंगे या नहीं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि फिर डब्ल्युटीओ मानेगा या नहीं, लेकिन इस पर देश के बड़े-बड़े विद्वान, विचारकों ने राय दी है और सब लोगों का कहना है कि यह देश के हित में नहीं है। यह आर्थिक गुलामी पैदा करने वाला और देश को बाजार बनाने वाला कानून है। इससे सावरेनिटी पर खतरा है। उनके कहने के मुताबिक हम कानून को बदल लें, उनके सुझाव पर संशोधन कर लें, यह देश की सावरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की। *...(व्यवधान)*

महोदय, हमने तो कुछ लोगों से सुन कर और जानकारी करके बोलने का काम किया है। जब बिहार पर बहस हो रही थी तो जार्ज फर्नान्डीज, जो पुराने नेता हैं, समाजवादी होने का दावा करते हैं, उन्होंने 1995 का पर्चा पढ़ा। जिसमें लालू सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पर्चा था। हालांकि 1995 में वोट हो गया था और वह पर्चा अप्रासंगिक हो गया था, उसको बड़े जोर से अंग्रेजी में पढ़ रहे थे। इंडियन पेटेंट कानून को बदलने के लिए लाए हैं। बख्त साहब, भले आदमी हैं, उनको उलझा दिया। यह तो कामर्स का विषय था, इनके द्वारा यह गलत काम कराया जा रहा है। वहां से यह बिल ले आए हैं। पर्चे में बड़े-बड़े लोगों का नाम हमने देखा है। फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स आन इण्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, यह ट्रिप्स हैं, ट्रेड रिलेटेड इण्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट्स के आधीन जो लोग इस कानून को बदलने के लिए, इंडियन पेटेंट कानून, उसमें जो आठ-नौ क्लाज ट्रेड मार्क कॉपीराइट है, उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर, डा. मुरली मनोहर जोशी, डा. अशोक मित्रा, श्री जयपाल रेड्डी, इनको पुरस्कार मिला हुआ है, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री इन्द्रजीत गुप्त और फार्मर कमिश्नर हैं, इन सब बड़े-बड़े नेताओं के नाम हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कोट कर रहे हैं?

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, इनका कहना है कि जो लोग इसके विरोध में थे वही यह विधेयक लाए हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पेटेंट कानून के संबंध में कुछ बड़े-बड़े लोगों की राय क्या है।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

[अनुवाद]

महोदय, अब मैं फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स ऑन इण्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी से उद्धृत कर रहा हूं। यह कहा गया है कि:

> "बैठक में एक बौद्धिक सम्पदा व्यवस्था बनाने के देश के संप्रभु और अहस्तांतरणीय अधिकार पर पुन: विश्वास प्रकट किया गया जो जनहित को बढ़ावा देगा और सामाजिक आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में आत्मनिर्भर विकास सुनिश्चित करेगा। बैठक में नए गैट/डब्ल्युटीओ में अन्तर्निहित ट्रीप्स के संबंध में असमान और अस्वीकार्य समझौते के प्रति अपने कड़े विरोध और ट्रीप्स समझौते में परिकल्पित व्यवस्था के अनुरूप इसे बनाने हेतु भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन की अनुमति न देने के अपने संकल्प को दुहराया गया।"

उन्होंने यह संकल्प लिया है। उन्होंने आगे कहा है और मैं उद्धृत करता हूं कि:

> "इस संदर्भ में बैठक में यह नोट किया गया कि स्वयं अमरीकी प्रशासन के अनुसार अभी 48 देशों में पेटेंट कानूनों में संशोधन किया जाना है और अधिकांश विकसित और विकासशील देशों ने ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत अपने तथाकथित दायित्वों का पालन नहीं किया है।"

48 विकासशील देशों ने अभी तक यह नहीं किया है। मैं पुन: आगे उद्धृत करता हूं कि:

> "इसके अतिरिक्त, 45 अन्य अल्पविकसित देश हैं जिनके पास ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरे 10 वर्ष हैं। इस प्रकार 93 ऐसे देश हैं जिन्हें अपने पेटेंट कानूनों में संशोधन करना है। इन परिस्थितियों में, इस संबंध में भारत पर दबाव देने का किसी भी औद्योगिक देश का कोई भी औचित्य नहीं था।"

[हिन्दी]

इस स्टेटमेंट पर दस्तखत किनके हैं? डा. मुरली मनोहर जोशी, श्री जार्ज फर्नान्डीज, जो भारत सरकार के मंत्री हैं। बाकी नेता लोग हैं। अशोक मित्रा जी भी हैं। उपाध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न यह है कि यह जो कागज पर बना रैजोलूशन इन्होंने रिजोल्व किया है और इनके दो मंत्रियों ने पर्चा पढ़ा था कि देश में मल्टी-नैशनल्स का जाल बिछा है, करोड़ों-अरबों का खर्चा हुआ है, जो लोग पहले पेटेंट कानून को बदलने के लिए बोल रहे थे वे अब क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार में बैठकर इसे पास क्यों किया, कितना लेनदेन मल्टी-नेशनल्स के साथ हुआ है, यह हम सवाल यहां उठाते हैं। पहले कहा कि देश हित में नहीं है, देश का बाजार बंद हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): इनको हर चीज में लेनदेन दिखाई पड़ता है क्योंकि इनको अभ्यास हैं। ...*(व्यवधान)* कल जब मैं बोल रहा था तो इनकी रनिंग कमेंट्री चल रही थी। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर (वडोदरा): जब बिल पास हुआ था तब आप सब लोग कहां थे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, कल श्री रूपचंद पाल जी गुमान मल लोढा के बारे में बोल रहे थे, जो 10वीं और 11वीं लोक सभा में यहां सदस्य थे। गुमान मल लोढा जी ने उस वक्त कहा था कि इसके पास होने से देश गुलाम हो जाएगा। फिर क्यों इसी पार्टी की सरकार और हुकूमत कह रही है कि इसे पास करा दिया जाए नहीं तो हमको सजा हो जाएगी। इस पर बहुत बहस हुई। मुझे इस पर बहुत सी आशंकाएं हैं। मैं देख रहा हूं कि मल्टी-नैशनल और पैसे में कितनी ताकत है? वह लॉगों को चुप करा देता है और उल्टा-पुल्टा कर देता है। मैं इस बात की सफाई चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* अगर इस पक्ष के आदमी मुझे चुनौती दे सकें तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। वह ईमानदारी सीख कर बताएं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी तरफ देखकर भाषण दें। मैं उन्हें चुप रहने के लिए कह रहा हूं। समय कम है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हिन्दुस्तान में पेटेंट कानून में बदलाव करने का जो प्रोसीजर है, वह अच्छा है। हम इसमें पांच से सात वर्षों के बाद पेटेंट से फ्री हो जाएंगे। उसके बदले में प्रोडक्ट पेटेंट कानून आएगा जो 20 वर्षों तक रहेगा। इसमें बाद में प्रावधान होगा। आप जब तक डब्ल्यू.टी.ओ. के एग्रीमैंट के आर्टिकल 70(8) और (9) में संशोधन नहीं करते तब तक एक्सक्लूसिव मार्किटिंग राइट का प्रावधान करें।

आजकल हैपेटाइटिस-बी बीमारी बहुत फैल रही है। इसकी एक सुई निकली है। इसकी एक सुई की कीमत 600 रुपए है। एक महीने में इसके दाम बढ़ कर 800 रुपए हो गए। यह बीमारी होने पर चार महीने तक दवाई लेनी पड़ती है। इसकी रोज दो

सुईयां लगती हैं। इस पर 1600 रुपए खर्चा हो जाता है। मैंने जब पूछा कि सुई में कौन सी दवा है जिससे इसकी इतनी अधिक कीमत है। मुझ से कहा गया कि इसे मल्टीनेशनल बनाते हैं। इसका पेटेंट होने से शोषण होगा, दोहन होगा और मनमाने दाम वसूल किए जाएंगे। इसी तरह की कई दवाइयां हिन्दुस्तान में लाकर मल्टी नेशनल पेटेंट करा लेगी और बेचेंगी। उसे खुली छूट मिल जाएगी। इससे दूसरे देशों की पेटेंट कम्पनियों को एक्सक्लूसिव मार्किटिंग राइट मिल जाएगा। इससे उनका बाजार बन जाएगा। इनको दवाइयां और एग्रो कैमिकल्स मनमाने दाम पर बेचने की पूरी छूट रहेगी। मैंने इस बारे में बहुत से कागज पत्र देखें। सभी विद्वान लोग इसके खिलाफ हैं। विद्वान लोगों का जो कहना है, मैं वह बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं यह बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी जन आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं। इस आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णअय्यर, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर प्रभात पटनायक और राष्ट्रीय प्रोफेसर एस.के. सिन्हा हैं।

> "इस प्रकार इस आयोग की सुविचारित राय है कि संसद को अनन्य विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान नहीं करने चाहिए। एक अनन्य विपणन अधिकार स्वचालित पंचवर्षीय पेटेंट से कहीं बड़ी बात है। यह बिना किसी जांच के और बहुत संदेहजनक आधार पर निर्यातक को घरेलू बाजार में एकाधिकार प्रदान करना है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अधिकांश विकासशील देशों ने ई.एम.आर. प्रावधानों को क्रियान्वित न करने का फैसला किया है। आज तक सम्भवतः पाकिस्तान और दो अन्य छोटे देश ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ई.एम.आर. व्यवस्था आरम्भ की है।
>
> तथापि जो स्पष्ट है, और जिन विशेषज्ञों से हम मिले हैं उनमें इस पर लगभग सर्वसम्मति है, वह यह है कि (एक) ई.एम.आर. व्यवस्था प्रारम्भ करने के सरकार के कथित प्रयास को समाप्त किया जाना चाहिए; (दो) दवाओं और औषधियों तथा कृषि रसायनों में उत्पाद पेटेंट को जल्दी में प्रारम्भ नहीं करना चाहिए..."

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब विद्वानों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। विद्वान लोग बड़ी मेहनत और जांच करके इस बात को कह रहे हैं। उन लोगों में बड़ी-बड़ी बहस हुई हैं, लिट्रेचर तैयार किए हैं ताकि इस देश का अहित न हो लेकिन इस सरकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वह देश का अहित करने वाली है। एक अच्छे मंत्री को यहां बुलाकर यह बिल पेश करवा दिया। इसमें फिर आगे कहा है:

[अनुवाद]

> "जैसा पहले कहा गया है कि ई.एम.आर. की व्यवस्था निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है और इसे भारत में नहीं अपनाया जाना चाहिए जो कि एक विशाल देश है और जहां शक्तिशाली औषधि उद्योग है तथा स्वास्थ्य परिदृश्य बहुत कम है। अनुच्छेद 70.9 में यह शर्त रखी गई है कि विशिष्ट घटनाओं के घटित होने के बाद ही विशिष्ट उत्पादों को अनन्य विपणन अधिकार प्रदान किया जाएगा और यह कि इन शर्तों में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें यह सुझाव दिया गया हो कि घरेलू कानून में ऐसा अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संघ पैनल द्वारा अनुच्छेद 70.9 की यह व्याख्या विशिष्ट घटनाओं के पश्चात् ई.एम.आर. प्रदान करने को स्वचालित बनाती है।"

[हिन्दी]

ये सब बातें विद्वानों ने कहीं हैं। इसमें और बातें भी लिखी हैं। पेटेंट कानून में ई.एम.आर. के खिलाफ संशोधन किए जाने के बारे में बहुत कहा है। फिर आगे कहा गया है:

> "जहां बौद्धिक सम्पदा संबंधी सांसदों के मंच द्वारा पादपलाइन संरक्षण संबंधी मामले पर कोई निर्णय लिया जाना ऐसा है, वहीं पेटेंट कानून पर राष्ट्रीय कार्य दल ने भारत में ई.एम.आर. प्रदान किए जाने का घोर विरोध किया है।
>
> यह दल, जिसके सदस्य गैर सरकारी संगठन वैज्ञानिक, भूतपूर्व नौकरशाह और प्रविधिज्ञ हैं, चाहता है कि ट्रिप्स समझौते, जो कि मई 1998 के डब्ल्यु.टी.ओ. मिनिस्ट्रीयल डिक्लेरेशन में दिया गया है की समीक्षा की जानी चाहिए। यह चाहता है कि 1995 से ई.एम.आर. हेतु सरकार के पास उत्पादों के पेटेंट के लिए आये आवेदनों की जांच की जाए और प्रक्रियाधीन पेटेंट को चालू अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाए।"

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, सब बातें विद्वानों ने कहीं हैं। इसमें आगे कहा है:

> "भारतीय जनता की सीमित क्रय शक्ति होने के कारण ऐसी दवाओं की वाजिब कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना सबसे अधिक आवश्यक है। यह एक ऐसा बिंदु हैं जिस पर पेटेंट धारक (सामान्यत: बहुराष्ट्रीय कम्पनियां) को अनन्य विपणन अधिकार दिये जाने के विरोधी जोर दे रहे हैं।
>
> हमारी वर्तमान पेटेंट प्रणाली के कारण, जिसके अंतर्गत उत्पाद पेटेंट प्रदान नहीं किए जाते है, भारत में विभिन्न दवाओं की कीमतें अधिकांश विकासशील देशों से कम हैं। केवल एक प्रक्रिया को पेटेंट किया जाता है और वह भी अंतर्राष्ट्रीय अवधि से आधी अवधि के लिए।"

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप सलाह दे कैसे इस बिल को पास कर दिया जाये? एक स्टैनजा और कहकर समाप्त करूंगा।

> "यद्यपि ट्रिप्स समझौते से संक्रमण काल उपलब्ध कराने की अपेक्षा है, भारत सरकार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी पेटेंट धारकों को औषधीय और कृषि रसायन उत्पादों के लिए अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने के लिए समझौते के अंतर्गत भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है। चूंकि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करना उत्पाद पेटेंट सुरक्षा प्रदान करने के समान होगा। इसलिये संसद को इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त कीजिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, विद्वानों ने पार्लियामेंट से अपेक्षा की है कि इस तरह के गुलामी पैदा करने वाले कानून, सार्वभौमिकता पर खतरा पैदा करने वाले इस कानून को पास न होनें दें। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हित करने के लिये और उनके इशारे पर यह बिल यहां लाया गया है। इस कानून को रद्द करें, यह अपेक्षा विद्वानों ने की है क्योंकि एक्सपर्ट लोगों ने इस पर काफी मेहनत की है। इसलिए मैं भी सरकार से और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का जो देश का अहित करने वाला बिल है इसको वापस लें। इससे दवा की कीमत बढ़ जाएगी और गरीब खरीद नहीं सकेंगे। मल्टीनेशनल का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए मैं इस बिल को विरोध करता हूं। एक कवि ने कहा है-

> "हिन्दुस्तान को समझ लो यारो जैसे हो कोई बड़ी दुकान,
> अपने अपने हिस्से का सब बेच रहे हैं हिन्दुस्तान।"

और फिर कवि भोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि-

> "बदनाम रहे बटमार मगर,
> घर को रखवालों ने लूटा, घर को रखवालों ने लूटा।"

ये लोग जो इस तरह से काला कानून ला रहे हैं और इसको लाचारी बता रहे हैं, इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए, वापस होना चाहिए। हम लोग इसका घोर प्रतिवाद करते हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक आया है, मैं केवल कुछ शब्दों में इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे मित्र ने अभी जो बात की, जिन भावनाओं का उन्होंने इजहार किया, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। आज देश को किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश हो रही है वह हमारे सामने साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो पार्टियां या पार्टी सरकार में है और जो पार्टी विरोध में है, इस सवाल पर एकमत हैं। मुझे यह देखकर भी आश्चर्य होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक समिति बनी थी जिसमें मैं भी कभी-कभी जाता था। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी उसके अध्यक्ष थे, जार्ज फर्नान्डीज़ सदस्य थे और जयपाल रेड्डी जी बैठे हैं, वह भी प्रमुख सदस्यों में थे। वह विस्तार से भाषण देंगे लेकिन मैं एक बात कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं। 1970 में जब पेटेण्ट्स कानून बना था, उस समय दुनिया के जितने पूंजीवादी देश या उद्योगपति देश थे, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया था उस समय भी यह कहा गया था कि अगर भारत पेटेण्ट्स ऐक्ट 1970 को पास करेगा तो हम इनको सहायता नहीं देंगे, इनके ऊपर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि दुनिया के धनी देश जो चाहे करें, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जो समझेगा, वह संसद में प्रस्ताव पेश करेगा और उसको स्वीकार करेगा। हमारे एक मित्र दो दिन पहले मुझे बता रहे थे कि अगर दुनिया में कहीं नहीं है तो हम क्या दुनिया को नेतृत्व नहीं दे सकते? उन मित्रों को मैं बहुत अदब से कहूंगा, शायद वह 1970 में कांग्रेस के नजदीक भी नहीं थे। कहीं रहे होंगे तो दूर इलाके में होंगे। आप उस समय के अखबार उठाकर देख लीजिए, 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम

तैयार हैं, किसी के सामने हम झुकने को तैयार नहीं हैं और 1970 में वह पेटेण्ट्स ऐक्ट पास हुआ था। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि उस समय भी कांग्रेस के प्रस्तावों में जनहित था। उस समय भी जनहित की बात सोची जाती थी। हमारे मित्र गुजराल जी बैठे हुए हैं। उस सरकार में वह भी थे। उस समय की सरकार भी गरीबों के बारे में सोचती थी। अब गरीबों के बारे में सोचने की एक नयी धारा निकल पड़ी है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिसका समर्थन मेरे मित्र मुरली मनोहर जोशी और जार्ज फर्नान्डीज भी कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि बदलते हुए रंग देश को नहीं बदल सकते। देश बरबादी की ओर जा रहा है, देश विनाश की ओर जा रहा है, देश आर्थिक दासता की ओर जा रहा है और यह केवल हमारा देश नहीं जा रहा है, दुनिया के दूसरे जो देश हैं, वह भी इस बरबादी का शिकार होने वाले हैं। एक जमाना था जब हमने तीसरे विश्व के देशों का नेतृत्व किया था। मैं अपने उन मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय भारत में नेतृत्व करने की क्षमता थी। हमारे पास आज जैसा आर्थिक साधन भी नहीं था लेकिन हमारे पास साहस था, हमारे पास विश्व की कल्पना थी, उसका भविष्य बनाने की हमारे मन में आकांक्षा थी और उस समय हमने तीसरे विश्व के देशों को संगठित किया था। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपसे मैंने निवेदन किया था कि पांच-सात मिनट ही बोलूंगा। उस समय भी बहुत जोर लगाए गए थे, जब विश्व व्यापार संगठन पर दस्तखत करने की बात चली थी। मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा कि हिन्दुस्तान को बाजार मत बनाओ। हिन्दुस्तान की जो परम्परा है, हिन्दुस्तान की पांच हजार वर्षों से जो सभ्यता और संस्कृति है, जो यहां के लोगों का गांवों तक फैला हुआ ज्ञान है, उसको धूमिल मत करो। हमारे यहां आज से नहीं हजारों वर्षों से जिन औषधियों का उपयोग होता रहा है, क्या उनको अमरीका में पेटेन्ट नहीं कराया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ भारत की सरकार नहीं गई है। आज हल्दी और नीम पर भी अमरीका काबिज होना चाहता है। हमारे मित्र ने भी पढ़कर सुनाया कि केवल दो क्षेत्रों में दुनिया के उद्योगपतियों के जरिये काफी जोर दिया जा रहा है एक तो कृषि का क्षेत्र है और दूसरा दवा का क्षेत्र है। दवा के मामले में आप जानते हैं हमारे देश की क्या हालत है। कहां गई आयुर्वेद, कहां गई यूनानी दवाओं की पद्धति। अंग्रेजी दवा की आज जो पद्धति है, हमारे मित्र श्री सिकन्दर बख्त जी उसी परम्परा के एक सिपाही कहूं या नेता कहूं, जिस परम्परा में हमने गांधीजी के स्वदेशी के रास्ते को अपनाया था, आज सिकन्दर बख्त बदले हैं या नहीं बदले हैं, दिल से तो शायद नहीं बदले हैं, लेकिन जब बिल लेकर आते हैं तो मुझे मालूम होता है कि पुराने मित्रों के चेहरे भी बदल गये हैं, दिल तो शायद बदला हुआ नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि दवाएं महंगी होने वाली हैं, जो विवरण उन्होंने दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जिस देश में गरीब को दवा की एक टिकिया नहीं मिलती, जीवन बचाने वाली औषधियां कितनी महंगी हो जायेंगी। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है वहां दवा की एक टिकिया नहीं मिलती। गैर सरकारी अस्पतालों में जाने की बात गरीब सोच भी नहीं सकता। कृषि की परम्परागत पद्धति को तोड़ने के लिए तरह-तरह की साजिश हो रही है। मैं विशद विवरण में इसलिए नहीं जाना चाहता चूंकि मैंने आपसे समय भी कम मांगा है और मुझे एक जगह जरूरी जाना भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है? आप खुद उस परम्परा के प्रतीक हो, मैं आपको याद दिलाकर किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। 1970 के जमाने में आपकी भी कुछ राय थी और उस राय से आप पूरी तरह से परिचित हैं, उस आंदोलन से भी पूरी तरह से परिचित हैं। कुछ सदस्य उठकर खड़े हो जाते हैं और हमें नये-नये सिद्धांत बताने लगते हैं, नयी-नयी रीतियां सिखाने लगते हैं, भारत को दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। यह सबक सिखाने वाले लोग पहले खुद भारत की रीतियों को सीख लें, तब दुनिया को कोई नई रीतियां सिखाने की कोशिश करें। जो अपने देश की परम्परा पर अभिमान नहीं करता, जो अपने गौरव को नहीं जानता, वह दुनिया को गौरव का इतिहास नहीं पढ़ा सकता, यह बात हमें याद रखनी चाहिए।

आज छोटे-छोटे सवालों पर कितनी लड़ाई हो रही है। पिछले सात दिनों से अखबारों के पन्ने भरे पड़े हैं कि केले के व्यापार पर यूरोप के लोग और अमरीका के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। रोज-रोज बहस हो रही है, दुनिया तमाशा देख रही है। भारत का एक मंत्री भी उठकर अपनी चीजों के बारे में कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं एक बार दस्तखत हो गये, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन क्या भारत के लोगों से कहने का काम वीरेन्द्र सिंह से ऊपर रहेगा, स्वदेशी जागरण मंच के ऊपर रहेगा कि अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करो, दूसरे देशों की वस्तुओं का इस्तेमाल मत करो। स्वदेशी मेला यह लगायेंगे और विदेशी वस्तुओं का आयात हमारे वाणिज्य मंत्री भाई रामकृष्ण हेगड़े जी करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। एक साथ दो सौ, तीन सौ वस्तुएं इस देश में मंगाने की इजाजत दी जाती है, इस नाम पर कि हमने 'गैट' का समझौता किया है, हम कोई रोक नहीं लगा सकते। दुनिया के दूसरे देश उस समझौते को दरकिनार रखकर अपने हितों की रक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उसे नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह मन की दासता हमारे लिए और देश के लिए सबसे

[श्री चन्द्रशेखर]

बड़ा संकट लाने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर पेटेन्ट कानून पारित हो गया तो भारत कृषि के क्षेत्र में और औषधियों के क्षेत्र में बड़ा भुगतान भुगतने वाला है और इसका सबसे बड़ा असर गरीबों पर होगा। सामाजिक न्याय का पाठ वे लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कुछ नहीं किया है। कम से कम हमें तो सीख मत दो। हमने भी बहुत सामाजिक न्याय के आंदोलन देखे हैं। हमने बहुत से सामाजिक न्याय के प्रणेताओं को पदों के लिए हमारे सामने ही लुढ़कते हुए देखा है, इसलिए मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह व्यक्तिगत सवाल नहीं हैं, यह राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। मैं भाई सिकन्दर बख्त जी से आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुरानी यादें आज भी कुछ ताजी हों, अगर आज भी गांधी जी की याद आती हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मोरारजी भाई देसाई की यादें आती हों, आज भी उनकी वे बातें याद आती हों जो हमने और उन्होंने मिलकर साथ-साथ की हैं। मैं नहीं जानता वे बातें जॉर्ज फर्नान्डीज को और हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी को याद आती हैं कि नहीं, अकेले में तो मुझसे जब वे कहते हैं, तो वे बातें याद आती हैं, संसद में भले ही वे याद न आती हों। मैं उन्हें यह याद दिलाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं और इस देश को यह कहना चाहता हूं कि संसद जो भी प्रस्ताव पास करे, एक समय आ गया है जब देश के लोगों को यहां से कहना होगा, चाहे हमारी, रघुवंश प्रसाद सिंह, मोहन सिंह और जयपाल रेड्डी जैसे लोगों की अकेली आवाज हो कि देश को चलाने की जिम्मेदारी केवल आज की सरकार के ऊपर नहीं है, बल्कि इस देश को चलाने की जिम्मेदारी यहां के नवयुवक और नागरिकों के ऊपर है। यदि यह कानून यहां से पास होता है, तो इस कानून का उल्लंघन करने के लिए, इस कानून को तोड़ने के लिए देश के नौजवानों को तैयार होना चाहिए। विदेशी का बहिष्कार करना चाहिए। विदेशी कंपनियों को इस देश का बाजार बनाने से रोकने की हर कोशिश होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए, देश के नौजवानों और देश के नागरिकों का आह्वान करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बिल का, इस प्रस्ताव का, इस विधेयक का, पूरी ताकत से विरोध होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम): महोदय, हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पेटेंट (संशोधन) विधेयक का समर्थन करती है।

उद्देश्य और कारण के विवरण के पैरा 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि:

> "क्योंकि पेटेंट अधिनियम, 1970 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि, रसायन और औषधि क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट प्रदान करने और अनन्य विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान करने के लिए कोई उल्लेख नहीं हैं इसलिए अनुच्छेद 70.8 और 70.9 के प्रावधान भारत पर लागू थे।"

महोदय, पेटेंट विधेयक वस्तुत: कांग्रेस की देन है जिसे वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। जब गैट समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे और भारत विश्व व्यापार संगठन का प्रवर्तक सदस्य होने के कारण भारत अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकता और अपनी प्रतिबद्धता से नहीं हट सकता। यह संशोधन विधेयक 19 अप्रैल 1999 तक पारित किया जाना हैं। ऐसा क्यों किया जाना है, यह भी उद्देश्य और कारण के विवरण में उल्लिखित है।

> "संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के विरूद्ध विवाद उठाया और इस संबंध में भारत के दायित्वों को पूरा न करने का आरोप लगाया। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) द्वारा गठित पैनल ने अमरीका द्वारा लगाये गए आरोपों और भारत द्वारा प्रस्तुत जवाब की जांच की और व्यवस्था दी कि भारत ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। भारत द्वारा किये गये अनुरोध पर विश्व व्यापार संगठन के अपील निकाय ने मामले पर विचार किया जिसने सिफारिश की कि भारत अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाये। तदुपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि इसे 19 अप्रैल 1999 तक किया जाए। निर्धारित अवधि में इन दायित्वों को पूरा करने में असफला रहने पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के विवाद निपटान समझौते की शर्तों के अन्तर्गत भारत के विरूद्ध कार्रवाई हो सकती है।"

इसलिए 19 अप्रैल 1999 तक की निर्धारित अवधि के भीतर ही यह संशोधन पारित किया जाना है। परन्तु सम्पूर्ण देश में निश्चित रूप से एक आशंका है कि क्या हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष समर्पण कर रहे हैं और अमरीका द्वारा उठाई गई आपत्ति से लोगों ने यह विश्वास करना प्रारंभ कर दिया है कि यह वर्तमान सरकार इस विशेष देश के अत्यधिक दबाव के कारण इसे संशोधित और पारित करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, हमारा कहना है कि इस संशोधन को अपनाने के बाद सरकार को सकारात्मक रूप से कुछ गारंटी देनी चाहिए कि जनता के हितों की रक्षा होगी, मूल्य निर्धारण नियोजित होगा। हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए; सम्प्रभुता को कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए; बीज उत्पादकों के हितों की पूर्णतया सुरक्षा की जानी चाहिए; यूरिया और भारत में पेटेंट किए गए उत्पादों के मूल्यों की रक्षा की जाए; और उत्पाद पेटेंट को दिए गए बचावों को अपनी आर्थिक प्रगति हेतु उपयोग किया जाएगा।

महोदय, बहुत से वक्ताओं ने इस पर अपना भय और शंका प्रकट की है कि क्या दवाओं की कीमतें नियंत्रण से बाहर होंगी; क्या हमारे बौद्धिक सम्पदा अधिकार को चुनौती दी जाने वाली है; क्या हमारे हितों को बेचा जा रहा है और क्या इस देश की सम्प्रभुता पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। सरकार का ठोस स्थिति को स्पष्ट करना होगा कि चूंकि हमने डंकल प्रस्तावों के बाद गैट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा हमारे देश के सम्मान के लिए इसे अब पूर्ण करना होगा।

महोदय, विश्व व्यापार संगठन का ट्रिप्स समझौते में मुख्य रूप से बौद्धिक सम्पदा की नौ श्रेणी शामिल हैं जो हैं: कापीराइट और तत्संबंधी अधिकार; सर्विस चिह्न सहित ट्रेड मार्क; भूगोलीय संकेत; औद्योगिक अभिकल्प; समेकित सर्किट का निर्माण करने के ढांचे का अभिकल्प; राज्य क्षेत्र; पेटेंट; माइक्रो आर्गेनिज्म तथा पौधों की नई किस्मों का पेटेंट किया जाना; (अर्थात् बीज और अन्य विस्तार करने वाली सामग्री)। इन नौ श्रेणियों में से छ: को कुल मिलाकर संरक्षण दिया गया है। इन बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा की गई है परन्तु जहां तक अन्य तीन पेटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा पौधों की नई किस्मों को पेटेंट किया जाना, अर्थात् बीज और अन्य विस्तार करने वाली सामग्री का संबंध है, तो इनकी सावधानीपूर्वक देखभाल करनी होगी।

महोदय, भय अवश्य है परन्तु यह भी सच है कि किसी नई दवा को शुरू करने में आठ से दस वर्ष तक का समय लगता है। यहां तक कि अमरीका में भी नये पेटेंट को प्रारम्भ करने में 12 वर्षों से अधिक का समय लगता है। हमें भय है कि यदि उचित नियंत्रण न रखा गया तो जैसा श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण अपने भाषण में कह रहे थे कि इस पेटेंट (संशोधन) विधेयक द्वारा रद्द की हुई दवाएं और उनके पेटेंट हमारे देश में प्रवेश कर सकते हैं।

महोदय, कल कई बार चीन की स्थिति के बारे में चर्चा की गई थी। कम्यु. (मा.) के माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या चीन अभी भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। चीन ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया है। यह अभी भी विचाराधीन है। चीन को सदस्यता नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है कि चीन गैट समझौते का पूरी तरह विरोधी है अथवा वे इच्छुक नहीं है अथवा वे विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश लेने में उनकी रुचि नहीं है।

महोदय, यहां तक कि अमरीका और चीन ने भी जनवरी, 1992 में प्रतिलिप्य अधिकार संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। अत: यह सही नहीं है कि चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने को उत्सुक नहीं है। वह गैट समझौते का सदस्य बनने का भी इच्छुक है।

महोदय, हमें सभी प्रयास करने चाहिए और अपनी बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा देश संशोधन के लाभ प्राप्त कर सके। यदि इसकी समुचित रूप से रक्षा की जाती है, तो हम निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं कि जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार का संबंध है, हम इसमें असल में भाग ले सके।

हमारे पास योग्यता है। हमने भी अपने उत्पाद पेटेंट करवाए है, जिसके द्वारा हम भी विश्व के अन्य भागों में हिस्सा ले सकते हैं और हम भी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे देश में उदारीकृत अर्थव्यवस्था और उद्योग नीतियां पहले ही अपना ली गई हैं, तब हम इस तरह के विचारों और दृष्टिकोणों से पीछे नहीं रह सकते, जिनमें से पेटेंट विधेयक भी एक है। अत: महोदय हमारे दल की ओर से हम इस आशा के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हैं कि सरकार को सभी प्रयास करने चाहिए ताकि हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभावित न हों और उन्हें चुनौती न दी जा सके। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि दवाइयों और अन्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि न हो।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरा नाम भी वक्ताओं की सूची में है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, कल से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भी मैं इस अवसर पर अपनी आपत्तियां बताने के लिये धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हूं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, से यह जानना चाहता हूं कि यह अध्यादेश क्यों लाया गया है। यह विधेयक शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सभा में पारित किया गया था। कुछ कारणों से, यह इस सदन में नहीं लाया जा सका। विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान तंत्र के अनुसार भी आपके पास 19 अप्रैल तक का समय है। इस अध्यादेश को इतनी जल्दी लाने

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

की आपको क्या जरूरत थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यादेश के कारणों को स्पष्ट करने वाले मंत्रालय द्वारा परिचालित विवरण से कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है। मैं पैरा आठ की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

> "संयुक्त राज्य अमरीका ने पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 के प्रावधानों के संबंध में भारत के साथ परामर्श करने का अनुरोध किया है। यह महसूस किया गया कि इसके अधिनियमित होने से पहले इस विधेयक के प्रावधानों पर कोई विचार-विमर्श करना उचित नहीं होगा।"

मैं मंत्री जी की ओर से भी उत्तर दे रहा हूं। अब महोदय, ऐसी सुस्पष्ट, पारदर्शी स्वीकारोक्ति से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस सरकार के पास अमरीका की सरकार के साथ एक विधेयक पर चर्चा करने की राजनैतिक इच्छा और नैतिक सामर्थ्य नहीं है। क्या यह प्रभुत्व संपन्न सरकार है? क्या यह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए कारण से वास्तव में देश का अपमान हो रहा है। यह भारतीय संसद के लिए सबसे खराब दिनों में से एक हैं। मैं यह गंभीर टिप्पणी क्यों कर रहा हूं। इसी एक विधेयक का सदन के सभी वर्गों ने बारी-बारी से विरोध किया है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अवश्य ही अन्य दलों, सभी ने मिलकर इस विधेयक का विरोध किया है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय संसद के इतिहास में कोई ऐसा विधेयक कभी पारित नहीं किया गया जिसका सदन के सभी वर्गों ने विरोध किया हो? कोई भी इस पर अच्छी तरह विचार कर सकता हैं। आप वह भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कह सकते हैं किंतु आप उसी बात को कांग्रेस के बारे में कैसे कह सकते है? कांग्रेस 80 के संपूर्ण दशक में सत्ता में थी। यह काग्रेस सरकार ही थी जिसने वार्ता करने हेतु दलों को गैट में जाने की अनुमति दी। हमारे दलों ने सम्पूर्ण टी.आर.आई.पी.एस. संधि का जो आज के स्वरूप में है विरोध किया था।

अत: मैं किसी दल पर वार्ता में देश के साथ धोखा करने का दोष नहीं देता। उन्होंने ठीक ही किया। किन्तु वे उन स्थितियों को बनाए नहीं रख सके।

मैं उस समय के हमारे वाणिज्य सचिव श्री वी.के. गणेशन द्वारा अधिकारिक रूप से की गई टिप्पणी को उद्धृत करना चाहता हूं।

> "हमें यह सुस्पष्ट करना चाहिए कि परिणामों की परवाह किए बगैर यदि हम गैट पर हस्ताक्षर कर भी दें, तो हम उन मोर्चों पर पीछे नहीं हटने जा रहे हैं।"

कृपया ध्यान दें।

अर्थात् हम अवज्ञा करेंगे। एक बात है आयात का अर्थ पेटेंट पर कार्य करना नहीं है। यह अनुच्छेद 27.1 है। हमें उसमें पाद-टिप्पण जोड़ना है।

दूसरा मुद्दा माइक्रो-आर्गेनिज्म के बारे में है। श्री गणेशन ने यह बताया कि यदि यह संधि पारित भी हो जाती है, यह देश इसकी अवज्ञा करने का साहस और शक्ति पैदा करेगा।

अत: कांग्रेस दल, पता नहीं किन कारणों से अथवा दबाव में अपनी बात से मुकर गई। मुझे भारतीय जनता पार्टी की कहानी जरा भी नहीं बतानी है। मेरे मित्र डा. मुरली मनोहर जोशी और मैं और कुछ अन्य संसदविद् के रूप में वर्षों से कार्य करते रहे हैं। मेरे डा. मुरली मनोहर जी के साथ मौलिक दार्शनिक मतभेद हैं। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके साथ मैं बहुत से मुद्दों पर मतभेद रखता हूं। किन्तु मैंने उनके साथ इस पर कार्य किया। क्या हुआ? अत: यह भारतीय जनता पार्टी के बारे में हैं।

जहां तक वाम दलों और हमारा संबंध है, हमने हमेशा इसका विरोध किया था। अत: यहीं एक विधेयक है, जो इस सदन की आत्मा के विरुद्ध सदन द्वारा अधिनियमित किया जा रहा है। अत: इस देश में ऐसा कोई अन्य विधान नहीं हो सकता जिसकी ऐसी कोई मिसाल अथवा मिलती-जुलती बात हों। हमने बहुत से विवादास्पद विधेयक पारित किए है, जिस पर सदन बौद्धिक रूप से बंटा हुआ था। किन्तु, अब सदन सिद्धांत रूप से एक है और राजनैतिक रूप से बंटा हुआ है। इनमें से कोई भी पहलू अर्थात् टी.आर.आई.पी.एस. संधि में हमारे लिए कोई सकारात्मक अथवा कोई मिश्रित पैकेज भी समाविष्ट नहीं है। यह लगभग एक स्पष्ट बुराई है, यह एक स्पष्ट अभिशाप है और हम एक राष्ट्र के रूप में इस कड़वी दवा को हज़म करने के लिए तैयार है। यही दुखदायी बात है। जब माननीय मंत्री जी अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों की बात करते हैं, तो मैं इसे एक अनिवार्य विधि निर्माण के रूप में देखता हूं। हमें विधि निर्माण के लिए विवश किया जाता है। क्या इससे ज्यादा अपमान की कोई और बात हो सकती है?

अब इस विधेयक के बारे में मेरा कहना है कि इसका दायरा बहुत संकीर्ण है। हम यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि विश्व निकाय द्वारा हम पर कतिपय विधि आवश्यकता का प्रभाव डालकर हमें विवश किया जा रहा है।

मैंने श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण को सुना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। किन्तु उन्होंने जो भी मुद्दे अपने भाषण में उठाए वे विधेयक के विरुद्ध थे। वह भी मेरे साथ कार्य करते रहे थे। अत: उनकी आत्मा इसके साथ नहीं थी। उनका दिमाग उसमें नहीं था। केवल उनका मुंह ही उसके साथ था।

ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हम ये भाषण क्यों दे रहे हैं? इसलिए नहीं कि मेरा यह विश्वास है कि मंत्री महोदय या भाजपा इस स्तर पर बदले जा सकते है बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि यह ऐसा अवसर है जहां हमें अपनी बात कहनी चाहिए।

यह एक भाषण है जो कि भावी पीढ़ी तथा इतिहास के लिए है और हमें इतिहास के कटघरे में आंका जाएगा।

1970 में जब मूल पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था, दवाइयों के मूल्य कम हुए थे। भारत में भेषज उद्योग फला फूला। पाकिस्तान ने प्रसंस्कृत पेटेंट को नहीं अपनाया जो कि हमने अपनाया। इसने उत्पादों को पेटेंट किया। उसके बाद क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान में साधारण दवाओं के मूल्यों में भारी अंतर हैं, अमरीका की तो बात ही मत कीजिए। अमरीका पर मैं कुछ बाद में बोलूंगा। यह 1970 के विश्व में यह एक आदर्श कानून माना जाता था, वह एक द्विध्रुवीय विश्व था। इस समय हम सभी पर आधिपत्य जमाने वाली एक महाशक्ति नहीं थी। हम स्वतंत्रता से सांस ले सकते थे। हमने वह कानून बनाया। आज हम इस 1970 के अधिनियम को ध्वस्त करने जा रहे हैं, एकबारगी नहीं बल्कि टुकड़ों में। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें टुकड़ों में विचार करने की बात है। क्या परिदृश्य है? आपके समेकित प्रयासों का क्या हुआ?

कल मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य का भाषण सुन रहा था। मुझे गुस्से से ज्यादा हंसी आई जब उन्होंने पेटेंट व्यवस्था का समर्थन करना शुरू किया। पेटेंट अवधि की वैधता 15 साल से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दी गई है। दुनिया में यह कोई भी विश्वास नहीं करता कि अमरीका के उपभोक्ताओं सहित विश्व के किसी भी उपभोक्ता के लिए ऐसी बात अच्छी है। संयुक्त राज्य अमरीका के उपभोक्ताओं के लिए काम करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री राल्फ नादिर भी पेटेंट व्यवस्था के विरोध में अभियान चला रहे हैं। मैं राजनीतिक मजबूरियों को समझ सकता हूं, परन्तु यदि हम इसे मान लेते हैं तो यह प्रौद्योगिकी तानाशाही के माध्यम से मद्दे शोषण का एक बड़ा उदाहरण होगा। यदि हम इसे दर्शनशास्त्र के आधार पर युक्तिसंगत ठहराना शुरू कर देते हैं तो यह राजनीतिक अनिवार्यता को बौद्धिक सत्य बनाने जैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अनिवार्यताओं को दार्शनिक प्रतिबद्धता बनाने का छद्मवेष धारण किया है। मैं इससे वास्तव में परेशान हो गया हूं।

जो लोग गैट (दो) की आलोचना करते रहे हैं – आज हमारे पास गैट-एक नहीं है – वह हमेशा गैट के पक्षधर रहे हैं। आज गैट-दो है जिसके अन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है। यह सभी राष्ट्रों से बड़ा निकाय है। वाणिज्य और व्यापार के संबंध में यह वास्तविक विश्व सरकार है।

अब जो गैट (दो) के विरोधी है वे उदारीकरण के विरुद्ध नहीं है क्योंकि उदारीकरण की नीति मुक्त व्यापार पर आधारित है और पेटेन्ट व्यवस्था एकाधिकार प्रदान करने में विश्वास रखती है जोकि मुक्त व्यापार के विरुद्ध है। जो गैट (दो) का समर्थन कर रहे हैं वे उदारीकरण के विरोधी हैं वे बीस वर्ष का एकाधिकार प्रदान कर रहे है तथा तत्पश्चात् एक बार फिर बीस साल की एक और क्रियात्मक पेटेंट व्यवस्था हो सकती है।

अपराह्न 2.00 बजे

इसका प्रभाव यह होगा कि सैद्धांतिक रूप से चालीस वर्ष का एकाधिकार हो सकता है। वे अपने आविष्कारों के लिए इस प्रकार का संरक्षण मांग रहे है। हम आविष्कारों को पुरस्कृत करने के विरोधी नहीं हैं; हम आविष्कारों को पुरस्कृत किए जाने के पक्ष में हैं। परन्तु महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों तथा आविष्कारक को दिए जाने वाले पुरस्कार के बीच में एक सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

अपराह्न 2.01 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1997 में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है – मैं भारतीय विशेषज्ञों का उद्धरण नहीं दे रहा हूं – मैं एक ऐसी विश्व संस्था को उद्धृत कर रहा हूं जिसकी इस मामले में विशेषज्ञता और प्राधिकार विश्व भर में मान्य है। उसमें कहा गया है:–

> "भेषज क्षेत्र में इस प्रावधान का तर्कसंगत परिणाम यह होगा कि दवाईयां ऊंची कीमतों पर बेची जायेगी, जैसा कि एकाधिकार उत्पादों के विषय में होता है। दीर्घकाल तक

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

आनुवंशिक उत्पादों के उत्पादकों को बहुत इन्तजार करना पड़ेगा जब तक कि वे उन दवाओं को बना कर अधिक सुविधाजनक कीमत पर बेच सकें।"

भारत द्वारा मोरक्कस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व व्यापार संगठन की अवधारणाओं में कोई सामंजस्य नहीं है। अमरीका, संयुक्त राज्य से संबंधित सभी निकायों को दरकिनार किए जा रहा है चाहे वह यूनीसैफ हो या विश्व व्यापार संगठन या फिर स्वयं संयुक्त राष्ट्र ही। यह तो एक समानान्तर अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने के समान है। अब हम एक ऐसी अन्तराष्ट्रीय तिकोन से शासित होंगे जिसमें विश्व बैंक आई.एम.एफ. तथा विश्व संगठन होंगे और हम उनके दबावों के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हैं।

यह कहने के पश्चात् मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह विश्वास करते हैं कि हमें विश्व व्यापार संगठन को छोड़ देना चाहिए। यहां पर मैं सभा का ध्यान उस समिति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी अध्यक्षता और कोई नहीं बल्कि श्री आई.के. गुजराल कर रहे है। उस संसदीय समिति ने दो मुद्दों पर सर्वसम्मत सिफारिशें की। डंकल प्रस्ताव जो मारेक्कस समझौते की प्रस्तावना के रूप में थे, समिति ने दृढ़ता तथा सुस्पष्टता से यह महसूस किया कि इन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। फिर भी समिति ने यह कहा कि आधारभूत बात तो यही है कि हमें विश्व व्यापार मंच को नहीं छोड़ना चाहिए। अत: मैं विश्व व्यापार मंच को छोड़ने की दलील बिल्कुल नहीं दे रहा।

इस विधेयक का सम्बन्ध दो मामलों से है। एक तो हैं दवाएं और दूसरे हैं कृषि रसायन। कृषि और स्वास्थ्य अनन्य रूप से राज्यों की सूची में हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि हम इस विधान को पारित करने में कैसे सक्षम हैं। वे यह कह सकते हैं कि भारत के संविधान में एक अभिमानी प्रावधान है जो भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने में सक्षम बनाता है। यह कोई मामूली अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है, सभापति महोदय, आप राज्यों के अधिकारों की अदला-बदली नहीं कर सकते। आप भारत के संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते। क्या मैं जर्मनी में जो कुछ हो रहा है, उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं?

हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता है कि ज्यादा नहीं तो जर्मनी भी भारत की तरह ही संघीय है। यूरोपीय संघ में जब भी राज्य सूची से सम्बन्धित किसी मामले पर विधान बनाया जाता है तो राज्य विधान मण्डलों से इसकी पूर्व अनुमति ली जाती है। राज्य विधान मंडल की पूर्व अनुभूति के बिना जर्मनी की सरकार यूरोपियन संघ के सम्बन्ध में भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं कर सकती तो हम राज्यों की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं?

श्री जयपाल रेड्डी जी आप कितने ही भाषण दे सकते हैं परन्तु हमें ई.एम.आर. का रास्ता तथा उत्पाद पेटेन्ट का रास्ता के बीच में से एक रास्ता चुनना होगा। हमें ई.एम.आर. रूपी कुआं तथा उत्पाद पेटेंट का रास्ता रूपी खाई के बीच चुनाव करना होगा। मैं इनमें कुछ भी चुनने को तैयार नहीं हूं। हमें किसी एक को तो चुनना ही होगा। अब हमें यह बताया गया कि हमें एक विकासशील देश के रूप में दस वर्ष की छूट मिलेगी। परन्तु हुआ क्या है? दस वर्ष की छूट की अवधि के दौरान हम अनन्य विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया है जो कि वास्तव में एक कलंक है। यह छूट की अवधि नहीं है - यह कलंक का काल बन गया है। बदले में हमें क्या मिला? कोटा पर प्रतिबन्ध के बिना क्या हम अमरीका को पस्त कर सकने की स्थिति में हैं? नहीं। हमारे वस्त्रों पर सन 2005 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। अमरीका जो कि एक गरीब देश है उसे संरक्षण की आवश्यकता है। महोदय, हमारा दृष्टिकोण भाग्यवादी है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मंत्री महोदय यहीं कहने जा रहे हैं। यह पलायनवादी रवैया है, यह प्रतिक्रियावादी रवैया है। उनका अत्यधिक सक्रिय दृष्टिकोण क्या है? उनका आशावादी दृष्टिकोण क्या है? उनका इससे बचने के लिए दृष्टिकोण क्या है? क्या उनका कोई दृष्टिकोण है भी?

विश्व व्यापार संगठन अधिनियम में ही पुनर्विचार के लिए गैट-दो का एक प्रावधान है। क्या हम उन्हें एक राष्ट्र के रूप में तैयार कर रहे हैं? एक बड़े विकसित राष्ट्र होने के नाते क्या हम अन्य देशों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि पेटेन्ट व्यवस्था पर पुनर्विचार बुनियादी रूप से प्रभावित हो। उनके पास मौका है। परन्तु वे वहां कर क्या रहे हैं? वे वहां जाते हैं और पहले से तैयार किए हुए भाषण पढ़ देते हैं, यही वो करते हैं। जब यह गुट निरपेक्ष सम्मेलन में मिलते हैं तो वह एक बात करते हैं और जब वह समूह-7 में जाते हैं तो भावुक हो जाते है और यही समस्या है।

अब मैं एक और मुद्दे पर विचार प्रकट करना चाहता हूं जिसे अभी तक किसी ने नहीं उठाया। जो संशोधन लाए गए हैं वे बहुत कमजोर हैं। पेटेन्ट अभ्यावेदनों की जांच 1970 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत की जाएगी। मैं वह सारा अधिनियम

पढ़ भी सकता हूं, परन्तु मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अधिक समय है। इसका सम्बन्ध पेटेंट होने वाले आविष्कारों से नहीं है। इसकी धारा 4 का सम्बन्ध परमाणु ऊर्जा से है जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल नहीं है। तो सर्वप्रथम वे कौन से सुरक्षोपाय कर रहे हैं। वे यह क्यों नहीं कहते कि पेटेन्ट अभ्यावेदन की 1970 के अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जायेगी। यह सुझाव और किसी ने नहीं अपितु श्री गणेशन ने ही स्वयं दिया है जो आज इस बात की वकालत कर रहे हैं कि हमें विश्व व्यापार संगठन में अन्दर रह कर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधन पूरे अधिनियम का होना चाहिए और केवल धारा 3 और 4 का ही नहीं।

मैं श्री चव्हाण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यदि आप सम्पूर्ण अधिनियम नहीं ला सकते तो कम से कम अध्याय चार और पांच जोड़ दीजिए ताकि सम्बद्ध प्राधिकारी इसे तीन पक्षों से देख सके। कि यह सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में है या यह एक नवीन कदम है और क्या वह वाणिज्य रूप से लाभकारी है और क्या लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं।

यह सब कुछ कहने के पश्चात् मुझे अपनी ही बात काटने दीजिए। यह अकेले भा.ज.पा. अथवा कांग्रेस का विशेषाधिकार नहीं है कि वह अपनी कही हुई बात काटें। यह सुरक्षा उपाय विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के माध्यम से बनाए नहीं रखे जा सकते। जब ई.एम.आर. की बात आती है तो लाइसेंसिंग को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इन अर्थों में ई.एम.आर. उत्पाद पेटेन्ट से बदतर है। अत: अमरीका ने पहले ही आपके तथा इस विधेयक के विरोध में शिकायत दर्ज करवा दी है। आप विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के अनुपालन की दृष्टि से यह विधेयक पारित कर रहे हैं और अमरीका ने पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है। यदि मुझे निष्पक्ष रहना है तो मुझे इसमें कुछ गुण देखूंगा क्योंकि ई.एम.आर. के माध्यम से अनिवार्य लाईसेंसिंग के लिए मुझे कोई कानूनी सम्भावना नहीं दिखती।

हमारे देश में अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विचार है कि उत्पाद का पेटेन्ट कराना ई.एम.आर. से बेहतर है। मैं इस तर्क को समझ नहीं पाया हूं क्योंकि उत्पाद पेटेंट के अन्तर्गत भी आप उस तरीके से अनिवार्य लाइसेंसिंग प्राप्त नहीं कर सकते जिस तरह से 1970 के अधिनियम में दिया गया है। 1970 के अधिनियम में धारा 81 से 90 में यह बताया गया है कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंसिंग का सहारा किया जा सकता है। टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) अधिनियम का अनुच्छेद 31 आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। इसमें यह बताया गया है कि जब राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति हो या फिर अत्यन्त आवश्यकता हैं अन्यथा नहीं। इसके अलावा, इसकी संभावनाएं सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग तक ही सीमित हैं। आप व्यावसायिक दोहन के बिना ही अनिवार्य लाइसेंसिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उत्पाद के पेटेन्ट के अंतर्गत भी अवसर कहां हैं? आप को इससे बांध दिया गया है। इसका रास्ता अनुपालन नहीं अवज्ञा है। हम विश्व व्यापार संगठन में हार गये और हमें इसकी अवज्ञा करनी चाहिए। हमारे लोग इसके प्रलयकारी दुष्परिणामों का झूठा प्रचार कर रहे हैं जो इसका पालन न करने से पैदा होंगे। मैं इस झूठे प्रचार से सहमत नहीं हूं। इससे क्या होगा? अमरीका 9 अप्रैल के बाद एक बार फिर शिकायत करेगा। तत्पश्चात्, विश्व व्यापार संगठन अमरीका से यह पूछेगा, "देखिए। इससे आपको क्या क्षति पहुंची है?" अमरीका यह सिद्ध करने के लिए तैयार हो जायेगा कि उसे कोई विशिष्ट क्षति हुई है और इसके द्वारा विशिष्ट क्षति सिद्ध किए जाने के पश्चात् भी यह केवल सम्बद्ध क्षेत्रों में ही कदम उठा सकता है। इसके बाद, यह "प्रतिशोधात्मक उपायों" का सहारा ले सकता है। इसलिए इन अपेक्षाओं की सही अथवा गलत ढंग से अनुपालना करने में हम ऐसी उतावली क्यों कर रहे हैं?

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति विश्व व्यापार संगठन की गैर-विभेदक व्यवस्था की प्रशंसा करता है। पोखरन विस्फोट के बाद अमरीका ने हमारे देश की 250 कम्पनियों या संस्थानों पर एकतरफा व्यापार प्रतिबंध लगाया है। क्या सरकार ने इस विवाद को विश्व व्यापार संगठन में उठाया है? यदि विश्व व्यापार संगठन गैर-विभेदक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करता है तो वे विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है? अमरीकी सरकार ने इस आधार पर ऐसा किया है कि जिस प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उनका दुहरा उपयोग हो सकता है। क्या यह आधार हो सकता है? हम विश्व व्यापार संगठन की क्षमता की जांच क्यों न करें? क्या सरकार ने कभी ऐसा सोचा है? नहीं, यह विचार उनके दिमाग में नहीं आ सकता क्योंकि वे अनुपालना का तरीका अपनाना चाहते हैं, अवज्ञा का तरीका अपनाना नहीं चाहते हैं। यही कठिनाई है।

सामान्यतया अमरीका जैसे देश में प्रत्येक वर्ष कितने अणुओं का पेटेन्ट किया जाता है? वे कहते हैं कि अधिकतम 60 अणुओं का। वास्तव में, मेरे पास एक सूची है जिससे पता चलता है कि चार वर्षों में वे केवल 39 अणुओं के लिए ही पेटेन्ट अधिकार, पूर्ण पेटेन्ट अधिकार प्राप्त कर सके हैं। किन्तु मुझे विश्वासपूर्वक पता चला है कि 3000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और मंत्री जी उसे स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें बताने दीजिए कि ये आवेदन पत्र

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

किस विषय से संबंधित हैं। वे उपयोग के तरीके में परिवर्तन के बारे में हो सकते हैं। वे सारहीन आवेदनपत्र हो सकते हैं। क्या हमें उनकी जांच करने का अधिकार है? मेरा कहना यह है कि आपको उनकी जांच करने का अधिकार नहीं है। मेरा यही कहना है और मंत्री जी को इसका विरोध करने दीजिए कि ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि इतिहास के कटघरे में हम दोनों का निर्णय होने जा रहा है।

सभी ने केले के बारे में बात की। स्पष्टतया, पश्चिम में केला हमारी प्याज का प्रतिरूप है। दो अत्यधिक समान विचारधारा वाले सहयोगियों के बीच, दो सबसे बड़े व्यापार भागीदारों यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच एक बड़ी व्यापारिक युद्ध छिड़ गया है और यह केवल 500 मिलियन डालर के आस-पास तक सीमित है। इसमें कई बिलियन डालर संलिप्त नहीं है। अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन के पास जाने की परवाह नहीं की। इसने यूरोपीय संघ के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की एकतरफा निर्णय लिया। मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि जब यह अमरीका का मामला होता है तो विश्व व्यापार संगठन असमर्थ हो जाता है। जैसा कि राजनैतिक और सेना के मामलों में अमरीका संयुक्त राष्ट्र पर हावी हो जाता है उसी प्रकार व्यापारिक मामलों में अमरीका विश्व व्यापार संगठन पर भी हावी हो जाता है।

एक अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि श्री केनतर ने अमरीकी कांग्रेस को बताया कि "गैट की धारा 102 के अनुसार, गैट के अन्तर्गत जब कोई व्यापार संबंधी विवाद होता है तब अमरीकी कानून को न केवल कुछ मामलों में बल्कि प्रत्येक मामले में, न केवल अधिकांश मामलों में बल्कि प्रत्येक मामले में गैट से प्राथमिकता दी जायेगी।" मैं कुछ और उद्धरण दे सकता हूं किन्तु मेरे विचार से समय नहीं है।

अब कुछ मित्र यह कह रहे हैं कि कुल मिलाकर केवल 250 औषधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 1995 तक केवल चार का ही पेटेन्ट शेष था। इन चारों का भी पेटेन्ट अब समाप्त हो गया है।

सभापति महोदय, यह जरूरी नहीं है कि मरीज आवश्यक औषधियों का ही उपयोग करते हैं। वे चिकित्सक के उसके अनुसार ही चलते हैं। मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है जिसका नेहरू और गालब्रेथ दोनों ने अमरीका में मिलिटरी फैक्ट्रियों के बारे में साठ के दशक में उपयोग किया था। उन्होंने इसे "इन्डस्ट्रियल मिलिटरी कम्पलैक्स" का नाम दिया था। भारत में, हमारे यहां भी "फिजिशीयन फारमेसिस्ट कम्पलैक्स" है। जब कोई मरीज किसी बीमारी से पीड़ित हो रहा होता है तो वह चिकित्सक द्वारा दिए गए नुस्खे के अनुसार नवीनतम और सबसे महंगी औषधि खरीदेगा और चिकित्सक फार्मेसिस्टों और भेषज कम्पनियों के बीच एक मिलीभगत होती है। अत: यह कहना सही नहीं है कि "हमारी आवश्यक औषधियां इसमें शामिल नहीं है।"

ग्लेस्को कंपनी के चेयरमैन श्री रिचर्ड साइकेस ने कहा कि वे अनन्य विपणन अधिकारों के लिए भारत से दो पेटेंट लेंगे यद्यपि दोनों ही खुराक के स्वरूप में परिवर्तनों से संबंधित हैं। श्री साइकेस ने जनटक के बारे में भी बताया। जब जनटक अमरीका में पेटेन्ट के अन्तर्गत थी, तो भारतीय मूल्य अमरीकी मूल्य का लगभग दो प्रतिशत, अर्थात् पचास गुणा कम था।

मुझे आश्चर्य हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ देशभक्त सदस्यों ने भारत में औषधि के कम मूल्यों के बारे में शिकायत की थी। मैं यह नहीं जानता कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि यह बाध्यता का मामला है तो ठीक है, किन्तु अपनी बाध्यता को दृढ़ विश्वास में परिवर्तित मत कीजिए। सैद्धांतिक रूप से परिवर्तित मत होइए। बहकावे में मत आइए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैंने औषधि के कम मूल्यों के बारे में कभी शिकायत नहीं की ...*(व्यवधान)* वह उस बात के कहने का मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जो मैंने नहीं कही थी। यह मेरी शिकायत है। मैंने यह कभी नहीं कहा था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : ठीक है, मैं आपका स्पष्टीकरण स्वीकार करता हूं। किन्तु यह मुख्य मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि भारत में औषधियों का मूल्य विश्व में सबसे कम है और जब कोई भारतीय अमरीका जाता है तब वह भारत से अपनी सभी औषधियां ले जाता है क्योंकि वह उनका मूल्य वहां चुका नहीं सकता। मुझे अनेक पुरानी बीमारियां हैं। केवल एक बीमारी ऐसी है जो मुझे नहीं है और वह है ब्लड प्रेशर। इसलिए मैं ठीक प्रकार से बोल सकता हूं। जब मैं अमरीका जाता हूं तो मैं यहां से अपनी दवाईयां ले जाता हूं क्योंकि मैं अमरीका में दवाईयां खरीद सकने में असमर्थ हूं। मैं नहीं समझता कि श्री सिकन्दर जी इसे खरीदने में समर्थ होंगे।

अत: हमारी गरीब जनता को ध्यान में रखकर आप इस पर विचार करें।

महोदय, आपने हमें धोखा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का अमान्य प्रावधान इसमें जोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि आप अपने आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। यह एक जाली सुरक्षोपाय, धोखाधड़ीपूर्ण सुरक्षोपाय, कपटपूर्ण सुरक्षोपाय और अमान्य सुरक्षोपाय है। खैर जैसा भी हो।

आपने बिक्री करने अथवा वितरण करने का अधिकार दिया है और निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया है। आपने निर्माण करने का अधिकार न देने का निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके द्वारा जोड़ा गया संशोधन अमान्य है। इसका मतलब है कि यह एक ढकोसला और बेकार की बात है। इससे अधिक कुछ नहीं है।

महोदय, कुछ दिन पहले मैं लंदन की प्रतिष्ठित पत्रिका दा इकोनोमिस्ट का पहला सम्पादकीय पढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एड्स के मामले में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। लंदन की दा इकोनोमिस्ट, जो पिछले 150 वर्षों से मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की वकालत कर रहा है, ने अपने सम्पादकीय में यह आश्चर्य व्यक्त किया था कि तीसरी दुनिया के देशों की गरीब जनता इसे वहन करने में किस प्रकार सक्षम होगी क्योंकि एड्स के उपचार की न्यूनतम लागत 10,000 डालर अर्थात् 4 लाख रुपए और इससे अधिक होगी। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो एड्स से पीड़ित हैं।

यहां कुछ मित्रों के लिए चीन का उदाहरण देना एक फैशन बन गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं चीन का प्रशंसक नहीं हूं। मैं सामाजिक लोकतंत्र का सदैव समर्थक रहा हूं। हमने जो लोकतांत्रिक पथ अपनाया था, उस पर मुझे गर्व है। लेकिन इससे पहले कि आप चीन का हवाला दें, आपको वह उथल-पुथल याद रखनी चाहिए जिससे वह देश पिछले 50 वर्षों से गुज़रा है। आपको याद होना चाहिए कि चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। इसे परम अनुग्रहीत राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिये कैपीटोल हिल से बहस और सौदा करके, अमरीका की मांग को हर बार स्वीकार करना होगा। आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

क्या मैं एक और मुद्दा उठा सकता हूं? चीन ने अमरीका के साथ व्यापार करके 50 बिलियन डालर अतिरिक्त संचित किये हैं? क्या आपके पास चीन जैसी ताकत है? इसलिए, आप अप्रासंगिक ढंग से चीन का उदाहरण क्यों दे रहे हैं?

भारत में, हमारी न्याय पद्धति बहुत ही अच्छी है। हालांकि न्याय मिलने में थोड़ा विलंब होता है, फिर भी मुझे इस पर गर्व है। चीन में चीन से उचित रूप से माफी मांगते हुये, मैं चीन का न तो शत्रु हूं और न ही प्रशंसक - हमारे जैसी न्याय पद्धति नहीं है। इसलिए, जब इसे पूर्णत: क्रियान्वित किया ही नहीं जा सकता तो चीन के साथ तुलना करने का क्या मतलब है? वहां कोई स्वतंत्र न्याय पद्धति नहीं है।

मैं अब अपनी अंतिम बात गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें तथा तत्काल कार्यवाही करें। हमारे राष्ट्र की क्या तैयारी है? आप राष्ट्र को किस प्रकार तैयार कर रहे हैं? अमरीका में 3000 परीक्षक पेटेंट की जांच कर रहे हैं। उसकी तुलना में, भारत में केवल 13 परीक्षक हैं जिनकी कुशलता पर संदेह है। इस क्षेत्र में हम क्या बुनियादी कदम उठा रहे हैं?

इसके अलावा, हमें विशिष्ट पद्धति अपनानी होगी। हमने क्या कदम उठाये हैं? क्या आपने हम सभी से सलाह ली है? क्या आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं?

इसके बाद भारतीय विरासत, जिसके बारे में हम सभी को गर्व है, के संबंध में आप यह देखने के लिए क्या कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक नुस्खों और यूनानी नुस्खों को 2005 से पहले कारगर ढंग से पेटेंट किया जाये? आपने कुछ नहीं किया है। मेरा आरोप यह है। हम इस मामले में काफी लापरवाह हैं। इस मामले की दो विभागों, उद्योग तथा वाणिज्य द्वारा जांच की जा रही है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मेरे मित्र, श्री सिकन्दर बख्त को उद्योग के साथ-साथ वाणिज्य विभाग भी दे दिया जाये। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित सभी मामले एक मंत्रालय के अधीन लाये जायें। यहां तक कि यह प्रारंभिक कदम अभी तक नहीं उठाया गया है।

निष्कर्षत: यह विश्व व्यापार संगठन का अंत नहीं है। उद्योग प्रधान देशों के पास अनंत कार्यसूची है जो समय-समय पर प्रकट की जाती है।

वे आपको इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि उन्हें इस देश में निवेश करने दिया जाये; वे इस बात के लिए आपको बाध्य करेंगे कि आप उनके श्रम संबंधी मानदंड अपनायें; वे आपको अपने पर्यावरणीय मानदंड अपनाने के लिए बाध्य करेंगे। यदि आप अध्यादेश के माध्यम को छोड़कर अमरीका की सरकार के साथ इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते तो हम इस कार्यसूची, जो विकासशील विश्व के लिए पूर्णत: विनाशकारी है, का विरोध करने के लिए आप पर कैसे निर्भर कर सकते हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पर बल देते हुये, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगी। मैं अपनी पार्टी के विचार बताना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

मेरी पार्टी तब तक संसद और इस सभा का बहिष्कार करेगी जब तक कि सरकार दूरसंचार के किराये में वृद्धि को समाप्त करने की घोषणा नहीं करती। यह जनहित के विरुद्ध है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी कोई समय नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई गुंजाइश नहीं है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आपकी कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन हमारी गुंजाइश है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं आपसे अपील कर रही हूं। मैं कहती हूं कि मेरी पार्टी इस सभा का तब तक बहिष्कार करेंगी जब तक कि सरकार स्थानीय टेलीफोन कालों की दरों में वृद्धि को समाप्त नहीं करती और स्थानीय टेलीफोन कालें करने वाले लोगों को दी जा रही सुविधाएं बरकरार नहीं रखती। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.33 बजे

इस समय, कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): सभापति जी, मुझे अपनी पार्टी की तरफ से इस पेटेंट बिल पर बोलने दिया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह नियमों क अंतर्गत अनुमत्य नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आप एक गलत उदाहरण कायम करेंगे। इस समय किसी भी पार्टी को सदन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तब कोई पार्टी कोई मुद्दा नहीं उठा सकती। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा): सभापति जी, दिल्ली के कीर्ति नगर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी लोग रह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील (अहमदनगर): सभापति जी, समय की कमी को देखते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। *...(व्यवधान)* मैं केवल तीन-चार मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री एच.पी. सिंह : सभापति जी, दिल्ली के कीर्ति नगर, नारायणा और मायापुरी में उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब दो हजार लोग झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। *...(व्यवधान)* उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसे कल शून्य काल में उठाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह शून्य काल नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसे कार्यवाही का अंश नहीं माना जाना चाहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह काफी खराब उदाहरण होगा। हम पेटेंट विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और एक माननीय सदस्य का कहना है कि वह टेलीफोन काल की दरों में वृद्धि का विरोध करती हैं। वे अभी तक कहां थी? यह कार्यवाही का अंश नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हमने उनको सहमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। वे सुबह कहां थी?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपा करके आप आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सभापति जी, पेटेंट बिल के संबंध में लोगों के मन में जो शक हैं, वह मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे अपने उत्तर में इस विषय पर स्पष्टीकरण देंगे। मेरा पहला सवाल है कि पेटेंट के कारण दवाइयों की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी? इस पेटेंट के कारण हिन्दुस्तान में दवाइयों की संख्या साठ हजार तक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह संख्या और बढ़ेगी या कम होगी?

तीसरा सवाल यह है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक एक ही सस्ती दवाई है। इस पेटेंट लॉ के कारण हमारे जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांड चल रहे हैं, उन पर इसका क्या असर होगा? मैं समय की कमी के कारण ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो एग्रीकल्चर इसका नेचुरल रिसोर्स हैं, उनके ऊपर यह पेटेंट कानून लागू नहीं होना चाहिए लेकिन जब उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के बीच में कोई परिवर्तन होता है तब यह लागू होने की संभावना होगी। बासमती का झगड़ा चल रहा है और तुलसी के आयुर्वेदिक जूस पर भी झगड़ा पैदा हो रहा है। हमारे मैडिकल प्लांट के बारे में भी पेटेंट में प्रोटैक्शन होना चाहिए, दूसरी बात आपको पता है कि किसान अनपढ़ है। जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो वहां पढ़े-लिखे लोग हैं लेकिन हमारे गांवों में कितनी लिट्रेसी है। आज किसान के बीच, बुवाई या कोई भी प्रैक्टिस हो, उन्होंने हजारों सालों से ऐग्रो-क्लाईमेटिक कंडीशन्स से अपने बीज का निर्माण किया है। ड्राउट एरिया में बासमती का बीज अलग है। उन्होंने जो ट्रैडीशन धान सुरक्षित रखा है, उसके बारे में उनको सिक्युरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि उनको यह ज्ञान नहीं होगा कि हमें यह पेटैंट कैसे करना हैं, वैसे उद्योग जगत के लोग जागरूक हैं। चाहे मल्टी नेशनल्स हों, हिन्दुस्तान की ज्वाइंट कम्पनीज हों या बीज परिवर्तन में संशोधन करने वाली कोई निजी संस्था हो, वे कर सकती हैं। हमारे यहां यह परम्परा रही है कि हम इस साल का बीज प्रोटैक्ट करते हैं और अगले साल बोते हैं। कुछ फसलों में आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज किसान की कई ऐसी फसलें आ रही हैं जिसमें उस साल का बीज उसी साल खत्म हो जाता है और नया बीज खरीदना होता है। इसलिए हमारे पास जो ट्रैडीशनल नॉलेज है, चाहे प्लांट प्रोटैक्शन हो, हमें इस पर बहुत गहराई से सोचकर किसान को सिक्युरिटी देनी है। गांवों के जो छोटे कारीगर होते हैं, उनके पास भी काफी अच्छी टैक्नोलौजी होती है। वह टैक्नोलौजी भी पेटैंट दूसरी कम्पनी भी कर सकती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसमें हमें कैसे संरक्षण मिलेगा।

इस निर्णय के लिए नए काम का जनजागरण करना जरूरी है लेकिन किसान या किसी गांव वाले के लिए पेटैंट लॉ का परिणाम क्या होगा। जो पढ़ा-लिखा है, एक्सपर्ट है, जिनके पास काफी धनराशि है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस है, वे पेटैंट लॉ मे कुछ न कुछ रजिस्टर कर लेंगे और हमारे गांव के किसान या मजदूर या कारीगर उससे वंचित रह जाएंगे, हमारे जो अधिकार है, जो ट्रैडीशनल राइट्स हैं, नैचुरल राइट्स हैं, उनमें क्या परिवर्तन होगा। यदि होगा तो उसमें हमें कैसे संरक्षण मिलेगा क्योंकि जो 39, 40, 64 ओरीजनल क्लॉजेज थे, वे ओमिट कर दिए हैं। इसके कारण जो पेटैंट लॉ आएगा, उससे कारीगर, छोटे किसान और आर्टीजन्स कैसे प्रभावित होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जिस पेटैंट लॉ को आप पब्लिश करेंगे, किसान के बीज का पेटैंट हो रहा है, किसान की फसल है, जूस का पेटैंट हो रहा है, मेडिकल प्लांट का पेटैंट हो रहा है। जब आप उसमें यह पब्लिश नहीं करेंगे तो यह सब चलता रहेगा, गजट में आता रहेगा। जब किसान की जमीन चली जाती है, गजट में भी आ जाती है तो भी उनको पता नहीं होता। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनका पेटैंट लॉ से ज्यादा संबंध रहेगा, वे इससे प्रभावित होंगे जानकारी नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उनके पास काफी इन्फ्रास्ट्रक्चर है। किसान, मजदूर और खासकर आर्टीजन्स की बात अलग है। इस बारे में आप उनको कैसे प्रोटैक्शन देंगे। जैनेटिक इंजीनियरिंग में मुझे ज्यादा दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि ऐग्रो-क्लाईमैटिक कंडीशन्स के कारण धीरे-धीरे बीज का उत्पादन और तरीका बदल रहा है। ऐग्रीकल्चरल, नैचुरल रिसोर्सेस होते हुए भी हमको उसमें कठिनाई पैदा हो रही है। इनटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आप हमें कैसे सुरक्षित रखेंगे जिसके कारण बाद में ऐसा न कहना पड़े कि किसान ने ऐप्लीकेशन नहीं दी। जो ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी या

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

दूसरी संस्था है, कम से कम उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐग्रो-क्लाईमैटिक कंडीशन के कारण से भी किसान ने कुछ पैदावार की है। चावल में काफी संशोधन हुआ है। संशोधन करने वाली जो समस्या हैं, जो विदेश आरक्षित आएंगे, मुझे पता है कि मामूली संशोधन कर देते हैं और किसान तो काम में जुटा हुआ है, गांव के लोग गांव की भलाई के लिए उत्पादन में जुटे हुए हैं और ये लोग बाहर से आकर सिर्फ पैसा कमाने में जुटे हुए हैं।

इन बातों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अमल के बारे में हमारी काफी रिजर्वेशन्स हैं। किसान के दिल में भी रिजर्वेशन है, इसका आप जवाब के समय खाली स्पष्टीकरण दे दें तो देश के लिए भी ठीक होगा।

आखिर में, जैसा कि मैंने इनसे कहा कि रेडियो और टी.वी. के माध्यम से या और किसी माध्यम से जनजागरण या अवेयरनैस कैम्पेन चलाने की व्यवस्था करें और पेटेंट कानून के बारे में सबको अवगत कराएं। तुरन्त इसको बीज के क्षेत्र में लागू करना, मेरे ख्याल से बहुत अन्याय होगा। मुझे यही कुछ सवाल आपसे पूछने थे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): महोदय, मैं अपनी बात पर बल देते हुये, अपने विद्वान साथी, श्री सिकन्दर बख्त द्वारा सभा के समक्ष लाये जा रहे विधेयक का विरोध करता हूं। सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का विरोध करने का मूल कारण है कि यह केन्द्र-राज्य संबंध पर प्रहार है। यह विधेयक हमारे संविधान के संघात्मक ढांचे के सिद्धांतों के काफी खिलाफ है। पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी? मैं कहूंगा कि यह विधेयक अमरीकावासियों की बाध्यता के कारण बनाया गया है। अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान बोर्ड से यह शिकायत की है कि भारत ने 'ट्रिप्स' करार के 70.8 और 70.9 उपबंध के अनुसार अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। यदि हम इस विधेयक में संशोधन नहीं करते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। संभवत: मेरे मित्र श्री सिकन्दर बख्त कहेंगे कि हम प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकते हैं। कई सदस्यों, जो इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुये विधेयक के संबंध में पहले ही बोल चुके हैं, ने यह पाया कि यदि हम इस विधेयक को पारित नहीं करते हैं तो हम पर प्रतिबंध लगा दिये जायेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद क्या हुआ है? यद्यपि प्रतिबंध लगाये गये हैं, तथापि हम समूचे विश्व में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भीख मांगने नहीं गये है। हम जी रहे हैं। मेरा आरोप है कि यह सरकार अमरीका के दबाव के कारण झुक गई है। मैं सदन में संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि 1940 के वर्षों के दौरान क्या हुआ है।

चालीस के वर्षों के दौरान अमरीका में सामान्य आर्थिक मंदी आई थी। इस आर्थिक मंदी के कारण, अमरीका विश्वव्यापी बाजार चाहता था। उन्होंने कई द्विपक्षीय करार किये। उन्होंने 23 देशों के बाजार पर कब्जा कर लिया और अमरीका ने 23 देशों के प्रमुख के रूप में जिनेवा में एक बैठक की। उस बैठक में वे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाना चाहते थे। लेकिन अमरीका का दुर्भाग्य था कि वे 23 देश अपनी-अपनी राष्ट्रीय चेतना के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुये। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन नहीं बनाया जा सका। 'गैट' की स्थापना की गई। 'गैट' का सिद्धांत कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाना है।

गैट समझौते में सेवा क्षेत्र तथा बौद्धिक सम्पदा को शामिल नहीं किया गया है। विश्व व्यापार संगठन में बौद्धिक सम्पदा तथा सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब ट्रिप्स समझौते के 70.8 तथा 70.9 के कारण पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने की इस सरकार की बाध्यता हो गई। महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि यह सरकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श के बिना ही इस विधेयक को ला रही है। आप पूछ सकते हैं कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श क्यों करना चाहिए। कारण यह है कि जो विधेयक इस सदन के समक्ष लाया गया है वह आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप और कितने मिनट चाहते हैं?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मुझे खेद है। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। महोदय, मैं छ: सदस्यों के दल से संबंध रखता हूं। तीन सदस्यों वाले दल के एक सदस्य को बहुत लम्बे समय तक बोलने दिया गया। मुझे भी और समय दिया जाए।

महोदय, यह विधेयक प्रमुख रूप से रसायनों तथा औषधियों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। दोनों क्षेत्र राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल के मुख्य मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री से इस विशिष्ट मामले पर बारीकी से चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया जिससे कि मामलों को हल किया जा सके। इस पर आम सहमति हो सकती थी कि विधेयक को पारित किया जाए या विधेयक

पारित न किया जाए। परन्तु माननीय प्रधानमंत्री समय नहीं निकाल सके। शायद बाहरी कारणों से प्रतिदिन वे अपने सहयोगियों के साथ समझौते करने के प्रयास कर रहे हैं। वे असंगत कारणों के लिए अपने सहयोगियों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार में मेरे नेता श्री मुरासोली मारन, तत्कालीन उद्योग मंत्री, ने बुद्धिजीवियों तथा सांसदों को सम्मिलित करके एक पैनल बनाया था जिसमें डा. मुरली मनोहर जोशी, महान समाज विज्ञानी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व क्रांतिकारी नेता भा.क.पा. के श्री बर्धन, भा.क.पा.(मा.) के श्री अशोक मिश्रा और अन्य सदस्य थे। तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा अनेकों बार पैनल गठित किया गया। हमने इस मामले पर गहराई से विचार किया कि इस मामले की क्या कमियां तथा लाभ-हानि होंगी। प्रतिदिन जेनेवा को संदेश भेजे गये। पूर्व प्रधानमंत्री श्री देव गौड़ा तथा श्री आई.के. गुजराल पैनल से मिले थे। कुछ बातचीत हुई थी। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि श्री सिकन्दर बख्त, उद्योग मंत्री ने पैनल गठित करने और उससे मिलने का कष्ट नहीं किया। वे व्यापक विचार-मंच का लाभ उठाना नहीं चाहते थे। वे इसलिए इस विधेयक को लाना चाहते है क्योंकि वे दबाव के सामने झुक रहे हैं। श्री शुक्ला, सदस्य, योजना आयोग समन्वयक थे।

महोदय, डा. जोशी जो कि एक सच्चे स्वदेशी हैं, जब पैनल के सदस्य थे तो उन्होंने इसका विरोध किया था। पैनल में चर्चा के दौरान समाज विज्ञानी, श्री जार्ज फर्नांडिस ने इसका विरोध किया था। तब उन्हें इस विधेयक को लाने की अब क्या आवश्यकता पड़ गयी। उन्होंने विरोध किया और पैनल में एक हंगामा हो गया था। चूंकि अब वे इस विधेयक को ला रहे है, इसका तात्पर्य है कि कुछ ऐसा असंगत कारण है जो मुझे ज्ञात नहीं। संभवत: यह अमेरीकियों द्वारा डाले जा रहे दबाव के कारण हो सकता है।

मैं औषधि क्षेत्र के विषय में आपको एक बात बताना चाहता हूं। औषधि के क्षेत्र में भारतीय निर्यात की मात्रा क्या है? भारतीय निर्यात की मात्रा क्या है? 1993-94 में दवाओं और औषधियों के क्षेत्र में हमारा निर्यात निष्पादन 2009 करोड़ रुपए तक था। 1997-98 के दौरान क्या निष्पादन था। यह 1993-94 में 809 करोड़ रुपए और 1997-98 में 1301 करोड़ रुपये के आयात की तुलना में 5228 करोड़ रुपए था। यदि हम इस विधेयक को पारित करते हैं तो क्या होगा? निश्चित रूप से जिन लोगों ने भारत से दूर कहीं ओर पेटेंट अधिकार प्राप्त किया है वे ई.एम.आर. सहित आएंगे जिनका आप स्वागत कर रहे हैं। उनकी बाढ़ आ जाएगी और चूंकि जिन लोगों के पास अनन्य मौद्रिक अधिकार हैं वे आयात कर सकते हैं और भारतीय उत्पाद विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और हमारे उद्योग बीमार हो जाएंगे। और यदि हमारे उद्योग बीमार पड़ते है तो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जायेगी। अब क्या रास्ता बचता है? विश्वव्यापी परिदृश्य में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के साथ समेकित किया है। यह अच्छा है। संपूर्ण संसार में इस विश्वव्यापी परिदृश्य में पूंजी के प्रवाह की संभावना है परन्तु इसके साथ ही क्या किसी देश में हमारी श्रम शक्ति के निर्यात की भी कोई संभावना है। किसी ने इस विषय में नहीं सोचा। हमारी श्रम-शक्ति को निर्यात नहीं किया जा सकता।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। जब मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बात करता हूं तो मेरे इस ओर के मित्र भी मेरा समर्थन करेंगे। 6 मई 1981 को जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संघ के ऐतिहासिक सत्र में स्वर्गीय नेता मैडम इंदिरा गांधी ने कहा था:

> "समृद्ध समाज कष्टों के निवारण तथा जीवन को लम्बा करने के लिए नए उत्पादों तथा प्रकियाओं की खोज पर धन की बहुत बड़ी मात्रा व्यय कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में दवा उत्पादक एक शक्तिशाली उद्योग बन गए हैं।"

उन्होंने आगे दोहराते हुए कहा:

> "बेहतर सहायता प्राप्त विश्व के बारे में मेरा विचार यह है कि जिसमें चिकित्सीय खोजें पेटेंट से मुक्त होंगी और जीवन तथा मृत्यु से कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी।"

उन्होंने 'खोज' कहा था परन्तु उनका आशय मात्र 'आविष्कार' था न कि 'खोज'। हमारे लोगों को इस प्रश्न पर गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उनका अभिप्राय था 'आविष्कार'। मुझे जोर देकर कहना होगा कि यह सम्मेलन 1981 में जेनेवा में हुआ था। वहां एक संकल्प पारित किया गया था जिसका शीर्षक था 'सबके लिए स्वास्थ्य पर रणनीति'। श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण अब यहां नहीं है। यदि हम इस विधेयक को पारित करते हैं तो क्या हमारे गरीबों को स्वास्थ्य के लिए दवाएं मिल सकेंगी?

भारत में रेनीटाइदीन जैंटक की 150 मिग्रा. की डोज की दस टिकियों की कीमत 7.16 रुपए है। पाकिस्तान में यह 122.16 रुपए की पड़ती है। इंग्लैंड में यह 320.85 रुपए की पड़ती है। अमरीका में इन दस टिकियों की कीमत 730.60 रुपए पड़ती हैं। मैंने कीमत को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया है। इसलिए, जो टिकिया भारत में 7.16 रुपए की कीमत में बनती है उसकी अमरीका में 730.60 रुपए की कीमत पड़ती है। लाभार्थी कौन होगा? क्या हमारे गरीब भारतीय वर्तमान कीमतों पर प्राप्त करेंगे?

[श्री टी.आर. बालू]

समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री श्री सिकंदर बख्त को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन है। क्या ऐसा नहीं है? मंत्री महोदय, मेरा आप पर यह आरोप है कि वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन ने इस बारे में आपको चेतावनी दी अथवा परामर्श दिया था। यह 45 सदस्यों की समिति है। समिति ने एकमत से यह विनिश्चय किया है कि दोनों सदनों में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले सरकार को स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर गहन विचार करना चाहिए। दूसरी सिफारिश है कि सरकार को राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना चाहिए क्योंकि औषधि और कृषि रसायन उनके अधिकार क्षेत्र में हैं; तीसरे, सरकार को किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व विशेषज्ञों, महत्वपूर्ण व्यापारियों, न्यायाधीशों, वकीलों तथा वैज्ञानिकों के व्यापक वर्ग से परामर्श करना चाहिए। अब, निर्णय लिया जा चुका है। मंत्री महोदय, क्या अपने राज्य सरकारों से परामर्श किया है? आपने राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया। क्या आपने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की सलाह ली है? आपने नहीं ली है। आपने विशेषज्ञों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की परछाई से भी सलाह नहीं ली।

मंत्री महोदय, चूंकि आप स्वयं को मालिक और राज्यों को अपना गुलाम समझते हैं। मैं इस विधेयक को लाने के आपके रवैये की घोर निंदा करता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मंत्री महोदय, आप न केवल हमें गुलाम और दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में मान रहे हैं अपितु आप वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के भी बिल्कुल विरुद्ध है।

अत: इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): चेयरमैन साहब, माननीय श्री सिकन्दर बख्त जी लाचारी में, मजबूरी में और अदालत में हार जाने के बाद पेटेंट बिल को सदन में लाये हैं। जहां तक सरकार की लाचारी और मजबूरी का सवाल है, उसमें हमारी पार्टी सरकार के साथ है लेकिन जहां तक इस बिल के संबंध में लोगों की आशंकायें व चर्चायें हैं, मैं समझता हूं कि इसमें सच भी है। कृषि और दवा के क्षेत्र में गरीब लोगों पर जो बैड इफैक्ट पड़ने वाले है, उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किये जायें, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और सोचना होगा।

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने से पहले भारत सरकार को ऐसी शर्तें रखकर ही सिग्नेचर करने चाहिये थे जिससे देश का हित सुरक्षित रखा जा सकता, खासकर दवा तथा कृषि क्षेत्रों को प्रोटैक्शन मिल सकता।

विश्व की उदारीकरण और व्यापार वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत विकसित देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहारे बड़ी चतुराई से विकासशील देशों की इकौनोमी पर कब्जा करना चाहते हैं, यह चिन्ता की बात है। भारतवर्ष के लोगों के लिये यह विशेष महत्व इसलिये रखती है कि 400 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पहले व्यापार पर कब्जा किया और फिर राजनीति पर कब्जा कर लिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये और देश के हित में ऐसी शर्तें रखनी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

अगर ये अमेण्डमेंट बिल ऐसे ही लागू किया गया तो मैं समझता हूं कि देश का जो रिसर्च वर्क है, उस पर भी चोट होगी। देश की टैक्नोलॉजी पर भी चोट होगी, देश के विकास पर भी चोट हो सकती है, देश के स्वदेशीपन पर भी चोट हो सकती है जिसके हम बहुत अलम्बरदार हैं। ये सब बातें सोचकर कर ही डब्ल्यू.टी.ओ. में जाना चाहिए, क्योंकि विकसित देश चतुराई से डंकल की रिपोर्ट को गैट के समझौते के जरिये डब्ल्यू.टी.ओ. में मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी बासमती का पेटेण्ट अमेरिका की कंपनी ने उठा लिया और उसके लिए जो तीन वर्ष की लिमिट है, उसके तहत हम केस कर पाए हैं या नहीं यह भी हम जानना चाहते हैं। बासमती जो हमारे देश का प्रोडक्ट है, उस पर पाकिस्तान को साथ लेकर हमने केस चलाने की सोची थी, उसका क्या हुआ? उस बारे में भी पता नहीं चला है। वह भी गंभीर मसला है। हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क है, उस पर बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। जी.डी.पी. का 0.81 परसेंट ही खर्च होता है। जहां रिसर्च वर्क की यह पोजीशन हो वहां की हमारी टेक्नोलॉजी आगे न बढ़ पाये, उसके लिए देश के लोगों में चिन्ता होनी जरूरी है। इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से जे.पी.सी. बनाई जाए और डब्ल्यू.टी.ओ. के मैम्बर बनने के लिए दो शर्तें जिसमें सबसे ज्यादा शंका है और हम सोचते हैं कि खतरा भी हो सकता है उस बारे में विचार करें।

पहला है टर्मीनेटर जींस। कृषि क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से इससे खतरा बना हुआ है। इससे किसान मारा जायेगा। किसान की आर्थिक व्यवस्था पहले ही मंदहाली में है और वह खुदकुशी करने की राह पर तुला हुआ है। अगर वह अपने बीज तैयार न कर पाए तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने राज्य सभा में एक बयान के द्वारा विश्वास दिलाया कि किसी भी कीमत पर टर्मिनेटर जीन्स को इंपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। बहुत जोर से उन्होंने यह बात कही

और विश्वास भी किया जा सकता है मगर जो अधिकारी हैं, बायो टैक्नोलोजी के जो सैक्रेटरी हैं, श्री शर्मा जी और आई.सी.ए.आर. के जो डायरेक्टर जनरल हैं परौदा साहब, उन्होंने बहुत जोर से कहा कि जब दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं और उन्होंने यह बात भी कही कि हमारे देश में कर्नाटक में 40 स्थान ऐसे हैं जहां इसका फील्ड ट्रायल हो रहा है। मैं समझता हूं कि देश के लोग इस पर बहुत चिन्ता में हैं और सरकार शायद कनफ्यूजन में है, सरकार भी इस पर स्पष्ट नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह बात जो उनके द्वारा राज्य सभा में कही हुई है, अगर वह सही है तो जो अधिकारियों ने बयान दिया है वह कैसे दे दिया? जहां ये फील्ड ट्रायल हो रहा है उसको रोकना चाहिए और मैं समझता हूं कि टर्मिनेटर जीन्स पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगनी चाहिए। देश इनके साथ खड़ा होगा। अगर सीटीबीटी के मामले पर सारा देश एक हो सकता है तो डब्ल्यू.टी.ओ. के मेम्बर बनने की शर्तों पर एक क्यों नहीं हो सकता? इसलिए टर्मिनेटर जीन्स की शर्त और दूसरी सब्सिडी की शर्त सरकार को रखना चाहिए। सब्सिडी समाप्त करने के लिए जो शर्त उन्होंने रखी हुई है, वो नहीं माननी चाहिए पी.डी.एस. के रास्ते हम गरीबों को मदद देते है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा, आधी के करीब आबादी हमारे देश की ऐसी है जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, रहने के लिए मकान नहीं मिलता है। कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लागतों के मुकाबले हमारे देश में लागतें बहुत बढ़ी हैं और अगर ऐसे ही यह लागू हो गया तो यूरिया के दाम बहुत बढ़ सकते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर और हमारे देश के लोगों की पर्चेसिंग पावर को देखते हुए सब्सिडी खत्म करने की शर्त नहीं मान लेनी चाहिए। और भी कुछ बातें हैं मगर समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कनसेन्सस से इसमें कुछ शर्तें ऐसी मनवानी चाहिए जिससे देश का विकास हो, देश के लोगों को लाभ पहुंच सके।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी, आर.एस.पी. की ओर से, इस विधेयक का विरोध करता हूं जो देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए हानिकारक है। जैसाकि मैं समझता हूं इस पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 का उद्देश्य भेषज और कृषि रसायन पेटेंट के संदर्भ में विशेषरूप से व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों की स्वीकृति के बारे में भारत सरकार की ओर से दायित्वों को पूरा करना है। यह भारत सरकार पर बाध्यता है। यहां विकासशील देशों के लिए इन दायित्वों को निर्धारित समय-सीमा में अर्थात् 19 अप्रैल, 1999 तक पूरा करने के लिए बाध्यता है। इन बाध्यताओं को मराक्कस संधि के अनुच्छेद 70.8 और 70.9 में शामिल किया गया है।

महोदय, यह मेरी पहली टिप्पणी है कि मराक्कस संधि के इन दायित्वों को पूरा करना विदेशी पेटेंट को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह पेटेंट अधिनियम, 1970 की भावना और विषयसूची से पूर्णत: अलग है। 1970 के हमारे पेटेंट अधिनियम में ऐसा क्या है? असल में इसमें भारत के राष्ट्रीय अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले किसी भी विदेशी पेटेंट को स्वीकार न करने संबंधी भारत के विशषाधिकार की बात है। हमें अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। हमें अपने भेषज और रसायन पेटेंट का विकास करने का अधिकार है और यह हमारे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए मेरे विचार से, आज मराक्कस संधि के इन दायित्वों को पूरा करना विदेशी निगमों के साम्राज्यवादी आर्थिक हितों में सहायता करने के अलावा कुछ नहीं है।

महोदय, हम सुपर प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं जो विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहां अंतर्राष्ट्रीय समझ की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता है; इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि विश्व बंट गया है और विश्व के इस असमान स्वरूप ने विकासशील देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारतीय विधायिका ने स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर कार्यपालिका द्वारा मराक्कस संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ऐसा किया है। विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रवेश के परिणामस्वरूप आज पूरा देश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। हमारी स्थिति उस समय और भी संकटमयी हो गयी जब भारत अपने खिलाफ अमरीका और यूरोपीय समुदाय द्वारा अनुपालन न करने के लिए दायर किये गये मामले हार गया।

महोदय, हमारे सामने केवल दो विकल्प रह गये हैं। एक विकल्प यह है कि पेटेंट संबंधी आवेदनपत्र प्राप्त करने के लिए मेल बाक्स प्रणाली आरम्भ की जाये और दूसरा है कि विदेशी पेटेंट को अनन्य विपणन अधिकार दिये जायें। यदि भारत सरकार मराक्कस संधि के उपबंधों के अंतर्गत इन दो विकल्पों को स्वीकार कर ले तो भारत सरकार और भारत की जनता का भविष्य क्या होगा? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की स्वदेशी प्रक्रिया को नष्ट कर देगा। यह गरीब किसानों

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

और उभरते हुये वैज्ञानिकों के हितों को नष्ट कर देगा। यह मेरी दूसरी टिप्पणी है। यह सच है कि यहां सरकार के राजनीतिक नेतृत्व की असफलता प्रकट होती है। अपने इस विचार के समर्थन में कि यह विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के हितों को नष्ट कर देगा, मैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में जन आयोग (पीपुल्स कमीशन) की विख्यात रिपोर्ट से उद्धरण दे सकता हूं। इस आयोग के माननीय सदस्य हैं – न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, प्रो. यशपाल, प्रो. प्रभात पटनायक और राष्ट्रीय प्रो. एस.के. सिन्हा। दिसम्बर, 1998 में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी और आपकी अनुमति से मैं इस रिपोर्ट से उद्धरण देना चाहूंगा। यह विदेशी कंपनियों के अनन्य विपणन अधिकार देने के बारे में अंतिम टिप्पणी है:

> "इस प्रकार इस आयोग की सुविचारित राय में, संसद को अनन्य विपणन अधिकार कभी प्रदान नहीं करने चाहिए। अनन्य विपणन अधिकार स्वचालित पंचवर्षीय पेटेंट से कहीं ज्यादा है। यह आयातक को बिना किसी जांच और संदिग्ध आधारों पर घरेलू बाजार पर एकाधिकार प्रदान कराना है। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अत्यधिक विकासशील देश अनन्य विपणन अधिकार उपबंधों को क्रियान्वित नहीं करना चाहते। संभवत: पाकिस्तान और दो अन्य छोटे देश ही अभी तक केवल ऐसे देश हैं जिन्होंने अनन्य विपणन अधिकार पद्धति शुरू की है।"

यह आपकी जानकारी के लिए है। मेरे विचार से, आप यह अच्छी तरह जानते हैं।

यद्यपि मैं यहां तत्कालीन सरकार के राजनीतिक नेतृत्व की असफलता के बारे में कह रहा हूं, तथापि यह निश्चित है कि कार्यपालिका को सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए और यही संविधान का निर्णय है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन कोई साधारण संधि नहीं है। 'ट्रिप्स' कोई साधारण करार नहीं हैं।

आपकी अनुमति से मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत के कल्याण हेतु कौन सज्जन बातचीत कर रहे हैं? क्या यह सच है कि जो सज्जन विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत के हित की बात कर रहे थे, वह अब विश्व व्यापार संगठन के उप सचिव हैं? मैं मंत्रालय और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत के हित की बात करने वाले सज्जन को भारत सरकार ने जो काम सौंपा था, क्या उन्होंने वह कार्य किया है अथवा किसी अन्य राष्ट्र का कार्य किया है।

हमारे संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच काफी निकट के संबंध हैं। यह देखना होगा कि क्या कार्यपालिका ने संसद के अधिकारों का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं। इसी तरह हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच काफी निकट संबंध हैं। हम सहकारी संघवाद के युग में रह रहे है। इस संसद का उद्योग मंत्रालय इस पेटेंट अधिनियम के लिए पूरा आश्वासन नहीं दे सकता ऐसा नहीं हो सकता। हम सहकारी संघवाद के युग में रह रहे हैं।

जहां तक सहकारी संघवाद के सिद्धांत का संबंध है। इस मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह इस पेटेंट (संशोधन) अधिनियम के बारे में अंतिम निष्कर्ष देने से पहले राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों के साथ परामर्श करे।

मैं एक घटना का हवाला दूंगा। इस संसद ने सरकार को कुछ सुझाव देने के लिए एक काफी अच्छी प्रणाली अर्थात् समिति प्रणाली अपनाई है। यहां वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट है। वे याद करा सकते हैं कि पेटेंट (संशोधन) विधेयक केवल उद्योग विभाग के पूर्ण अधिकार में नहीं है। इस पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ परामर्श करना होगा। इसे मंत्रालय की अन्य शाखाओं से विचार विमर्श करके किया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि। वे कृपया वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करें। उस समिति ने अति उत्तम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुझे लगता है आपने पहले ही उसका अध्ययन कर लिया है। डा. अशोक मित्रा के सभापतित्व में समिति की एक मुख्य सिफारिश पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक 1988 के संबंध में की गई है। आपकी अनुमति से मैं स्थायी समिति की सिफारिशों में से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। तीन सिफारिशें की गयी हैं। मैं सिफारिश संख्या 1 से उद्धृत करता हूं:

> "विश्व व्यापार संगठन के निर्देशानुकूल देश के पेटेन्ट कानूनों में अप्रैल 1998 से पूर्व संशोधन शुरू करना, तथा इसके माध्यम से डाकखाना सुविधाएं एवम् दवाओं के प्रसंस्करण और देश में कृषि रसायन उत्पादों के लिए आवेदकों को अनन्य विपणन अधिकार पहले लोगों के पास जाइये, आप देश के विभिन्न भागों में जाईये और उनसे सुझाव लीजिए। इस देश में बुद्धिजीवयों के विभिन्न स्तरों से व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हो रहे हैं, आप उन मतों पर विचार कीजिए और अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व आगे न बढ़िए।"

आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूं। भारत अभी भी 'सार्क' देशों का नेता है। अभी भी भारत 'गुट-निरपेक्ष आन्दोलन' का नेता है। 'सार्क' देशों तथा 'गुट निरपेक्ष' देशों का नेता होने के नाते अमरीका के नेतृत्व में सामन्तशाही ब्लाक के विरुद्ध विश्व शक्तियों को प्रेरित कर सकता है। आप अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियों को जानते हैं। भारत 'सार्क' तथा 'गुट निरपेक्ष आन्दोलन' के नेता होने के कारण अभी भी देश की एकता और प्रभुसत्ता के हित में समझौता कर सकता है।

इन सुझावों के साथ, मैं पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक 1999 का विरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं अध्यक्षपीठ का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर): सभापति महोदय, मैं भारतीय पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक 1999 का विरोध करता हूं।

महोदय, यह विधेयक काला विधेयक है। मैं इस दिन को भी काला दिवस मानता हूं। यदि आज यह सदन में पारित हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि विधेयक पास हो जाता है कि इसके अभूतपूर्व तथा दीर्घकालिक परिणाम होंगे जिससे राष्ट्रीय और आर्थिक संप्रभुता ही नहीं अपितु राजनीतिक प्रभुसत्ता भी खतरे में पड़ जायेगी।

सरकार इस विधेयक को इस सभा में क्यों लाई है? उन्होंने यह अध्यादेश संसद में क्यों पेश किया है? उनको जल्दी क्यों पड़ी है?

सभापति महोदय, आप 'गैट' से अवगत है। 1947 में हमारा देश ही इसका संस्थापक सदस्य रहा है। हम गैट के विरुद्ध नहीं है। विश्व, एक समुदाय के रूप में, एक गांव के समान है। अत: हम 'गैट' के बिरोधी नहीं है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन गठित किया गया। सभी विकसित देशों के पास उत्पाद है परन्तु बाजार नहीं। विकासशील राष्ट्रों के पास बाजार है परन्तु उत्पाद नहीं। अत: उनके पास उत्पाद है और हमारे पास बाजार है अत: उन्होंने 'गैट' की सम्भावनाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है और विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को गठित किया गया। अब विकसित राष्ट्रों की पहल पर औद्योगिक देशों ने मुख्यत: संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ मिलकर व्यापार सेवाएं तथा विश्व व्यापार में 'ट्रिप्स' और 'ट्रिम' शुरू किए है। ये नई मदें है। ये सब 'गैट' में नहीं थे। इन्हें विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया गया है।

ऐसे गैट समझौता किया गया था। एक डंकल प्रारूप बनाया गया था। आप सब कुछ जानते हैं। इस समझौते के अंतिम प्रारूप पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हमारी सरकार ने सदन में इस पर विचार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। परन्तु सरकार ने इसमें सुधार किया। विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत आने वाले 'ट्रिप्स' समझौते के अन्तर्गत दो मदें हैं। अब हमारे माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन संबंधी वक्तव्य में सब कुछ बताया गया है परन्तु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको जानबूझ कर छुपा लिया गया है। यह उसमें है नहीं। इसका क्या कारण है? इतनी जल्दबाजी का क्या कारण है? केवल औषधियां और कृषि रसायन ही क्यों हैं?

सभापति महोदय, 'टिप्स' समझौते में केवल दो मदें थी, केवल भेषज तथा कृषि रसायन उत्पादों को ही क्यों शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, 'ट्रिप्स' समझौते में केवल दो मदें–भेषज जिनसे दवाएं बनाई जाती है तथा जो सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक होती हैं और कृषि रसायन जिनसे पादपों, कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों के लिए दवाएं बनती है, उपलब्ध कराए गए है इसके तहत हमारी दो आंखें हैं, एक मनुष्यों के लिए और दूसरा पादपों के लिए। इन देशों ने यह सुनिश्चित करने का निश्चय किया है कि भेषज और कृषि रसायनों के लिए कोई संक्रमण अवधि न हो।

1970 के पेटेन्ट अधिनियम में नौ मदें थी जहां पेटेन्ट उत्पाद की अनुमति नहीं है। इन दो मदों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं टाटा कम्पनी स्टील के लिए विख्यात है परन्तु अब टाटा कम्पनी वालों ने नमक का उत्पादन करने का निर्णय लिया है और अब वह कम्पनी नमक के लिए जानी जाती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को नमक की जरूरत पड़ती है। अब प्रत्येक मनुष्य को एक या दूसरी दवाई लेनी पड़ती है और प्रत्येक पौधे को कीटनाशकों और फफूंदनाशकों आदि की आवश्यकता पड़ती है। अत: संयुक्त राष्ट्र अमरीका की इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन दो मदों को रखने का निर्णय लिया अर्थात् भेषज और कृषि रसायन। इनकी कोई संक्रमण अवधि नहीं है।

यहां सब बातों का उल्लेख कर दिया गया है परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात को छोड़ दिया गया है। इन दो मदों की कोई संक्रमण अवधि नहीं है। अत: 1995 में विश्व व्यापार संगठन के

[प्रो. आर.आर. प्रमाणिक]

गठन पर हस्ताक्षर के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत यह दायित्व बन जाता है कि इन दो मदों को या तो उत्पाद पेटेन्ट दे दिया जाए अथवा अनन्य विपणन अधिकार का प्रावधान किया जाए। अत: विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की अनिवार्यताएं बन गई है। इस अनिवार्यता के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अमरीका के दबावों के आधीन और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की धमकियों के अन्तर्गत यह सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए मजबूर है अथवा अध्यादेश जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह सब कुछ अनिवार्यताओं और धमकियों के अन्तर्गत हुआ है। अत: राजनीतिक संप्रभुता पहले ही खतरे में है और हमें बहुत शर्मिन्दगी हो रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित नहीं करते हैं, तो सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध लगाए जाएंगे, यदि हम वह नहीं करते हैं।

वे इतनी उतावली में हैं कि उन्होंने मुख्य खंड को हटा दिया है। इसमें अवधि संबंधी शर्त वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई अध्यादेश नहीं है और यदि कोई कानून नहीं है क्योंकि उत्पाद पेटेंटों के लिए ये दोनों मदें निषिद्ध है, यह विधेयक केवल इस बाधा को हटाने के लिए लाया गया है। अब उत्पाद पेटेंट भेषज और कृषि रसायन के लिए प्राप्त किया जा सकता है। जब तक इसे पारित नहीं किया जाता है, मेल बॉक्स तो है ही और आपको इसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। और कोई प्रावधान नहीं है।

केवल भेषज और कृषि रसायन उत्पादों के लिए कोई संक्रमण काल नहीं है और हमें 1 जनवरी 1995 से पेटेंट विनियोग स्वीकार करने है। अत: जब तक यह पारित नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे स्वीकार करना है। हमें इस अनन्य विपणन अधिकार के लिए प्रावधान करना है। अत: उस कारण से यह सरकार द्वारा लाया जा रहा है। उन्हें इतनी उतावली है कि वे पेटेंट अधिनियम, 1980 की धारा 5 में संशोधन करना चाहते हैं।

मैं धारा 5 को उद्धृत करता हूं।

(क) खाद्य पदार्थ के रूप में या औषध या औषधि के रूप में उपयोग के लिए आशयित या उपयोग में लाए जाने योग्य पदार्थ के लिए दावा करने वाले आविष्कारों के मामले में;

(ख) ऐसे पदार्थ जो तैयार किए जाते है अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते है, जिसमें मिश्रधातु, प्रकाशीय कांच (आप्टिकल ग्लास), सेमी कंडक्टर और इंटर मैकेनिक कंपाउन्ड्स शामिल हैं, के संबंध में दावों तथा पदार्थों के बारे में किसी पेटेंट की मंजूरी नहीं दी जाएगी किंतु निर्माण प्रक्रिया-तरीकों के संबंध में दावों का पेटेंट किया जा सकेगा।

अब उन्होंने इसे धारा 5(1) के रूप में शामिल किया है और वे धारा 5(2) को अंत:स्थापित करना चाहते हैं।

पेटेंट अधिनियम, 1970 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5(2) को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, औषध या औषधि के रूप में, धारा 2 की उपधारा (1) खंड (ठ) के उपखंड के अधीन विनिर्दिष्ट औषध या औषधि के सिवाय, उपयोग के लिए आशायित या उपयोग में लाए जाने योग्य पदार्थ के लिए किसी आविष्कार के पेटेंट के लिए दावा किया जा सकता है और उसके साथ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 4क में उपबंधित रीति में बरता जाएगा।"

महोदय, धारा 5 में, आपको "तदरूप औषध अथवा औषधि" को हटाना है। इसे हटाया जाना है। जब तक आप धारा 5 में उस भाग को नहीं हटाते है, आप 5(2) धारा का अंत:स्थापन नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यह दोषपूर्ण विधेयक होगा। यदि यह धारा 5 में उस भाग को हटाए बिना पारित किया जाता है, तो उसमें त्रुटियां होंगी और इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

सबसे पहले, आपको धारा 5 के उस भाग को हटाना है और तभी आप धारा 5(2) का अंत:स्थापन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी जल्दी में हैं। मैं आप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने पहले यह अर्थात् "औषध अथवा औषधि" के उस भाग को हटाने का कार्य क्यों नहीं किया। जब तक आप इसे नहीं हटायेंगे, तब तक आप धारा 5(2) का अंतस्थापन नहीं कर सकते है। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया। धारा 5(1) को अक्षुण्ण रखते हुए आप धारा 5(2) का अंत:स्थापन नहीं कर सकते है। वे बिल्कुल परस्पर विरोधी है। आप धारा 5(क) को बनाए रखिए अर्थात् खाद्य पदार्थ, औषध और औषधि के उत्पाद का पेटेंट नहीं किया जाएगा। इसे अक्षुण्ण रखते हुए आप 5(2) का अंत:स्थापन नहीं कर सकते है। अत: मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब वे जल्दी में हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कैसे यह मजबूरी में लाया गया है। जब यह संधि 15 अप्रैल, 1994 को मोरक्को के मरक्कस में विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रमाणीकरण और परवर्ती पुष्टि के लिए आई, तो अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने टिप्पणी की थी, "आज हम अमरीकी उत्पादों के लिए विश्व बाजार खोलने में सफल हुए हैं।" यह श्री बिल क्लिंटन द्वारा कहा गया था। अत: यह भारतीय लोगों और भारतीय बाजार को लूटने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाजार खोलना है।

1990 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति, श्री जार्ज बुश ने कहा: हमारा उद्देश्य बाजार खोलना, व्यापार बढ़ाना और विश्व व्यापार को संचालित करने के लिए लागू हो सकने वाले नियमों के लिए स्पष्ट बातचीत करना है। अत: यह संयुक्त राज्य अमरीका की कारगुजारी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य ही इन दो क्षेत्रों में भारतीय लोगों को लूटना है।

हम सभी जानते है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी के रूप में आई और शासक बन गई। इसके बारे में सभी जानते है। अत: ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब विश्व व्यापार संगठन के नाम से इन दो क्षेत्रों भेषज और कृषि रसायन में लोगों को लूटने और हमारी आर्थिक तथा राजनीतिक संप्रभुसत्ता को चौपट करने के लिए आ रही हैं।

सभापति महोदय, अब समाप्त करता हूं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल दस मिनट लूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को, गांधीवादी लोगों को, मेरे दाहिने और बैठे हमारे आदरणीय सहकर्मी, जो अब इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, को बताना चाहता हूं। गठबंधन सरकार यह विधेयक लेकर आई है। अत: मैं गांधीवादियों, दाहिने ओर बैठे मेरे आदरणीय सहकर्मियों से अनुरोध करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें क्या बताया था? उन्होंने कहा था:

> "यदि आप निर्णय करने में असमंजस की स्थिति में हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब अपनी आंखें बंद करो और गरीबों में से सबसे गरीब जिसे आप जानते हैं, के बारे में सोचो और अपने दिमाग से पूछो। यदि आपका दिमाग कहता है कि यह करके गरीबों में से सबसे गरीब को फायदा होगा, तो वह करो। यदि आप पाते हैं कि गरीबों में सबसे गरीब को फायदा नहीं होगा, तो वह नहीं करो।"

अब, इस विधेयक के साथ, जिसके लिए हम दलील दे रहे हैं? क्या हम अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वकालत कर रहे हैं अथवा हम अपने देश के करोड़ों लोगों के लिए वकालत कर रहे हैं। हम किसके लिए तर्क दे रहे हैं? अमरीकी लॉबी बहुत शक्तिशाली है। अत: मैं हमारे माननीय सदस्यों और सहकर्मियों से अनुरोध करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : सभापति महोदय, मैंने केवल दस मिनट लिए है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे एक वाक्य कहने की अनुमति दें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं, जो अमरीका को पसंद करते है, क्योकि यह एक ध्रुवीय दुनिया है। अमरीका इसके शीर्ष पर है।

सभापति महोदय : कृपया, अब समाप्त करें।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : कृपया मुझे केवल एक मिनट दें। मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उद्धृत किया है। किंतु आजकल, बहुत से लोग अमरीकियों और अमरीकी जीवन के तरीके से बहुत ही मंत्रमुग्ध हैं। मैं ये चीजें बताना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन का महान कथन है, "सरकार लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए होनी चाहिए।" ...*(व्यवधान)* अत: इसका निर्णय लोगों के हाथ में है।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : सभापति महोदय, इस पेटेंट बिल पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भी तथ्य रखे हैं या अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगी। मैं चंद अलफाज में इतना ही कहना चाहती हूं कि पेटेंट बिल को पास करना सरासर हिन्दुस्तान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में एक ऐसे गहरे कुएं में धकेलने के समान है, जिसमें से निकलने के लिए हिन्दुस्तान छटपटाता रहेगा, मगर निकल नहीं सकेगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनीज ईस्ट इंडिया कम्पनी की तर्ज पर हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था पर काले नाग की तरह कुंडली मारकर उसे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी गुलाम बना लेंगी। इसलिए सरकार को सूझबूझ से काम लेकर थोड़े से स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्र हित में सोचते हुए, हिन्दुस्तानी लोकतंत्र पर मंडराने वाले खतरों के बादलों को छिन्न-भिन्न कर देना चाहिए।

कल तक स्वदेशी का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी आज क्यों दोहरी नीति खेलने लगी है। यदि आयुर्वेदिक और

[श्रीमती कैलाशो देवी]

होम्योपैथिक दवाओं पर पेटेंट लागू किया जाता है, जो हमारे यहां की जड़ी-बूटियों से बनती हैं और जो भारत की विरासत हैं, जिनके कारण समूचे विश्व में सस्ती दवाएं मिलती हैं, यदि उन पर पेटेंट लागू किया गया तो जिस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, उनके पेट पर लात मारने के बराबर होगा। गरीबी और बेरोजगारी का नाच जो अब भी हिन्दुस्तान में हो रहा है, लेकिन इसके बाद तो तांडव होगा, जिसको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकेगा। यदि चावल और गेहूं के बीज तथा हल्दी और मिर्च पर पेटेंट लागू किया गया तो खुले बाजार में इन चीजों के दाम कई-कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे और किसान को बीज के लिए अमेरिका के प्रभुत्व के नीचे दबकर रह जाना पड़ेगा।

जिस किसान ने अथक परिश्रम करके हिन्दुस्तान को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, दूसरे देशों के आगे हम भीख का कटोरा लेकर जाते थे, क्या हम आजादी के 51 वर्ष के बाद फिर भीख का कटोरा ले जाते हुए अच्छे लगेंगे, यह एक गहन चिंतनीय विषय है और सोचने की बात है।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बिल को पास करना देशहित में नहीं होगा, जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है। चंद निजी स्वार्थों की खातिर, राष्ट्रीय हित को बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए। शायद हम भूल गए हैं कि आजादी हासिल करने के लिए हिन्दुस्तान ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। यह तो देशहित में नहीं है और ऐसा लगता है कि कहीं हमने जंगे-आजादी में शहीदों की मुखालफत की है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि पेटेंट विधेयक को पास करने के पक्ष में वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने जंगे-आजादी में शहीदों के खिलाफ गवाहिया तक दी होंगी।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए मुझे बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे आज गर्व तथा खुशी का अनुभव हो रहा है क्योंकि पूरे सदन में हमारा ऐसा दल है जो इस लड़ाई में डटा रहा है।

भारत अकस्मात ही विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं बना। हम 1946 से गैट के संस्थापक सदस्य रहे है और 1947 में पुन: बने। जब 48 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो भारत उन देशों में से एक था। अत:, पिछले 50 वर्षों से हम लगातार गैट में हैं और हमने दो गैट समझौते की सम्पूर्ण जानकारी के पश्चात् ही सजग रहते हुए वार्ता प्रारम्भ की और तत्पश्चात् विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ। जब हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने तो यह सबकी पूर्ण जानकारी में था कि हम सदस्य बन गए और दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग इसके विरुद्ध थे। मैं आज प्रसन्न हूं कि आज वे उस विधेयक को ला रहे हैं जिसको उन्होंने एक समय रद्द कर दिया था।

आज मुझे प्रसन्नता है कि हम ऐसे विधेयक को पारित कर रहे है जो वे लाये हैं-जिसे उन्होंने पहले रद्द कर दिया था - और सिफारिश कर रहे हैं कि इसे आज पारित किया जाए। इसलिए मेरा कहना है कि हम स्वत: पूछ सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में क्या खतरा है? प्रत्येक व्यक्ति विश्व व्यापार संगठन पर उंगली उठा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि हम एक बहुत खतरनाक रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रत्येक देश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना चाहिए। इसमें 108 सदस्य देश हैं। यहां तक कि बहुत विशाल चीन भी एक समय गैट का सदस्य था। यह 1950 में गैट से बाहर हो गया। अब वे विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चाहते हैं। अमरीका प्रच्छन्न रूप में, गुप्त रास्ते से उनकी सहायता कर रहा है।

दूसरे, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने में क्या है? कोई भी इस देश को विश्व व्यापार संगठन में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब यदि लोग छ: माह में इससे अलग होना चाहते हैं, तो हम विश्व व्यापार संगठन से बाहर जा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में स्वत: क्या खतरा है? केवल भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी वहां हैं। यदि रबड़ की कीमतें बढ़ती हैं, तो तत्काल कांग्रेस देश को विश्व व्यापार संगठन में रख रही है। यदि कुछ गम्भीर रूप से गलत है, तो इस देश की आंखों में एक विश्वास है। यह विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध बोल रहा था और कांग्रेस को कोस रहा था। प्रत्येक इसे विश्व व्यापार संगठन में देखना चाहता है। एक अन्य बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होते हुए भी बहुत से देशों ने अपने हितों की रक्षा की है। ग्रेट ब्रिटेन में इस कानून को पास किया गया है जिसमें अग्रणी देशों को अपनी स्थिति रक्षा करते हुए इसके अंतर्गत लाया गया है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि हम कुछ कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। मुझे इस विधान में स्वत: कोई कमी नहीं दिखाई देती।

केरल में एक कहानी है। छ: लोग एक हाथी को देखने गए। एक आदमी गया और उसने हाथी के पांव स्पर्श किए। उसने कहा कि हाथी एक स्तम्भ के समान है। दूसरे साथी ने हाथी की पूंछ

को स्पर्श किया। उसने कहा कि यह एक झाड़ू की तरह है। अन्य साथी ने कानों को स्पर्श किया और उसने कहा कि यह पंखे के समान है। वह एक ही चीज है। प्रत्येक ने एक जैसी बात कही। प्रत्येक व्यक्ति ने अनेकों बातें कही। सभी बातें सत्य हैं।

श्री टी.आल. बालू (मद्रास दक्षिण): स्थिति बदल गयी है। हाथी ने स्थिति को बदल दिया है।

श्री ए.सी. जोस : मैं इस माननीय सभा में जो बात कह रहा हूं, वह यह है कि हमें इसके बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। श्री बालू ने समिति तथा श्री मुरासोली मारन द्वारा लाए गए प्रतिवेदन की चर्चा की है। यद्यपि उन्होंने मेरी आलोचना की है फिर भी मैं उनसे सहमत हूं।

हमें इस विषय में विस्तार से अध्ययन अथवा इस बारे में विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ा देश है, इस विशाल देश में काफी जैव-प्रौद्योगिकी और अन्य चीजें विद्यमान हैं। हमें एक विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक सुझाव पेश किया है कि संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भविष्य के प्रति ज्ञापन की तरह है क्योंकि हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों को बांध रहे हैं। कोई भी अन्य कानून इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है। अत:, माननीय मंत्री तथा सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमें एक पूर्ण-कालिक सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है जिसमें पेटेंट और उसके विस्तार के बारे में पूर्णरूप से विचार-विमर्श किया जाए।

मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री कुछ अन्य बातों से बंधे हुए हैं। परन्तु इस अध्यादेश के लिए क्या जल्दबाजी है? इस अध्यादेश के बिना ही हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं तथा इसे 19 अप्रैल के पहले पारित कर सकते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपको यह अध्यादेश लाने के लिए किसने प्रेरित किया। क्या यह बात यहीं समाप्त होगी? यह यहां समाप्त नहीं होगी। इस विधेयक को अभी राज्य सभा के समक्ष पेश किया जाना है क्योंकि आपने इसमें कुछ संशोधन किए हैं, हालांकि आप कह सकते हैं कि यह तकनीकी मामला है। मेरे अनुसार एक बार यहां पारित होने के बाद इसे पुन: राज्य सभा में भेजना है।

महोदय, संशोधन के अध्याय 4 के खण्ड 24क में एक स्पष्टीकरण दिया गया है। यह स्पष्टीकरण मेरे दल के कहने पर दिया गया है। मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है। तथापि, इस स्पष्टीकरण में माननीय मंत्री जी, आपको अत्यंत सावधान रहना होगा अर्थात् दवाओं तथा अन्य चीजों के संबंध में यहां प्रस्तुत किये गये अनेक तर्कों को इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन द्वारा उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि उस संशोधन से अनेक तर्कों की रक्षा की जा सकती है।

भारतीय औषध की क्या परिभाषा है? भारतीय औषध की परिभाषा अलग-अलग हो सकती है। इसलिए उस अधिनियम में संशोधन से उत्पादित पेटेंट की जाने वाली और आयात की जाने वाली हमारी सभी दवाइयों की रक्षा करने में हमें मदद मिलेगी।

अत: माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 के खण्ड 2 के उपखंड (1) के खण्ड ङ का विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा कुछ परिवर्तनों के साथ अथवा किसी संशोधन द्वारा इसके सामने आने वाली अनेक कमजोरियों को सुधारा जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रशंसा की जा रही है। तथापि, उन दिनों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसकी आलोचना की गयी थी।

अत:, एक बार फिर मेरा सरकार से आग्रह है कि वह पेटेंट व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा हेतु संसद का एक पूर्ण सत्र आयोजित करे ताकि अनेक बातें सामने लाई जा सकें और उनका बचाव किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): सभापति महोदय, हम अपनी पार्टी आर.पी.आई. की तरफ से कहना चाहते हैं कि इस पेटेंट बिल के जरिये इस देश की गरीब जनता के हितों पर कोई आंच न आने पाये। इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को दवा महंगी मिलेगी ...*(व्यवधान)* हमारे देश के दवा उद्योग बरबाद हो जायेंगे। ...*(व्यवधान)* इस बिल में इस तरह का अमेंडमेंट होना चाहिये कि देश की सार्वभौमिकता सुरक्षित रहे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह प्रोसीडिंग्ज में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): सभापति जी, मैं सिर्फ रस्म पूरी करने की खातिर नहीं कह रहा हूं, बल्कि कहना चाहता हूं कि इस सदन में जो विषय जेरे-बहस था, उस पर बेहद अच्छी तकरीर हुई है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी तकरीरें विषय से ताल्लुक रखती थी और कुछ तकरीरें जज्बाती भी थीं। मैं सोच रहा था कि जज्बाती बातों को बला-ए-ताक रखकर विषय की बात मुख्तसर लफ्ज़ों में करके अपनी बात खत्म करूं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त उम्र में छोटे मगर ओहदे में मुझसे बड़े रहे हैं। मैं जबकि एक मामूली सा कार्यकर्ता था, वह सदर रहे हैं मेरी जमात के। उन्होंने कुछ जज्बात के ऐसे तार छेड़ दिये कि मेरा तमाम वजूद जेहनी तौर पर, दिमागी तौर पर माज़ी में चला गया। मैं उनकी कद्र करता था और आज भी कद्र करता हूं और इस चीज़ पर नाज़ करता हूं कि मैं और वो एक ही कश्ती में सवार थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): नाम भी बता दीजिए।

श्री सिकन्दर बख्त : नाम भी बता दूं? क्या रखा है नाम में। कुछ लोगों का इसरार है कि जिन बुजुर्ग का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं उन का नाम बता दूं। वे नामी गिरामी चंद्रशेखर साहब हैं। मैं चंद्रशेखर साहब की कही हुई बातों की मुखालिफत में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन एक शिकायत है और जिन जज्बात को उन्होंने अपना कहा है, वह जज्बात तो हमारे भी हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं। नुक्ता, ख्याल, किसी भी बात के बारे में राय का अलग-अलग होना इस चीज़ की निशान नहीं बनती कि हम अपने माज़ी से दूर जा चुके हैं। हमने भी उम्र गुजारी है सनमखाने में। हम उन्हीं जज्बात को आज भी अपनी गोद में सजाए बैठे हैं। फर्क इतना है कि यह कह देना मेरे नज़दीक से आसान है कि जो रास्ता हम अख्तियार कर रहे हैं वह रास्ता गरीब का रास्ता नहीं है, वह रास्ता इस मुल्क के वकार का रास्ता नहीं है, वह रास्ता इस मुल्क को मल्टीनेशनल्स के हाथों में बेच देने का रास्ता है। वकार का जहां तक ताल्लुक है, पेटेण्ट बिल के लाने से वकार में बाल पड़ता है? मेरे एक मोहतरम दोस्त की बहुत अच्छी तकरीर हुई थी, वह यहां से चले गए हैं। कुछ एक चंद जो विषय से संबंधित आला दर्जे की तकरीरें थी, मैं ईमानदारी से तसलीम करता हूं कि मैं उनसे सीख रहा हूं। चव्हाण, सुब्रहम्ण्यम स्वामी, जयपाल रेड्डी साहब ने विषय से संबंधित बात की। लेकिन जिक्र इन अच्छी तकरीरों के करने वालों का यह था कि हम इसके बाहर नहीं आ सकते। जयपाल रेड्डी साहब का यही जिक्र था। लेकिन साथ ही साथ आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक का जिक्र था, जानना चाहता हूं कि कब से उनके सामने बैगिंग बाउल को लिये हुए घूम रहे हैं? जितने वर्षों से हम वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. के सामने बोरो करके अपने मुल्क के कारोबार को चलाने की कोशिश में लगे हुए है। क्या हम इस मुल्क के वकार का फरोख्त कर रहे हैं या अमरीका में मुल्क के वकार को हम कंधे पर लिये हुए घूम रहे हैं। सैल्फ रिलायंस यकीनन मुल्क के वकार की बात है। रास्ता क्या है? क्या उन कंडीशंस में हम अपने नजरें मूंद सकते हैं? ढाई लाख करोड़ रुपया इस मुल्क की पब्लिक इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, जिनको अभी हमारे सम्माननीय नेता ने मॉडर्न टैम्पल्स ऑफ इंडिया कहा था, कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी कंपनियां हैं, जो 236 में से 104 थीं, अब चंद दिनों में 100 रह गई हैं। सौ कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। इसलिए यह करना चाहिए कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। इसलिए यह करना चाहिए कि अपने मुल्क के वकार को हमें प्रोडक्टिविटी के मानी समझने चाहिए, इसलिए यह करना चाहिए कि हमें अपने मुल्क को उस मुकाम पर लाना है जिससे कि हमें वर्ल्ड बैंक या अमरीका के सामने भीख का प्याला हाथ में लेकर जाना न पड़े, हमें यह करना चाहिए। सिर्फ टुकड़े-टुकड़े में सैक्शनल बात करना कि मैं यह बिल ला रहा हूं, मैं तसलीम करता हूं चव्हाण और स्वामी जी की बात पर कि हम इस वक्त हैसियत में 50 वर्षों में लाये गये हैं कि हम डब्ल्यू.टी.ओ. से बाहर नहीं आ सकते। मैं यह भी मानता हूं कि रास्ता बेहद मुश्किल है। मैं यह भी यहां नहीं कहना चाहता हूं कि इस रास्ते पर चलना शुरू कर देने के बाद मुश्किलात नहीं आयेंगी, मुश्किलात आयेंगी, कदम-कदम पर आयेगी, लेकिन आपने जो कुछ खेल खेलना है, वह उसके मैदान में जाने के बाद ही खेला जा सकता है। 1948 से आप उस मैदान में पहुंचे हुए हैं और उससे किनाराकशी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, मैं यह कहना चाहूंगा:

> हां जां-व-ज़िया हमको भी तशवीश है लेकिन,
>
> क्या कीजिए हर राह उधर को जाती है मक्कल से गुजरकर जाती है।

हमें मक्कल से गुजरकर जाना पड़ेगा और अब हिन्दुस्तान के हुकूक की हिफाजत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी मेरे आजिजों मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप): क्या आप यह जनता की कीमत पर, कामगारों की कीमत पर करेंगे?

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद):

न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यूं लुटा,
मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآدآباد):

نہ اِدھر اُدھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے

श्री सिकन्दर बख्त : इसलिए लुटा क्योंकि 50 वर्षों से लूट के रास्ते पर यह चल रहे हैं ...*(व्यवधान)* खाली जज्बात के सिलसिले में मेरी गुजारिश यह है कि मुझे अपने बारे में, हर एक को अपने बारे में कुछ न कुछ गलतफहमी होती है, मुझे भी है और गलतफहमी सिर्फ इतनी है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, जब मैं राजनीति के बारे में इतना नहीं जानता था, जितना चंद्रशेखर जी जानते थे इत्तफाक से आज भी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं। कम से कम इतना तो समझ लो कि इस धरती को, इस धरती की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसे हम प्यार करते हैं, करते रहेंगे और करते हुए मरेंगे।

चेयरमैन साहब, हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ऐसे दायरे में लाकर रख दिए गए हैं जिसमें हमें ताजा सोचने की फुर्सत कम मिलती है। क्या हो चुका है, वह हो चुकने के बाद हमको जो मिला है, उसमें से हमें वे सूरतें और वे राहें पैदा करनी हैं जिनके जरिए हम मक्कल से गुजरने के बाद भी हिन्दुस्तान को सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

मेरे अजीजो, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक-एक सम्माननीय सदस्य के बहुत एक्सटेंसिव नोट्स लिए हैं। मैं शुक्र गुजार हूं कि आपने बेहद जजबात के साथ, बहुत अच्छे जजबात के साथ, बहुत अच्छी-अच्छी तकरीरें की हैं और जैसा कि मैं तस्लीम कर चुका हूं कि मैंने उन तकरीरों से सचमुच में बहुत सीखा है और मैं मानता हूं कि यह मामला बहुत नाजुक है।

इत्तफाक की बात यह है कि वे लोग भी, जो लोग इस पेटेंट बिल की हिमायत में बोल चुके हैं और हिमायत में जाने का इरादा है और वे लोग भी जो इसकी हिमायत में जाने का इरादा नहीं रखते, उन लोगों ने आर्डीनेंस का सवाल उठाया। आर्डीनेंस का सवाल जयपाल रेड्डी साहब ने भी उठाया। इस सवाल के बारे में बुनियादी तौर पर जो कुछ मुझे कहना था, उन्होंने कह दिया। मैं इससे डायलेट भी कर सकता हूं। डायलेट करना नहीं चाहता हूं। अब ये नजर-नजर के चिराग हैं, कहीं जल गए, कहीं बुझ गए। उन्होंने सोचा कि मुल्क के वकार को फरोख्त किया और मैं कहता हूं कि हमने इस रास्ते पर चलकर मुल्क के वकार को कायम रखा है। ये नजर-नजर के चिराग हैं जयपाल रेड्डी साहब। अगर यह न होता तो हम उन लोगों को मना नहीं कर देते कि अभी हम तुमसे बात करना पसंद नहीं करते और आर्डीनेंस के निकल जाने के बाद हमने कहा कि अब तुम हमसे बात करो और हम उनसे बात कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कमजोरी में पड़ कर बात नहीं कर रहे हैं। यह ही काफी होना चाहिए, लेकिन आपने इसको इतनी सरसरीतौर पर कह दिया। मैं चौहान साहब को उनके बोलने से पहले ही बता चुका था कि मैं आर्डिनेंस लाने के लिए मजबूर इसलिए हो गया था कि जो बिल मैं लाया था वह लोक सभा से पारित नहीं हो सका और मैं नहीं चाहता कि उस बिल को अभी अमरीका के जेरे बहस लाऊं। जैसा कल मैंने कहा, मैं इस बात पर एक्सटेंसिवली दर्खास्त करूंगा कि इस सवाल को मेहरबानी करके यहां खत्म करें।

चेयरमैन साहब, दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि ई.एम.आर. का बिल बहुत लिमिटेड आब्जैक्टिव के साथ लाया गया है। हम जानते हैं कि हमें प्रोडक्ट पेटेंट अल्टीमेटली लाना है। हमारी कोशिश यह है कि जिन फार्मास्यूटीकल्स कंपनी का बिक्र यहां किया गया, जहां वे आज खड़ी हैं, वे तो एक चुटकी में बर्बाद हो सकती हैं। आपने तस्लीम किया है कि 3000 एप्लीकेशन्स पेटेंट की मौजूद हैं। जब तक मेल बॉक्स न खुले, तब तक आप जानते हैं कि उसके अंदर लिखा क्या है? वे सब एप्लीकेशंस पेटेंट के ऊपर हैं, वे एप्लीकेशंस ई.एम.आर. पर नहीं हैं। पेटेंट की एप्लीकेशन्स को हम तब तक हाथ नहीं लगाना चाहते हैं जब तक कि हम उपयुक्त पाइंट पर न पहुंच जाएं। इस पेटेंट, डब्ल्यू.टी.ओ., ट्रिप्स के कानून के मातहत हमें इजाजत है। कोई मुल्क हमारे सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता। हम उसका फायदा उठा सकते हैं, उठाना चाहते हैं और अपने मुल्क की फार्मास्यूटीकल्स इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर करने का मौका देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहां की पेटेंट आर्गेनाइजेशन एक एफीशिएंट आर्गेनाइजेशन बन जाए। हम चाहते हैं और हमने उसके लिए कदम उठा लिए हैं। हमने हिन्दुस्तान के बेहतरीन साइंटिस्ट की एक कमेटी बना रखी है जो पेटेंट के सिलसिले में हमें एडवाइज करती है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां मॉडर्न पेटेंट ऑफिस बिद आल दि मॉडर्न गैजेस्ट फिटेड हो, हिन्दुस्तान में उसका निर्माण हो, लेकिन अब वे कोर्ट चले गए हैं स्टे आर्डर ले आए हैं।

[श्री सिकन्दर बख्त]

अपराह्न 4.00 बजे

हमारी मजबूरियों का हल क्या पूछते हैं? आपने कहा कि फ्री रिजीम है। अमेरिका ने जापान पर दबाव डाला और जापान के लोगों ने कमाल करके दिखाया क्योंकि उनके पेटैंट आफिसेस बिल्कुल माडर्न हैं। चंद महीनों के हिसाब-किताब के बाद कितने हजार पेटैंट पास कर दिये। हम भी उतने हजार पेटैंट करने का इरादा रखते हैं लेकिन हमें वह नया दफ्तर खड़ा करने दीजिए ताकि हमारे किये गये पेटैंट पर दूसरे पार्टीसिपैंट्स हावी न हो सकें, दूसरे मुल्क हावी न हो सकें। इसे किस तरह से बचायें, किसको बचायें, यह करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम सिर्फ इसका वक्त बचाना चाहते हैं। हम 2005 तक इस मुल्क को खैरियत के साथ ले जाना चाहते हैं—यह मामूली सी बात हम समझा नहीं पा रहे हैं। लिमिटेड ऑब्जैक्टिव्स तो सिर्फ यह है कि:

[अनुवाद]

ट्रिप करार की धारा 78 और 79 के अन्तर्गत दायित्वों की अनुपालना पेटेन्ट विधेयक में सुरक्षोपाय हैं। वे कमजोर हो सकते हैं।

[हिन्दी]

आपने जो कहा है, मैं उससे भी इख्तलाफ नहीं रखता हूं। किन्तु इसमें सुरक्षोपाय हैं।

जैसा आपने कहा, इन सेफगार्ड्स में कमजोरियां हो सकती हैं। जिस दिन इस सिलसिले में कोई बात निकलेगी, हम उसी दिन प्रोडक्ट पेटैंट ला सकते हैं लेकिन हमारी कोशिश यह है कि प्रोडक्ट पेटैंट 2005 से पहले न आए। इसलिए हमने जो सेफगार्ड्स रखे हैं वे प्राइस फिक्सेशन हैं, उसमें एहतियात है और कम्पलसरी लाईसैंसिंग है, जिसकी आपने बात कही थी कि वह मजाक है, और जनहित में सरकार के अधिकारों का विनियोजन है। हमने इस बिल में ये तीन एहतियातें रखने की कोशिश की है। जहां तक बायो डायवर्सिटी और प्लांट वैरायटी का सवाल है, उसके लिए अव्वल तो, शायद आपने कहा था कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से ताल्लुक है, मैं बिल्कुल मानता हूं, जब कम्प्रीहैनसिव बिल आएगा तो उसमें इन सब चीजों की पूरी एहतियात होगी, वह प्रोडक्ट पेटैंट होगा। यदि हम आज प्रोडक्ट लाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह है। मैं उस बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहता। यहां हमारे बहुत से अजीज साथियों ने कहा कि ई.एम.आर. नहीं लाना चाहिए, वह तो भयानक है। ई.एम.आर. उसके मुकाबले में काफी कमजोर चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी मिनिस्ट्रीज का सिलसिला है लेकिन जहां तक बायो डाटवर्सिटी और प्लांट वैरायटी का ताल्लुक है, हम उससे बाखबर हैं और दुनिया के किसी मुल्क को अपने यहां की बायो डायवर्सिटी और प्लांट वैरायटी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उसे बिल्कुल बाहर रखेंगे।

जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो कंडीशन्स प्रीवेल कर रही हैं, वे हमें विरसे में मिली हैं और कल, परसों नहीं मिलीं, जो कुछ भी मिला है, वह पचास साल के बाद मिला है। हम लाख यू टर्न करने की कोशिश चाहें लेकिन यू टर्न करने का दुनिया का कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमें डब्ल्यू.टी.ओ. के प्लेइंग फील्ड में जाना है, हमें ग्लोबल प्लेइंग फील्ड में जाकर हिन्दुस्तान के हकूक की हिफाजत करनी है। आप सबसे मशविरा करने के बाद हम वे रास्ते अख्तियार करेंगे। हमने तो यहां भी कोई कसर नहीं की थी और आईन्दा भी कहना चाहते हैं क्योंकि यह कोई पौलिटिक्स का मामला नहीं है बल्कि केवल हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के दवाइयों के कारोबार को संभालने का मामला है, राष्ट्रीय सवाल है, पोलिटिकल अटकलबाजी का मामला नहीं है।

सदर साहब, जज्बाती बातों का जिक्र करते हुए मैं एक बात दबे लब्जों में कहना चाहता हूं और जब वह बात कहूंगा तो मुंह इधर फेर लूंगा। सदर साहब, यदि आप वहां बैठे होते तो मैं कहता कि मैं आपकी कद्र करता हूं, आप बेहद जहीन हैं। मैंने यह भी दरख्वास्त की थी कि आप पार्लियामेंट में बहुत माकूल तकरीरें कर सकते हैं मगर आप अपनी तकरीर को अपनी आवाज से जिबा न किया कीजिए। आपने एक बहुत दुखती हुई बात कर दी, आपने कहा कि सिकन्दर जो आपकी खिदमत में यहां खड़ा है, सिकन्दर का नाम नहीं लिया था, आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं लेकिन आपने कहा था कि यह मामला तो लेन-देन से ठीक हुआ है।

अब मैं मुंह फेर लेता हं और इस ओर मुंह करके बात करता हूं।

इतनी न बढ़ा पाकी-ए-दामां की हिकायत
दामन को जरा देख, जरा बन्दे क़बा देख।

बस इतना ही कहना है।

मेरे पास एक-एक तकरीर के ऐक्सटैन्सिव नोट्स हैं। चन्द्र शेखर जी ने मुझसे कहा था कि अपनी तकरीर मुख्तसर रखिए। मैं अपना दिल तो निकालकर आपके सामने रख चुका हूं। एक-एक अजीज साथी ने जो बात कही है, उन सबके नोट्स मैंने लिए थे कि कुछ न कुछ कहना चाहूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि जितना कुछ मैंने इस वक्त कह दिया है, वह काफी है और मैं यह कहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : अब, श्री वी.वी. राघवन।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): मेरा मुद्दा विश्व व्यापार संगठन के बारे में है *...(व्यवधान)* दूसरे देशों में कोई सुरक्षोपाय नहीं हैं। आपने धारा 39 को क्यों निकाल दिया है।

श्री सिकन्दर बख्त : धारा 39 को केवल इस विचार से निकाला गया है कि इसे ई.एम.आर. व्यवस्था में लाना संभव हो सके और हम सीधी व्यवस्था बना सकें।

सभापति महोदय : अब माननीय संचार मंत्री वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 4.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दूरसंचार टैरिफ संबंधी आदेश

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री जगमोहन): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, दिनांक 9 मार्च, 1999 को जारी टेलीकॉम टैरिफ संबंधी आदेश को, सरकार द्वारा सम्पूर्ण विषय पर विचार करने तक, आस्थगित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश देने का निर्णय लिया है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): सभापति महोदय, इसको देखते हुए, तृणमूल कांग्रेस सदस्यों सहित अनेक सदस्यों को दुख पहुंचा और वे सभा से बाहर चले गए। अब, संचार मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद, मैं प्रत्येक सदस्य से सभा में आने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक – *जारी*

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): सभापति महोदय, मैंने हमारे माननीय उद्योग मंत्री के अत्यन्त भावुक और दिल को छूने वाली टिप्पणियों सहित संशोधन के बचाव में की गई समस्त बहस को ध्यानपूर्वक सुना है। सत्ता पक्ष से कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं किन्तु किसी ने भी अनन्य विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) देने के खतरे की बात नहीं की है। यही मेरा कहना है।

मेरे विचार से और जहां तक मैंने विश्व व्यापार संगठन और टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) के खंडों का अध्ययन किया है हम उन कम्पनियों को, जिन्होंने भारत से बाहर अपने उत्पाद को पेटेन्ट कराया है अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं और मैं फिर दोहराता हूं कि बाध्य नहीं हैं। यही मेरा विचार है। यही वह खतरा है जिसका अब हम सामना कर रहे हैं। हमारा दायित्व केवल हमारे पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि पेटेन्ट करने योग्य भेषज तथा कृषि रसायनों तथा आवेदनों की अनुमति दी जा सके। हमें उन आवेदन-पत्रों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार है। इसके अलावा, उन कम्पनियों, जिन्होंने अपने उत्पाद को किसी अन्य स्थान पर पेटेंट कराया है, को उन उत्पादों के लिए अनन्य विपणन अधिकार देने के मामले के संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है। यह मुख्य बात है। यही संशोधन अधिनियम का मुख्य विरोध है। किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

महोदय, जब हम व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें अपने ईमानदार बुद्धिजीवियों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए।

मैं आपसे एक ईमानदार बुद्धिजीवी के रूप में यह अपील करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन यह है। क्या हम किसी अन्य स्थान पर उत्पादित और पेटेंट की गयी औषधियों के लिए विदेशी कम्पनियों को अनन्य विपणन अधिकार दे रहे हैं?

यह सत्य है कि अमरीका विश्व व्यापार संगठन के पास गया था और उससे अनुरोध किया था कि "हमें अभी अनन्य विपणन

[श्री वी.वी. राघवन]

अधिकार देने चाहिए।'' यह सत्य है। किन्तु उन्होंने कुछ करने के लिए क्या अधिकार मांगें हैं? मैंने अपने भाषण में बताया है कि अमरीका ने एक कानून बनाया है जिसमें यह बताया गया है कि जहां तक अमरीका का संबंध है, यदि अमरीकी कानून और विश्व व्यापार संगठन खंड और ट्रिप खंड के बीच मतभेद है तो अमरीकी कानून लागू होगा। यही नियम उन्होंने पारित किया हैं और मैंने भी इसके बारे में बताया है। वह देश अनन्य विपणन अधिकार देने का आदेश थोप रहा है। माननीय उद्योग मंत्री कहते हैं, यह एक छोटी-सी बात है। यह एक छोटी सी बात है, तो संयुक्त राज्य अमरीका अनन्य विपणन अधिकार देने हेतु हम पर दबाव क्यों डाल रहा है? वे हम पर क्यों दबाव डाल रहे हैं, यदि यह एक छोटी सी बात है? नहीं, यह एक छोटी सी बात नहीं है। बिलकुल नहीं। आप हमारे भेषज उद्योगों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं। मैं पूर्वानुमान नहीं लगा रहा हूं। आपको विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिसने स्वदेशी का प्रचार किया है, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप विदेशी कम्पनियों को अपनी औषध बेचने की अनुमति दे रहे हैं। वे औषधियों का आयात कर रही हैं और इससे मूल्यों में वृद्धि होगी। यह प्याज नहीं है। यह हम गरीब जनता पर ही थोपी जानी है जो प्याज से हजार गुणा अधिक होगी। आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ट्रिप्स खंड और विश्व व्यापार संगठन खंड लागू रहेगा।

इसलिए, मेरा विचार था कि जहां तक ट्रिप्स खंड और विश्व व्यापार संगठन खंड का संबंध है, हमें इसकी जांच करनी होगी और अपने देश के प्राथमिक हित को ध्यान में रखते हुए हमें इसे अपनाना होगा। अमरीका और यूरोप ने यह किया था *...(व्यवधान)* यदि उनके साथ बहस और मोल-भाव करने का समय है। अमरीकी दबाव में उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अपने बाजार को नहीं खोला जाना चाहिए। कोई भी हेर-फेर किया जा सकता है। किसी भी औषध को फिलिपाइन्स में, अमरीका में या किसी अन्य राज्य में कहीं भी पटेंट किया जा सकता है तथा वे यहां आते हैं और कहते हैं कि ''ये पेटेंट की गयी औषधियां हैं और हमने इन्हें अनन्य विपणन अधिकार दिलाया है।'' वे इन औषधियों को अपने द्वारा नियत मूल्यों पर बेचेंगे। हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा। हम कहते हैं हम नियंत्रण कर सकते हैं। किस प्रकार? उदाहरण यहां दिया गया है। जो दवाइयां यहां पर 5 रुपए में बेची जा रही हैं वे अमरीका में 500 रुपए में बेची जा रही हैं। *...(व्यवधान)* मैं आपकी असहिष्णुता को समझ सकता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वे विश्व व्यापार संगठन के कारण इस विधेयक के लाने हेतु बाध्य हैं। अन्यथा वे शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आप इन मुद्दों के बारे में उल्लेख करने की हमें अनुमति नहीं देंगे? *...(व्यवधान)* वे उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या यह इतना साधारण मामला है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर बोलने का उनका अधिकार है, कृपया शान्त रहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन : मैं संकल्प प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति हूं *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : जब मैं बोल रहा था सभी मुझे परेशान कर रहे थे। अतः वे मेरे सहयोग की आशा किस प्रकार कर सकते हैं?

श्री टी.आर. बालू : उन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुतकर्ता को वाद-विवाद का उत्तर देना पड़ता है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें अब प्रत्येक संशोधन के लिए दबाव डालना होगा *...(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन : ठीक है, मैं समाप्त कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री एम. सेल्वाराजु (नागापट्टीनम): आप उन्हें बेकार में क्यों परेशान कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* आप क्यों परेशान कर रहे हैं?

श्री वी.वी. राघवन : मैं आपके निदेश का पालन करता हूं।

इस संशोधनकारी विधेयक में शामिल खतरे को ध्यान में रखते हुए, मुझे कुछ शब्द कहने हैं। मैं शीघ्र समाप्त कर रहा हूं। मेरा विचार केवल यह है कि किसी अन्य स्थान पर पेटेन्ट की गयी औषधियों के लिए अनन्य विपणन अधिकार देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। यह हमारी राय है। हम बाध्य नहीं हैं। हमारे पास मोल-भाव करने का समय है।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, मैं अपने ईमानदार बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का निरनुमोदन करें क्योंकि यह विदेशी कम्पनियों को अनन्य विपणन अधिकार देता है। इसलिए मैं अपने संकल्प पर जोर देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : मैं ऑनरेबल मेम्बर की पहली तकरीर की दाद दे चुका हूं, दूसरी तकरीर की भी दाद देता हूं और उनसे भौदवाना दरख्वास्त करता हूं कि वे अपना मोशन वापस ले लें।

अपराह्न 4.17 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन : अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री को सम्मान देते हुए मुझे यह कहना है कि सिद्धांत: मैं अपने संकल्प पर जोर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पेटेंट अधिनियम 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : संशोधन सं. 4 श्री सुरेश कुरुप - उपस्थित नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 1,-

पंक्ति 7 से 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**-

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, औषध या औषधि के रूप में, धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के उपखंड (V) के अधीन विनिर्दिष्ट औषध या औषधि के सिवाय और उन औषध या औषधि के सिवाय भी जिनके मामले में यह समझा जाता है कि आज की तारीख में उनके विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, उपयोग के लिए आशयित या उपयोग में लाए जाने योग्य पदार्थ के लिए किसी आविष्कार के पेटेंट के लिए दावा किया जा सकता है और इसके साथ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 4क में उपबंधित रीति से बरता जाएगा।" (4)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत खण्ड 2 में संशोधन संख्यांक 4 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 3 से 15 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-**

"24क(1) "अध्याय 4 की धारा 12 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक, उस उपधारा के अधीन, धारा 5 के उपधारा (2) के अधीन आने वाले किसी पेटेन्ट के लिए दावे के सम्बन्ध में किसी आवेदन की जांच के उपरान्त 31 दिसम्बर, 2004 तक पेटेन्ट अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट नहीं करेगा और जहां भारत में किसी वस्तु या पदार्थ के विक्रय या वितरण के लिए अनन्य अधिकार अनुदत्त किए जाने के लिए कोई आवेदन विहित प्रारूप और रीति में तथा विहित फीस के संदाय पर किया गया है, वहां केवल पेटेन्ट के लिए आवेदन को यह रिपोर्ट करने के लिए परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि क्या आविष्कार अध्याय 4 और 5 तथा अध्याय 2 की धारा 3 और 4 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत एक पेटेन्ट योग्य आविष्कार है।

(2) जहां नियंत्रक उपधारा के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर और ऐसे अन्य अन्वेषण के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आविष्कार अध्याय 4 और अध्याय 2 की धारा 3 और 4 के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत पेटेन्ट योग्य आविष्कार नहीं हैं, वहां वह वस्तु या पदार्थ के विक्रय या वितरण के अनन्य अधिकार के लिए आवेदन को नामंजूर कर देगा।'' (5)

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 20 के पश्चात् अन्त:स्थापित करें-(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी धारा 24क के अन्तर्गत कोई आविष्कार आविष्कार नहीं है अन्य विषय-वस्तु

(i) सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त पौधे और पशु तथा गैर जैविकीय तथा सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रियाओं के अतिरिक्त पौधों और पशुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक रूप से जैविकीय प्रक्रियाओं से संबंधित है।

(ii) ऐसे आविष्कार जिनका पूर्वानुमान पूर्व प्रकाशनों पूर्ववर्ती दावे या पूर्ववर्ती उपयोग द्वारा किया गया है।

व्याख्या:- इस उप-धारा के उद्देश्य से सेल लाइन्स, जोन कंस्ट्रक्ट्स, जोन फैगमेन्ट्स, प्लाजमिड्स और प्राकृतिक रूप से होने वाले पदार्थ सूक्ष्म जीव नहीं माने जाएंगे, और उपर्युक्त को शामिल करने वाली प्रक्रियाएं सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रियाएं नहीं मानी जाएंगी'' (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 18 और 19,-

''बिक्री या वितरण'' के लिए प्रतिस्थापित करें ''बिक्री, वितरण या विनिर्माण''(7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20 और 21,-

''बिक्री या वितरण के अधिकार'' के लिए प्रतिस्थापन करें बिक्री, ''वितरण या विनिर्माण का अधिकार'' (8)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब विधेयक के खण्ड 3 में श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 से 8 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,-

''2004'' के स्थान पर

''1999'' प्रतिस्थापित करें। (12)

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर,-

''वहां पेटेंट के लिए आवेदन को यह प्रतिवेदित करने के लिए परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा कि क्या आविष्कार इस अधिनियम के अंतर्गत आविष्कार नहीं है या आविष्कार ऐसा आविष्कार है जिसके अनुसार कोई पेटेंट अनुदान नहीं किया जा सकता है।'' प्रतिस्थापित करें। (13)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 12 से 14 में-

''यह समाधान हो जाता है कि आविष्कार धारा 3 के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत आविष्कार ऐसा आविष्कार है जिसके लिए धारा 4 के निबंधनों के अनुसार कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है।'' के स्थान पर ''कि आविष्कार इस अधिनियम के अंतर्गत आविष्कार नहीं है या आविष्कार ऐसा आविष्कार है जिसके अनुसार कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है।'' प्रतिस्थापित करें। (14)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 51 से 55 का लोप करें (15)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 1 से 10 का लोप करें (16)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 18 से 19 का लोप करें (17)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 30 का **लोप करें**(18)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 36 में

''वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण कर सकेगी'' **के स्थान पर** ''वस्तु या पदार्थ का विनिर्माण, विक्रय या वितरण कर सकेगी'' **प्रतिस्थापित करें।** (19)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 31 **के पश्चात्**

''यह देश में उत्पादित अथवा आयातित वस्तुओं या पदार्थ पर लागू होगा'' **अन्त:स्थापित किया जाए।** (20)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब विधेयक के खण्ड-3 में श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 12 से 20 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए:-**

''प्ररूप और रीति के तथाविहित फीस के संदाय पर किया गया है, वहां पेटेंट के लिए आवेदन को यह रिपोर्ट करने के लिए परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा कि क्या आविष्कार एक आविष्कार नहीं है अथवा आविष्कार एक ऐसा आविष्कार है जिसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी पेटेंट को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है।'' (21)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 से 14 में,-

''यह समाधान हो जाता है कि आविष्कार धारा 3 के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत आविष्कार नहीं है या आविष्कार ऐसा आविष्कार है जिसके लिए धारा 4 के निबंधनों के अनुसार कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जा सकता''

के स्थान पर

''यह समाधान हो जाता है कि आविष्कार आविष्कार नहीं है अथवा आविष्कार एक ऐसा आविष्कार है जिसके लिए इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी पेटेंट को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है,''

प्रतिस्थापित किया जाए। (22)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित किया जाए:-**

''परन्तु यह कि (क) मानव अथवा पशुओं के उपचार के लिए नैदानिक, चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में, और (ख) ऐसे आविष्कार जिनका, मानव, पशु अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य के संरक्षण सहित लोक व्यवस्था अथवा नैतिकता की रक्षा करने अथवा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए वाणिज्यिक शोषण रोकना आवश्यक है, इस उपधारा के अंतर्गत कोई पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा में अभिव्यक्ति पदार्थ में सूक्ष्म जीवों को छोड़कर पादपों अथवा पशुओं अथवा उनके किसी भाग को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।'' (23)

पंक्ति 21 से 25 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये:-**

''**स्पष्टीकरण**—यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में परिभाषित भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित कोई वस्तु या पदार्थ और वस्तु या पदार्थ और ऐसे अन्य पदार्थ या वस्तुएं जहां उनके 'डोसेज' और उपयोग के तरीकों को बदलने के लिए दावे किए जा सकते हैं या ऐसी मूल औषधियों पर आधारित नए समुच्चय के लिए 1.1.1995 से पूर्व अन्य सदस्य राष्ट्रों में उत्पाद पेटेंटों की पूर्व अनुमति, पहले से ही सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में है, के विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार होंगे।''(24)

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 1 से 10 का **लोप** किया जाये। (26)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 18 से 19 का **लोप** किया जाये। (27)

पृष्ठ 3, पंक्ति 36

''वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण कर सकेगी'' **के स्थान पर** ''वस्तु या पदार्थ का विनिर्माण, विक्रय या वितरण कर सकेगी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (28)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 40 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए-

''यह देश में विनिर्मित या आयातित वस्तु या पदार्थ, दोनों पर लागू होगा।'' (29)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब विधेयक के खण्ड 3 में श्री जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 21 से 29 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 में ''आविष्कार है'' के **पश्चात्** निम्नलिखित **जोड़ें:-**

''तथा अपूर्वता और सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए पूर्णत: मूल अधिनियम के अध्याय-चार के अनुसार भी।'' (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें,-

''परन्तु यह कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित किसी वस्तु अथवा पदार्थ तथा फारमुलेशन भी जिनके मामले में दावे दवाओं की मात्रा, प्रयोग के तरीके और मिश्रण में परिवर्तन के आधार पर आधारित है तथा पहले से ही सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में है के विक्रय या वितरण का अनन्य अधिकार नहीं दिया जायेगा।'' (31)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 18 और 19 का **लोप** करें। (32)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 30 का लोप करें। (33)

पृष्ठ 3, पंक्ति 36,-

''विक्रय या वितरण'' **के स्थान पर**

''विनिर्माण, विक्रय या वितरण'' **प्रतिस्थापित करें।** (34)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब विधेयक के खण्ड 3 में श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 30 से 34 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 8

श्री वसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 31 के पश्चात् **अन्त:स्थापित करें**

''(iv) प्रमुख संचारी रोगों का सुधार करने के लिए भेषजीय से संबंधित है।

(v) नाशी जीव के आक्रमण के कारण खाद्य फसलों पर होने वाले रोगों के उपचार और क्षतियों के लिए कृषि-रसायनों से संबंधित है।

(vi) का सम्बन्ध भारत सरकार के संवैधानिक दायित्वों के अंतर्गत यथामान्य परिभाषित राष्ट्रीय हित के संरक्षण से है।'' (9)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 31 के बाद अंत:स्थापित करें-

"157ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अध्याय 4 से उद्भूत किसी प्रकार के अधिकार उन देशों की कम्पनियों को नहीं देगी जिनकी सरकारों के पास अपने कानूनों में विश्व व्यापार संगठन कन्वेंशन देशों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के उपबंध हैं।" (10)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 31 के बाद अंतस्थापित करें-

"157ग. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम से उद्भूत किसी प्रकार के अधिकार उन देशों की कम्पनियों को नहीं देगी जिनकी सरकारों के पास अपने कानूनों में अपने लोगों को कन्वेंशन देशों के राष्ट्रिकों को तथाकथित 'दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकी' को हस्तांतरित करने से रोकने के उपबंध हैं।" (11)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड आठ के लिए श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 9, 10 और 11 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में खंड आठ के लिए मत विभाजन होगा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे मेरा संशोधन स्पष्ट करने दें।

अध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन बिल्कुल संशोधन संख्या 10 की तरह है।

श्री रूपचन्द पाल : नहीं महोदय, यह उसी तरह का नहीं है। आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे मेरा संशोधन स्पष्ट करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह संशोधन 10 की तरह का ही है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कृपया मुझे इसे स्पष्ट करने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, कृपया समझें, यह उसी तरह का है।

श्री रूपचन्द पाल : कृपया मेरा संशोधन पूरा पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम संशोधन संख्या 10 पर मत विभाजन के लिए जोर दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, कृपया समझें कि आपका संशोधन संख्या 35 श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 की तरह ही है, जो सभा अभी-अभी अस्वीकृत कर चुकी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके तत्काल बाद मैंने मत विभाजन के लिए आग्रह किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपको इस मामले को जटिल नहीं बनाना चाहिए। अभी संशोधन संख्या 10 को सभा अस्वीकृत कर चुकी है। संशोधन संख्या 35 संशोधन संख्या 10 की तरह ही है, जो अभी-अभी अस्वीकृत हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मैंने संशोधन संख्या 10 पर मत विभाजन का आग्रह किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 35 संशोधन संख्या 10 की तरह है। अब, श्री बसुदेव आचार्य ने आपत्ति की और यह अस्वीकृत कर दिया गया।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने तत्काल मत विभाजन का आग्रह किया ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह बिल्कुल वैसा नहीं है। मेरा संशोधन भिन्न है। मुझे इसे प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। यह मेरा संशोधन है। इसे आपने स्वीकार किया है। मैंने इसे प्रस्तुत किया है। मुझे इसे रखने का पूरा अधिकार है। मैं मत विभाजन का आग्रह करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): इसे ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब यह एक बार अस्वीकृत हो गया है, तो आप इसे पुन: कैसे उठा सकते हैं। क्या आप कोई नई मिसाल कायम करना चाहते हैं? अभी-अभी आपने अपनी आपत्ति जतायी और वह अस्वीकृत हो गया। अब हम खंड आठ पर मतदान करेंगे, संशोधन 35 पर नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही केवल आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह एक बार अस्वीकृत हो गया है, तो आप इसे पुन: कैसे उठा सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने मत विभाजन की मांग की है।. आपको अनुमति देनी है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? पहले आपको उस नियम को उद्धृत करना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप इसे उठाना चाहते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यदि अध्यक्ष महोदय उचित समझते हैं, तो वह प्रक्रिया में फेरबदल करने में सक्षम हैं। आप संशोधन स्तर पर वापिस जा सकते हैं। संशोधन स्तर पर वापिस जाना हमारे वश में है। हम संशोधन के लिए मतदान करना चाहते हैं और आप हमें खंड के विरुद्ध मतदान करने पर मजबूर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय संशोधन पर वापिस जाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप पीछे कैसे जा सकते हैं? अभी-अभी सभा ने उस संशोधन को अस्वीकृत किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने तत्काल मत-विभाजन की मांग की है।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा): महोदय, यदि वे मत-विभाजन की मांग करते हैं, तो आप उससे सहमत हो सकते हैं ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 347 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें बहुत ही विशिष्ट बात कही गई है:

> "अध्यक्ष संशोधन को उस क्रम में रख सकेगा, जिसे वह ठीक समझे:
>
> परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे संशोधन को रखने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय से तुच्छ हो।"

महोदय, संशोधन पहले ही मतदान के लिए रखा गया है और हम आगे जा चुके हैं। वापिस जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसाकि श्री रेड्डी कह रहे हैं। हम वापिस नहीं जा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): हम आगे नहीं गए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : हम आगे जा चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम उसी खंड में हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के संशोधन संख्या 9, 10 और 11 थे। बस इतना ही है। संशोधन संख्या 35 एक अलग संशोधन है। सभा ने पहले ही संशोधन संख्या 9, 10 और 11 को अस्वीकृत कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उसी समय मैंने मत विभाजन की मांग की थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन सं. 10 के लिए आग्रह कर रहे हैं जो संशोधन सं. 35 से बिल्कुल मिलता-जुलता है।

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप देख सकते हैं कि यह संशोधन सं. 35 के समान है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं तत्काल मतविभाजन का आग्रह करता हूं। उसके बाद आप खंड 8 पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल संशोधन सं. 10 पर मतविभाजन करा सकते हैं, संशोधन सं. 35 पर नहीं।

...(व्यवधान)

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं?

दुर्भाग्य से जब संशोधन सं. 9, 10 और 11 पर एक साथ विचार किया गया तो उन्हें ध्वनि मत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। संशोधन सं. 35 संशोधन सं. 10 के समान है और मतविभाजन की मांग की गई थी। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब कोई समान संशोधन पहले ही अस्वीकृत हो चुका हो, तो क्या हम उस पर पुन: मतदान कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने तत्काल मतविभाजन के लिए कहा था। अब क्या परेशानी है? ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): इस स्थिति को शामिल करने वाला एक विशेष नियम है और यह है नियम 344 का उप-नियम (3), जिसमें कहा गया है:

> "किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किये गये पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।"

अब, सभा में श्री बसुदेव आचार्य के नाम पर इस विशेष संशोधन के संबंध में संभवत: ध्वनि मत द्वारा कतिपय निर्णय लिये गये हैं। उस समय अकेले आप कह रहे थे कि मतविभाजन होना चाहिए और उस समय, आपके सहयोगियों ने इस पर आग्रह नहीं किया। ...*(व्यवधान)* मैंने यह नोट किया है।

श्री पी. उपेन्द्र : तब इसे पुन: मतदान के लिए क्यों रखा गया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए, अध्यक्ष महोदय सही कह रहे हैं कि कतिपय संशोधन को अस्वीकृत करने के बाद वह उसके समान संशोधन सभा में पुन: नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि इस बार निर्णय भिन्न हो, तो यह पिछले निर्णय से परस्पर विरोधी हो जायेगा। इसलिए, इस नियम में ऐसी स्थिति भी शामिल है। लेकिन हमारा प्रयोजन तभी सिद्ध होगा जब इस खंड को मतदान के लिए रखा जाये और आप इसके विरुद्ध मतदान करें। हम इसका निर्णय अध्यक्षपीठ पर छोड़ देंगे लेकिन नियम स्पष्ट हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : नियम 367 में कहा गया है:

> "किसी वाद-विवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष प्रश्न रखेगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे "हां" और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे "ना" कहने के लिए कहेगा।"

कोई भी प्रश्न, जो आपने ध्वनिमत के लिए रखा है, चाहे वह संशोधन हो अथवा विधेयक अथवा जो कुछ भी हो, अस्वीकृत हो जाता है अथवा अन्यथा तब आपको मतविभाजन की अनुमति दी जा सकती है चाहे एक ही सदस्य इसकी मांग करे। नियम में ऐसा कहा गया है। मैं नियमों को पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

यह नियम है। अगर आप चाहें तो मैं नियम पढ़ दूंगा ...*(व्यवधान)* मुझे इसे पूरा करने दीजिए। यदि वह इसका आग्रह नहीं करते हैं तब तो यह ठीक है। लेकिन यदि वह इसका आग्रह करते हैं तो प्रक्रिया के रूप में कृपया उन्हें अनुमति दीजिए। यह सदस्य का अधिकार है। इसमें गलत क्या है? उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी जाये? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी आप क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्री रूपचन्द पाल जी ने संशोधन पर मतदान के लिए जोर दिया है। आपने हमें खंड 8 पर मतदान के लिए कहा था। कोई भी व्यक्ति समग्र रूप में खंड 8 के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। ...(व्यवधान) इसलिए, आप चाहते हैं कि हम अपने मत के खिलाफ मतदान करें जो इस संशोधन में है, जो वास्तव में खंड 8 में संशोधन है, जो खंड 8 का अंत:स्थापन है न कि लोप। खंड 8 में कुछ ऐसी अन्य विशेषताएं हैं जिन पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस पर मतदान कराना होगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.आर. कुमारमंगलम आपको क्या कहना है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यदि ऐसा पहले हुआ है, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो हम संशोधन संख्या 10 पर वापस जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, इसे गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान) इसे उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण है। यदि आज आप इसे विशेष मामला समझते हुये कोई निर्णय देते हैं, तो यह पूर्णत: एक अलग बात है। लेकिन इसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी): मैं एक बात कहना चाहता हूं। नि: संदेह, श्री बसुदेव आचार्य को मतविभाजन की मांग करने का पूरा अधिकार है। यही नियम है। लेकिन, उस समय जब उन्होंने मतविभाजन की मांग की थी, जब अगले विषय पर विचार किया गया था, उनके सहित प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत था। ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं।

श्री वैको : जी हां। इसलिए इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और इसे गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। यदि सभा इससे सहमत है तो हम पुन: संशोधन की बात कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? मुझे एक बात कहनी है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, अब इसे रीकंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आपने सैन्स ऑफ हाउस ले ली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, चूंकि सभा ने अपनी राय नहीं दी है, इसलिए मैं खंड 8 सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें-

अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, आप डरा-धमका कर ऐसा कर रहे हैं। आप सदस्य का अधिकार छीन रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8,

पंक्ति 31 के बाद अंत:स्थापित करें-

"157ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अध्याय 4 से उद्भूत किसी प्रकार के अधिकार उन देशों की कम्पनियों को नहीं देगी जिनकी सरकारों

के पास अपने कानूनों में विश्व व्यापार संगठन कन्वेंशन देशों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के उपबंध हैं।" (35) *...(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : श्री संतोष कुमार गंगवार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को राज्य सभा में वेतन और पेंशन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सभा से जाने की अनुमति दी जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम संशोधन सं. 10 और 35 पर विचार करने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

मैं मतदान प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं।

मतविभाजन आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठ जायें और केवल अपनी सीट से ही प्रणाली संचालित करे।

मतदान प्रक्रिया केवल तभी आरम्भ होगी जब मेरी कुर्सी के एक तरफ "प्रदर्शन बोर्ड के ऊपर लाल बल्ब जल जाये"।

माननीय सदस्य, अगली पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार, कई माननीय सदस्यों ने घंटी की आवाज से पहले ही बटन दबा दिये थे। इसलिए, कृपया इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लीजिए।

पहली घंटी बजने के तत्काल बाद निम्नलिखित दो बटन एक साथ दबायें।

(एक) एक तो सदस्य के सामने हैड फोन प्लेट पर "लाल" बटन और

(दो) मेज पर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन भी:

पक्ष में	–	हरा रंग
विपक्ष में	–	लाल रंग
भाग नहीं लिया	–	संतरी रंग

यह आवश्यक है कि दूसरी घंटी की आवाज सुनाई देने तक और लाल बल्ब के "बंद" होने तक दोनों बटनों को दबाये रखा जाये।

महत्वपूर्ण : माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि मत ऐसी स्थिति में रजिस्टर नहीं होगा यदि–

(एक) प्रदर्शन बोर्ड के ऊपर लाल बल्ब जलने से पहले बटन दबा दिया जाये; और

(दो) दोनों बटन दूसरी घंटी की आवाज सुनाई दिये जाने तक एक साथ नहीं दबाये जायें।

सदस्य प्रदर्शन बोर्ड पर वास्तव में अपना मत "देख" सकते हैं। यदि मत रजिस्टर नहीं होता है, तो वे पर्चियों के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं।

मैं अब श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 10 और 35 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 31 के बाद अंत:स्थापित करें–

"157ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अध्याय 4 से उद्भूत किसी प्रकार के अधिकार उन देशों की कम्पनियों को नहीं देगी जिनकी सरकारों के पास अपने कानूनों में विश्व व्यापार संगठन कन्वेंशन देशों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के उपबंध हैं।"(10)

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 31 के बाद अंत:स्थापित करें–

"157ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अध्याय 4 से उद्भूत किसी प्रकार के अधिकार उन देशों की कम्पनियों को नहीं देगी जिनकी सरकारों के पास अपने कानूनों में विश्व व्यापार संगठन कन्वेंशन देशों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के उपबंध हैं।"(35)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

अपराह्न 4.57 बजे

मतविभाजन संख्या 2

पक्ष में

1. आचार्य, श्री बसुदेव
2. अहमद, श्री मोइनुल हसन
3. अरुमुगम, श्री एस.
4. आठवले, श्री रामदास
5. बालू, श्री टी.आर.
6. बाला, डा. असीम
7. बर्क, डा. शफीकुर्रहमान
8. बौरी, श्रीमती संध्या
9. चक्रवर्ती, श्री अजय
10. चन्द्रशेखर, श्री
11. चटर्जी, श्री सोमनाथ
12. चौधरी, श्री समर
13. चौधरी, श्री विकास
14. डोम, डा. रामचन्द्र
15. गोविन्दन, श्री टी.
16. गुप्त, श्री इन्द्रजीत
17. कवाडे, प्रो. जोगेन्द्र
18. खां, श्री अबुल हसनत
19. खां, श्री सुनील
20. कुमार, श्री शैलेन्द्र
21. कुरुप, श्री सुरेश
22. लाहिड़ी, श्री समीक
23. महतो, श्री बीर सिंह
24. मंडल, श्री सनत कुमार
25. मेहता, प्रो. अजित कुमार
26. मोल्लाह, श्री हन्नान
27. मुखर्जी, श्री प्रमथेस
28. मुखर्जी, श्री सुव्रत
29. मुखर्जी, श्रीमती गीता
30. मुखोपाध्याय, श्री अजय
31. मुर्मू, श्री रुपचन्द
32. पाल, श्री रूपचन्द
33. प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
34. प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
35. राधाकृष्णन, श्री वारकला
36. राघवन, श्री वी.वी.
37. रेड्डी, श्री एस. जयपाल
38. रियान, श्री बाजू बन
39. सांगवान, श्री किशन सिंह
40. सर, श्री निखिलानन्द
41. सरोज, श्री दरोगा प्रसाद
42. सेल्वारासु, श्री एम.
43. सेन, श्रीमती मिनाती
44. सेठ, श्री लक्ष्मण चन्द्र
45. सिंह, श्री मोहन

46. सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद
47. ठाकुर, श्री रामशेठ
48. वेणुगोपाल, श्री डी.
49. वर्मा, श्री रवि प्रकाश
50. यादव, श्री मित्रसेन
51. यादव, श्री पारसनाथ
52. यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
53. यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद)
54. जहेदी, श्री महबूब

विपक्ष में

1. आचार्य, श्री प्रसन्ना
2. आदित्यनाथ, श्री
3. आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
4. अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र
5. अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
6. अनंत कुमार, श्री
7. अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप
8. अर्गल, श्री अशोक
9. आवाडे, श्री कल्लाप्पा
10. अयानूर, श्री मंजुनाथ
11. बचदा, श्री बची सिंह रावत
12. बादल, श्री सुखबीर सिंह
13. बैंदा, श्री रामचन्द्र
14. बैठा, श्री महेन्द्र
15. बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
16. बनर्जी, कुमारी ममता
17. बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह
18. बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
19. भारद्वाज, श्री परस राम
20. भार्गव, श्री गिरधारी लाल
21. बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भुज
22. बोस, श्रीमती कृष्णा
23. बुडानिया, श्री नरेन्द्र
24. बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
25. चाक्को, श्री पी.सी.
26. चन्देल, श्री सुरेश
27. चपलोत, श्री शान्तिलाल
28. चौधरी, श्री हरिभाई
29. चौधरी, श्री राम टहल
30. चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर कमल
31. चौहान, श्री चेतन
32. चौहान, श्री जयसिंह जी
33. चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
34. चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा.
35. चिखलीया, श्रीमती भावना देवराजभाई
36. चिन्नासामी, श्री वी.के.
37. चौधरी, श्री कृष्ण कुमार
38. चौधरी, श्री पंकज

39. डिसूरा, डा. बीट्रिक्स
40. दाहाल, श्री भीम
41. दास, श्री नेपाल चन्द्र
42. दत्तात्रेय, श्री बंडारू
43. दवे, श्रीमती भावना कर्दम
44. देव, श्री बिक्रम केशरी
45. देवी, श्रीमती कैलाशो
46. दामोदरन, श्री एम.सी.
47. दिलेर, श्री किशन लाल
48. द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
49. दुराई, श्री एम.
50. द्विवेदी, श्री रमेश चन्द्र
51. फर्नान्डीज, श्री जॉर्ज
52. फोली, ज़नरल नेविले
53. गढ़वी, श्री पी.एस.
54. गामीत, श्री सी.डी.
55. गांधी, श्रीमती मेनका
56. गणेशमूर्ति, श्री ए.
57. गंगवार, श्री संतोष कुमार
58. गौतम, श्रीमती शीला
59. गीते, श्री अनंत गंगाराम
60. गेहलोत, श्री थावरचन्द
61. गोपाल, श्री सी.
62. गुप्त, श्री चमन लाल
63. जगमोहन, श्री
64. जैन, श्री सत्यपाल
65. जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
66. जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद
67. जाखड़, श्री बलराम
68. जटिया, डा. सत्यनारायण
69. जावीया, श्री गोरधनभाई जादवभाई
70. जिगाजिनागी, श्री रमेश सी.
71. जोस, श्री ए.सी.
72. जोशी, डा. मुरली मनोहर
73. कैंथ, श्री सतनाम सिंह
74. कालिता, श्री भुवनेश्वर
75. कमल रानी, श्रीमती
76. कश्यप, श्री बलीराम
77. कठेरिया, श्री प्रभूदयाल
78. कथीरिया, डा. वल्लभभाई
79. खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
80. खांदोकर, श्री अकबर अली
81. खण्डूड़ी, मेजर जनरल भुवन चन्द्र, ए वी एस एम
82. खुराना, श्री मदन लाल
83. कोली, श्री गंगाराम
84. कृष्णमराजु, श्री यू.वी.
85. कुमार, श्री वी. धनंजय
86. कुमारमंगलम, श्री पी.आर.

87. कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
88. एम. मास्टर मथान, श्री
89. महाजन, श्रीमती सुमित्रा
90. महरिया, श्री सुभाष
91. महतो, श्रीमती आभा
92. मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस.
93. मंडल, श्री जय कृष्ण
94. मरांडी, श्री बाबू लाल
95. मरांडी, श्री सोम
96. मीणा, श्री भेरुलाल
97. मेहताब, श्री भर्तृहरि
98. मेनसिंकाई, श्री बी.एम.
99. मिश्र, श्री इन्द्रजीत
100. मिश्र, श्री राम नगीना
101. मिश्र, श्री श्याम बिहारी
102. मिश्र, श्री जनार्दन प्रसाद
103. मोहले, श्री पुन्नू लाल
104. मोहोल, श्री अशोक नामदेवराव
105. मुण्डा, श्री कड़िया
106. मुनिलाल, श्री
107. मुनूसामी, श्री के.पी.
108. मुर्मू, श्री सालखन
109. मुरुगेसन, श्री एस.
110. मुथैया, श्री आर.
111. नायडू, श्री गिरजला वेंकट स्वामी
112. नाईक, श्री राम
113. नायक, श्री रवि सीताराम
114. नकवी, श्री मुख्तार
115. नायक, श्री उपेन्द्र नाथ
116. नीतीश कुमार, श्री
117. उराम, श्री जुआल
118. पलानीस्वामी, श्री के.
119. पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण
120. पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
121. पांजा, श्री अजित कुमार
122. पन्नीरसेल्वम, श्री कांची
123. पंत, श्रीमती इला
124. परमशविम राजा, श्री
125. परांजपे, श्री दादा बाबूराव
126. परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ
127. पैरीमोहन, श्री के.
128. पासी, श्री राजनारायण
129. पटेल, डा. ए.के.
130. पटेल, डा. अशोक
131. पटेल, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास
132. पाठक, श्री हरिन
133. पाटील, श्री अन्नासाहिब एम.के.
134. पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़

135. पाटील, श्री माधव राव
136. पाटील, श्री शिवराज वी.
137. पटनायक, श्री नवीन
138. पवार, श्री शरद
139. पोटाई, श्री सोहन
140. प्रभु, श्री सुरेश
141. प्रधान, डा. देवेन्द्र
142. प्रधान, श्री अशोक
143. प्रधानी, श्री खगपति
144. प्रसाद, श्री हरिकेवल
145. पाटील, श्री बालासाहिब विखे
146. पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
147. राजरतिनम, श्री पी.
148. राजवंशी, श्री माधव
149. राजपूत, श्री गंगा चरण
150. राम, श्री ब्रजमोहन
151. रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
152. रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
153. राममूर्ति, श्री वाझापडी के.
154. रामराजन, श्री
155. राणा, श्री काशीराम
156. राणा, श्री राजू
157. राव, श्री सीएच. विद्यासागर
158. राव, श्री नादेन्दला भास्कर राव
159. राठवा, श्री एन.जे.
160. रावले, श्री मोहन
161. रावत, श्री बैजनाथ
162. रावत, श्री भगवान शंकर
163. रेड्डी, श्री जी. गंगा
164. रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु
165. ऋषिदेव, श्री रामजीदास
166. रोसैया, श्री कोनिजेटी
167. राय, श्री देवेन्द्र बहादुर
168. साहू, श्री ताराचन्द
169. संघाणी, श्री दिलीप
170. सारदीना, श्री फ्रांसिस्को
171. सरकार, डा. विक्रम
172. सरोजा वी., डा.
173. साथी, श्री हरपाल सिंह
174. सत्यमूर्ति, श्री वी.
175. सईद, श्री पी.एम.
176. सेडाम, श्री बासवराज पाटील
177. सेठी, श्री अर्जुन
178. शाह, श्री मानवेन्द्र
179. शाक्य, डा. महादीपक सिंह
180. षणमुगम, श्री एन.टी.
181. शांता कुमार, श्री
182. शर्मा, श्री कृष्ण लाल

183. शास्त्री, श्री विजय सोनकर
184. शिव शंकर, श्री पी.
185. सिंह, डा. राम लखन
186. सिंह, श्री अमर पाल
187. सिंह, श्री ज्ञान
188. सिंह, श्री जगन्नाथ
189. सिंह, श्री महेश्वर
190. सिंह, श्री नकली
191. सिंह, श्री राजवीर
192. सिंह, श्री रामानन्द
193. सिंह, श्री सोहनवीर
194. सिंह, श्री सुरेन्द्र
195. सिंह, श्री तेजवीर
196. सिंह, श्री था. चौबा
197. सिंह, श्री यशवन्त
198. सरपोतदार, श्री मधुकर
199. सोढी, श्री दया सिंह
200. सोय, श्री विजय सिंह
201. श्रीनिवासन, श्री सी.
202. श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
203. सुल्तानपुरी, श्री के.डी.
204. स्वाई, श्री खारबेल
205. स्वराज, श्रीमती सुषमा
206. टंडेल, श्री देवजी भाई जे.
207. ठक्कर, श्रीमती जयाबहन भरतकुमार
208. ठाकुर, डा. सी.पी.
209. तम्बीदुरई, डा. एम.
210. त्यागराजन, श्री एम.
211. तिवारी, श्री लाल बिहारी
212. तिवारी, श्री प्रभाष चन्द्र
213. तोमर, डा. रमेश चन्द्र
214. त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि
215. त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
216. तुर, श्री त्रिलोचन सिंह
217. उमा भारती, कुमारी
218. उपाध्याय, श्री रामपाल
219. उपेन्द्र, श्री पी.
220. वैको, श्री
221. वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
222. वसावा, श्री मनसुखभाई
223. वेणुगोपालाचारी, डा. एस.
224. वर्मा, प्रो. रीता
225. वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
226. वर्मा, श्री वीरेन्द्र
227. विजयशंकर, श्री
228. वीरेन्द्र कुमार, श्री
229. वोरा, श्री मोतीलाल
230. यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
231. यादव, श्री सत्यपाल सिंह

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 54

विपक्ष में : 231

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अत: संशोधन अस्वीकृत हुये।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी डिवीजन क्लर्क के माध्यम से अपने वोट रिकार्ड कराये:-

पक्ष में : कुप्पुसामी, श्री सी.
बर्मन, श्री रतेन
अजय कुमार, श्री एस.

विपक्ष में : वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
बैस, श्री रमेश
सोमपाल, श्री
पाटील, श्री बाबागौड़ा
आपांग, श्री ओम्राक
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
हेगड़े, श्री अनंत कुमार
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, श्री वशिष्ट नारायण
वंग्चा, श्री राजकुमार
पांजा, डा. रंणजीत कुमार
बेहेरा, श्री पद्मा नाथा
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री एच.पी.
सिंह, श्री सुशील कुमार
वेणुगोपाल, श्री के.
चिन्ता मोहन, डा.
अहिरे, डा. डी.एस.
कुरियन, प्रो. पी.जे.
सईद, श्री पी.एम.
सिंह, श्री लक्ष्मण
रेड्डी, श्री वेंकटरामी अनन्त

खण्ड 9

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

निरसन और व्यावृति:

निरसन और व्यावृति :

"9. (1) पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। — 1999 का अध्यादेश 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा जो अब प्रवर्तन में नहीं है, यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन या पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अधीन की गई बात या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। — 1994 का अध्यादेश 13; 1999 का अध्यादेश 3

(3) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आविष्कार के पेटेंट के लिए दावों की बाबत, पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के अस्तित्व में न रहने की तारीख से उस तारीख तक जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। (दोनों दिन सहित) किए गए सभी आवेदन वैध रूप से किए गए समझे जाएंगे मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे।"। — 1994 का अध्यादेश 13

(श्री सिकन्दर बख्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 2

''1988'' **के स्थान पर** ''1999'' **प्रतिस्थापित किया** जाए। (2)

(श्री सिकन्दर बख्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि **खंड** 1, **संशोधित** रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, जोड़ दिया गया।

अपराह्न 5.00 बजे

अधिनियमन सूत्र

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 1, श्री सिकन्दर बख्त।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

''उनचासवें'' के **स्थान पर** पचासवें **प्रतिस्थापित** किया जाए (1)

(श्री सिकन्दर बख्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सोमनाथ चटर्जी : अब हम विधेयक पर विचार करने के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं केवल इतना चाहता हूं कि दीर्घाएं खोल दी जाएं ताकि मैं बाहर जा सकूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि दीर्घाएं खोल दी जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आपका कार्य नहीं है। कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)* मैं उनके साथ खुल कर बात सकता हूं। वह यह जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के चारों ओर बैठे अपने दोस्तों से साग्रह अनुरोध करता हूं और मेरा विश्वास है कि सभी यह समझते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विधान है और इस पर सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह मतभेद हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ धैर्य रखना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन मित्रों द्वारा इस विधेयक का सिद्धांत रूप में विरोध नहीं भूल सकता हूं जो अब इतिहास की एक दुर्घटना के कारण आज सभा में उस तरफ बैठे हैं।

श्री वैको : यह लोगों की इच्छा और जनादेश के कारण है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो कुछ कहा गया है, उसमें कोई शक नहीं है, कि यह एक ऐसा मामला है जिसके साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट अधिकार का प्रश्न, आविष्कार का प्रश्न, सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम विदेशियों को अधिकार देने की हामी भर रहे है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होगी। ..*(व्यवधान)*

यह इस सदन में बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो रही है। इससे बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर भी बोलना मुश्किल हो रहा है। तब

महोदय, हमें बताएं कि हम इस सदन में भाग नहीं लेंगे। हमें ऐसा कहें। हमें बताएं कि विपक्ष यहां से भला जाए अथवा नहीं। तब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। उन्हें बोलने दें। यदि यही रवैया है, तो उन्हें बोलने दें।

महोदय, इस मामले को लापरवाही से लिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया इस बात को समझें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सच्चे दिल से महसूस करते हैं और प्रधानमंत्री और उनके सभी साथियों से अनुरोध करते हैं – मुझे उनकी देश भक्ति पर शक नहीं है – कि यह विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत उनके कथित उत्तरदायित्व के बारे में गलत अवधारणा का मामला है। वे इस विधि निर्माण पर जोर दे रहे हैं, जिससे देश को भारी क्षति होगी। यह राष्ट्र विरोधी विधि निर्माण है। यह इस देश के लोगों के हितों के विरुद्ध है। इस देश में कई पढ़े-लिखे, उच्च शिक्षित और अच्छे विचारों वाले बहुत से लोग हैं, जो राजनीति से प्रेरित नहीं हैं और जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, वे इस कानून का कड़ा विरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस स्तर पर तो इस पर विचार करें। यह देखने का प्रयास करें कि आपत्ति क्यों उठाई जा रही है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बाध्यताओं की गलत अवधारणाओं के तहत न जाएं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं नहीं समझता कि आप ''राष्ट्र विरोधी'' शब्द का उपयोग करेंगे ...*(व्यवधान)* यह सदन द्वारा अपनाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी और श्री सिकन्दर बख्त जी से अपील करता हूं जिन्होंने पहले सैद्धांतिक रूप से आपत्ति उठाई थी कि कृपया अन्ततः नुकसान होने से पहले इसके बारे में सोचें ...*(व्यवधान)*

मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि अब भी इस कानून पर आगे और जोर न दें।

श्री सिकन्दर बख्त : श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे? मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि आप कृपया 'राष्ट्र विरोधी' शब्द वापस लें। यह बहुत हो गया है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे उसका उत्तर देने दें ...*(व्यवधान)* इस सदन में क्या हो रहा है? मैंने कहा है कि मैं उनकी देशभक्ति पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी देशभक्ति का सम्मान करता हूं। परन्तु मैंने कहा कि आपको बहकाया गया है तथा इसका परिणाम 'राष्ट्र विरोधी' कार्य के रूप में निकला है। इस गलती का परिणाम यह हुआ है कि यह राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए तथा इसे लम्बित रखकर इस संबंध में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आपको प्रक्रिया मालूम है। मुझे इसके लिए एक नोटिस की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 5.08 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यह देश के हित के खिलाफ है, इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 5.08$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, 'राष्ट्र विरोधी' शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। उनसे कोई आरोप लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है, तो मैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

अपराह्न 5.10 बजे

गोवा बजट

लेखा अनुदानों की मांगें – गोवा, 1999-2000 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें – गोवा, 1998-99

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 17, 18 और 19 पर विचार करते हैं।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): महोदय, मैं इस सदन में गोवा बजट प्रस्तुत किए जाने के प्रति एक संवैधानिक आपत्ति उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ा है, गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में किसी को भी दु:ख नहीं हुआ है।

मेरा कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो कार्यवाही की गई है, वह उचित है, परन्तु इस मामले में यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी करते समय भारत सरकार ने विधान सभा को भंग कर दिया और विधान सभा की शक्तियां संसद को दे दीं जो कार्य उसे अनुच्छेद 356(1)(क) के अंतर्गत किसी कार्यवाही की स्थिति में करना चाहिए था।

महोदय, मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने अभी-अभी बताया है कि इस सदन में जिस उद्घोषणा का अनुमोदन किया गया था, उसका अनुमोदन दूसरे सदन में नहीं किया गया था। परन्तु अभी-अभी, मुझे बताया गया है कि दूसरे सदन में इसका अनुमोदन कर दिया गया है। जैसी भी स्थिति हो, इसके बावजूद मैं यह आपत्ति उठा रहा हूं।

मेरा कहना है कि हम सबको यह जानकारी है कि अनुच्छेद 142 और 144 के साथ पठित अनुच्छेद 141, के अन्तर्गत ऐसी स्थिति है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी कोई भी आदेश, अथवा निर्णय अथवा आक्षप्ति पूरे देश के लिए बाध्यकारी है। दूसरे शब्दों में, उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय हो, वह पूरे देश का कानून है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में क्या कहा है? बोम्मई मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सुस्पष्ट रूप से कहा, तथा वह पूरी पीठ का विचार है, कि दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन किए जाने के बाद ही विधानमण्डल को भंग किया जाना चाहिए।

महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अत:, मेरी प्रार्थना है कि सदन कृपया कुछ ज्यादा ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुने। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 121 एवं 122 में जो कहा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "अत:, अनुच्छेद 356 के खण्ड 1 तथा 3 की सुव्यवस्थित ढंग से व्याख्या करना आवश्यक है क्योंकि खण्ड 3 के उपबन्ध स्पष्टत: खंड 1 के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों पर संसद द्वारा नियंत्रण के लिए हैं जिसमें संबंधित राज्यों के सदस्य भी शामिल होते हैं। यदि राष्ट्रपति उपर्युक्त अनुच्छेद के खण्ड 1 के उप खंड 'क', 'ख' और 'ग' के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुत्क्रमणीय कार्यवाही करते हैं तो यह नियंत्रण निरर्थक एवं प्रभावी हो जाएगा....."

महोदय, यह महत्वपूर्ण है,

> ".....अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अन्तर्गत राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा को भंग करना एक ऐसा ही अनिवार्य कार्य होगा। अत:, यह निर्धारित करना होगा कि किसी भी स्थिति में ....."

[श्री पी. शिवशंकर]

महोदय, यह महत्वपूर्ण है,

> "..... किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति विधान सभा भंग करने की राज्यपाल की शक्ति का कम से कम तब तक प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक कि उपर्युक्त अनुच्छेद के खण्ड 1 के अधीन उसके द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदन अनुमोदित न कर दें।"

इसलिए, संवैधानिक उपबंध पूर्णत: स्पष्ट है। तत्पश्चात् वे कहते हैं:

> "अत:, हमारा सर्वप्रथम निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 356 के खण्ड 1 के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग कर राज्य की विधान सभा को भंग करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि उपर्युक्त अनुच्छेद के खण्ड 3 के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा उस उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दिया जाए।
>
> उसे उपर्युक्त अनुच्छेद के खण्ड 1 के उपखण्ड (ग) के अधीन विधान सभा को केवल निलम्बित स्थिति में रखने का अधिकार हो सकता है।
>
> द्वितीयत:, न्यायालय उस उद्घोषणा को अवैध घोषित कर सकता है चाहे उसे संसद ने अनुमोदित किया हो या नहीं। ऐसी उद्घोषणा के अवैध घोषित करने का आवश्यक परिणाम यह होगा कि पूर्वस्थिति बहाल होगी तथा, इसलिए, घोषणा के जारी होने की तारीख को जैसी स्थिति थी, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद् एवं विधान सभा को बहाल करना होगा।"

इसलिए, स्थिति यह है कि विधान सभा को तब तक भंग नहीं किया जा सकता, जब तक कि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दें।

महोदय, तत्पश्चात्, मैं आपके ध्यान में केवल एक या दो और पैराग्राफ लाना चाहूंगा – पृष्ठ 298 यह न्यायपीठ का निष्कर्ष संख्या 4 है जिसे पूरी पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें कहा गया है:

> "चूंकि अनुच्छेद 356 के खण्ड 3 में शामिल उपबंधों का आशय उसके खण्ड 1 के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण रखना है, अत: बाद वाले खंड के उपखण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन राष्ट्रपति को अनुत्क्रमणीय कार्यवाही के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी, जब तक कि कम से कम संसद के दोनों सदन इस उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दें। इसी कारण से अनुच्छेद 356(1)(क) के साथ पठित अनुच्छेद 174(2)(ख), के अन्तर्गत राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग कर विधान सभा को भंग करने संबंधी राष्ट्रपति का कार्य तब तक कम से कम तब तक न्यायसंगत नहीं माना जाएगा, जब तक कि संसद के दोनों सदन उस उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दें।"

महोदय, इसका अनुमोदन पूरी पीठ द्वारा किया गया है। मैं इस निर्णय का पैराग्राफ 454 पढ़ रहा हूं। ये न्यायालय के निष्कर्ष हैं। इसमें कहा गया है:

> "उपरोक्त दिए गए तर्कों तथा इसमें दर्ज निष्कर्षों के आलोक में, हम अपने विद्वान न्यायाधीश सावंत के निर्णय के निष्कर्ष (1), (2) और (4) के अनुसार स्वयं को सहमत पाते हैं।"

अत: पूरी पीठ इस बात पर सहमत थी कि जब तक दोनों सदन उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं करते तब तक विघटन नहीं हो सकता।

अब, हम उद्घोषणा को ही देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में कोई भी आंसू, यहां तक कि मगरमच्छ के आंसू भी नहीं बहायेगा। जो सरकार को करना चाहिए था वे यह है। सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाते समय सदन को निलम्बित रखना चाहिये था और फिर उद्घोषणा को दोनों सदनों में अनुमोदित कराना चाहिये था और उसके बाद उन्हें सदन भंग करना चाहिए था।

कृपया अधिसूचना को देखें। मैं इसे पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है:

> "अब संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और मुझे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं....."

मैं (क) को छोड़ता हूँ और (ख) को उद्धृत करता हूं:

> "(ख) घोषणा करता है कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियों को संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अंतर्गत प्रयोग किया जायेगा।"

विधानमण्डल भंग करने के पश्चात् विधानमण्डल की शक्तियां संसद में निहित हो गयी जो कि वे नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ है कि यह पूर्णतया एक अवैध अधिसूचना है। इसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। कानून वह है जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है।

इसलिए मेरा कहना है कि यदि विधानमण्डल को भंग नहीं किया जा सकता था तब अनुच्छेद 198 के साथ पठित अनुच्छेद 196 के अंतर्गत एक ही मार्ग बचता है। धन विधेयक होने के कारण यह केवल विधानमण्डल के पास ही जायेगा। अब स्थिति यह है। यह अधिसूचना पूरी तरह अवैध होने के कारण इसे जारी नहीं किया जा सकता था। यदि यह जारी नहीं किया गया होता तो यह माना जायेगा कि गोवा की विधायिका अभी भी विद्यमान है; चाहे वह निलम्बित या अन्यथा हो। इस समय मैं उस प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं।

परन्तु जब एक बार हम उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह अधिसूचना अवैध है तब स्थिति यह है कि यहां बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संसद इस उद्देश्य के लिए राज्य विधानमण्डल की शक्तियों की अपने हाथ में नहीं ले सकती। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि चूंकि वे अब कहते हैं कि उद्घोषणा जारी हो गयी है इसलिए या तो उन्हें नयी उद्घोषणा जारी करनी होगी और तब दोनों सदनों से उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाने पर विघटन करना चाहिए और बजट के प्रयोजन से यहां आना चाहिए। अन्यथा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यही मेरा कहना है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी विरोधी दल के उपनेता माननीय श्री शिव शंकर के प्रति आदर सहित मैं मात्र इतना ही कह सकता हूं। वह न्यायपीठ में रहे हैं। वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं निश्चित रूप से उनसे बहुत कनिष्ठ हूं। विनम्रतापूर्वक मैं इतना ही कहूंगा कि उनके सभी तर्क उस समय सदन में रखे जाने चाहिए थे जब यह सदन उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संकल्प पर विचार कर रहा था।

श्री पी. शिव शंकर : कैसे?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : क्या मैं समाप्त कर सकता हूं? जब कोई यह कहकर कि इस सदन को अनुमोदन हेतु संकल्प पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा, उद्घोषणा की कानूनी वैधता को चुनौती देता है तो इसके लिए उचित समय वह होगा जिस समय सदन इस पर विचार कर रहा हो। यदि मैं विनम्रता पूर्वक कहूं तो मौलिक रूप से क्योंकि यह एक गैर-कानूनी उद्घोषणा है जो कि सदन में तभी आनी चाहिए थी जब सदन इस पर चर्चा कर रहा हो। सदन ने उद्घोषणा पर विचार किया और इसे संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया। इसी प्रकार ऊपरी सदन ने किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपरी सदन ने संकल्प द्वारा उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया है। जहां तक अनुमोदन का प्रश्न है, अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया है। केवल यही नहीं, मैं सोचता हूं कि मैं कहने के लिए अपनी स्मृति में से बोम्मई निर्णय को भी उद्धृत कर सकता हूं कि उनका कहना है कि जब उद्घोषणा वहां है, उस समय किए गये सभी कार्य वैध कार्य होंगे, जबकि उद्घोषणा उस अवधि में रहती है, भले ही यह दूसरे सदन में अनुमोदित न हो सकी हो। अब, वह स्थिति यहां पैदा नहीं होती। जैसाकि उचित ही कहा गया है कि यह परिस्थिति स्पष्ट रूप से ऐसी है कि निहित शक्तियों के अंतर्गत अपनी हैसियत से हम गोवा विधानमण्डल की ओर से अब बजट पर विचार कर रहे हैं। जो कि विघटन की स्थिति में है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद हम इस पर विचार कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि मेरे लिए आपको यह सूचित करना भी आवश्यक है कि मंत्रिमंडल ने इस पर गहराई से विचार किया है। हमने महान्यायवादी से भी कानूनी राय प्राप्त की और मंत्रिमंडल तथा सरकार ने भी पूरी तरह ऐसा ही किया। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबके हित में बोम्मई निर्णय में दिए गए एक नियम के साथ बहुत कठोरता और कड़ाई से जुड़े रहने की कोशिश और वहां विद्यमान निराशाजनक क्षेत्रों पर ध्यान देने के विकल्प के बीच एक स्थिति यह भी थी कि यदि हम विधान सभा को निलम्बित अवस्था में रखते तो सभी दलों से ये आरोप लगते कि इससे चारों ओर खरीद-फरोख्त की संभावना पैदा होगी। जन सामान्य को रुचि की सचेतन समीक्षा करके हमने कहा कि यह एक ऐसा मामला था जहां गोवा में कांग्रेस पार्टी सहित सभी दलों ने एक साथ मांग की कि सदन को भंग किया जाए। जब विधान सभा के सभी सदस्यों तथा उनके नेताओं ने ऐसा किया तो हमने निर्णय लिया कि यह मामला उन मामलों में से एक है जो कि बोम्मई मामले का अपवाद है। अत:, हमने भंग करने का निर्णय लिया।

ऐसी स्थिति होने के कारण, तथ्यों के भिन्न होने और स्थिति के भिन्न होने के कारण संविधान का उपयोग सद्भावपूर्वक करना होता है। यदि कोई असाधारण कठोर नियम पर चलता है, तो हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि बोम्मई निर्णय में बहुत से धुंधले प्रश्न उठ जाएंगे जिन पर हम लम्बे समय तक विवाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय सदस्य, श्री पी.

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

शिवशंकर के तर्क पूर्णतया असंगत हैं। वे बहुत तर्कसंगत हैं। परन्तु मैं मानता हूं कि इस विशेष मामले की वर्तमान परिस्थितियों में हमने उन पर विचार किया और हमने अनुभव किया कि वे सही नहीं हैं। यहां तक कि जब मंत्रिमंडल स्वयं राष्ट्रपति को सिफारिशें भेजने पर विचार कर रहा था, हमने इस पर विचार किया और हमारा विश्वास था कि हमारी कार्यवाही वैध थी।

यह एक कानूनी अनिवार्यता है क्योंकि ऐसी स्थिति है कि यदि हम सुझाये जा रहे कठोर नियम को अपनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसके लिए गोवा के मामले में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा रहा है। वस्तुतः, बोम्मई निर्णय की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि कुछ भी अपरिवर्तनीय घटित न हो। परन्तु वास्तव में जो होगा वह यह है कि यदि हमने विधान सभा को निलम्बित अवस्था में रखा होता, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जिसकी अपेक्षा नहीं है और खरीद-फरोख्त के रूप में कार्य करती हमारे पास ऐसी विधान सभा होती जहां कुछ लोग विभिन्न सदस्यों से सौदा कर रहे होते। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते थे। इसी कारण गोवा विधान सभा में सभी दलों की यह मांग थी कि वे इसे भंग करना चाहते थे। उनकी मांग के उत्तर में और महान्यायवादी की राय प्राप्त करने के बाद ही मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। मैं एक बार फिर आदरपूर्वक कहता हूं कि यह समय इस मामले को उठाने का नहीं है। इस समय सदन के समक्ष गोवा का बजट है। इस सदन के पास उस समय एक अवसर था जब उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संकल्प आया था। इसलिए, मैं मानता हूं कि एक बार जब सदन ने संकल्प कर लिया, तो मेरा विश्वास है कि यह तर्क अब गोवा बजट पर विचार करने के लिए बीच में नहीं आयेगा।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, मेरे मित्र ने मूल मुद्दे को पूर्णतया दरकिनार कर दिया और वह अंधेरे में तीर चला रहे हैं। क्या मैं इस समय यह कह सकता हूं कि उनके पिता एक प्रमुख वकील रहे हैं, शायद देश भर में एक दर्जन में से एक रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामलों में उनका सहायक बनने का सौभाग्य मिला था। ...*(व्यवधान)* मैं अपने मित्र की जानकारी के लिए भी आपको बताता हूं कि यहां तक कि उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी वकील हैं। मैं आपकी दृष्टि में भी ला सकता हूं कि उनके अवसर इन सज्जन के कारण अवरुद्ध हो गये हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए, इनके तर्क मूलतः छाती पीटने वाले तर्क हैं। वे कहते हैं कि मामला तब उठाया जाना चाहिए था जबकि उद्घोषणा इस सदन में अनुमोदित हुई थी। ...*(व्यवधान)* क्या एक गैर-कानूनी कृत्य कानूनी बन जाता है। तब उन्हें आगे जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपको इस पर अन्यथा सफाई के लिए रोका जाता है। कानूनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है। यदि एक चीज करनी है, तो इसे कानून के अनुसार करना होगा अथवा बिल्कुल नहीं किया जाए। यही वह अवधारणा है जिस पर हम कार्य करते हैं। यदि यह धारणा है, तो आज भी यह स्थिति है कि यदि उन्होंने प्रारम्भ में ही विधान सभा भंग करके गलत कदम उठा लिया तो यह पूर्णतया गलत और देश के कानून के विपरीत है – क्या यह सदन उनको मात्र इसलिए आगे बढ़ने की अनुमति देगा कि अब वह कहते हैं कि भारत के महान्यायवादी ने उन्हें राय दी थी? क्या वह इतना महान व्यक्ति है कि उसकी राय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? मेरे मित्र जब कानून राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने स्वयं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गये निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया था। उन्होंने कहा है कि वे उनसे सहमत नहीं थे। क्या वे इतने महान हैं? राय मात्र राय होती है। ...*(व्यवधान)* क्या वे इतने महान हैं कि उनके शब्द कानून हैं। ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता केवल इन व्यक्तियों की बपौती नहीं है। हमारी भी कुछ हैसियत रही है। हम भी वकील रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यदि कानूनी तौर पर उच्चतम न्यायालय स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, तब तक आप सदन को भंग नहीं कर सकते। यह एक बिल्कुल साफ बात है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई है और वह विचार देश का कानून माना जाएगा।

इसलिए, जो सरकार ने किया है, वह पूरी तरह गलत है। मैं कहता हूं कि कोई भी राष्ट्रपति शासन के लिए आंसू नहीं बहाएगा और मैंने स्वयं साफ तौर पर कहा कि इसे लगाया जाना चाहिए। परन्तु यदि आपने इसे लगा दिया, तो आपको केवल एक चीज करनी चाहिए थी कि दोनों सदनों का अनुमोदन होने तक आपको इसे निलम्बन की अवस्था में रखना चाहिए था और तब आपको विधान सभा भंग करनी चाहिए थी। उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है। आप उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत कार्य करते हैं और कहते हैं कि जो आपने किया है, वह न्यायोचित है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह सदन को गुमराह करने तथा स्थिति का लाभ उठाने के समान है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : क्या मैं एक क्षण के लिए कुछ कह सकता हूं।

श्री पी. शिव शंकर : पहले मुझे पूरा करने दें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं बीच में बोलना चाहता था क्योंकि आप एक गम्भीर आरोप लगा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिव शंकर जी का बहुत आदर करता हूं। जब उन्होंने मेरे पिता तथा मेरी पत्नी के नाम पर मेरी खिंचाई की, तब मैंने कोई एतराज नहीं किया। परन्तु उन्हें ऐसे शब्द प्रयोग करने से परहेज करना चाहिये कि हम सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह एक गम्भीर आरोप है।

श्री पी. शिव शंकर : मैंने इस प्रकार कभी नहीं कहा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): महोदय, जब श्री आडवाणी ने अपना भाषण प्रारम्भ किया था, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यदि किसी ने बोम्मई मामले का अध्ययन किया है, तो वह संकल्प की वैधता पर प्रश्न उठा सकता है। उन्होंने ऐसा कहा था। गुमराह करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री आडवाणी ने अपने भाषण में स्वयं ऐसा कहा है। उन्होंने यह बात कही थी जो आप अब उठा रहे हैं, परन्तु किसी ने भी उस समय यह बात नहीं उठाई।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, मैंने कहा था कि जो तर्क दिया जा रहा है वह बहुत गुमराह करने वाला है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): जब इसी सदन ने उसको अप्रूव किया था, उस समय यह मामला उठाना चाहिए था। उस समय आप समर्थन कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री पी. शिव शंकर : अगर इसमें गलती हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि गलती को रिपीट किया जाए। अगर उस समय नहीं उठाया गया तो लीगल पोजीशन यह नहीं है कि

[अनुवाद]

इसे उठाने से हमें रोका जाए। यदि आप हमें संतुष्ट कर सकते हैं कि इस मामले को उठाने से हमें रोका जा सकता है तो वह एक अलग मुद्दा है। परन्तु ऐसा नहीं है। यह एक कानूनी प्रश्न है और किसी कानूनी प्रश्न के मामले में प्रतिरोध हो सकता है। इसलिए, जो मैं कह रहा हूं, वह यह है कि वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए इन तर्कों को प्रस्तुत नहीं कर सकते और, इसलिए, विधेयक को यहां लाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब उन्हें उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्हें इन विधेयकों को वापस लेना होगा तथा सदन के विधिवत भंग होने के बाद इसे आगे किसी समय लाना होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, श्री शिव शंकर कहते हैं कि गैर-कानूनी कार्य किया गया है। यह गैर-कानूनी कार्य का प्रश्न नहीं है। संसद ने पहले ही इसका अनुमोदन कर दिया है। यह संसद का निर्णय है। अब उसे पुन: कैसे उठाया जा सकता है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि यदि सदन ने एक प्रस्ताव द्वारा इसे अनुमोदित करने के अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के लिए स्वयं को उपयुक्त माना है तो जब तक कि वे अनुमोदन वापस लेने संबंधी दूसरा प्रस्ताव आज पारित न कर दें तब तक स्थिति पूरी तरह साफ है। मैं माननीय शिव शंकर जी के ही शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, "इसका यह अर्थ नहीं है कि बोम्मई संबंधी निर्णय ही अन्तिम है तथा हर प्रकार से अनन्तिम है।" हमने इस पर गहराई से विचार किया है तथा मेरा यह कहना है कि यह उस नियम का एक अपवाद है जहां हम यह मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 का वास्तविक उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा यदि गोवा की तरह के मामले में किसी दल के बहुमत के अभाव के कारण संविधान को लागू किया जाना कठिन हो रहा है तथा यदि हम उसे निलम्बित अवस्था में रखते हैं तो इस स्थिति में खरीद-फरोख्त की संभावनाएं तैयार करके हम लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को ही नष्ट करेंगे। यह ऐसी बात है जो मैंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कही थी तथा उस समय सभी दलों द्वारा इसकी मांग की गई। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि अब इस मामले में अचानक ध्यान देने और इस अवसर के अनुसार तैयार होने के कार्य में अत्यधिक विलम्ब भी हो गया है। यह अधिसूचना विशेष पूरी तरह से उस दायरे में आती है जिसके अन्तर्गत हम यह मानते हैं कि यह राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 356 के अधीन दी गई शक्तियों की सही वैधानिक स्थिति है और मैं अनुरोध करता हूं कि सदन इस पर विचार करे क्योंकि इस समय सदन का यह विचार है कि यह एक वैध अधिसूचना है तथा इसने उसे अनुमोदित किया है। एक बार जब सदन ने यह निर्णय कर लिया है तो इसे केवल तभी बदला जा सकता है जब सदन फिर से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करे कि वह अनुमोदन वापस लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब तक यह एक वैध निर्णय है। मैं प्रतिरोध शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सदन किसी का भी प्रतिरोध नहीं करता।

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

यह इस सदन में लोकतंत्र का एक मौलिक नियम है, किन्तु एक तरीका है कि जब सदन एक बार किसी मार्ग का अनुमोदन कर देता है तो वह उसे तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह वही मार्ग न अपनाएं जिस मार्ग से उसने इसका अनुमोदन किया था। एक बार जब सदन ने निर्णय ले लिया है कि यह वैध है, तब यह मामला राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इस पर विचार करने का अधिकार सदन का है और सदन ने इसे पारित कर दिया है। इस निर्णय को बदलने का एकमात्र तरीका यह है कि यह सदन स्वयं यह प्रस्ताव पारित करने का निर्णय करे कि अनुमोदन वापस लेते हैं। अब उसके अन्तर्गत आपको यह देखना होगा कि क्या अनुच्छेद 356(3) पुनर्विचार करने हेतु ऐसा अधिकार देता है किन्तु इसकी विभिन्न रूप से व्याख्या की जा सकती है। आज, स्थिति ऐसी है कि कोई अनुमोदन विद्यमान है जो इस सदन द्वारा अनुमोदित एक संकल्प है और वह सदन अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत विद्यमान है तथा एक बार यदि वह अनुमोदन प्राप्त हो गया तो, मेरा मानना है कि इस सदन के उद्देश्यों के लिए, वह वैध है। मेरे अच्छे मित्र, माननीय शिव शंकर जी कानून का आश्रय लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं यदि उनका दल और वे स्वयं यह मानते हैं कि इसे हटा देने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं केवल एक मिनट लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, आप निर्णय कीजिए *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): महोदय, वह आपका निर्णय चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : ऐसा लगता है कि मेरे मित्र इस तथ्य पर विश्वास कर रहे हैं कि उन्होंने अनुच्छेद 356 के भावार्थों को समझ लिया है और तत्पश्चात् वे राष्ट्रपति शासन लगाने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसका यह अर्थ है कि, क्या उनके लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करना तथा उसके बाद ऐसा कहना कि उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय हो मैं जैसा चाहता हूं, वैसा ही करूंगा क्या उचित होगा? यह ऐसा कार्य है जो *...(व्यवधान)* मुझे खेद है कि वह एक ऐसा तर्क पेश कर रहे हैं जो कानून के समक्ष टिक नहीं सकता। इसलिए, मैंने यह निवेदन किया था कि जब तक मुझे यह मामला उठाने से रोका नहीं जाता, मैं इसे उठा सकता हूं। मुझे यह मालूम नहीं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। यदि उनके इस तर्क को सही माना जाए कि यह सदन इस मामले पर विचार नहीं कर सकता, तब इतने वर्षों तक को दृष्टान्तानुसरण की अवधारणा उच्चतम न्यायालय में प्रचलित है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विचारों को परिवर्तित करता रहता है *...(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : उच्चतम न्यायालय संसद को निर्देश नहीं दे सकता *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): यह उसके विचार को बिल्कुल नहीं बदल सकता था। *...(व्यवधान)* क्या वे कृपया प्रतीक्षा करेंगे *...(व्यवधान)* मैं अपने मामले के संबंध में तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* यदि मुझे रुकने के लिए कहा जाता है, तो मैं रुक जाऊंगा। *...(व्यवधान)* यदि वे यह चाहते हैं कि हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, तो हम अपने तर्क प्रस्तुत नहीं करेंगे। *...(व्यवधान)* वे हमें बोलने तक नहीं देते। यदि वे हमें बोलने नहीं देते तो मैं नहीं बोलूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अच्छा, मैंने माननीय सदस्य से कह दिया है कि वे श्री शिव शंकर को गलत न समझें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर, कृपया आगे कहें।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : हम जिम्मेदार लोग हैं। जो लोग सत्ता पक्ष में हैं, वे व्यवहार करना नहीं जानते *...(व्यवधान)* यह क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री शिव शंकर, आप कृपया आगे कहें।

श्री पी. शिव शंकर : मैंने वास्तव में पूरा कह दिया है। मैं इस तर्क को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मेरी एकमात्र चिन्ता यह है कि इस बजट को आगे बढ़ाकर हम एक अवैध कार्य करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में न्यायपालिका में आपत्ति दर्ज करा सकता है और तब, हमें परिणाम भुगतना होगा। इसी बात से मैं बचना चाहता हूं। इसी मनोव्यथा के अन्तर्गत मैं यह कहने की कोशिश कर रहा था कि यहां एक ऐसा संविधान है जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने की है। उपबन्ध की व्याख्या की गई है तथा उन्होंने सुस्पष्ट रूप में विशिष्ट शैली में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। हमें उस निर्णय को सम्मान देना ही होगा क्योंकि वही कानून प्रचलित है। इसलिए, आप कृपया यह विचार करें कि क्या इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करना है या नहीं क्योंकि कल इसी आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, श्री शिव शंकर बोम्मई संबंधी निर्णय का उल्लेख कर रहे हैं। मैं बोम्मई संबंधी निर्णय का एक उद्धरण पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है और मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> ''जहां तक उद्घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान किए गए कार्यों, पारित किए गए आदेशों तथा बनाए गए कानूनों, यदि कोई हों, की वैधता का संबंध है, जब तक कि यह अनुमोदन या गैर-अनुमोदन भूतलक्षी प्रभाव से इस घोषणा-पत्र को अवैध करार न दे, वे अप्रभावित बने रहेंगे।''

इसलिए, गोवा के बजट पर चर्चा करने और उसे पारित करने के संबंध में इस सदन के प्रश्न को प्रश्नाधीन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बोम्मई संबंधी निर्णय के अन्तर्गत भी पूर्ण वैध एवं वैधानिक कार्य होगा। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। गोवा का बजट पारित करना आवश्यक है। उद्घोषणा आज विद्यमान है और इसे किसी न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया गया है। इसलिए, इस संसद की यह जिम्मेदारी है कि वह गोवा को संकट की स्थिति में न छोड़ें तथा राज्य सरकार को कार्य करने दे। अत:, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस बजट को पारित किया जाए। महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना है। अत: हमें अपना निर्णय बताइए।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, मेरे मित्र ने इसे उठाया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मैंने उन्हें पहले नहीं सुना। श्री बोम्मई के मामले में हुआ यह था कि उद्घोषणा के आदेश को रद्द करके उच्चतम न्यायालय इस बारे में चिन्तित था कि उन अधिनियमों का क्या होगा जिनकी पहले घोषणा हो चुकी है। इनके बारे में ही ये टिप्पणियां की गई हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है यहां कोई कार्यवाही नहीं की गई और कार्यवाही की जानी है अर्थात् अब बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे समय पर मैं यह आपत्ति उठा रहा हूं। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं सोचता हूं कि उन्होंने वस्तुत: जो कहा है, उसकी ओर मैं इंगित कर रहा हूं। मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री ने जो कहा है, उन्होंने उसे समझा नहीं है। जो वह कह रहे हैं, वह यह है कि यदि न्यायालय अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश को अवैध घोषित कर देता है, तब भी बजट वैध होगा क्योंकि पहले भी ऐसे ही किया गया था। इसलिए, आप बजट पर विचार को क्यों रोक रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 356(1)(ख) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।''

10 फरवरी 1999 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा, जिसमें गोआ की विधान सभा को भंग कर दिया गया था, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।''

अनुच्छेद 356(1)(ख) में किए गए प्रावधान के अनुसार ही गोवा राज्य का बजट सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

उद्घोषणा की संवैधानिकता अथवा उसकी वैधता के विषय पर विचार करना न्यायालय का काम है जिसमें अनुच्छेद 356(1)(ख) के अन्तर्गत सदन द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां भी शामिल हैं। स्पष्ट है कि मामले के इन पहलुओं पर सभा कोई निर्णय नहीं ले सकती।

अत:, मैं गोआ के बजट पर विचार की अनुमति देने के लिए तत्पर हूं।

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, मैं प्रक्रिया के विषय पर बोलना चाहता हूं। आज हमें कितनी देर तक बैठना होगा? क्या आज हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार करेंगे अथवा यह विचार-विमर्श कल शुरू करेंगे। यदि हम कल इसे शुरू नहीं करेंगे तो क्या यह चर्चा सोमवार को भी जारी रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): पहले, इस बात पर सहमति हुई थी कि हम आठ बजे तक काम करेंगे। आज गोवा बजट को पूरा किया जाए।

श्री शरद पवार : एक दिन में सब कुछ पूरा करना सम्भव नहीं होगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, जैसा कि विपक्ष के नेता ने सही रूप से कहा है कि देर रात में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करना उचित नहीं होगा। इसे हम कल शुरू करेंगे। लेकिन मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि हमें गोवा का बजट आज पूरा कर लेना चाहिए। आपके इस प्रश्न पर "कि हम कितनी देर तक बैठेंगे? मैं कहूंगा कि अब हम शुरू करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : गोवा बजट पर केवल छः वक्ता बोलेंगे।

श्री शरद पवार : हम इसे पूरा कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : छः सदस्य का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट दिए जायेंगे।

श्री शरद पवार : इसे हम आज पूरा कर लेंगे। कल और सोमवार को हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार करेंगे। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम इस पर पूरे दो दिन तक चर्चा करेंगे। हमारी समझ में तो यही आया था कि हम दो दिन तक इस पर चर्चा करेंगे।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह केवल आठ घण्टे के लिए है। मुझे खेद है, मुझे दिए गए वक्तव्य को चुनौती देने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए थी परन्तु इसमें केवल आठ घण्टे की बात कही गई है। मुझे लगता है कि हमारे पास समय है। यदि वह पूरे समय पर जोर देते हैं, तो मुझे इस बात पर अड़े रहना चाहिए कि आज हम समय का अधिकतम उपयोग करें। परन्तु मैं यह नहीं करना चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि आज हम गोवा बजट को पारित कर लेते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल चर्चा आरंभ करेंगे और प्रयास करते हैं कि हम मामले को पूरा कर लें। यदि विपक्ष के नेता विशेष रूप से चाहते हैं कि यह सोमवार को ही हो, तो उनकी खातिर इसे हम सोमवार को पूरा करेंगे। उनकी खातिर, हम निश्चित रूप से हां कहेंगे। परन्तु इस बीच हम रेल बजट लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस विषय पर बोलने वाले वक्ता छः हैं। प्रत्येक तीन मिनट से ज्यादा न बोलें। श्री फ्रांसिस्को सारदीना अब बोलेंगे।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ): महोदय, मैं सभा के समझ प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गोवा) 1998-99 तथा गोवा राज्य के 1999-2000 के बजट का समर्थन करता हूं। मैं माननीय सभा के समक्ष कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।

गोवा दिसम्बर 1961 में स्वतंत्र हुआ था अर्थात् इस देश की स्वतंत्रता के लगभग पन्द्रह वर्ष के पश्चात्। हमने तीन पंचवर्षीय योजनाएं खो दी हैं और उनके साथ ही राज्य का पूरा विकास भी खो दिया। बार-बार सरकारों ने केन्द्र सरकार के समक्ष गोवा को इस देश में विद्यमान अन्य राज्यों के साथ-साथ एक विशेष श्रेणी के राज्य की घोषणा करने का प्रस्ताव भेजा है। किन्तु यह बात अनसुनी कर दी गई है।

मैं यह पुनः कहना चाहता हूं। मैं यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि गोवा को एक विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाए। यदि आप कर ढांचे को देखें तो गोवा के नागरिकों पर अत्यधिक कर लगाए गए हैं यदि आप राज्य के योजना बजट को देखें तो यह पिछले वर्ष 234.77 करोड़ रुपए था यह इस वर्ष 240 करोड़ रुपए है। यदि आप इसे आज की मुद्रास्फीति के आलोक में देखें तो कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अपराह्न 5.47 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

यदि शून्य विकास भी हुआ था, तब भी योजनागत बजट 246 करोड़ रुपए होना चाहिए था और 240 करोड़ रुपए नहीं। यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि आज योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित है जो मेरे विचार से पुराना पड़ चुका है। यह इसलिए पुराना पड़ चुका है क्योंकि यह जनसंख्या पर ज्यादा जोर देता है। इस फार्मूले के अन्तर्गत केरल और गोवा जैसे राज्य, जहां पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम बड़ी सख्ती से लागू किए जाते हैं और जहां लोगों के दो या तीन बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं हैं, पीड़ित होते हैं और उन राज्यों को जहां इसका उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया है और जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक है, इसका फायदा उठाते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम परिवार नियोजन के मामले में वास्तव में गम्भीर हैं जो कि समय की मांग है। वे राज्य जो छोटे परिवार के सिद्धांत को अपनाते हैं, वे क्यों पीड़ित हों? मैं यह सुझाव दूंगा कि इस उद्देश्य के लिए एक अन्य फार्मूला बनाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिसमें वृद्धि दर को एक निश्चित बिन्दु तक कम किया जाना चाहिए और जो राज्य उन लक्ष्यों को पूरा करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हमें अच्छी तरह इसका पालन करना चाहिए। यदि यह हो जाता है तो गोवा का योजनागत बजट बढ़ जाएगा। मेरा प्रस्ताव

है कि जनसंख्या की बजाय निष्पादन को ज्यादा महत्व दिया जाए। इससे गोवा जैसे छोटे राज्यों को लाभ होगा।

गोवा लौह अयस्क तथा मैंग्नीज अयस्क के निर्यातकों में से एक है।

महोदय, चूंकि गोवा एक बंदरगाह भी है इसलिए निकटवर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ स्थानों से सभी लौह अयस्क गोवा के रास्ते निर्यात किया जा रहा है।

फिर वहां सड़कों पर बहुत भार है। हमारी सड़कें तंग हैं और बहुत से ट्रक जो लौह अयस्क को ला रहे हैं वे इन सड़कों पर चल रहे हैं।

महोदय, यदि आप देखें, गोवा के राजमार्ग मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि गोवा के पास धन नहीं है। यदि आप वास्तव में जाकर देखें तो आप पाएंगे कि गोवा दिवालिया हो चुका है। गोवा के लोगों पर बहुत अधिक कर लगा हुआ है।

महोदय, यदि लौह अयस्क के निर्यात से देश को प्राप्त होने वाले बजट का एक अंश भी अनुदान के रूप में गोवा को दे दिया जाए तो हम आधारभूत ढांचा बना सकते हैं, हम बंदरगाह में सुधार ला सकते हैं और हम राजमार्गों में सुधार ला सकते हैं। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इसके साथ-साथ गोवा एक पर्यटन राज्य भी है। बहुत से विदेशी पर्यटक देश में आ रहे हैं और वे अधिकांशत: गोवा या कश्मीर अथवा केरल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यटक केवल लाभ ही पहुंचा रहे हैं। संभवत: इसके साथ वे बुरी चीजें भी साथ ला रहे हैं। महोदय, हमने देखा है कि गोवा एड्स से ग्रस्त है। जहां भी ये पर्यटक आते हैं, उनमें से बहुत से यह बीमारी साथ लाते हैं। अत: इन बीमारियों के विरुद्ध हमें चेतना जागृत करनी होगी उसके लिए हमें बहुत सा धन चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य विभाग के चार्ट पर नजर डालें तो आपको पता लगेगा कि गोवा में एड्स के मामले बढ़ रहे हैं। यह सही है कि वे केवल गोवा में ही नहीं हैं परन्तु यदि आप देखें तो सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र में एड्स में वृद्धि हो रही है। इस बीमारी के फैलने का एक कारण यह है कि पर्यटक इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

इसलिए बेहतर स्वास्थ्य कवच के लिए और लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से स्वास्थ्य तथा पर्यटन के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा गोवा बाद में आजाद हुआ और राज्य को तो छोड़ दीजिए किसी भी संगठन को आरंभिक कठिनाइयां होंगी। हमें उन आरंभिक कठिनाइयों को दूर करने की अनुमति नहीं दी गई है। गोवा पर कर लगाये गये हैं। वास्तव में मुझे कहना चाहिये कि गोवा पर भारी कर लगाये गये हैं।

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया गोवा पर ध्यान दें और देखें कि क्या हमारा योजना बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही हमें अपना आधारभूत ढांचा भी विकसित करना है।

महोदय, पिछली बार गोवा विमानपत्तन के विषय में इस सदन में एक उत्तर दिया गया था कि 'इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने पर विचार किया जा रहा है।' हम सब प्रसन्न हैं। परन्तु मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि वास्को स्थित वर्तमान विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जाए। और हम एक नये विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नहीं बनाना चाहते। मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि नया विमानपत्तन नौसेना हेतु बनाया जाये और केन्द्र में स्थित वर्तमान विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जाये।

जो विमानपत्तन स्थानांतरित किया जा रहा है वह या तो उत्तर में अथवा दक्षिण में स्थानांतरित किया जायेगा। यदि यह उत्तर में स्थानांतरित हो जाता है तो दक्षिण के लोगों को विमान पकड़ने के लिए सुदूर उत्तर में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार, यदि यह दक्षिण में स्थानांतरित होता है तो उत्तर के लोगों को विमान पकड़ने के लिए सुदूर दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा।

इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि वास्को स्थित वर्तमान विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जाए। चूंकि यह विमानपत्तन वास्को के मध्य में स्थित है इसलिए यदि इसका दर्जा बढ़ाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया जाता है तो हमें प्रसन्नता होगी।

हमें केन्द्रीय सहायता के रूप में 86.92 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारे राज्य संसाधनों से 153.08 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है गोवा के लोगों पर पहले ही बहुत से टैक्स लगाए गए हैं। एक राज्य को पर्यटन राज्य घोषित करना अच्छा है परन्तु इस तथ्य को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि गोवा के लोग सारा वर्ष ही अपने राज्य में पर्यटक बने रहते हैं।

जब कोई पर्यटक हमारे राज्य में आता है तो वह धन खर्च करने हेतु आते हैं और वेतनभोगी लोगों के लिए ये सब बहुत महंगा पड़ता है। इसी कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गरीबी

रेखा के मानकों को बदला जाना चाहिए। गरीब लोगों की संख्या बहुत है और यदि आप गोवा में जाएं तो आप पायेंगे कि गोवा कुछ अन्य गरीब राज्यों की तुलना में बहुत भिन्न है। परन्तु हम कुछ अन्य राज्यों में गरीबी के नियत मानकों को गोवा में लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है यदि प्रति व्यक्ति आय ही सब कुछ है तो भी इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमीर हैं। वस्तुएं बहुत महंगी हैं। हमें सभी राज्यों के सम्बन्ध में एक ही फार्मूला नहीं अपनाना चाहिए। हमें गोवा जैसे कुछ राज्यों को रियायत देनी चाहिए जहां पर्यटन को प्रमुखता दी जाती है और जहां से हमें बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। राज्य को इससे क्या मिलता है? उसे मात्र 86 करोड़ से 92 करोड़ रुपए की थोड़ी सी राशि मिलती है। राज्य के संसाधन 153.88 करोड़ रुपए के हैं।

अत:, मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे और इस केन्द्रीय अंशदान को 86 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 153 करोड़ रुपए कर देंगे। हमारे लोगों पर टैक्सों का बोझ पहले ही अधिक है। संतृप्त स्थिति आ चुकी है। गोवा में और अधिक टैक्स लगाने की गुंजाईश नहीं है। इसे 86 करोड़ रुपए से कुछ अधिक तक कर दें और राज्य के अपने संसाधन कम कर दें।

पहले यह अफवाहें उड़ी थी कि गोवा को मुक्त बन्दरगाह घोषित किया जा रहा है। गोवा को मुक्त बंदरगाह घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। गोवा के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे जैसे दूरभाष, सड़कें और रेलवे को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। मैं इसके बारे में रेलवे बजट के दौरान भी बोलूंगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं दक्षिण-मध्य रेलवे के अन्तर्गत चलने वाली एक रेलगाड़ी गोवा को लौंडा तथा अन्य स्थानों से जोड़ती है। विगत दो वर्षों से यह बन्द है और अनेक बार मैंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसके केन्द्रीय अंशदान में वृद्धि की जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चौंयल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने गोवा राज्य के वर्ष 1999-2000 के बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट में छ: अरब 39 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान है।

अभी, कुछ दिन पूर्व हमने इसी सदन में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी और गोवा के भी तमाम पार्टी के लोगों ने अपनी सहमति राष्ट्रपति शासन के लिए दी थी कि पुन: वहां पर एक बार चुनाव हों, जनमत हो, वहां नई सरकार का गठन हो और उस प्रदेश का विकास हो। अभी फ्रांसिस साहब ने इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग की है कि गोवा को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाये। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं।

दूसरी बात यह है कि गोवा एक ऐसा राज्य है, जहां चाहे पर्यटक हों या मुंबई जाने वाले तमाम लोग हों, अगर वे मुंबई जाते हैं तो गोवा जाना भी पसन्द करते हैं। गोवा राज्य पूरे तरीके से पर्यटकों पर ही निर्भर है। वहां पर ज्यादातर, जैसा कि फ्रांसिस जी ने अभी मांग की, मैं भी उनकी बातों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर गोवा को पर्यटक राज्य घोषित किया जाये ताकि वहां पर विदेशी पर्यटक आयें, उनसे विदेशी मुद्रा हमें मिले और राज्य का विकास हो। जहां तक बजट की बात है, अभी मैं इसे देख रहा था।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गोवा के बजट में वन, मत्स्य पालन, रोजगार, महिला कल्याण विकास, संग्रहालय, कला-संस्कृति और शिक्षा की मदों से सम्बन्धित जो राशि है, उसे और बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे गोवा को पर्यटन स्थल के रूप में और बढ़ावा मिले। वह राष्ट्रीय मानचित्र में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके। पूरे देश में चाहे जम्मू-कश्मीर हो, लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या गोवा हो, वहां काफी तादाद में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत अच्छा है।

जहां तक मुझे जानकारी है गोवा में काजू का उत्पादन काफी मात्रा में होता है और नारियल का भी उत्पादन होता है। इसके साथ ही वहां मछली पालन में भी काफी लोग सक्रिय हैं। इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार गोवा के बजट में अधिक से अधिक धन दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोवा राज्य के लिए रखे गए इस बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1999-2000 के लिए गोवा का बजट प्रस्तुत किया है जिसमें कुल 13.14 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में 1,335.76 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति दिखाई गई है। 143.5 करोड़ रुपये के घाटे को छोड़कर अनुमानित राजस्व व्यय 1,488.92 करोड़ रुपए का दिखाया गया है।

वर्ष 1999-2000 के लिए राज्य योजना परिव्यय लगभग 240 करोड़ रुपये है जो कि बर्तमान वर्ष के 234.77 करोड़ रुपए के परिव्यय और राज्य के 153.08 करोड़ रुपए के आगामी वर्ष के अपने संसाधनों से थोड़ा अधिक है। यदि मुद्रा-स्फीति को भी लिया जाए, तो वास्तविक योजना परिव्यय कम हो जाता है।

240 करोड़ रुपए की योजना राशि यह सोचकर पर निर्धारित की गई है कि बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क और मोटर वाहन कर के राजस्व के जरिये तथा पानी पर टैरिफ बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाएंगे।

वर्ष 1999-2000 के लिए 153.05 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। गाडगिल फार्मूले के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता उनकी जनसंख्या के आधार पर दी जाती है अर्थात् अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है। गोवा में हमने सख्ती से परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू करके जनसंख्या नियंत्रित की है। अत: जनसंख्या कम है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को गोवा राज्य को बजाय इसके कि इसे केन्द्रीय सहायता कम करके परिवार नियोजन के लिए दण्डित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा 450 वर्षों तक देखा जाये तो कोई विकास नहीं हुआ। अब चूंकि गोवा 1967 तक संघ राज्य क्षेत्र था अत: स्वतंत्रता के पश्चात् हमने केन्द्रीय सरकार की सहायता से आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया और इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार योजना के घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही थी। तथापि जब गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बन गया तो केन्द्र सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता कम पड़ने लगी, जिससे गोवा के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरे, चूंकि गोवा एक छोटा राज्य है अत: यहां कम राजस्व अर्जित होता है जिससे राज्य के विकास की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि पूरे भारत में जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण से बाहर है। परन्तु गोवा में हमने जन्म दर को नियंत्रण में कर लिया है और अब यह 15 प्रति हजार है साथ ही साथ हमने मृत्यु दर पर भी नियंत्रण पाने हेतु काफी प्रयास किया है जो कि 15 प्रति हजार है। हमारे राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में जनसंख्या निगंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं अत: गोवा की जनसंख्या केवल 12 लाख है जबकि इसका क्षेत्र फल 3702 वर्ग किलोमीटर है। देश पर जनसंख्या के बोझ को कम करने में हमारा राज्य हमेशा अग्रणी रहा है।

आर्थिक और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में हम उचित विकास की ओर अग्रसर हैं। इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें और अधिक निधियों की आवश्यकता है, जिसे प्रदान करने और जारी करने हेतु हम आपसे अनुरोध करते हैं ताकि हम अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना विकास प्रदर्शित कर सकें।

गोवा के राजस्व संसाधन बहुत ही कम हैं जो हमारे विकास में आड़े आता है। मिलने वाले संसाधन और केन्द्र द्वारा प्रदत्त वर्तमान निधियों से राज्य की विकास आवश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव है। तथापि हमारा आपसे अनुरोध है कि आप विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक निधियां मंजूर करें।

पहली और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह आर्थिक विकास को पूरा करने के संबंध में है। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है जिसका कि हमारे पास बहुत अभाव है। आर्थिक विकास राज्य के रीढ़ की हड्डी होता है, अत: हमें इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए परन्तु वर्तमान निधियों से यह बात पूरी नहीं होती। अत: हमारा आपसे सविनय निवेदन है कि 1999-2000 के वर्तमान बजट घाटे को पूरा करने हेतु अधिक निधियां मंजूर करें और अगली चार पंचवर्षीय योजनाओं के लिए इसे जारी रखें। गोवा ऐसा पर्यटन स्थल है जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। अनेक विदेशी गोवा में आते हैं। पूरे साल लगभग 350 अधिकृत उड़ानें गोवा में आती हैं। अत: आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए इसे अधिक निधियों की आवश्यकता पड़ेगी और केन्द्रीय सरकार को इस छोटे से राज्य को विकसित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा यह विनम्र निवेदन है कि इस राज्य को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों को दी जाती है। आबंटन के बारे में पूर्वोत्तर राज्य और गोवा दोनों एक जैसी समस्याओं का सामना

[श्री रवि सीताराम नायक]

कर रहे हैं। हमारे राज्य को भी उन्हीं कृपापूर्ण हाथों से निधियां मिलनी चाहिए। तथापि हम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देने को कहेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में देश पर जनसंख्या के बोझ को कम करने में हम काफी आगे हैं। अत: हमें भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इस सहायता को आगामी चार वर्षीय योजनाओं तक जारी रखना चाहिए ताकि हम निकट भविष्य में अपना इन्तजाम कर सकें। हम चाहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले ताकि हम मिलने वाले संसाधनों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

अत: माननीय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि वे हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से ध्यान दें और हमें ऊपर उठने में सहायता करें, चूंकि हम विकास की दौड़ में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा अल्प विकसित अवस्था की गहराईयों से ऊपर उठाकर हमारी ओर सहायता का हाथ बढ़ाएंगे।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): उपाध्यक्ष जी, केवल दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, केवल दो मिनट बोलिये दस मिनट नहीं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1999, जो वित्त मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने गोवा के लिए इस बजट में 6 अरब, 39 करोड़ और 88 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। गोवा देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इस दृष्टि से उसके विकास के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा प्रावधान इसमें किया जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। ...*(व्यवधान)* पर्यटन के लिए तो दोगुना बजट होना चाहिए था। पर्यावरण, पुलिस, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कला, संस्कृति, महाविद्यालय, अस्पताल सेवाएं, श्रम, नगर और ग्रामीण विकास योजना, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास योजना, रोजगार, मत्स्य पालन आदि-आदि के लिए अगर मंत्री महोदय ने और भी ज्यादा प्रावधान किया होता तो हमें ज्यादा खुशी होती। वित्त मंत्री जी बहुत उदार और अच्छे हैं, इसीलिए मैं उनसे मांग करूंगा कि गोवा को हमारे देश में ही नहीं दुनिया में पर्यटन का आकर्षण का केन्द्र बनना चाहिए तथा इसके लिए और भी ज्यादा प्रावधान किया होता तो मुझे और भी खुशी होती। गोवा में जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर वहां लोकप्रिय सरकार का गठन कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जिस तरह से सिक्किम जैसे छोटे से प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को भी राज्य का दर्जा दिया जाता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। उपाध्यक्षजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और वित्त मंत्री जी से यह गुजारिश करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर और भी ज्यादा प्रावधान किया होता तो आप और भी ज्यादा धन्यवाद के पात्र होते। फिर भी आपने कुल जो इसमें कोशिश की है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में माननीय सदस्यों के भाग लेने और इस बात के लिए भी कि सभा के सभी दलों से इस बजट के लिए मुझे समर्थन प्राप्त हुआ है, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं वास्तव में समर्थन के लिए अत्यन्त आभारी हूं। हम गोवा राज्य के संबंध में इस सभा के समक्ष वर्ष 1999-2000 का बजट तथा वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमानों को पेश करने का संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। इस समय गोवा राष्ट्रपति शासन के अधीन है। हमारी यही इच्छा है कि यहां पर यथाशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए और गोवा में एक लोकप्रिय सरकार का शासन हो जाना चाहिए। स्पष्टतया लोकप्रिय सरकार उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी जो इस राज्य के सामने आयी है और आज आ सकती है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में इन समस्याओं को उठाया है। गोवा इस देश के उन राज्यों में से है जिनकी वित्तीय स्थिति बेहतर है। इसका राजस्व घाटा नाममात्र है। वर्ष 1992 से 1997 के दौरान इसे कोई राजस्व घाटा नहीं हुआ था। इसे 1997-98 में लगभग 14 करोड़ रुपए का बहुत कम राजस्व घाटा हुआ था। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में यह बढ़कर लगभग 180 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह राज्य के वित्त पर पांचवें वेतन आयोग के पड़े प्रभाव का एक उदाहरण है।

महोदय, गोवा की वार्षिक योजना सभी पूर्व वर्षों की तुलना में संतुलित है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु योजना आयोग के साथ बातचीत की

जानी है तथा योजना आयोग ही गोवा की योजना का अंतिम रूप से निर्धारण करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि योजना में 40 प्रतिशत धनराशि, सिंचाई, पानी और विद्युत क्षेत्र के लिए नियत की गयी है। जिन योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी नीति भी शामिल है।

इसलिए जैसा कि मैंने कहा यह कुल मिलाकर एक सुव्यवस्थित राज्य है। मैं आशा करता हूं कि यह भविष्य में भी सुव्यवस्थित बना रहेगा। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, चाहे गोवा में राष्ट्रपति शासन हो, या फिर गोवा में लोकप्रिय सरकार का शासन हो, अधिकतम संभव सीमा तक राज्य की सहायता करते रहने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम गोवा के महत्व को समझते हैं।

मैं माननीय सदस्य श्री सारदीना को यह भी बताना चाहता हूं कि संशोधित गाडगिल सूत्र; राज्य को अंतरण के संबंध में हाल ही में उठाये गए अनेक मुद्दों को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उठाया गया है। उठाये गए मुद्दों के समाधान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति की बैठक शीघ्र की जायेगी। मुक्त पत्तन और विमानपत्तन जैसी अन्य मांगें भी हैं। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर गोवा की नयी सरकार विचार करेगी। जब भी वे हमारे पास सहायता के लिए आएंगे, जैसा कि मैंने कहा है, हम उनकी हर सहायता के लिए तैयार रहेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं यह सुझाव दूंगा कि हम इस सभा के अनुमोदन से गोवा बजट पारित करें।

श्री रवि सीताराम नायक : बजट में सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में 86 करोड़ करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केन्द्रीय सहायता गोवा राज्य को जारी की जायेगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : यदि वह अनुमान लगाया गया है, तो यह राशि दी जायेगी; अन्यथा यह अनुमान नहीं लगाया गया होता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को उनके द्वारा दिए गए संक्षिप्त उत्तर के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं अब वर्ष 1999-2000 के लिए लेखा के संबंध में अनुदानों की मांगें (गोवा) सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 80 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखन संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां गोवा राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1999-2000 के लिए लेखा अनुदानों की मांगें (गोवा)

संख्या और मांग का नाम		लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	विधानमंडल सचिवालय	45,17,000	5,00,000
2.	सामान्य प्रशासन और समन्वय	2,44,17,000	...

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
3.	जिला और सत्र न्यायालय (उत्तरी गोवा)	74,67,000	...
4.	जिला और सत्र न्यायालय (दक्षिणी गोवा)	72,67,000	...
5.	अभियोजन	25,33,000	...
6.	निर्वाचन कार्यालय	1,20,00,000	...
7.	बंदोबस्त और भूमि रिकार्ड	75,91,000	...
8.	राजकीय और लेखा प्रशासन (उत्तरी गोवा)	16,59,00,000	1,58,33,000
9.	राजकीय और लेखा प्रशासन (दक्षिणी गोवा)	28,33,000	...
10.	नोटरी सेवाएं	26,00,000	...
11.	उत्पाद शुल्क	57,00,000	...
12.	बिक्री और मनोरंजन कर	67,33,000	...
13.	परिवहन	1,68,00,000	45,33,000
14.	गोवा सदन	27,00,000	...
15.	समाहर्तालय (उत्तरी गोवा)	1,09,33,000	...
16.	समाहर्तालय (दक्षिणी गोवा)	97,00,000	...
17.	पुलिस	9,05,33,000	30,65,000
18.	जेल	50,67,000	...
19.	उद्योग और खानें	1,67,64,000	5,69,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
20.	मुद्रण और लेखन सामग्री	89,67,000	...
21.	लोक निर्माण कार्य	33,51,67,000	18,64,00,000
22.	सतर्कता	6,33,000	...
23.	गृह	3,00,000	...
24.	गोवा लोक सेवक भ्रष्टाचार आयोग (जांच तथा पूछताछ)	9,33,000	...
25.	होमगार्ड और सिविल रक्षा	21,33,000	...
26.	अग्नि शमन और आपात सेवाएं	1,02,46,000	...
27.	विस्थापित संपत्ति	1,67,000	...
28.	प्रशासनिक न्यायाधिकरण	4,67,000	...
29.	संपदा कार्यालय	2,00,000	...
30.	लॉटरी	116,89,33,000	...
31.	पंचायत	3,29,00,000	5,00,000
32.	वित्त	16,60,33,000	...
33.	राजस्व	47,00,000	3,000
34.	स्कूली शिक्षा	47,52,78,000	29,43,000
35.	उच्च शिक्षा	6,24,67,000	1,67,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
36.	तकनीकी शिक्षा	96,67,000	10,67,000
37.	राजकीय पॉलिटेकनीक (पणजी)	74,62,000	3,33,000
38.	राजकीय पॉलिटेक्नीक (बायकोलिम)	14,30,000	3,000
39.	राजकीय पॉलिटेकनीक (करकोरम)	10,20,000	1,47,000
40.	गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	89,00,000	6,67,000
41.	गोवा आर्किटेक्चर कॉलेज	17,00,000	...
42.	खेल एवं युवा कार्य	1,55,00,000	33,33,000
43.	कला एवं संस्कृति	71,67,000	21,67,000
44.	गोवा कला कालेज	20,67,000	3,33,000
45.	अभिलेखागार एवं पुरातत्व विज्ञान	24,67,000	3,33,000
46.	संग्रहालय	27,67,000	1,67,000
47.	गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	8,48,33,000	41,33,000
48.	स्वास्थ्य सेवाएं	10,59,00,000	16,67,000
49.	मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान	1,12,67,000	...
50.	गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी	32,67,000	3,33,000
51.	गोवा डेन्टल कॉलेज	48,33,000	5,00,000
52.	श्रम	1,35,17,000	19,50,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
53.	खाद्य और औषध प्रशासन	31,33,000	1,51,000
54.	शहर और नगर योजना	61,33,000	...
55.	नगर पालिका प्रशासन	1,87,00,000	3,33,000
56.	सूचना एवं प्रचार	45,33,000	...
57.	समाज कल्याण	82,82,000	3,08,000
58.	महिला एवं बाल विकास	2,03,33,000	2,00,000
59.	कारखाने एवं बॉयलर	25,55,000	2,67,000
60.	रोजगार	16,33,000	...
61.	शिल्पकार प्रशिक्षण	1,92,67,000	5,00,000
62.	विधि	2,33,000	26,67,000
63.	राज्य सैनिक बोर्ड	4,33,000	...
64.	कृषि	3,42,59,000	15,49,000
65.	पशु पालन	2,23,50,000	1,33,000
66.	मत्स्य पालन	75,43,000	40,75,000
67.	पत्तन प्रशासन	74,00,000	40,33,000
68.	वन	2,43,90,000	14,43,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
69.	उद्यान और बाग	5,67,000	...
70.	नागरिक आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण	37,90,000	32,31,67,000
71.	सहकारिता	82,00,000	5,67,000
72.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	29,42,000	...
73.	राज्य निर्वाचन आयोग	9,67,000	...
74.	सिंचाई	4,59,67,000	21,07,00,000
75.	योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन	65,58,000	...
76.	बिजली	1,19,57,83,000	5,61,96,000
77.	नदी नौसंचालन	2,47,67,000	...
78.	पर्यटन	85,70,000	43,27,000
79.	गोवा गजेटियर	3,86,000	...
80.	विधिक माप-विज्ञान	15,33,000	...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब 1998-99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (गोवा) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग सं. 1 से 19, 21, 23, 28, 30 से 65, 67 से 70, 71 और 73 के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां गोवा राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गोवा)

संख्या और मांग का नाम		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	विधानमंडल सचिवालय	11,18,000	...
2.	सामान्य प्रशासन एवं समन्वय	1,14,10,000	...
3.	जिला और सत्र न्यायालय (उत्तरी गोवा)	78,38,000	...
4.	अभियोजन	3,00,000	...
5.	निर्वाचन कार्यालय	36,00,000	...
6.	बन्दोबस्त और भूमि रिकार्ड	24,00,000	...
7.	राजकोष और लेखा प्रशासन (उत्तरी गोवा)	3,26,07,000	2,00,00,000
8.	नोटरी सेवाएं	9,25,000	...
9.	उत्पाद शुल्क	28,91,000	...
10.	बिक्री और मनोरंजन कर	15,16,000	...
11.	परिवहन	2,16,01,000	2,05,00,000
12.	गोवा सदन	13,61,000	...
13.	समाहर्तालय (उत्तरी और दक्षिणी गोवा)	1,00,20,000	...
14.	पुलिस	6,57,79,000	68,75,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
15.	जेल	28,42,000	...
16.	उद्योग और खानें	97,92,000	...
17.	मुद्रण और लेखन सामग्री	27,62,000	...
18.	लोक निर्माण कार्य	17,81,48,000	21,27,46,000
19.	सतर्कता	50,000	...
21.	गोवा लोक सेवक भ्रष्टाचार	8,88,000	...
23.	अग्नि शमन और आपात सेवाएं	60,00,000	...
28.	पंचायत	1,31,76,000	5,00,000
30.	राजस्व	8,00,000	...
31.	स्कूली शिक्षा	27,62,72,000	1,87,42,000
32.	उच्च शिक्षा	3,93,85,000	...
33.	तकनीकी शिक्षा	2,22,56,000	53,83,000
34.	राजकीय पॉलिटेक्नीक	27,00,000	76,53,000
35.	गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	26,77,000	...
36.	गोवा आर्किटेक्चर कालेज	16,87,000	...
37.	खेल एवं युवा कार्य	32,00,000	69,65,000
38.	कला एवं संस्कृति	1,00,00,000	40,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
39.	गोवा कला कालेज	7,00,000	2,10,000
40.	अभिलेखागार एवं पुरातत्व विज्ञान	16,70,000	8,00,000
41.	गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	5,73,00,000	55,95,000
42.	स्वास्थ्य सेवाएं	2,37,16,000	15,00,000
43.	मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान	61,55,000	50,00,000
44.	गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी	10,00,000	....
45.	गोवा डेन्टल कॉलेज	22,60,000	...
46.	श्रम	42,78,000	39,00,000
47.	खाद्य और औषध प्रशासन	14,65,000	4,00,000
48.	शहर और नगर योजना	25,40,000	...
49.	नगर पालिका प्रशासन	47,53,000	...
50.	सूचना एवं प्रचार	28,60,000	...
51.	समाज कल्याण	61,38,000	...
52.	महिला एवं बाल विकास	9,30,30,00	10,00,000
53.	कारखाने एवं बॉयलर	9,00,000	3,00,000
54.	रोजगार	148,50,00	...
55.	शिल्पकार प्रशिक्षण	1,19,45,000	7,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
56.	विधि	1,25,000	...
57.	राज्य सैनिक बोर्ड	1,50,000	...
58.	कृषि	57,74,000	32,22,000
59.	पशु पालन	70,95,000	3,00,000
60.	मत्स्य पालन	70,32,000	8,00,000
61.	पत्तन प्रशासन	49,00,000	...
62.	वन	606,80,00	...
63.	नागरिक आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण	20,23,000	20,00,000
64.	सहकारिता	20,50,000	3,00,000
65.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	4,45,000	1,55,000
67.	सिंचाई	3,52,56,000	3,49,19,000
68.	योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन	8,83,000	...
69.	बिजली	43,00,000	10,74,63,000
70.	नदी नौसंचालन	1,12,42,000	...
71.	पर्यटन	44,80,000	66,80,000
73.	विधिक माप-विज्ञान	7,35,000	...

सायं 6.20 बजे

गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, यह सभा गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर चर्चा करेगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 10.3.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.22 बजे

गोवा विनियोग विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा में गोवा विनियोग विधेयक पर विचार किया जायेगा।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 10.3.99 में प्रकाशित।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है?

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, यह विधायी कार्य है। कोई भी सदस्य किसी भी विधान पर बोल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन तब भी आपको सूचना देनी पड़ेगी। क्या आपको मालूम है?

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, इसीलिए तो मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं। यदि आप मुझे अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं फिर बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हम राधाकृष्णन जी से बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन मेरे विचार से सभा का इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि यह पुर:स्थापन के चरण में है। अत: जो कुछ भी करना है, सीमित होना चाहिए और इसके लिए सामान्यतया सूचना दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इससे पहले ही सहमत हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल मेरी अनुमति से ही बोलेंगे। कृपया एक मिनट के लिए उनकी बात सुन लें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, हम उनकी बात सादर एक मिनट से ज्यादा सुनेंगे। लेकिन सीधी सी बात यह है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी केवल अधिकार क्षेत्र और विधायी सक्षमता के लिए ही अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी यही करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उनकी बात सुनी है। इसीलिए, कृपया अपने आपको अधिकार क्षेत्र और विधायी सक्षमता के दायरे में रखिये।

श्री वारकला राधाकृष्णन : यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप एक विशेष मामले के रूप में बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति दी गई है। कृपया अपनी बात आरंभ करें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मेरा पहला अनुरोध माननीय वित्त मंत्री जी से यह है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं और इसलिए आपका पहला प्रयास राज्य में शीघ्र चुनाव कराने की व्यवस्था करना होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच, मैं एक अन्य बात पर भी बल दूंगा क्योंकि मुझे उस बारे में कुछ अनुभव है। यह बात दल-बदल विरोधी विधेयक के बारे में है। गोवा में कई बार यह आरोप लगाया गया है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। आपको उस दल-बदल विरोधी विधेयक में सुधार करना होगा और इसमें संशोधन करना होगा ताकि अध्यक्ष का बोझ कम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद सं. 23 पर विचार किया जाये।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए गोवा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा से अनुरोध करता हूं कि कल असूचीबद्ध कार्य के पश्चात् हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा कर सकते हैं और आज हम परिवर्तन के तौर पर थोड़ा जल्दी सायं 6.30 बजे बैठक समाप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सहयोग दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 11 मार्च, 1999/20 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।
